

छत्तीसगढ़ विधान सभा की अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



पंचम विधान सभा

दशम् सत्र

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021
(फाल्गुन 06, शक सम्वत् 1942)

[अंक 04]

छत्तीसगढ़ विधानसभा

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 6, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री अमितेश शुक्ल जी दो दिन से लगातार विधानसभा में आ रहे हैं, यह उनकी लगातार सर्वाधिक उपस्थिति है। वह क्यों आ रहे हैं, इसकी जांच कराई जाये? वह लगातार दो दिन ढाई साल में पहली बार आये हैं।

नगरीय निकायों में स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती

1. (*क्र. 882) श्री दलेश्वर साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017-18 से 31-01-2021 तक प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती की गई है? (ख) यदि हां, तो भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या थी?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हां. (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में बी.एस.सी. उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नगरीय निकायों में स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती के संबंध में है। उसमें उत्तर आया है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि विभाग वालों ने शायद माननीय मंत्री जी को गलत जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या विज्ञापन में दी गई योग्यता के आधार पर दस्तावेज सत्यापन किया गया है ? आपने विज्ञापन निकाला, उस विज्ञापन के आधार पर भर्ती के समय दस्तावेजों का सत्यापन किया है या नहीं किया है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 2018 को स्वच्छता निरीक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, उसमें 57 लोगों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें जो निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, जीव विज्ञान में बी.एस.सी. (बायोलॉजी) उत्तीर्ण होना चाहिए और स्वच्छता निरीक्षक का डिप्लोमा होना चाहिए। व्यावसायिक परीक्षा

मंडल से 57 लोगों की परीक्षा कराई गई थी, भर्ती की प्रक्रिया हुई थी। उन लोगों ने जो सूची भेजी थी, उसमें मात्र दो लोग ही पात्र थे और मात्र दो लोगों की ही नियुक्ति हुई है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ही प्रश्न है कि आपने विज्ञापन जिस आधार पर निकाला है, उस आधार पर सत्यापन किये हैं या नहीं किये हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्यापन किया गया है। विज्ञापन के अनुसार सत्यापन करने के बाद ही 57 लोगों में से 2 लोग पात्र पाये गये। वह जो 57 लोगों की सूची भेजी थी, उसमें से मात्र 2 लोग ही पात्र पाये गये। जब सत्यापन कराया गया, तभी तो 2 लोग पात्र पाये गये। यदि सत्यापन नहीं कराते तो पूरे 57 लोग नियुक्ति पा जाते।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं क्लीयर करना चाहता हूँ। शायद विभाग ने गलत जवाब दिया है। आपने विज्ञापन के अनुसार जीव विज्ञान बी.एस.सी. को सत्यापन का आधार नहीं बनाया, आपके अधिकारी ने भिलाई में अलग नियुक्ति की, किसी ने संकाय को मानकर सत्यापन किया, किसी ने विषय को मानकर सत्यापन किया और उनको नियुक्ति दी। नगर पंचायत कुरुद में माइक्रोबायोलॉजी को विषय मानकर नियुक्ति कर दी गई, भिलाई में बायोटेक्नोलॉजी को विषय मानकर नियुक्ति कर दी गई। विज्ञापन के आधार पर जीव विभाग बी.एस.सी. विषय को आधार मानकर आपको सत्यापन करना था। भिलाई वाले ने अलग कर दिया, कुरुद वाले ने अलग कर दिया, आपके विभाग वालों ने किस आधार पर नई-नई परिभाषा करके नियुक्ति कर दी? आप स्पष्ट करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भिलाई में तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है। माननीय सदस्य जी को कहां से संज्ञान में आ गया। यदि इनके संज्ञान में कोई है, भिलाई में कोई नियुक्ति हुई है, उस पार्टिक्यूलर की जानकारी मुझको दे देंगे, मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने अपात्र क्यों किया? मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपने विज्ञापन निकाल दिया, भिलाई वाले ने अपात्र क्यों कर दिया और उसी मापदंड के आधार पर कुरुद वाले ने कैसे नियुक्ति कर दी? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। आपने नई परिभाषा बनाकर किसी को अपात्र कर दिया, गलत ढंग से व्याख्या करके किसी को अपात्र बनाकर, विज्ञापन को मापदंड न बनाकर किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या उनको नई नियुक्ति देंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा।

धान की खरीदी एवं कस्टम मिलिंग

2. (*क्र. 293) श्री अजय चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31-01-2021 तक कितने धान की खरीदी हुई है और कितनी मात्रा में धान की कस्टम मिलिंग हो गई

तथा कितना धान अभी कस्टम मिलिंग हेतु शेष हैं? शेष बचने के क्या कारण हैं और उसके लिए दोषी कौन हैं? उस धान की कस्टम मिलिंग कब तक कर ली जायेगी? (ख) छत्तीसगढ़ में कितनी राईस मिलें हैं? उनमें से कितनी मिलों द्वारा खरीफ वर्ष 2019-20 के धान की कस्टम मिलिंग की है और कस्टम मिलिंग का कुल भुगतान राशि कितना होता है? 31-01-2021 की कि स्थिति में मिलर्स को कितनी राशि का भुगतान किया गया है और कितनी राशि शेष है, जिलेवार बतायें? (ग) कस्टम मिलिंग की राशि को अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए दोषी कौन हैं और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में दिनांक 31-01-2021 की स्थिति में किसानों से 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसमें से 32.22 लाख टन धान की कस्टम मिलिंग की जा चुकी थी तथा 59.78 लाख मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु शेष था. वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में कस्टम मिल्ड चावल जमा कराने की तिथि 30-09-2021 निर्धारित है तथा धान के कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कुल 1907 पंजीकृत राईस मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग का कार्य किया गया है. दिनांक 31-01-2021 की स्थिति में राईस मिलर्स को 335.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. जिलेवार जानकारी † संलग्न¹ परिशिष्ट अनुसार है. वर्तमान में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है अतः कस्टम मिलिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी दी जा सकेगी. (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2021 के बाद 2019-20 के विषय में मेरा एक प्रश्न है। वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है। 31 दिसंबर के बाद कितना धान बाकी है और आज की तारीख में कितनी मीलिंग हो गई है और वह धान कहां जमा हो रहा है ? एफ.सी.आई. में जमा हो रहा है कि नान में जमा हो रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह सब इसके उत्तर में दिया हुआ है लेकिन वर्ष 2019-20 के बारे में जो पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें 8394 लाख मीट्रिक टन उपार्जित हुआ था और 80 लाख मीट्रिक टन की कस्टम मीलिंग हुई और और जो शेष 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन धान है वह अभी कुछ समिति स्तर पर है और कुछ संग्रहण केंद्र में है और चूंकि अभी इसके कस्टम मीलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है, सेंट्रल पुल में जो जमा होना था उसमें हमको उसना का ज्यादा टारगेट दे दिया गया, उतनी मीलिंग क्षमता नहीं है इस कारण थोड़ा सा लेट हुआ ।

¹ परिशिष्ट “एक”

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैंने जो प्रश्न पूछा है चूंकि आपने बता दिया कि 3 लाख 84 हजार क्विंटल अभी संग्रहण केंद्रों में रखा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- समितियों में भी रखा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, कुछ समितियों में भी रखा है कहा लेकिन पिछले सत्र में इन्होंने 4 लाख 65 हजार टन बताया था तो कम हो गया, मीलिंग हुई तो 31 दिसंबर के बाद जो धान मीलिंग हुई तो मैंने यह पूछा है कि उसका चावल एफ.सी.आई. में जमा हो रहा है कि नान में जमा हो रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- आपने जो 31 जनवरी के बाद की स्थिति में पूछा है उसमें से जो चावल जमा हो रहा है, दोनों में जमा हो रहा है । एफ.सी.आई. में भी जमा हो रहा है और नागरिक आपूर्ति निगम में भी जमा कर रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक नियम बता दीजिये । आपने वर्ष 2019-20 का कहा है, मैंने 31 दिसंबर कहा है, 31 जनवरी का नहीं पूछा है । आपने यह कहा कि दिनांक 31 दिसंबर के बाद नान और एफ.सी.आई. दोनों में चावल जमा हो रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसे घुमाकर पूछ रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं घुमाकर नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- आप सीधे-सीधे प्रश्न करिए न । आपने पहले प्रश्न पूछा ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं खड़ा हूं । मैंने जो प्रश्न पूछा है उसको तो मैं जानता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं बता रहा हूं न । आप उत्तर भी तो सुनने का धैर्य रखिए । आप इतनी जल्दी में हैं, क्या कहीं जाना है ?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, कहीं नहीं जाना है । मैं बैठ जाता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- आप आराम से पूछिए न, इसमें क्या है ? आप वर्ष 2019-20 का पूछिएगा तो उसका जवाब मिलेगा, आप वर्ष 2020-21 का पूछिएगा तो उसका जवाब मिलेगा । आपने वर्ष 2019-20 के बारे में पूछा तो वर्ष 2019-20 के बारे में हमने कस्टम मीलिंग के बारे में बताया कि 3 लाख 44 हजार अभी शेष है, जिसका अभी सेंट्रल पुल में जमा नहीं होने के कारण वह स्टेट पुल में नागरिक आपूर्ति में उसको जमा होना है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं । 3 लाख 84 हजार मीट्रिक टन...

श्री अमरजीत भगत :- आप इसे सुधार कर कहिए कि 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन ।

श्री अजय चंद्राकर :- सोसायटी में रखा है । मैंने यह पूछा है कि वर्ष 2019-20 में एफ.सी.आई. 31 दिसंबर के बाद चावल नहीं लेती है, यह नियम में है । नान जितनी उसको कस्टम मीलिंग के लिए, वर्ष 2019-20 के सत्र के लिये जितना चावल चाहिए वह उनको मिल चुका तो बकाया धान की भी वर्ष

2019-20 की जो कस्टम मीलिंग हो रही है, वह कहां जमा हो रहा है ? इसके बाद यह बतायेंगे कि 31 दिसंबर के बाद इतना जमा हुआ है, उसके बाद मैं दूसरे प्रश्न करूंगा कि नान में इतने क्विंटल जमा हुआ है और एफ.सी.आई. में वर्ष 2019-20 का इतना धान जमा हुआ है।

श्री अमरजीत भगत :- वर्ष 2019-20 के बारे में आपको बता दिया गया है कि 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन धान का कस्टम मीलिंग होना शेष है । चूंकि 31 तारीख तक 31 जनवरी तक जमा करने की अंतिम तिथि रहती है, वह दिनांक समाप्त होने के बाद अब हमारे पास जो शेष है उसको हम कन्वर्ट करके स्टेट पुल में, नागरिक आपूर्ति निगम में उसको जमा करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 साल पुराना धान है । 3 लाख 84 हजार बाकी है । मेरे पास पिछले बार के उत्तर की भी कॉपी है ।

श्री अमरजीत भगत :- आप 3 लाख 84 हजार को 3 लाख 44 हजार बोलिए न ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जिस धैर्य की अपेक्षा मुझसे कर रहे हैं न तो आप भी धैर्य से सुनिए न । आप भी नहीं भाग रहे हैं और मैं भी नहीं भाग रहा हूं । अब मैं दूसरा प्रश्न कर देता हूं, धान का एक साल पूरा हो चुका है । जो फूड सिक्योरिटी और स्टेण्डर्ड, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजें पहले क्लीयर कर देता हूं । एक साल बाद का चावल तो एफ.सी.आई. भी नहीं लेता । एक साल बाद 2019-20 में नान स्थानीय जरूरत के लिए लेता है, वह भी पूरा हो चुका । अब एक साल बाद जो चावल बनेगा उसको पी.डी.एस. में बांटा जा सकता है क्या ? इसके संबंध में नियम क्या है, आप यह बता दें । जब आप अभी तक कस्टम मीलिंग कर रहे हैं तो एक साल बाद के क्या नियम है यह बता दीजिए ?

श्री अमरजीत भगत :- आपके इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा लेकिन गांव के लोगों में एक कहावत है कि जिस किसान के पास जितना पुराना रहता है उसको उतना पोट किसान समझते हैं । अगर तैं किसानी काम करत होबे तो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप प्रश्नों में ही केन्द्रित रहें ।

श्री अमरजीत भगत :- आपको मैं बता दूं कि जो भी चावल जमा होता है वह सेंट्रल के नार्म्स के अनुरूप ही जमा होता है और स्टेट के पास क्वालिटी इन्सपेक्टर रहते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- फिर हत्थे में बैठ गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुमको इतना ही लेजिसलेशन आता है, उससे ज्यादा लेजिसलेशन नहीं आता, उनसे सीख लो । मैं सीट की सीमा में बैठा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय सुनेंगे आप । आपने प्रश्न किया है तो सुन लीजिए । चाहे सेंट्रल पूल में हो या स्टेट पूल में हो । जो भी चावल जमा होता है वह सेंट्रल की गाइड लाइन के अनुरूप

ही जमा होता है और जमा होने से पहले हमारे स्टेट में क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं वे क्वालिटी का टेस्ट करते हैं और जो मानक के अनुरूप रहता है वही चावल जमा होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में बहुत राजनीति होती है। मैं इसी में पूछता हूँ कि आपने जो मानक के नियम बताए हैं । एफ.सी.आई. एक साल बाद का चावल लेता है और एक साल पुराना चावल नान बांटता है, इस नियम की कॉपी सदन के पटल पर रखेंगे ? बताइए ।

श्री अमरजीत भगत :- यह जो आप देर से जमा होने का, कस्टम मिलिंग का पूछ रहे हैं । काश, आप अपने सेंट्रल से भी पूछ लेते कि अनुमति देने में इतना विलम्ब क्यों की ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं केन्द्र से क्यों पूछने जाऊंगा ? मैं तो विधान सभा में पूछूंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- जब विलम्ब से अनुमति आई । कोविड पीरियड आ गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोविड पीरियड में सारी राईस मिलें चालू थीं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह कहते हैं कि विलंब से अनुमति मिली । मैं जानना चाहता हूँ कि 2019-20 के लिए कितनी बार अनुमति बढ़ाई गई ?

श्री सौरभ सिंह :- सारी राईस मिलें चालू थीं । (व्यवधान) तीन बार डेट बढ़ाई गई ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, एक बार मैं एक ही सदस्य बोले ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह बोल रहे हैं कि विलम्ब से अनुमति मिली तो चावल जमा करने के लिए केन्द्र ने कितनी बार अनुमति बढ़ाई ? पिछले साल उन्होंने बताया कि इस सितम्बर, नवम्बर फिर 31 दिसम्बर तक अनुमति बढ़ाई, यह उन्होंने खुद कहा है । क्या विलम्ब की बात करते हो, पांच महीने तक कस्टम मिलिंग नहीं करा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये, प्रश्न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा प्रश्न यही है कि एक साल बाद एफ.सी.आई. लेता है या एक साल पुराना चावल नान बांटता है, उस निर्देश को पटल पर रखेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, काश उसके पीछे के स्टैंडर्ड को पढ़ लिये होते । चाहे भारतीय खाद्य निगम हो चाहे स्टेट का नागरिक आपूर्ति निगम हो, भारतीय खाद्य निगम के पास जो चावल का स्टॉक है कि अगर 3 साल भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए चावल रखा हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 3 साल, 5 साल से मतलब ही नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- आप तो एक साल में ही प्रश्न उठाने लगे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्वाइंटेड प्रश्न है, इधर-उधर घुमाने की जरूरत ही नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, जब हम बोल रहे हैं कि कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा होते हैं वह सेंट्रल नार्म्स के अनुरूप, स्टेट के क्वालिटी इंस्पेक्टर उसका टेस्ट करता है, उसके

अनुरूप ही चावल जमा होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस नार्म्स को पटल पर रखेंगे क्या ? पूरा सदन जानेगा, पूरा प्रदेश जानेगा, उसको पटल पर रखेंगे क्या ? इधर-उधर घुमाने के बजाय हां या नहीं में उत्तर देना। जो नार्म्स आए हैं, उसको सब जानेंगे । इसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है । एक साल बाद कस्टम मिलिंग के चावल को एफ.सी.आई. लेता है क्या और एक साल पुराना चावल नाम बांटता है क्या, यह नार्म्स में है क्या ? यदि है तो पटल पर रख दें । या फिर हां या नहीं में उत्तर दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आखिरी बात, 3 लाख 85 हजार टन अभी तक जो कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है । सोसायटी और संग्रहण केन्द्रों में है, उसके लिए दोषी कौन है, उस पर कार्रवाई करेंगे क्या और देरी के कारण क्या हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- आप पूछेंगे या आप पूछेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पूछ रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा आप पूछेंगे। तो बिल्कुल 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन जो शेष धान है उसका कस्टम मिलिंग होगा और स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति निगम में वह जमा होगा और नॉर्म्स के अनुरूप जमा होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अगर हिम्मत है तो आप नॉर्म्स को पटल पर रखो न। रखो नार्म्स है करके कि एक साल पुराना चावल बांटेगी क्या ? आप नार्म्स को सामने रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी।

श्री सौरभ सिंह :- आपसे प्रार्थना है कि आप रख दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- और इतने दिन तक नहीं हुआ तो दोषी कौन हैं ? इसका कारण क्या है, आप यह बताइए।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो बोल रहे हैं कि जो भी चावल जमा होता है, वह नार्म्स के अनुरूप जमा होता है। नार्म्स पढ़ना है तो नार्म्स पढ़ो। कहां आपको नार्म्स के against लग रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, तो नार्म्स को पटल में रख दो न। नार्म्स को पटल पर रख दो। दोषी कौन है ? राष्ट्र की क्षति हो रही है। दोषी कौन है ?

श्री अमरजीत भगत :- हम तो जितना काम कर रहे हैं, नार्म्स के अनुसार कर रहे हैं। गाइडलाइन के अनुरूप कर रहे हैं। आपको कहां पर नार्म्स के against लग रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नार्म्स को रख दो, यदि हिम्मत है तो। बाकी चीजें आप छोड़िए।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, हम तो जो कर रहे हैं, नार्म्स के अनुरूप कर रहे हैं। चाहे सेन्ट्रल पूल में हो या स्टेट पूल में हो। आपको कहां पर नार्म्स के against लग रहा है, यह बताओ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- 3 लाख 85 हजार मीट्रिक टन धान के लिए जो अभी तक सड़ा है, उसके लिए दोषी कौन है?

श्री सौरभ सिंह :- दोषी के ऊपर क्या करवाई हुई?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या कार्रवाई हुई और इसका कारण क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी को बोलने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेन्ट्रल पूल में चावल जमा करने की अनुमति देर से मिली। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल पूल में वर्ष 2019-20 का चावल जमा करने की अनुमति केन्द्र ने कब-कब दी और आपने कब-कब तिथि बढ़ाने के लिए आवेदन किया? और अभी तक कितना चावल देना शेष है? इसकी जानकारी उपलब्ध करा दें।

श्री अमरजीत भगत :- सेन्ट्रल से हमें दिसंबर में मिला था और इसके बाद 4 बार बढ़ाया गया था और बढ़ाने के पीछे..। (माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा के खड़े होने पर) आप सुन तो ले।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, मैं सुन रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग बहुत जल्दी में हैं। प्रश्न किये हो तो उत्तर भी सुनो।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां-हां, सुनेंगे। पूरा सुनेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- 4 बार डेट बढ़ा है और उसके पीछे केवल 2-3 कारण थे। एक तो कोविड पीरियड आ गया, इसलिए बहुत सारे जो मिल्स हैं, वे बंद हो गये। लॉकडाउन हो गया। असामयिक वर्षा हो गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने डेट बढ़ाने का कारण नहीं पूछा है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर जितना पूछ रहा हूं, उतना ही उत्तर दो न। मैं प्वाइंटेड प्रश्न किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्वाइंटेड प्रश्न किया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- उत्तर सुनिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- कब-कब डेट बढ़ाई गई और डेट बढ़ाने के बाद समय-सीमा में चावल जमा हुआ क्या?

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप उत्तर सुनिए। आपको एक मौका और दूंगा। आप उत्तर सुनिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है।

श्री रामकुमार यादव :- विस्तार से उत्तर सुनो न महाराज। विस्तार से उत्तर।

श्री अजय चन्द्राकर :- 3 लाख 85 हजार मीट्रिक टन धान के लिए दोषी कौन है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- नये-पुराने बोरे का लफड़ा क्या है ?

श्री अमरजीत भगत :- हमें दिसंबर में अनुमति मिली और उसमें 4 बार डेट बढ़ाया गया, चूँकि डेट बढ़ाया गया और चावल सेन्ट्रल पूल में लेना था। उसना का हमें दिया गया था। उसना की मिलिंग क्षमता नहीं होने के कारण और कोविड 19 के कारण, असामयिक वर्षा के कारण बहुत सारे ऐसे कारण थे, जिसके कारण नहीं हो पाया। इस कारण से हम इसे स्टेट पूल में कन्वर्ट करने कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, उसमें कितना जमा करना शेष है ? आप यह तो बता दीजिए। सेन्ट्रल पूल में हम कितना चावल अनुमति मिलने के बाद जमा नहीं कर पाये। एक जानकारी यह दे दीजिए और दूसरी जानकारी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2019-20 का धान संग्रहण केन्द्र और समितियों में पड़ा है। तो संग्रहण केन्द्र में कितना है और समितियों में कितना है ? किस-किस समिति में है ? आप यह बता दीजिए। अगर आप वर्ष 2019-20 का धान संग्रहण केन्द्र में परिवहन नहीं करा पाये तो फिर आपका विभाग क्या कर रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- आपको परिवहन के बारे में बहुत जानकारी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मुझे आपके विभाग के बारे में पूरी जानकारी है। आपको जहां से जानकारी लेना है आप कल लो।

श्री अमरजीत भगत :- मैं बोल तो रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने प्वाइंटेड प्रश्न किया। आप मुझे सिर्फ प्रश्न का उत्तर दे दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर तो सुनिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- उस विभाग की डायरी पहले से रखने की आदत है, लगता है।

श्री अमरजीत भगत :- 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन धान जो शेष है, वह संग्रहण स्तर पर है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि समितियों में भी है। अभी बोल रहे हैं कि संग्रहण स्तर पर है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप उसे सुनना नहीं चाहते हैं न कि 44 हजार क्विंटल जो धान है, वह समिति स्तर पर कम पाया गया है तो कुल मिलाकर आपको हम टोटल बताये कि कस्टम मिलिंग के लिए शेष है, उसमें समिति स्तर का और संग्रहण स्तर दोनों include है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था और दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। एक पहले मैंने कहा कि कितना जमा किया सेन्ट्रल पूल में और कितना जमा करना शेष है एक। दूसरा, आपने कहा कि संग्रहण केन्द्र स्तर पर और समितियों में धान शेष है। अभी बोल रहे हैं कि समितियों में 44 हजार क्विंटल कम पाया गया। अभी इनके उत्तर में यही अंतर आ गया। सदन के अंदर मैं उत्तर में अंतर आ गया। आप स्पष्ट करें कि कितना चावल हम जमा नहीं कर पायें ?

दूसरा, अगर समिति स्तर पर 44 हजार क्विंटल धान शेष है, कम पाया गया तो उसके लिए क्या कार्रवाई किये?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जितना प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, आपके बगल में बैठे हैं, वे पुराने अनुभवी हैं, उनसे थोड़ा पूछ लेते। वह पूरी बात बता देते और हमारे पास जो उत्तर है, वह हमने आपको बताया कि 3,44,000 शेष है और 44,000 क्विंटल समितियों में कम पाया गया है। अभी कस्टम मिलिंग कम्पलीट होगा, मिलान कम्पलीट होगा, तब जाकर उसमें होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है कि कितना चावल जमा करना था और आप कितना चावल जमा नहीं कर पाये। इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी अभी तक नहीं दे रहे हैं। आप सीधा-सीधा उत्तर दीजिए न, घूमने की बात क्यों करते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हो रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए। मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है कि कितना चावल जमा करना था और कितना चावल जमा नहीं कर पाये। आपने कितना चावल जमा किया, यह तो बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें केन्द्र को 28 लाख मेट्रिक टन जमा करना था, उसमें से हमने लगभग 26 लाख मेट्रिक टन जमा करवाया। (शेम-शेम की आवाज) उस समय कोविड में तो नहीं लाया था, असामयिक वर्षा तो मैंने नहीं किया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोविड की अवधि में सारी राईस मिलें चालू थीं।

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र से अनुमति तो मैं देने के लिए नहीं आया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अनुमति मिलने के बाद जमा नहीं कर पाये, फिर आज किस मुंह से अनुमति मांगने जा रहे हो।

श्री अमरजीत भगत :- आज जितना प्रश्न कर रहे हैं, एक बार केन्द्र से अनुमति दिला देते। आपने अनुमति क्यों नहीं दिलायी?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, केन्द्र ने 28 लाख चावल जमा करने की अनुमति दी, आप दो लाख मेट्रिक टन चावल जमा नहीं कर पाये। फिर आप केन्द्र को कैसे दोष देते हो।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप प्रश्न करिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, आज के ही प्रश्न में उसका जवाब है न। न उनको पर्यी मंगवाने की जरूरत है, न इधर-उधर देखने की जरूरत है। आज के प्रश्न में उसका जवाब है कि उन्होंने कितना चावल जमा किया।

दूसरा, मंत्री जी सारी असत्य जानकारी दे रहे हैं। आपको प्रश्न किया गया कि चावल जमा करने की अनुमति आपको केन्द्र से कब मिली। आप 30 सितम्बर बता रहे हैं। 30 सितम्बर तक तो आपको केन्द्रीय पुल में एफ.सी.आई. में चावल जमा करना था। 30 सितम्बर तक। कब जमा करना था, वह इसमें लिखा हुआ है तो आप इधर-उधर काहे को कर रहे हो।

श्री अमरजीत भगत :- मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं हूँ।

श्री धरम लाल कौशिक :- कुछ किये नहीं हो, यह आपका नहीं है ?

श्री अमरजीत भगत :- मैं तो अभी बैठा ही हूँ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि साढ़े तीन लाख क्विंटल चावल बचा हुआ है, जिसका हिसाब आपके पास में नहीं है कि चावल कहां जमा किये, धान कहां है और उसका जवाबदार कौन है तो क्या आप इसकी जांच करवाएंगे कि चावल जमा क्यों नहीं कर पाये ? जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मैं कार्यवाही करूँगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता जी, आपने शायद पूरा जवाब नहीं सुना। मैंने कहा कि सेन्ट्रल पुल, स्टेट पुल, सबके बाद जो शेष 3,44,000 धान का कस्टम मिलिंग होना शेष है और सेन्ट्रल पुल में पूरा चावल जमा नहीं होने का कारण हमने बताया कि एक जो यहां का उसना चावल है।

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, [XX]² बोल रहे हैं। मंत्री जी [XX] बोल रहे हैं, इनका उत्तर क्या सुनोगे ? धान की खरीदी दिसम्बर और जनवरी में हुई।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय नेता जी, आप उत्तर तो सुनिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते। आप उत्तर क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, इसके कस्टम मिलिंग की जो बात आई है, मैं स्टेकिंग प्वाइंट में भी आऊंगा।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता जी, आपने प्रश्न किया है तो उत्तर सुनिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहें, वैसा उत्तर मिले। आप उत्तर सुनिए न।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपने उनको मई में आर्डर दिया, जून में दिया और फरवरी-मार्च-अप्रैल इन चार महीनों में कस्टम मिलिंग होनी चाहिए, वह कस्टम मिलिंग नहीं हुआ। यहां धान की बरबादी हो रही है, मंत्री जी [XX] पर [XX] बोल रहे हैं। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यह आपकी स्थिति है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी से जांच करवाएंगे ? (व्यवधान)

[XX]² अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा नहीं चलेगा, इसमें जांच होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं पूछना चाहता हूं कि 3,44,000 मेट्रिक टन शेष है (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यह कम चावल का मामला है (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप लोगों ने तय करके आये हैं कि बहिर्गमन करना है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप सदन की कमेटी से जांच करवाईए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इससे शासन को एक हजार करोड़ रूपए का नुकसान हो रहा है । सदन की कमेटी से जांच करा लीजिए (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें एक-एक दाना धान का हिसाब होना चाहिए, सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा कर दीजिए (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक चावल जमा क्यों नहीं हुआ ? आप सदन की समिति से जांच करा लीजिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन की कमेटी से जांच कराने में क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप लोग बैठिए तो । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- केन्द्रीय पुल का चावल जमा क्यों नहीं हुआ ? सदन की कमेटी से जांच करा लीजिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, उसके बाद बात करेंगे ।

डॉ. लक्ष्मी धुव :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप लोग शांत होकर सुनिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा करेंगे क्या ? यह आप सदन में घोषणा कर दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप बैठिये। मंत्री जी जब उत्तर दे रहे हैं तो सुनिये ना, उसके बाद बोलिये। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर कहाँ आ रहा है। एक भी प्रश्न का उत्तर मंत्री जी नहीं दे रहे हैं, खाली गोल गोल बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, गोल गोल बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के 71 करोड़ का नुकसान हो गया। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन की कमेटी से जांच कराई जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, गोल गोल बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- एक बार उसकी जांच करा ली जाये ना। यदि उस पर सत्यता है तो जांच करा लें। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- जो अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जाये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, माननीय मंत्री जी, सदन की समिति से पूरे धान की जांच करायेंगे क्या ? हमारा प्वाइंटेड प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग उत्तर तो सुनिये।

श्री नारायण चंदेल :- आप निर्देशित कर दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सदन से जांच कराने की निर्देशित कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप घोषित कर दीजिए ना। कमेटी भी आपको बनाना है, हमको नहीं बनाना है। जो आपको विश्वास में लगे उनका बना दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप सबसे पहले उत्तर तो सुनिये उसके बाद कमेटी बनेगी कि क्या बनेगा ? पहले उत्तर सुनियेगा।

श्री अमरजीत भगत :- उत्तर सुनेंगे ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा-पूरा।

श्री अमरजीत भगत :- हमने कहा है, आपने जो केन्द्रीय पुल के लिये कहा, एफ.सी.आई. में जमा होने के लिये 46 लाख 98 हजार चावल जमा हुआ और 45 लाख 26 हजार टन जमा करना था तो जो शेष अंतर है, उसका कारण हमने बताया है। उसका मिलिंग नहीं होने के पीछे क्या कारण है। एक तो अनुमति देर से आई। दूसरा असामयिक वर्षा...।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने आपसे तारीख पूछा था, आप तारीख बताओ ना कब-कब अनुमति मिली। आपको कब-कब तारीख की अनुमति मिली बताइये ना। आप तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- आपको केन्द्र सरकार से कब अनुमति मिली उसको बताइये। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग मंत्री जी की सारी बातें सुनिये ना, आप लोग हल्ला मचायेंगे करके तय करके आये हो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सदन की कमेटी से जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) साढ़े तीन लाख क्विंटन धान सड़ा क्यों ? वे [XX]³ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी [XX] बोल रहे हैं। (व्यवधान)

³ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब मंत्री जी जब उत्तर दे रहे हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। [XX]⁴ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आप उनको सुनिये तो।

श्री धरमलाल कौशिक :- वे तारीख बताये ना। हम तारीख की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- पहली बात तो यह है कि [XX] शब्द विलोपित है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सदन की कमेटी से जांच होनी चाहिए।

श्री सौरभ सिंह :- सदन की कमेटी से जांच होनी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप आसंदी से निर्देशित कर दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- यह देश की क्षति है, प्रदेश की क्षति है, सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- आखिर उनके नुकसान को कौन भरेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं। आप उत्तर तो ले लो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब एफ.सी.आई ने नहीं खरीदा....(व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग बिना उत्तर सुने चिल्लाने के लिये (व्यवधान) लिये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- ये प्रमाणित हो गया, (व्यवधान) 3 लाख 85 हजार टन सड़ गया। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये बताने की स्थिति में नहीं हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग बैठियेगा, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- किस अधिकारी ने किया है, उसकी जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप उत्तर सुनिये तब ना।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी खड़े हैं, आप लोग उत्तर तो सुनिये। नेता जी सुनिये तो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- तारीख बता दो। एक प्वाइंटेड प्रश्न हैं, देरी से मिली उसकी तारीख बता दीजिए। चलिये पहले तारीख बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पहले तारीख बता दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- पहले बैठिये तो। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिये तारीख बता दीजिये। (व्यवधान)

⁴ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धुव :- आप लोग चिल्लाने की रणनीति बनाकर आये हैं। आप बराबर उत्तर तो सुनिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप लोगों ने मंत्री जी का उत्तर नहीं सुनने का प्रण कर लिया है क्या?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने कहा न कि देरी से आया। केन्द्र सरकार ने आपको देरी से आदेश दिया। आप उसकी तारीख बताइये न।

श्री अमरजीत भगत :- सुनियेगा तब तो।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी ने कहा कि देरी से आया। केन्द्र सरकार से जो देरी से आया, आप उसकी तारीख बताइये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सुनिये ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप निर्देशित कीजिए। आप मंत्री जी को फटकार लगाइये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सुनिये तो, मंत्री जी चलिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, जब से चंद्राकर जी आपके कान में जाकर बोले हैं, तब से आप इतना (व्यवधान) हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत भाई, आप बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैंने बताया कि केन्द्र को सामान्तः सितंबर में अनुमति दे देना चाहिए। लेकिन सितंबर में अनुमति न देकर दिसंबर में दिया।

श्री सौरभ सिंह :- यह असत्य जानकारी है। ये असत्य बोल रहे हैं। 31 तारीख लास्ट डेट है। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- मंत्री जी का जवाब सुनते नहीं हैं, सब के सब खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप सुनिये तो।

श्री धरमलाल कौशिक :- बिल्कुल नहीं सुनना है। मैं आपको प्रमाणित करके बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी आप सुनिये तो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिलट सुनिये तो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- 30 सितंबर के तक धान की अनुमति दे दी गयी। मतलब इससे (व्यवधान) तो कुछ हो ही नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। मंत्री जी उत्तर नहीं दिये हैं और आप लोग....।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री जी यह बोल रहे हैं कि सामान्यतः 30 सितम्बर तक अनुमति दे देना चाहिए, इससे ज्यादा [XX]⁵ और कोई नहीं हो सकता है। 30 सितम्बर को लगभग 21 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो गया था, तो बिना अनुमति के जमा कैसे कराया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- वही तो उत्तर दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं दे रहे हैं। उत्तर दे ही नहीं रहे हैं। 21 लाख मीट्रिक टन चावल जमा हो गया था, अनुमति पहले मिली है। पूरे गर्मी के समय डी.ओ. नहीं काटा और धान का पूरा अफरा-तफरी किया गया है। हम आप से और माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि आप सदन की कमेटी से जांच करा लीजिये, उसकी सत्यता आ जायेगी। आपको कमेटी बनाना है, आपको जिनके ऊपर विश्वास है, उसे कमेटी का सदस्य बनाईये। लेकिन यह प्रदेश की क्षति है, राष्ट्रीय क्षति है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो तीसरे नंबर के प्रश्न का क्या औचित्य है ?

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य उद्वेलित न हो। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और आप लोग सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री सौरभ सिंह :- बहुत गंभीर मामला है। इस पर 139 की चर्चा करवा लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 44 हजार टन सार्टेज, 2 लाख टन चावल जमा नहीं हुआ, 3.85 लाख टन सड़ गया। प्रदेश को एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की क्षति हुई है कब तक मिलिंग होगी, मंत्री जी बताने की स्थिति में नहीं हैं। सरकारी खजाने को षड़यंत्रपूर्वक लूटा जा रहा है। जे.पी.सी. जांच होनी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी तो इसी में झूठ बोल रहे हैं। 30 सितम्बर तक 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 21 लाख टन चावल जमा कराया है। क्या इन्होंने बिना आर्डर के जमा कर दिया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब नहीं आया है और हमको मंत्री जी का जवाब चाहिए।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों अपनी बात बहुत विस्तारपूर्वक रखी है। माननीय मंत्री जी को जो उत्तर देना था, उन्होंने दिया। यदि कोई असत्यता है तो उसकी अलग से प्रक्रिया है, आप उसका अलग से पालन कर सकते हैं। लेकिन आप मंत्री जी को अपने अनुसार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

⁵ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, आप गोल-गोल घुमाने की बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप सुन तो लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मंत्री जी को बोलिये कि वे तारीख बता दें। (व्यवधान) आप गलत बात बोल रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये, बैठिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह बिलकुल गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग बैठिये। आप लोग सुनिये तो।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। मंत्री जी जो उत्तर देंगे, उसमें आप अपने अनुसार उत्तर नहीं ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये, बैठिये। अजय भाई, बैठिये, बैठिये। अमितेश जी बैठियेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- मंत्री जी जो उत्तर देंगे, उसमें आप बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नान घोटाला की फाईल खोलिये, पुराने धान घोटाला की फाईल खोलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप लोग पहले पुराना धान घोटाला की फाईल खोलिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये, जुनेजा जी बैठिये।

एक माननीय सदस्य :- तारीख तो बताईये ?

श्री सौरभ सिंह :- एक बार एक्सटेंशन हुआ, दूसरी बार एक्सटेंशन हुआ, तीसरी बार एक्सटेंशन हुआ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पहले के नान घोटाले का पूर्व खाद्य मंत्री जी पहले बताये। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, आपके हिसाब से थोड़ी ही होगा, जो सही समझ में आयेगा, वही दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह, बैठिये। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है और पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण भी है। जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य चिंतित हैं और माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से बात यही है कि जब हम लोगों ने 2500 रुपये में धान खरीदा तो भारत सरकार की तरफ से पत्र आया कि आप बोनस दे रहे हो, इसलिए आपका चावल नहीं खरीदा जायेगा। इस बीच खाद्य मंत्री जी को साथ लिए, कृषि मंत्री भी साथ में गये, वहां के कृषि और पंचायत मंत्री से भी मिले, खाद्य मंत्री से मिले, पेट्रोलियम मंत्री से मिले। अब

हमारे बीच में पासवान जी नहीं रहे लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बात से हम शत प्रतिशत सहमत हैं लेकिन चूंकि भारत सरकार ने ये नीति बनाई है कि जो भी राज्य बोनस देगा उससे चावल नहीं खरीदेंगे तो हमने कहा कि ठीक है भाई हम समर्थन मूल्य में धान खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर हमने इसी पवित्र सदन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की। इस बीच में हम लोगों ने खूब प्रयास किया कि हमारा धान उपार्जन ज्यादा हुआ है इसलिए चावल जो 24 लाख मीट्रिक टन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अनेक पत्राचार हुए, अनेक बार हम लोगों की मुलाकात हुई, मैं भी दो-तीन बार गया, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा और इस बीच में इतने पत्राचार होने में जो सामान्यतः सितंबर-अक्टूबर महीने में आ जाता है उसमें विलंब हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पिछले साल हम लोग सत्र चला रहे थे और कोरोना भी आ गया, बहुत सारी चीजें प्रभावित हुईं। इस साल भी आप देखें तो सितंबर, अक्टूबर से जो अनुमति मिल जाना चाहिए, इस समय जाकर मुलाकात किए तब भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी उन्होंने बोनस मान लिया और हमको जो सितंबर महीने में अनुमति मिल जानी चाहिए वह सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया तब प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, होम मिनिस्टर से मैंने बात की तब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद अभी इस साल 03 जनवरी को अनुमति मिली। जो अनुमति सितंबर में मिल जानी चाहिए वह अभी जनवरी में मिल रही है। तो आज स्थिति यह है कि भारत सरकार की समझ कुछ और है, राज्य सरकार की स्थिति कुछ और है और इस बीच में आज भी इस मामले में इस साल का भी जब 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति मिली तब फिर हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर अनुमति कितने की मिली तो 24 लाख मीट्रिक टन की। मैं एक बार खाद्य मंत्री जी से मुलाकात कर चुका हूं, मैं कल भी जा रहा हूं कि हमको 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिल जाए लेकिन न तो राज्य सरकार की इसमें कोई गड़बड़ी करने की मंशा है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अन्नदाता जो अनाज का उत्पादन कर रहे हैं उनके अनाज का सम्मान होना चाहिए। एक समय था जब पूरे देश में अनाज की कमी थी और यही अन्नदाता हैं जो मेहनत करके अनाज का उत्पादन किए। आपके शासनकाल में आप भी बोनस देते रहे, आप भी समर्थन मूल्य में खरीदी करते रहे, हमारे शासनकाल में भी खरीदी होती रही लेकिन जो परिस्थितियां बनीं उसके कारण से ये हुआ है। यहां तक कि पुराना चावल की बात है, मैं नहीं समझता कि इसी साल का चावल आप खाते हैं। सब किसान घर से हैं, ठाकुर साहब भी बैठे हैं वह तो दो साल और तीन साल पुराना चावल खाते होंगे तो इसमें मान लो यदि कुछ है भी तो उसमें देख लिया जायेगा, परिवर्तन कर लेंगे, उसमें क्या है। मानलो ऐसा नियम है, तो पुराना चावल छत्तीसगढ़ में खाने की परंपरा रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पटल में रखने की बात है तो पटल पर भी रख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसमें किसी की मंशा कोई गड़बड़ करने की नहीं है। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अनाज, जो धान आया है उसकी मिलिंग हो, जमा

हो। भारत सरकार से तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास अतिशेष धान बचेगा, एफ.सी.आई. में तीन साल का चावल बचा है, अब एफ.सी.आई. चावल लेती है तीन साल पुराना जमा है, आखिर उसको देती है या नहीं देती है? क्या एफ.सी.आई. इसी साल का चावल देती है? तीन साल का अनाज पड़ा हुआ है और तीन साल पुराना अनाज अभी बांट रहे हैं तो वह पुराना हुआ या नहीं? अब आप लकीर के फकीर मत बनिए। पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना हम सबका दायित्व है। आपने मामला उठाया बहुत अच्छी बात है और आप मामला नहीं उठाएंगे तो अधिकारियों पर दबाव भी नहीं बनता है। तो यह डिस्पोजल भी होना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, कोरोना के भी कारण है, बहुत सारी परेशानियां भी हुई हैं, भारत सरकार से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको अनुमति मिल जाए और उसमें निश्चित रूप से विलंब हुआ है। इसमें राजनीति करने की कोई मंशा नहीं है क्योंकि ये किसानों का मामला है, प्रदेश के हित का मामला है और यदि इस धान मानलो 60 लाख मीट्रिक टन धान की अनुमति नहीं मिलती तो निश्चित रूप से नीलामी करेंगे, कम रेट आयेगा, राज्य को नुकसान होगा लेकिन उसको डिस्पोजल करने का और क्या तरीका है? अब दो साल से एथेनॉल प्लांट लगाने की मांग कर रहे हैं, भारत सरकार अभी तक अनुमति नहीं दी है। अभी 20 तारीख को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई तब भी मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि हमको एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दे दें। जैसे राईसमिल लगा है वैसे ही एथेनॉल प्लांट लगा लेंगे तो जो हमारे पास अतिशेष धान बचेगा उसका हम उपयोग करेंगे। रेट कम आयेगा तो धान से सीधे हम एथेनॉल बनाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग और मिलिंग का जो चार्ज है वह सब बचेगा। तो जो राष्ट्रीय क्षति हो रही है उसमें बचत हो, इसका हम लोगों का पूरा प्रयास है। यदि माननीय सदस्य को कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे और आप असंतुष्ट हैं जैसे अभी हमारे कानून मंत्री जी कह रहे थे कि उसकी अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में चले जाईये। बहुत होता है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है चूंकि यह प्रश्नकाल है और 40 मिनट का समय बीत चुका है अभी और भी प्रश्न आने हैं। आप चाहे तो किसी दिन आधे घण्टे की चर्चा रख लीजिए, उसमें चर्चा कर लेंगे, पूरा सदन चर्चा कर लेगा। हम तथ्य के साथ बात कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरविन किया है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बोला, परिस्थितियां बताईं, उसमें हम लोग असहमत, सहमत हैं ऐसा नहीं है। मुख्य बात तीन विषय है। आपने कहा नया, पुराना चावल, हम उसको भी भूल जाते हैं पहला विषय है 44 हजार ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अभी आधे घण्टे की चर्चा की बात हुई। पहले विषय तो आ जाये फिर उसमें आधे घण्टे की चर्चा होगी। 44 हजार टन की सुखती, 3 लाख

65 हजार टन अभी भी सोसायटी संग्रहण केन्द्र में है। तीसरी बात समय सीमा बढ़ी या नहीं बढ़ी, यह राजनीतिक विवाद है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह राज्य निर्धारित समय में 28 लाख टन को जमा नहीं कर सका और उसके बाद किसी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो आपने जो आधे घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव रखा है, यदि वह स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, पहली बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से सदन के माननीय सदस्यों को बताया है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस हिसाब से बताये हैं जिस हिसाब से उत्तर दिये हैं, मैं सोचता हूँ कि पर्याप्त उत्तर है इसलिए ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने आधे घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव रखा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधे घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव रखा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने उनकी किसी बात का खण्डन नहीं किया। हमने किसी बात को काटा नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने उनकी किसी बात का खण्डन नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। ठीक है। इन प्रश्न में आधे घण्टे की चर्चा का समय दिया जाएगा। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये, साहब माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई हो।

जिला मुंगेली में धान खरीदी

3. (*क्र. 709) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31-01-2021 तक मुंगेली जिले में धान खरीदी हेतु कितने किसानों का पंजीयन किया गया है? पंजीकृत किसानों के कितने रकबे का कितना धान खरीदा गया है? केन्द्रवार जानकारी दें? (ख) क्या मुंगेली जिले में शासन द्वारा निर्धारित एवं स्वीकृत धान खरीदी केन्द्रों में ही धान खरीदी की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) केन्द्रों के स्थान परिवर्तन के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) मुंगेली जिले में खरीफ वर्ष 2020-21 में प्रश्नांकित अवधि तक समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु 83,096 किसानों का पंजीयन किया गया है, पंजीकृत किसानों में से धान विक्रय करने वाले 81,177 किसानों के 97,658 हेक्टेयर रकबा का 3,61,335 टन धान की खरीदी की गई है. धान खरीदी केन्द्रवार जानकारी ⁶ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) खरीफ वर्ष 2020-21 में मुंगेली जिले में 88 धान खरीदी केन्द्रों में निर्धारित ग्राम पंचायत में खरीदी की गयी

⁶ परिशिष्ट "दो"

तथा 05 खरीदी केन्द्र सिंघनपुरी, फुलझार, धरदेई, देवरी एवं केशली में खरीदी हेतु पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण समीपवर्ती अन्य ग्राम में धान खरीदी की गयी। (ग) उपरोक्त 05 धान खरीदी केन्द्रों में खरीदी हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण समीपवर्ती अन्य ग्राम में धान खरीदी की गयी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि किसानों ने धान बेचा, क्या गिरदावली में रकबा काटा गया है या नहीं?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार अउ पढ़ गा तोर बात हा नइ सुनाईस।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों ने धान बेचा, उसके बाद कितने किसानों ने धान नहीं बेचा और क्या पंजीकृत किसानों का रकबा काटा गया है या नहीं, यह बतायें?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है कि मुंगेली क्षेत्र में कितने धान खरीदी केन्द्र में कितने किसानों से कितना धान खरीदा गया तो मुंगेली जिले वर्ष 2020-21 में प्रसंस्करण अवधि में धान खरीदी हेतु 83 हजार, 96 किसानों का पंजीयन किया गया था और पंजीकृत किसानों में से 81 हजार, 177 किसानों के 97 हजार 658 हेक्टेयर रकबा का तीन लाख इकसठ हजार तीन सौ पैंतीस टन धान की खरीदी की गई है तो इसमें जितने लोगों ने पंजीयन कराया था, जितने लोग बेचने आए और उनका धान खरीदा गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जो किसान पंजीयन कराये थे वह धान बेचे तो बचत कितना था और रकबा की कटौती कितनी थी, मैंने यह पूछा। कितने किसानों के पंजीयन के बाद वह बिक्री नहीं कर पाये, मैंने यह पूछा है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने आपको बताया कि जो पंजीकृत किसानों की संख्या 83 हजार, 96 और जो धान बेचने के लिए आए 81 हजार, 177 और जितने लोग धान लेकर बेचने आएंगे उन्हीं का धान खरीदा जाएगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद ही प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। 1925 किसानों ने धान नहीं बेचा। उसमें धान नहीं बेचने का कारण क्या था कि रकबा कटा या नहीं कटा, उसमें कितने लोगों ने रकबा को सुधारने के लिए आवेदन दिया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने लोगों ने पंजीयन कराया, उसमें से जितने धान बेचने आए उनसे खरीदा गया और जो केन्द्र तक धान बेचने ही नहीं आए तो उनका धान कैसे खरीदे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं फिर दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ कि आपने बताया कि 81 हजार, 177 किसानों ने धान बेचा और उसमें राशि बता दीजिए कि कितने धान का भुगतान किया गया और उसका बोनस कितना है, यह बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में आपने राशि तो पूछी नहीं है। एम.एस.पी. में जो रेट है, उसमें आप जोड़ लीजिए, जितना धान आया है, उतनी राशि उनको मिली है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप ही जोड़कर बना दीजिए न।

श्री अमरजीत भगत :- ओला जोड़न लागही न गा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- समर्थन मूल्य में मोटा धान, पतला धान कितना था और धान की कीमत कितनी थी ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय समय बहुत हो गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत हो गया है, प्रश्न करने के लिए ही तो समय है। फिर हम यहां बैठ जाते हैं, आसंदी को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब हम सही प्रश्न कर रहे हैं और नियम के अंतर्गत ही हम बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने तीन प्रश्न किया है। माननीय सदस्य आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह भी तो सीनियर हैं। भूतपूर्व खाद्य मंत्री और वर्तमान खाद्य मंत्री की बात हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेली के किसानों को जो भुगतान हुआ है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं मूल्य पूछा हूँ। पतला धान और मोटा धान में पूरे का क्या रेट रहा ?

श्री अमरजीत भगत :- उसमें आप जितना बतायें न, उसमें मोटा, पतला सब इनक्लूड है। 675.67 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बात मान लिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपको उदारता के लिए धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ। इन्होंने उपयुक्त भूमि नहीं मिलने के कारण 5 खरीदी केन्द्र बंद कराये हैं, जबकि वहां 5 खरीदी केन्द्र में उपयुक्त जमीन भी है और पर्याप्त जमीन है। इन्होंने दोनों चीजों को उपयुक्त नहीं बताया है। अगर ऐसा है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे जो यहां नजरअंदाज करके दूसरे गावों में धान की खरीदी किये हैं और क्या अगले वर्ष उन खरीदी केन्द्रों को खोलेंगे?

श्री मोहन मरकाम :- खुद 15 साल तक खाद्य मंत्री रहे हैं और दूसरे से मांग रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम सब खोले हैं, आपकी समझ में नहीं आयेगा।

श्री अमरजीत भगत :- आपने धान खरीदी केन्द्र की मांग की, आपके मुंगेली जिले में 88 धान खरीदी केन्द्रों में निर्धारित ग्राम पंचायत में धान खरीदी की गई। केवल 5 खरीदी केन्द्र ऐसे हुए जहां उपयुक्त स्थान नहीं होने के कारण जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर खरीदी नहीं की गई है। मैं उसमें आपको स्थान का नाम बता दे रहा हूं, 5 खरीदी केन्द्रों में सिंघनपुरी, फुलझर, धरदेई, देवरी एवं केशली है। इसमें से सभी में खरीदी की गई है, केवल आप जहां चाह रहे थे वहां उपयुक्त स्थान नहीं होने के कारण वहां पर जिला प्रशासन ने खरीदी नहीं की।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय मंत्री जी, उनकी इच्छा और आपकी इच्छा दोनों की मंशा एक ही है। उसमें यह बता दिया गया है कि जमीन नहीं है, मोहले जी और गांव वाले बोल रहे हैं कि जमीन है और यहां खरीदी केन्द्र खोल सकते हैं। मेरे पास भी आये थे। आप उसमें एक बार परीक्षण करा लीजिए। यदि वहां पर खोलने लायक जमीन है तो आने वाले साल में उसको खुलवा दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, हम तो इसी सत्र में खोलने की अनुमति दे दिये थे। लेकिन चूंकि वहां खरीदी की व्यवस्था की तैयारी जिला प्रशासन कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है। उन्होंने मौके पर गये, मुआयना किया, स्थल को उपयुक्त नहीं पाया, इसलिए उसी के बगल में दूसरी जगह किया।

श्री धरमलाल कौशिक :- मौके पर नहीं गये हैं, वहां पर जमीन है।

श्री अमरजीत भगत :- इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब मैं आपको बोलूंगा कि आप चल करके देख लीजिए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप परीक्षण करा लीजिए और जहां पर उपयुक्त लगेगा तो आप खुलवा दीजियेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि दिखवा लूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह ठीक है। खरीदी केन्द्र खोलने के पहले सब प्रक्रिया का ही पालन किया जाता है, तभी खरीदी केन्द्र खोलते हैं। उपयुक्त, अनुपयुक्त का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः वही होता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के जो प्रस्ताव रहते हैं, उसमें जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पर कई बार हम स्वीकृत कर देते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन को भेज देते हैं। जब मौका पर निरीक्षण किया जाता है तो जो स्थान अनुपयुक्त रहता है, वहां पर कई तरह के गड्ढे रहते हैं, पानी भरा रहता है, आने-जाने में दिक्कत है तो उसको दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी हो गया, आप उत्तर आ गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं निवेदन चाहता हूं कि उपयुक्त पाये जाने जाने पर खोल देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- मैं दिखवा लूंगा।

नगर पालिक निगम धमतरी में बालक चौक के समीप व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण की स्वीकृति

4. (*क्र. 787) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम धमतरी के द्वारा बालक चौक के पास व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति किस दिनांक को किस स्तर के अधिकारी द्वारा दी गई? (ख) उक्त काम्पलेक्स में कितने मंजिल के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी? (ग) क्या उक्त काम्पलेक्स निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) क्या उक्त कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं करने के कारण दोबारा निविदा जारी की गई है? यदि हां, तो ठेकेदार के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) नगर पालिक निगम, धमतरी द्वारा बालक चौक के पास व्यावसायिक काम्पलेक्स का निर्माण कार्य अधोसंरचना मद अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति दिनांक 18-01-2016 को मुख्य अभियंता, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा दी गई है। (ख) जानकारी परिशिष्ट में ++ संलग्न⁷ है। (ग) जी नहीं. 01 वर्ष के भीतर उक्त शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है। कोविड-19 एवं लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कार्य प्रभावित हुआ। (घ) जी हां. परिस्थितिजन्य कारण में ठेकेदार दोषी नहीं है। फलस्वरूप ठेकेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त हुआ है, एक ही प्रश्न में दो प्रकार के उत्तर प्राप्त हुए हैं। धमतरी नगरपालिका निगम के द्वारा बालक चौक के पास व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण की तकनीकी स्वीकृति आपने 2016 में बताई है और उसी उत्तर में आप एक बार स्वीकार करते हैं कि इसकी तकनीकी स्वीकृति 2019 में दी गई है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि दोनों में कौन सा सत्य है 2016 या 2019 ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों सत्य है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- दोनों सत्य है। एक ही काम की दो बार तकनीकी स्वीकृति हुई, यह कैसे उचित है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, उचित है, इसीलिए दो बार तकनीकी स्वीकृति दी गई है। पहले 2016 में इनकी सरकार में टेन्डर जारी हुआ था, काम नहीं करा पाये, ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाद में हमारे वहां के नेता प्रतिपक्ष जी ने मांग की कि वह पुराना पड़ा हुआ है, वे लोग बना नहीं पा रहे हैं, खंडहर हो जाएगा। वहां के जो दुकानदार थे, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। पहले यह प्रावधान था कि दुकानदार लोग उसको पैसा देंगे और उस आधार पर बनाया जाएगा। दुकानदारों ने 5

⁷ परिशिष्ट- तीन

लाख ही दिया, उसमें 3 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति थी । 5 लाख ही दिया तो बेचारा काम कैसे शुरू करेगा ? काम चालू कर लिया, 45 लाख का काम कर लिया, उसके बाद पैसा नहीं मिला इसलिए बंद हो गई अब हमने उसको दिखवाकर दोबारा स्वीकृति दी है और फिनिशिंग का काम चल रहा है और उसे बहुत जल्दी प्रारंभ भी कर देंगे इसलिए हमने उसकी दूसरी बार तकनीकी स्वीकृति दी, यह जो बनाया था वह काम ही नहीं हो पाया था इसलिए दोबारा स्वीकृति देकर उनसे हमने काम चालू करवाया है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है, वह बिल्कुल गलत उत्तर आया है । विभाग इनको गुमराह कर रहा है । मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस प्रकार एक उत्तर मेरे पास है जिसमें सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, आप कहें तो मैं सदन के पटल पर भी इसे रखना चाहती हूं । आपको विभाग गुमराह कर रहा है, आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी रखनी चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बताया गया है कि अधोसंरचना की निधि है जिसके तहत निर्माण किया गया लेकिन आपको बहुत गलत बताया जा रहा है । चूंकि वहां का हमारा व्यापारी वर्ग है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, उनसे राशि ली गई । जिसमें राशि का बताया गया कि आवंटित दुकानों के किरायेदार द्वारा देय प्रीमियम । नई दुकानों की नीलामी से प्राप्त होने वाली प्रीमियम राशि से प्रस्तावित बालक चौक काम्पलेक्स की राशि से यह निर्माण किया जा रहा था और उसके बाद इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है । अधिकारियों की मिलीभगत से इसमें पी.जी. की राशि जो ठेकेदार ने जमा की थी, उस पी.जी. की राशि को ठेकेदार को आपने कैसे वापस कर दिया ? पी.जी. की राशि जो जमा राशि होती है, जब वह काम नहीं कर सका तो आपने उसे पी.जी. की राशि को वापस कैसे कर दिया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसकी राशि वापस करने की बात हो रही है ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अमानक राशि जो ठेकेदार जमा करता है, यदि वह निर्माण नहीं कर पा रहा है तो इसको राशि क्यों वापस की गई ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देखिए, निर्माण नहीं कर पाने का मुख्य कारण यह था कि जो एग्रीमेंट में था, आपके जो दुकानदार लोगों ने उसे बनाने के लिये पैसे देने का जो एग्रीमेंट किया था, वह पैसा उन लोगों ने नहीं दिया ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना के अधिकार की जानकारी है जिसमें वहां पर दुकानदारों ने पैसे जमा किए हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तीनों प्रश्नों का उत्तर आ गया है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि क्या सूचना के अधिकार में गलत जानकारी है । मैं सदन के पटल पर यह जानकारी रखना चाहती हूं । माननीय मंत्री जी को विभाग गुमराह करता है, उनके अधिकारी गुमराह कर रहे हैं । (शेम-शेम की आवाज)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देखिए, कोई अधिकारी सरकार को गुमराह नहीं कर सकता । यदि आपके पास तथ्यात्मक जानकारी है तो दे दीजिए उसको दिखवा लेंगे ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, पूरा तथ्यात्मक है । मैं सारी चीज लेकर बैठी हूँ ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोगों का जो खराब काम है, आप लोग जो काम नहीं कर पाये उसको हम करवा रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप दिखवा दीजिएगा । (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- यह धमतरीवासियों का मामला है, धमतरी के व्यापारियों का मामला है । 6 सालों से वे भुगत रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पटल पर रखने की अनुमति दे दीजिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- वे दिखवा रहे हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने मुझे फिर से जानकारी दी है कि वर्ष 2019 में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई । मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2018 में निविदा जारी हो गई, और तो और दिनांक 07.03.2019 को कार्यादेश जारी हो गए और इनको दिनांक 28.06.2019 को स्वीकृति मिली । यह पूरा मामला उल्टा चल रहा है, जब आपको स्वीकृति नहीं मिली थी तो आपको क्या अधिकार था कि आपने जो निविदा की तिथि है उसे आपने 2018 को जारी कर दिया । आपने वर्ष 2018 में कैसे निविदा जारी कर दिया ? आपको तकनीकी स्वीकृति मिली नहीं है और आपने निविदा जारी कर दिया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप प्रश्न पूछिए न ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न पूछिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मेडम, प्रश्न ही पूछना भूल गईं । आप प्रश्न पूछिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भाषण मत दीजिए, आप थोड़ा प्रश्न वगैरह पूछ लीजिए । (व्यवधान)

श्री ननकीराम कंवर :- आपको प्रश्न समझ नहीं आ रहा है । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोला तो गृहमंत्री रहेस, तोर सरकार में कोनो पूछत नइ रहिस हे । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिए ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इनको तकनीकी स्वीकृति मिली नहीं थी, प्रशासनिक स्वीकृति हुई नहीं थी तो आपने एक वर्ष पहले ही निविदा कैसे जारी कर दी ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देखिए, निविदा जारी करने का काम निगम का है। निविदा निगम ने जारी किया, शासन ने स्वीकृति दी है, पैसा हमने दिया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2016 में जो कार्य शुरू हुए थे। ठीक है, ठेकेदार नहीं कर पाये लेकिन वर्ष 2019 में, आप तो बहुत जानकार हैं। आपको पता करना चाहिए था कि क्यों कार्य अधूरा है और क्यों पी.जी. की राशि उनको वापस दी गई? ठेकेदार को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्यों अधिकारी को संरक्षण दिया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अधिकारी हमारे हैं, अच्छा काम करेंगे तो संरक्षण क्यों नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अमितेश शुक्ल।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, मेरे धमतरी विधान सभा क्षेत्र का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बस हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- उनका उत्तर ही नहीं आया है, उत्तर तो आने दीजिए। मंत्री जी अपनी मंशा तो बता दें, तकनीकी स्वीकृति हुई नहीं है, प्रशासनिक स्वीकृति हुई नहीं और निविदा जारी हो गई।

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- महिला सदस्य हैं, उत्तर आने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अमितेश शुक्ल जी।

श्री सौरभ सिंह :- पहली बार की महिला सदस्य हैं। इनके प्रश्न का जवाब दे दें ना, ये तो जानी मंत्री जी हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो गया कि निविदा जारी हो गई? उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय और है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बस हो गया। प्रश्नकाल चल रहा है, अन्य सदस्यों को भी प्रश्न करना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सदस्या ने प्वाइंटेड प्रश्न किया है, मंत्री जी से उसका प्वाइंटेड उत्तर दिला दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त उत्तर आ चुका है। श्री अमितेश शुक्ल जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ।

श्री अमितेश शुक्ल :- उपाध्यक्ष जी, मैं खड़ा तो हो गया हूँ लेकिन मंत्री जी इतने उत्साही और इतने जबरदस्त तरीके से जवाब देते हैं इसलिए मैं कुछ प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न किया कि तकनीकी स्वीकृति नहीं हुई, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई और नगर निगम ने टेंडर निकाल दिया, इस सारे घटनाक्रम की जांच माननीय सदस्या की उपस्थिति में माननीय मंत्री जी कराएंगे क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जरूरत नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अमितेश शुक्ल जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर क्या है । इनकी उपस्थिति में जांच करा दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- जांच की मांग को माननीय मंत्री जी ने अस्वीकार किया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी अस्वीकार कर रहे हैं यानी इसमें मंत्री जी की मिलीभगत है । इसमें मंत्री जी की मिलीभगत है । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जाओ, गांधी जी के पास चले जाओ ।

श्री अमितेश शुक्ल :- इतने उत्साही और बढ़िया जवाब देने वाले मंत्री के खिलाफ ये लोग बहिर्गमन कर रहे हैं । इन्होंने सब चीजों का जवाब दिया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भ्रष्टाचार इन्हीं के शासनकाल में हो रहा था । भ्रष्टाचार तैं करत रहै ।

समय :

11:57 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

उपाध्यक्ष महोदय:- अमितेश जी, आप प्रश्न कीजिए ।

समय :

11:58 बजे

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

जिला गरियाबंद में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग

5. (*क्र. 834) श्री अमितेश शुक्ल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में खरीफ वर्ष 2017, 2018, 2019, से 31-12-2020 तक किसानों से समर्थन मूल्य

पर कितनी मात्रा में धान खरीदी की गई है? ब्लाकवार जानकारी दें? (ख) कंडिका “क” के अनुसार क्या धान को कस्टम मिलिंग के लिए राईस मिलर को प्रदाय किया गया? यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में चावल जमा करना था, कितना किया गया, कितना शेष है? तथा क्यों? (ग) कंडिका “ख” के तहत धान प्रदायित तिथि से कितनी अवधि में राईस मिलर्स को चावल जमा करने के लिए समय सीमा निर्धारित है? इसका पालन नहीं करने वाले राईस मिलर का नाम बतावें एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से अवगत करायें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) गरियाबंद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 31-12-2020 तक किसानों से समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान की विकासखण्डवार जानकारी ⁸ संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी [‡] संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) कंडिका “ख” के तहत राईस मिलर को धान प्रदायित तिथि से चावल जमा करने हेतु शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में दिनांक 31-07-2018 तक तथा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 31-01-2021 तक की समय सीमा निर्धारित थी. खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मेसर्स सरस्वती राईस इण्डस्ट्रीज देवभोग द्वारा चावल जमा नहीं करने के कारण उनके द्वारा जमा बैंक गारंटी से राशि की वसूली कर ली गई है. खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मेसर्स शम्मी पैडी गरियाबंद द्वारा चावल जमा नहीं करने के कारण उनके द्वारा जमा बैंक गारंटी से राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है.

श्री अमितेश शुक्ल :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 इन तीन वर्षों के बारे में परिशिष्ट चार के प्रपत्र अ में बहुत विस्तार से जवाब दिया है। इसमें जो धान खरीदा गया और जो धान कस्टम मिलिंग में दिया गया है। उसमें बहुत ज्यादा फर्क दिख रहा है क्योंकि 24356 मेट्रिक टन धान शेष दिख रहा है। माननीय मंत्री जी इतना अंतर क्यों हो रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ न भइया, यहां आए क्यों हो।

श्री अमितेश शुक्ल :- समझ में नहीं आ रहा है इसलिए तो मंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुन्नी मेला में बहुत सारे नागा साधु आए हुए हैं। उनसे दीक्षा लोगे तो समझ में आ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य बीच में न टोकें।

श्री अमितेश शुक्ल :- (अत्यधिक उत्तेजित स्वर में) ये धन का विषय है, आप लोग इसको गंभीरता से लीजिए। किसान का मामला है। मजाक समझ रहे हैं आप लोग इसको। भाजपा के लोगों के लिए धान और किसान मजाक हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं।

[‡] परिशिष्ट “चार”

श्री अजय चन्द्राकर :- किसके ऊपर भड़क रहे थे, यह तो बताओ ।(व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं किसानों का शोषण करने वालों पर भड़क रहा हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन है वह ? वह तो बाजू में बैठा है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप लोग इस प्रश्न को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- शोषण करने वाले आपके बगल में बैठे हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- धान के विषय में आप लोग शांत बैठिये । गंभीर विषय है यह।

श्री अरुण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से किसान विरोधी बात करते रहे तो अमितेश शुक्ल जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा । आप यही कहना चाहते हैं ना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना**(1) छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन**

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि आपको सूचना दी है कि संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित नहीं रहेंगे और उनकी जगह ये प्रस्तुत करेंगे। सूचना है।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- हां, है न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, केवल मुंडी हिलाने से नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- है-है। श्री उमेश पटेल जी।

(2) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूँ।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 की धान खरीदी का मामला प्रश्न के माध्यम से आज आधा घंटे चला और उसमें एक विषय आया कि 3 लाख 48 हजार मीट्रिक टन धान वर्ष 2019-20 का अभी तक संग्रहण केन्द्रों में और समितियों में पड़ा हुआ है। वर्ष 2020-21 की खरीदी हो गई 92 लाख मीट्रिक टन जैसा कि शासन के अधिकारी व मंत्री जी बता रहे हैं। 13 जनवरी से सोसाइटियों से परिवहन बंद कर दिया गया। जिन सोसाइटियों में धान पड़ा है, राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान देने में नाटक किया जा रहा है। सेवा शुल्क लिये बिना उनका किसी का कस्टम मिलिंग का आरो नहीं कट रहा है और स्थिति यह बन गई है कि पिछले साल अगर 3

लाख 38 हजार मीट्रिक टन धान बना और अभी से सरकार इससे सचेत नहीं हुई है तो यह घाटा और ज्यादा बड़ा होगा। शासन ने सारी सोसाइटियों में धान स्टॉक के लिए बफर लिमिट की व्यवस्था की है। बफर लिमिट से ज्यादा धान सारी सोसाइटियों में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ, 15 रुपये प्रति बारदाने के हिसाब से किसान को यह बारदाना देने की बात कर रहे हैं और किसान को जो बारदाना 15 रुपये में दे रहे हैं। स्वयं सरकार ने वह बारदाना लगभग 60 रुपये प्रति नग में खरीदा है। यह सरकार किसानों का शोषण कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर हमने स्थगन आपके सामने दिया है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस स्थगन को स्वीकार करें और ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें। यह हमारा आपसे निवेदन है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये धान का विषय है और किसान का विषय है। छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था धान पर आधारित है और किसान पर आधारित है। लाखों किसानों का टोकन कट गया, लेकिन वे धान नहीं बेच पाये। यह सरकार की नीति और नीयत को प्रदर्शित करता है। दूसरा विषय, अभी भी सोसाइटियों में धान पड़ा हुआ है और खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। कई सौ करोड़ के जो धान हैं, वह सड़ गये, लेकिन आज तक उस धान का परिवहन नहीं हो पा रहा है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह छत्तीसगढ़ की जीवन-रेखा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए आपसे निवेदन है कि इस स्थगन को स्वीकार करें और इस पर चर्चा करायें।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की धान की चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। हो सकता है कि मेरी बात को सुन भी रहे हों। केन्द्र सरकार 60 लाख टन नहीं दे रही है। हम जा रहे हैं। हम आ रहे हैं। बात कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। पिछले साल 28 लाख टन केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दी जो किसी भी समय से सबसे ज्यादा है। डॉ. रमन सिंह जी के 15 साल का जब देखते हैं तो कितना यू.पी.ए. सरकार लेती थी प्रतिवर्ष 10 लाख टन, 12 लाख टन, 14 लाख टन, इसके भी आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन 28 लाख टन की स्वीकृति के बाद 26 लाख टन ही सरकार जमा कर पायी है, इससे नैतिक रूप से मांगने के लिए केन्द्र सरकार को बदनाम करने का अधिकार नहीं है, एक। दूसरा, 23 जनवरी से सोसाइटी और संग्रहण केन्द्रों से 15 जनवरी से परिवहन बंद है। । तीसरी बात, जो इन्होंने कस्टम मिलिंग के लिए थोड़ा बहुत धान दिया है, आज तक बोरा तय नहीं हो पाया है कि मिलर्स कौन से बोरे में धान को जमा करेंगे और उसके अभाव में उनके गोदाम full हो गये हैं। मिलर्स को पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ है। इस साल उनसे इस सड़े धान की जबर्दस्ती मिलिंग करायी जा रही है तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, उसको जोड़कर और इनको मिलाकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को खराब करने के लिए सड़े धान का चावल खिलाने का षड्यंत्र है। इस सबका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है कि पिछले साल एक हजार-डेढ़ हजार करोड़ का घाटा दिख रहा है अभी 44 हजार टन सूखती, 3,85,000 टन धान सड़ने में है। वही घटना फिर से होने वाली है कि आज इतने

दिन हो गए, परन्तु धान का उठाव शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ऐसे भी दयनीय है, सरकारी लापरवाही से यह और बढ़ रही है इसलिए हमारा आग्रह यह है कि सारे काम रोककर इस स्थगन पर चर्चा कराई जाये।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रिकार्ड तोड़ धान खरीदी हुई है और रिकार्ड तोड़ धान खरीदी में रिकार्ड तोड़ ट्रांसपोर्टिंग भी होनी चाहिए। रिकार्ड तोड़ धान समितियों में अभी भी पड़ा हुआ है और जो समितियों में जो धान पड़ा हुआ है, उनके परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, सारी धान समितियों में पड़ी हुई है और सड़ रही है। समितियों में जो व्यवस्था होनी चाहिए, समितियों के रख-रखाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए पैसा देना चाहिए, वह पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। इस पूरी परिस्थिति में इस साल तो एक हजार, बारह सौ करोड़ का धान खराब हुआ है, अगले साल 25 सौ करोड़ का धान खराब होगा। 25 सौ करोड़ का धान खराब होगा, वह हमारे प्रदेश के बजट से ही जाएगा, जिससे विकास होता, जिसे यहां से देना पड़ेगा। यह सामूहिक विषय है और इस पर हमने स्थगन दिया है। कृपा पूर्वक आप इसे ग्राह्य करके चर्चा कराएं।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थगन छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ स्थगन है और दूसरा, छत्तीसगढ़ के लिए धान और धान की फसल केवल फसल नहीं है, हमारी जीवन रेखा है, जीवन से लेकर मृत्यु तक हम उससे जुड़े हुए हैं और जब उसकी बरबादी होती है, जब विधान सभा में जानकारी दी जाती है कि 3,80,000 मेट्रिक टन चावल सड़ रहा है, उसके लिए जवाबदार कौन है और दूसरा प्रश्न इसी में उत्पन्न होता है कि सोसायटी आज की स्थिति में पूरी तरीके से धान से भर क्यों गया है, ओव्हर लोडेड क्यों है, वितरण केन्द्र, संग्रहण केन्द्र तक परिवहन क्यों नहीं किया गया? संग्रहण बंद क्यों कर दिया गया है? जिस प्रकार की अनियमितता इस धान खरीदी में हुई है, किसानों ने लगातार आत्महत्याएं की हैं, हम सरकार से श्वेत-पत्र जारी करने की मांग करते हैं और उसके साथ-साथ जो मृतक किसान हैं, उनकी भी चिन्ता होनी चाहिए। यह स्थगन सिर्फ और सिर्फ धान खरीदी से नहीं, किसानों के जीवन से, उसके आत्महत्या से, उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि इस स्थगन को ग्राह्य किया जाता है तो बहुत सारे बिन्दु हैं, जिसको रखा जा सकता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को यह सरकार बरबाद कर रही है। धान खरीदी में कमीशन, धान की मिलिंग में कमीशन, धान की ट्रांसपोर्टिंग में कमीशन और उसके कारण धान का उठाव नहीं हो रहा है। जब तक राईस मिलर कमीशन नहीं देगा, तब तक उसका आर.ओ. नहीं कटेगा। जब ट्रांसपोर्टर कमीशन नहीं देगा, तब तक धान का उठाव नहीं होगा और उसका कारण कमीशनखोरी है। कितना कमीशन लोगे भैया? इतने पैसे का क्या करोगे? ऊपर वाला भी देख रहा है।

श्री मोहन मरकाम :- कमीशन तो आप लोगों के कार्यकाल में हुआ था । एक साल कमीशन मत लो । आपकी सरकार 15 साल कमीशन लेती रही । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी धुव :- ये 15 साल का कमीशन किसको बता रहे हैं । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- इनके 15 साल के कार्यकाल में नान घोटाला जैसे मामले आये थे, उसमें डायरी आई, कई नाम आये ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अपने कार्यकाल में उन्होंने नान घोटाला, खदान घोटाला, पट्टा घोटाला और क्या-क्या घोटाला कर दिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- नेताम जी, मंत्री जी आप लोग बैठिए । मोहन भाई, बैठिए ।

समय :

12:09 बजे

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर मामला है, हम पिछले तीन दिनों से अलग-अलग विषय पर स्थगन उठा रहे हैं, परन्तु धान और धान से जुड़ा हुआ किसानों के जीवन को लेकर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है । क्या कमीशन के खेल के कारण छत्तीसगढ़ का धान सड़ जाएगा, कमीशन के खेल के कारण क्या किसान आत्महत्या कर लेगा ? कमीशन के खेल के कारण क्या धान की ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी, कमीशन के खेल के कारण क्या धान का उठाव नहीं होगा, धान की मिलिंग नहीं होगी ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, कमीशन का खेल तो इन्हीं लोग खेलते हैं । इनकी पार्टी की बैठक में इनके मुख्यमंत्री जी का बयान है । रायगढ़ में इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसान आत्महत्या करेगा ? सभापति महोदय, मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हीरो होंडा ट्रांसपोर्टिंग की है और इसी सदन में माननीय डॉ. रमन सिंह जी जवाब दिये थे कि लिपिकीय त्रुटि है। हीरो होंडा ट्रांसपोर्टिंग किया करती थी।

सभापति महोदय :- आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं पहले से बोल रहा हूँ। आप उनको समझाइयें, आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- आपकी बात पूरी हो गयी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सभापति महोदय, यह गंभीर मामला है। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ किसान हैं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि

धान की मिलिंग समय पर नहीं हुई हो। इस सरकार ने कहा था कि दिसंबर तक धान की मिलिंग हो जायेगी। आज फरवरी समाप्त हो रहा है। अभी तक पिछले धान की मिलिंग नहीं हुई। इन्होंने आज तक इस बात को तय नहीं किया, पिछली बार जो धान की मिलिंग नहीं हुई, वह धान धान की मिलिंग इसलिए नहीं हुई, अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण, कमीशन के खेल के कारण नहीं हुई और इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव के उपर मैं हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई के पैसे से कमीशन का खेल खेला जा रहा है।

सभापति महोदय :- और भी सदस्यों को अपनी बात रखने दीजिए। माननीय धर्मजीत जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ का धान सड़ रहा है। इसके ऊपर मैं चर्चा होनी चाहिए। आप इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा करायें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, आप चर्चा कराईये तथ्य सामने आर्येंगे।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति महोदय, धान खरीदी छत्तीसगढ़ के लिये एक बहुत ही गंभीर मसला है। यह पिछले 20 साल से खरीदी हो रही है। एक सिस्टम बना हुआ है। धान खरीदी केन्द्र में धान खरीदते हैं, धान खरीदी केन्द्र से संग्रहण केन्द्र जाता है। उसके बाद सरकारी नियम, दिल्ली के नियम, एफ.सी.आई. के नियम के आधार पर उसकी मिलिंग वगैरः के लिये मिलर को भेजा जाता है। मैं अभी अपने क्षेत्र में देखकर आ रहा हूँ, पूरे मुंगेली जिले में हम देखकर आ रहे हैं, सब जगह धान खचाखच भरा हुआ है, खुले में पड़ा है। पानी गिर रहा है, पालीथीन ढकने का भी नहीं है, आखिर ये डी.एम.ओ. और ट्रांसपोर्टर मिल करके इसको ठीक से व्यवस्थित क्यों नहीं कराते हैं। सवाल, धान सड़ रहा है तो हम विरोधी दल के लोग चिल्ला रहे हैं ऐसी बात नहीं है। यह धान छत्तीसगढ़ का सड़ रहा है, इस सरकार में जो पैसा है, वह छत्तीसगढ़ की जनता का है, जनता के पैसे के धान का अपव्यय नहीं होना चाहिए। इसलिए इस पर चर्चा जरूर होना चाहिए, आखिर वह धान कब तक भगवान के भरोसे सड़क पर पड़ा रहेगा। भगवान के भरोसे किस हाल में पड़ा रहेगा। आखिर इतने करोड़ों की धान खरीदे हो तो उसकी हिफाजत करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर यह व्यवस्था नहीं हो रही है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टर लोग गड़बड़ करते हैं। जब धान की खरीदी खत्म हो जाती है, वहां से पूरा हट जाता है तो जो धान खरीदी केन्द्र के छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उनको जेल भेजने की नोटिस कलेक्टर देता है। अब आपका जो सुख हो रहा है, जब मंत्री लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको खरीदी केन्द्र वाला क्या करेगा ?

सभापति महोदय :- ठीक है, बातें आ गयीं। संक्षेप में रखिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- कलेक्टर को भी यह निर्देशित किया जाये कि धान खरीदी केन्द्र के जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, उनको जेल भेजने की धमकी न दें और अगर जेल भेजना ही है तो डी.एम.ओ. को और ट्रांसपोर्टर को जेल भेजा जाये। आप इसकी जांच कराईये। हम तथ्य रखेंगे, आंकड़े बतायेंगे लेकिन आप पहले उसमें चर्चा करायेंगे तब तो बतायेंगे। आप चर्चा करिये ना, आपको रास्ता मिलेगा।

कोई रास्ता सुलझेगा कि कैसे धान की व्यवस्था हो सकती है। आप तो भगवान के भरोसे छोड़ दिये चाहे तीन दिन पानी गिरे, चाहे 18 दिन पानी गिरे। कोई चिंता नहीं है। आप यहां बैठकर बस आंकड़े पढ़ते रहते हो।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, सरकार आंकड़ा बता रही है, रिकार्ड तोड़ धान खरीदी हुई है। सही बात है, सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई है। लेकिन धान की क्या स्थिति है, आज भी फड़ में पड़ा हुआ है। आपने समितियों को केवल दो रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रखरखाव तौल का अभी तक पैसा दिया है और आपके एग्रीमेंट के हिसाब से 72 घंटे में धान का उठाव हो जाना चाहिए लेकिन 72 दिन होने के बाद भी धान का उठाव नहीं हो रहा है जिसके कारण सुखत पर बाकी कमी आ रही है। किसान धान पैदा करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि उनके उपजाये हुए धान का दुरुपयोग हो, सड़ जाये। बल्कि अगर किसान धान पैदा करता है तो उसके एक-एक दाने का उपयोग हो, सदुपयोग हो, इसलिए वे धान पैदा करते हैं। आज किसानों को भी पीड़ा है, समिति है, किसानों की समिति है। किसान का नुकसान, समिति का नुकसान एक-एक किसान का नुकसान है। आज समिति अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। आपने पिछले साल की प्रोत्साहन राशि नहीं दी। आप इस साल समय पर धान नहीं उठा रहे हैं। कमी बता करके आप समिति से उसकी वसूली करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसलिए निवेदन है यह किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप इसको ग्राह्य करके चर्चा करायें। बाकी तथ्य जब चर्चा करायेंगे तो सामने आयेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, 93 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हुई है और खरीदी केन्द्र में भी धान है, परिवहन केन्द्र में भी धान है, पिछले समय का मिलिंग नहीं हुआ है। इस समय के धान का भी नहीं हुआ है और किसान हैं परेशान, लोग भी हैं परेशान, तो सरकार को देना चाहिए ध्यान। हम लोगों ने इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। यह बहुत गंभीर बात है। परिवहन वाले को भी राशि नहीं दे रहे हैं। अगर आप परिवहन वालों को उसके परिवहन की राशि नहीं दे रहे हैं तो धान का उठाव कैसे होगा ? धान का मिलिंग कैसे होग ? आप मिलरों को पैसा भी नहीं दे रहे हो। जब तक मिलरों के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, नीति का निर्धारण नहीं होगा, तब यह सब कैसे होगा, इसको स्पष्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि स्थगन पर चर्चा हो।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है। सोसायटियों में धान सूखद होने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि वहां धान सड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो सोसायटी के जो प्रबंधक हैं, उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। लेकिन पिछले 15 दिन से परिवहन बिलकुल बंद है। इसलिए यह बहुत गंभीर विषय है। जब सार्टेज होगा तो छोटे कर्मचारी, कोई संविदा में है और छोटे-छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है और वे अभी भी परेशान हैं। पिछले समय उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज किया गया, राशि

वसूली की कार्यवाही की गई और फिर वही होने जा रहा है। इसलिए इस मुद्दे हमारा स्थगन प्रस्ताव है। इसको तत्काल स्वीकार कर चर्चा कराई जाये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी):- सभापति महोदय, यह बहुत ही अहम मुद्दा है और यह छत्तीसगढ़ के हित में है। छत्तीसगढ़ की सभी चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं। इसलिए वे तथ्य सामने आयेंगे, वह व्यवस्था सामने आयेगी, सरकार की जानकारी में भी आयेगी इसलिए हम इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। कृपया इसको स्वीकार करके इस पर चर्चा करायें। इसमें बहुत सारे तथ्य आयेंगे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय जी, अपने आप को किसान हितैषी कहने वाली सरकार आज यह नहीं देख पा रही है कि प्रदेश में किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज भी ऐसे अनेक लाखों किसान हैं, लाखों किसान हैं, जिनका आज भी पंजीयन नहीं हुआ है। जब किसानों ने पंजीयन कराना शुरू किया तो शासन ने एक फरमान जारी कर दिया। जो बहुत छोटे किसान हैं, जिनका राजस्व में बहुत कम जमीन है, ऐसे किसान जिनके पास कम जमीन होने के कारण वन अधिकार पट्टा, एरीगेशन में लीज के तहत जिनके पास जमीन होती है, वे उसमें फसल लगाते हैं, तो ऐसे फसलों का पंजीयन नहीं किया जायेगा, सरकार ने ऐसा एक फरमान जारी कर दिया। माननीय सभापति महोदय, आज किसानों की हालत खराब है। आज आप सोसायटियों की हालत देखिये, जहां पर धान का उठाव नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व लगातार 4-5 दिन तक बारिश हुई, जहां पर ओले भी गिरे, जहां पर यह स्थिति देखी जा रही है कि बारिश के कारण पूरे धान खराब भी हो रहे हैं साथ ही साथ चूहे धान को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि धान का उठाव करें। हमने इस पर स्थगन दिया है। कृपया स्थगन स्वीकार करिये।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय जी, सोसायटियों में धान पड़ा है और कांग्रेस सरकार बोलती है कि यह सरकार किसान की हितैषी सरकार है। परन्तु आज सोसायटियों में बड़ी मात्रा में पड़ा है, पानी गिरने से सब धान सड़ रहा है। धान सड़ने के कारण सोसायटियों को नोटिस देते हैं, समिति को नोटिस आ रहा है। हमने इस पर स्थगन लाया है, ग्राह्य करके चर्चा करायें।

श्री विद्यारतन भसीन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति जी, आप स्वयं किसान पुत्र हैं, धान और किसान का क्या सम्बन्ध है आप स्वयं जानते हैं। आज स्थिति यह है कि आज प्रदेश के किसी भी रास्ते से गुजर जाईये, धान के अंबार लगे हुए हैं। उसको देखकर हर आदमी का दिल द्रवित हो जा रहा है और सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। आज सरकार को जगाने की दृष्टि से स्थगन लाया गया है। इस पर चर्चा होगी। इसके पीछे मंशा सिर्फ यही है कि सरकार यह जाने कि धान के मिलिंग की प्रक्रिया समय से पहले प्रारंभ नहीं हुई तो आने वाले समय में एक बड़ा नुकसान सामने आने वाला है। सरकार को सचेत करने की दृष्टि से स्थगन लाया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा कराईये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार में अजब-गजब का खेल हो रहा है। किसान जिंदा है, लेकिन इनके साफ्टवेयर में कई किसान मृत हो गए हैं। सतीश कौशिक का कागज नाम से एक पिक्चर आया था, उस पिक्चर में यह बताया गया कि वह आदमी जिंदा है, लेकिन उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। मृत घोषित के कारण वह दफ्तरों का चक्कर लगा रहा है। ये हाल, ये किसान हितैषी सरकार के कार्यकाल में है। विजय निषाद, यह आरंग का किसान है। वह आफिसों में चक्कर लगा रहा है कि मेरा धान खरीद लो, मैं जिंदा हूँ। लेकिन उस किसान को मृत घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार से इस सरकार में कार्यवाही चल रही है। माननीय सभापति महोदय,

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, यह आपके क्षेत्र का मामला है, कुछ बोलिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, अभी धान खरीदी केन्द्रों में जा प्रबंधक लोग हैं, उन लोग डेलीगेशन लेकर मुझ से मिलने आये थे कि पिछली बार ये सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करा दी। कुछ लोग मजबूत हो रहे हैं लेकिन हमारी सोसायटियां गरीब होती चली गईं। उनको धान खरीदने का जो कमीशन मिलता है उनको वह कमीशन की राशि नहीं मिल रही है और जो कमीशन की राशि मिल रही है उसमें भी कमीशन जारी है। कमीशन की राशि जो सोसायटियों को मिल रही है उसमें कमीशन के कारण सोसायटी के लोग परेशान हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कमीशन के मामले में तो माननीय मंत्री जी भी दुखी हैं। वह कमीशन दूसरा ले ले रहा है और माननीय मंत्री जी यहां उत्तर ही बस दे रहे हैं। सबमें टैक्स लग रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि सोसायटियों में आपका जो धान रखा हुआ है, उसमें कैपिंग लगी नहीं है, बारिश हो गई, उनका धान सड़ गया। अब खरीदने के बाद उन सोसायटियों की जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी सरकार की है, इनके एजेंसी की है कि उस धान का वहां से परिवहन करे, उनका डी.ओ. काटे और या तो मिल में कस्टम मिलिंग के लिए भेजे या उसे संग्रहण केंद्र में भेजे। पिछली बार हमारे मुंगेली जिले में इनके द्वारा निरपराध लोगों के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया और कलेक्टर द्वारा उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करके उनको अंदर कराया गया। वास्तविक में ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं यह सरकार की गलती के कारण है। इस बार पहले से सोसायटी वाले आगाह कर रहे हैं, हम भी आगाह कर रहे हैं कि आप अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण न मढ़ें। उनकी जवाबदारी केवल धान खरीदने तक है और उनके धान खरीदने के बाद आपकी जवाबदारी है कि उसे आप कस्टम मिलिंग के लिए ले जाएं या स्टाकिंग पाइंट में ले जाकर आप बफर स्टॉक को रखें। लेकिन यह सरकार जब तक वह धान सड़ेगा नहीं तब तक कोई काम नहीं करेगी।

अच्छा, मुझे लगता है कि इनको मजा आता है। पिछली बार 1100-1200 करोड़ रुपये का धान सड़ गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, नेता जी भाषण दे रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपके क्षेत्र में गया था।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोर संग गे रहे ना, त तोला बताईसे कि अब्बड़ गलती करत रहे निपट गे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं भाषण देने के लिए तो आया हूँ जी। मैं प्रश्न का जवाब थोड़ी दे रहा हूँ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भाषण तब दीजिए जब ग्राह्य होगा तब। अभी तो ग्राह्य करने की बात कीजिए।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त में अपनी बात रखें।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से वहां स्टेकिंग पाईट में इन्होंने धान को बेचा, उनको दो नंबर में बेचा है और बेचने के बाद आज उसका हिसाब-किताब कर पाने में मंत्री जी विफल हैं क्योंकि इनके संरक्षण में वह काम हो रहा है और संरक्षण में जब ये काम होगा तो ये प्रदेश को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, ये भाषण चल रहा है इसको बंद करवाईये क्योंकि ये ग्राह्यता पर चर्चा है। जब स्थगन ग्राह्य होगा तब आप स्थगन पर बोलियेगा ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अमितेश जी मैं भाषण ही देने के लिए तो खड़ा हुआ हूँ। मैं धान के स्थगन पर ही तो बोल रहा हूँ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, कोई मुद्दा होता है तो एक मिनट में अपनी बात होती है। क्या स्थगन स्वीकार हुआ है जो माननीय नेता जी अपना भाषण दे रहे हैं?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आसंदी से मौका मिल रहा है। आप लोगों को भी आसंदी मौका दे रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह स्थगन स्वीकार किया जाए और अमितेश शुक्ल जी और मोहन मरकाम जी को भी बोलने का अवसर दिया जाए। दोनों तरफ की चर्चा से दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। हम सरकार से इस विषय में श्वेत पत्र की मांग करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप किसान नेता हैं आपके क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय सभापति महोदय, यह किसान नेता बोल-बोलकर आपको खुश कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं उनके परिवार वालों से मिलने के लिए वहां गया हूं, वह कितने व्यथित और दुखी हैं। यदि आप चर्चा करायेंगे तो हम संपूर्ण तथ्य रखेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस स्थगन को स्वीकार करें।

सभापति महोदय :- आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना अग्राह्य कर दी गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, ये गंभीर विषय है। यह धान का मामला है, किसान का मामला है।

सभापति महोदय :- सारी बातें आ गई हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ये गंभीर विषय है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ये गंभीर विषय है। इस पर चर्चा करवाई जाए।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12.25 से 12.35 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:35 बजे

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय :- अब मैं ध्यानाकर्षण लूंगा। माननीय अजय चन्द्राकर जी।

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) जिला-गरियाबंद, विकासखण्ड देवभोग अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा में जल आवर्धन योजना शुरू नहीं होना।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला, विकासखंड देवभोग अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है, इस गांव में आज भी ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोग किडनी संबंधित बीमारी से प्रभावित हैं, ग्रामीणों की दूषित पानी पीने के कारण किडनी की बीमारी से

मौतें हो रही हैं, अब तक लगभग 75 लोगों की मौत हो चुकी है तथा मौत का सिलसिला अब भी जारी है। जल आवर्धन योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनायी गयी। यहां तक की माननीय मुख्यमंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी भी द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी तथा रेडियो प्रसारण के माध्यम से सुपेबेड़ा के ग्रामीणों को जल आवर्धन योजना प्रारंभ होने पर बधाई तक दे चुके हैं।

किन्तु अभी तक जल आवर्धन योजना की कार्य ग्राम सुपेबेड़ा में शुरुआत नहीं की गयी, अभी तक स्वीकृति ही नहीं हुई है, स्वीकृति के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर कागजी तौर पर घूम रही है, ग्रामीण लोग जिसमें कुछ किडनी से पीड़ित भी हैं, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालयों में स्वीकृति के लिए ठोकरे खा रहे हैं। ग्राम सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के नाम पर जल आवर्धन योजना के विज्ञापन में लाखों रुपया खर्च कर फोटो के साथ बड़े-बड़े बेनर, होर्डिंग, पोस्टर हर चौक चौराहे पर चिपकाये गये हैं, लेकिन धरातल कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। ग्राम सुपेबेड़ा के लोग इच्छा मृत्यु मांगने तक को मजबूर हो चुके हैं, इसके अलावा आस-पास के अन्य गांवों में भी जल आवर्धन योजना के तहत शुद्ध पेयजल प्रदाय करना है, किन्तु उन गांवों में भी अब तक ना तो स्वीकृति मिली, ना ही कोई कार्य योजना बनायी गयी है, वहां के लोग भी शुद्ध पेयजल देने की गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार की इस लापरवाही से ग्राम सुपेबेड़ा के साथ-साथ पूरे प्रदेश की जनता में प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) :- माननीय सभापति महोदय, यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद, विकासखण्ड देवभोग अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है तथापि यह सत्य नहीं है कि, इस गांव में आज भी ग्रामीण दूषित पेयजल पीने हेतु मजबूर हैं। ग्राम सुपेबेड़ा की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 1183 है एवं इस ग्राम में नलजल योजना से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।

सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा लागत रुपये 1278.29 लाख राशि की दिनांक 23.11.2019 को प्रदान की गई।

सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना के लिए तेल नदी से जल की आवश्यकता होगी। जल संसाधन विभाग द्वारा इस कार्य के लिए निर्माण एजेंसी का निर्धारण कर, कार्यादेश दिनांक 21.10.2020 को जारी किया जा चुका है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना के हेड वर्क्स के कार्यों के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की निविदा आमंत्रित की गयी है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार राज्य शासन द्वारा तत्परता के साथ 09 ग्रामों की सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति देते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयारी कर ली गई है, जिससे जनता में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने जैसी कोई स्थिति नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। 2 अभिभाषण में सुपेबेड़ा का उल्लेख है। पहले जब सरकार बैठी और दूसरे साल में भी उल्लेख है। मैं बोलने के पहले इस साल का भी पढ़ूंगा। अभी तक 3-4 अभिभाषण हुए हैं एक दिन तो छोटा वाला था। मैं जो लिखा हूँ। माननीय मंत्री जी कौन-कौन माननीय मंत्रीगण सुपेबेड़ा में नलजल योजना शुरू हो जाएगी, इसकी घोषणा कौन-कौन से तारीख को की ?

श्री गुरु रूद्र कुमार:- माननीय सभापति महोदय, सरकार बनते ही सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री और हम दोनों का संयुक्त दौरा सुपेबेड़ा में हुआ था। वहां पर गांव वालों ने मांग की थी कि उनको तेल नदी से जल, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं स्पेसिफिक इधर-उधर नहीं पूछूंगा। कौन-कौन मंत्री जी कब घोषणा की ? कि सुपेबेड़ा में नलजल योजना शुरू की जाएगी, आप दिन तारीख सहित बताईये ?

श्री गुरु रूद्र कुमार :- वही मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार बनते ही सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी और मेरा वहां पर दौरा हुआ था। वहां पर गांव वालों ने मांग की थी, वहां पर हम लोगों ने घोषणा की थी आपको पेयजल योजना दी जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने जान-बूझकर तारीख पूछा।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- 2 फरवरी 2019।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2 फरवरी 2019 और दो बार राज्यपाल महोदय के ज्ञापन में आया है। अब मुझे यह बताईये कि अभी पेयजल योजना की स्थिति क्या है और वह कब तक शुरू होगी? स्थिति क्या है का मतलब यह है टेन्डर हो गया है, लागत है, एजेंसी तय हो गई है, निर्माण शुरू हो गया है, यदि ये नहीं हुआ है तो वह कब तक संपादित होगी और कब तक पूरी हो जायेगी? स्थिति क्या है का मतलब, आशय समझाया।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- माननीय सभापति महोदय, योजना बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के पास फाईल गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे यह नहीं पूछा कि कहां फाईल गई है, वित्त विभाग के पास फाईल गई है। मैंने स्पेसिफिक यह पूछा कि एजेंसी तय हो गई, कहां पर है, कितनी लागत का है और कब तक शुरू हो जायेगी? जब आप वहां पर जाकर दो साल पहले घोषणा कर सकते हैं तो आप सदन में क्यों बोल रहे हैं कि वित्त विभाग में फाईल गई है। तो फिर दो साल से आपका विभाग शुरू करवाने के

लिए क्या कर रहा था? इसलिए आप बताइये कि वह योजना कब तक पूरी होगी? मैंने पूछा है कि क्या स्थिति है और योजना कब तक पूरी होगी? स्थिति के संबंध में मैंने बताया कि एजेंसी, टेन्डर, लागत सारी चीजों की स्थिति स्पष्ट करें।

सभापति महोदय :- इसमें माननीय मंत्री जी ने तो स्पष्ट लिखित में जवाब दे दिया है सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना के लिए तेल नदी से जल की आवश्यकता होगी और जल संसाधन विभाग द्वारा इस कार्य के लिए निर्माण एजेंसी का निर्धारण कर कार्यादेश 21.10.2020 को जारी किया जा चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसी को तो पूछ रहा हूँ। वह तो अभी आपके सामने बोले कि वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए फाईल गई है। दोनों में तो अंतर है। किस चीज की फाईल वित्त विभाग में गई है और वित्त विभाग में फाईल गई है तो फिर ये तारीख कैसे तय हो गई? फिर प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है, कैसे लिख रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं।

सभापति महोदय :- इसमें यह भी तो लिखा है सुपेबेड़ा जल समूदा प्रदाय योजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति जी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। हम चाहेंगे कि इसमें शासन की तरफ से जवाब आ जाये। शासन की तरफ से जवाब आ जायेगा तो यह पूरे छत्तीसगढ़ के हित का मामला है। इसलिए शासन की तरफ से जवाब आ जाये तो निश्चित रूप से इस योजना में बहुत बड़ा फायदा उस क्षेत्र के लोगों को होगा, इसलिए आप शासन की तरफ से जवाब आ जाने दीजिए।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर हमारी मंशा है, तभी सरकार बनते ही हमने घोषणा की। अजय जी आप भी तो 3 महीने पी.एच.ई. मंत्री रहे हैं, आपने तो घोषणा नहीं की। हम तो कर रहे हैं, हम तो योजना भी बना लिये हैं। मैं तो आपको यकीन दिला रहा हूँ। यह योजना बहुत जल्द शुरू भी हो जायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, यदि आप उनके उत्तर का हवाला दिये हैं, मेरे मूल ध्यानाकर्षण की सूचना में भी है कि स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपेबेड़ा में योजना शुरू होने की बधाई गांव वालों को रेडियो के माध्यम से दी। जब रेडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने बधाई दे दी तो फिर अब तक योजना शुरू कैसे नहीं हुई? अभी तक योजना में देरी होने का कारण क्या है? जब आप पहले दिन यह श्रेय ले रहे हैं कि मैं पहले दिन जाकर ऐसा कर दिया तो उस योजना के देरी होने का कारण क्या है? क्या दोनों मंत्रियों में बधाई दी कि योजना शुरू हो गई, मैं सुपेबेड़ा की जनता को बधाई देता हूँ ?

श्री गुरु रुद्र कुमार :- अजय जी, जो ग्रूप वॉटर स्कीम होती है, आप भी जान रहे हैं, यहां पर बहुत लोग बैठे हैं, उनमें अधिकांश मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं। कोई भी बड़ी योजना जिसमें 9 गावों को सम्मिलित किया जा रहा है, इंटकवेल बनेगा, फिल्टर प्लांट बनेगा, पाईपलाईन का विस्तार होगा, 9 गावों में पानी की टंकी लगेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी ऐसा है वह सब मुझे बतायेंगे तो आपकी सारी स्कीम तो पीछे चल रही हैं, वह चर्चा बाद में करेंगे। हम फिर इसको मान लें कि 5 साल बाद पूरी होगी। चलिए, बृजमोहन जी, आप पूछिये।

सभापति महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है और यह बहुत खेदजनक भी है और साथ में हम सबके लिए दुखद मामला भी है।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- माननीय सभापति महोदय, बृजमोहन जी, दुर्भाग्यजनक तो वाकई में है। आप लोग 15 साल सरकार में रहकर योजना नहीं बना पाये, हम तो कम से कम योजना बनाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, किसी एक गांव में 90 से ज्यादा लोग किडनी के मरीज होकर उनकी मृत्यु हो जाए। माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि फरवरी माह में वे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वर्ष 2019 में गए थे। फरवरी 2020 चला गया, फरवरी 2021 आ गया लेकिन 2 साल के बाद भी टेण्डर नहीं हुआ है, काम प्रारंभ नहीं हुआ है। वहां पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लग गए, बोर्ड लग गए, विज्ञापन छप गए। माननीय मंत्री जी, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि जरा हमको इसके लिए अपने विभाग को टाईट करने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गई, स्वास्थ्य मंत्री जी चले गये, आप चले गये उसके बाद भी 2 साल से टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है, लोगों की जान जा रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पूरा गांव कलेक्टर के पास पहुंचे और वे कहें कि हमको आत्महत्या करने की अनुमति दे दो, इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक कोई और बात होगी ? यह पूरे सदन के लिये सोचने का विषय है। माननीय मोहन मरकाम जी, सब ट्राईबल हैं।

श्री मोहन मरकाम :- श्री अग्रवाल जी, अगर 15 साल इसकी चिंता की होती तो यह नौबत नहीं आती। हमारी सरकार ने टेण्डर प्रक्रिया तक भी पहुंचाया है। आपको अगर इतनी चिंता होती तो आपने किया होता।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल तक ट्राईबलों से प्यार करते तो आज 12 की 12 सीट जीरो नहीं रहती।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार ने 12 करोड़ टेण्डर प्रक्रिया में दिया है, आने वाले दिनों में उसका लाभ भी मिलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कितने सालों में ? 2 साल में टेण्डर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

श्री मोहन मरकाम :- मैं सुपेबेड़ा जाकर आया हूं, वहां का दर्द मैं भी समझता हूं ।

सभापति महोदय :- आप अपना प्रश्न करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक गंभीर विषय पर बोल रहा हूं । मंत्री जी, मेरा आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- 15 साल क्या कर रहे थे ? 15 साल मैं गंभीर नहीं हुए थे ।

सभापति महोदय :- आप कृपया प्रश्न करिए ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग गंभीर रहते तो सुपेबेड़ा में इतने लोग नहीं मरते ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमने यह ध्यानाकर्षण 15 सालों के कार्यकाल पर नहीं लगाया है । हमने इन 2 सालों में इस सरकार ने क्या किया है ।

सभापति महोदय :- आप अपना प्रश्न करिए न, मंत्री जी जवाब देने के लिये तैयार हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं चूंकि हमारे ध्यानाकर्षण में जो विषय है । उन विषयों का जवाब इसमें नहीं आया है । माननीय मंत्री जी कृपया यह बता दें कि सुपेबेड़ा में अभी तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कितने लोगों की किडनी अभी भी खराब है जिनका ईलाज चल रहा है और उससे सराउंडिंग जो 12 गांव हैं, उनमें कितने लोग किडनी के मरीज हैं ?

श्री गुरु रुद्र कुमार :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां पर पीने के पानी की वजह से एक भी मृत्यु नहीं हुई है । निश्चित तौर पर वहां पर कुछ लोगों की किडनी खराब है लेकिन वह पानी के कारण नहीं है और चूंकि आप शुद्ध पेयजल की भी बात कर रहे थे कि उन लोगों को नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 119 घरों में सीधे वहां पर नल कनेक्शन है, जहां पर उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है । बाजू के गांव में बोर करके उनको वहां से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तो इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि पीने के पानी की वजह से वहां पर एक भी मौत हुई हो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारा यही तो कहना है। अगर उसकी आवश्यकता नहीं थी तो यह पेयजल स्कीम क्यों बनाई गई ? इसका क्या कारण है ? हम लोग भी लगातार इस मामले के टच में हैं । वहां पर एक्सपर्ट्स की टीम, दिल्ली से टीम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम, सब टीमें वहां पर आ चुकी हैं और उन्होंने इस बात को कहा है कि वहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा तो शायद इसमें कमी आ सकती है । वे बेचारे गरीब हैं, वे सब ट्राईबल हैं, उनके जीवन की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं । मैं आपको बताता हूं कि उस क्षेत्र में न कलेक्टर जाता है, न एस.पी. जाता है, न मंत्री जाते हैं, न नेता जाते हैं, वहां राजनैतिक नेता भी नहीं जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र

देवभोग का ईलाका सबसे दुरस्थ ईलाका है, वहां पर सड़क नहीं है। वहां पर डॉक्टर नहीं हैं, उड़ीसा से लगा हुआ ईलाका है, वहां के लोग ईलाज के लिए उड़ीसा जाते हैं इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां पर दो बार विजिट किया है, माननीय राज्यपाल जी के साथ गए हैं परंतु उसके बाद भी यह सरकार कितनी गंभीर है। फरवरी, 2019 में स्वास्थ्य मंत्री जी और पी.एच.ई. मंत्री जी जाते हैं, फरवरी 2019 चला गया, 2020 चला गया, फरवरी 2021 आ गया और उसके बाद भी 2 साल के बाद भी काम प्रारंभ नहीं होना, यह बात इस पूरे सदन के जमीर को जगाने वाली है। मैंने पूछा है कि सुपेबेड़ा गांव में अभी तक किडनी की बीमारी से कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी कितने लोगों का इलाज चल रहा है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि पीने के पानी से किसी की मृत्यु नहीं हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं दिया। और साथ ही सराउंडिंग 12 गांवों में कितने लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। अब उनके पास जवाब आ गया होगा तो वे बता दें, अच्छा होगा ?

श्री गुरु रुद्र कुमार :- सभापति जी, सबसे पहली बात यह है कि 2009 से लेकर 31.12.2018 तक ग्राम सुपेबेड़ा से 119 मौतें हुई हैं, लेकिन वह भी पानी के कारण नहीं। दूसरी बात, दिनांक 01.01.2019 से वर्तमान स्थिति में 32 मौतें हुई हैं, आपने जो आंकड़ा दिया है वह भी गलत है। लेकिन ये 32 मौतें भी पानी की वजह से नहीं हुईं। स्वास्थ्य विभाग से क्लीयर कर लिया गया है, पूरी जानकारी मंगा ली गई है। ये मौतें किन्हीं और वजहों से हुई हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यहां पूरा मंत्रिमंडल बैठा है। क्या युद्ध स्तर पर काम करवा कर 1 साल के अंदर में वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल दिलवा देंगे। इस बात का आश्वासन क्या शासन देता है। मैं पूरी सरकार के जमीर को जागृत करना चाहता हूं।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- जागी हुई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे आदिवासी भाईयों की इतनी बड़ी मात्रा में किडनी की बीमारी से मृत्यु हो रही है। क्या ये सरकार युद्ध स्तर पर वहां काम करवाकर अगले 1 साल में वहां के पेयजल की योजना को पूरा कर देगी ?

श्री गुरु रुद्र कुमार :- सभापति जी, मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि बहुत जल्द वहां के वाटर स्कीम का काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द उस स्कीम को पूरा करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, ये क्या जवाब आ रहा है ?

सभापति महोदय :- उन्होंने बोल दिया अब एक साल में शुरू हो जाएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, यहां माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं, यहां मोहम्मद अकबर जी बैठे हैं। अगर सरकार चाहे तो 3 महीने में पूरा हो सकता है।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- जब पी.एच.ई. मंत्री बोल रहा है, अपने विभाग के बारे में बोल रहा है तो सही बोल रहा है। उसमें अकबार भाई और टी.एस.सिंहदेव की जरूरत नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, एनीकट सिंचाई विभाग बनाएगा। जब तक एनीकट नहीं बनेगा, तब तक आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिंचाई विभाग को एनीकट बनाना है।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- आप भी चिंता कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। भले ही 15 साल बात चिंता कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम करेंगे।

सभापति महोदय :- सारी बातें आ गई हैं। माननीय चंदेल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर शासन समय सीमा तय कर देगा तो अधिकारियों की भी बाध्यता होगी और उस योजना को वे पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि एक समय सीमा दे दें। क्योंकि पिछले 2 सालों में जिस गति से काम हुआ है, वह संतोषजनक नहीं है, वह दुर्भाग्यजनक है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको वे समय सीमा में बांध दें तो हम आदिवासियों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- सभापति जी, इस सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा हो जाएगा।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, सुपेबेड़ा की घटना वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज़ादी के इतने सालों बाद लोग प्रदूषित पानी, गंदा पानी पीने से इस तरह गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुए और असमय ही काल के गाल में समा गए। वे वनवासी लोग, आदिवासी लोग ..।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- नारायण जी।

श्री नारायण चंदेल :- गुरुजी, थोड़ा बैठ ना।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, आप प्रश्न करिये ना। आप सीधे प्रश्न करिये।

श्री नारायण चंदेल :- बार-बार सरकार के द्वारा यह जवाब देना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 साल। अरे भइया 15 साल का भूत उतारो। अब आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने जनादेश आपको दिया है।

सभापति महोदय :- आप अपना प्रश्न करिये।

श्री नारायण चंदेल :- मैं प्रश्न की तरफ ही आ रहा हूँ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- चंदेल भइया, एक बात रहिस। हमुमन बड़ प्रश्न लगाए रहेन ता काय उत्तर आए जानत हस ? एक भी मौत किडनी की बीमारी से नहीं हुई है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, उनको याद होगा। अजय चन्द्राकर जी स्वास्थ्य मंत्री थी तो यही जवाब आता था।

श्री नारायण चंदेल :- महामहिम राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री दोनों गए और उसके दो साल बाद भी वहां शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पाया, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभापति जी, मेरा माननीय

मंत्री जी से प्रश्न है कि जिन लोगों को मौत हुई आपने बताया 119 लोगों की मौत हुई। ये किस बीमारी से हुई है, शेष का इलाज कहां चल रहा है और मृतकों के परिवारों को अभी तक कितना मुआवजा दिया गया है और कब-कब दिया गया है, कृपया यह बता दें ?

श्री गुरु रूद्र कुमार :- सम्माननीय नारायण जी, ठीक है मैं 15 साल की बात नहीं करता, पर आपने कहा न कि आजादी से लेकर अब तक। अब आप धन्यवाद भी दे दीजिए कि हमारी सरकार ने सोचा। योजना बनाकर तैयार भी कर लिये हैं और बहुत जल्दी हम लोग काम भी शुरू करने वाले हैं। तो सरकार को धन्यवाद भी बनता है।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री नारायण चंदेल :- देखिए, 2 साल पहले निविदा बुला ली गई। टेंडर हो गया। क्या इसे टर्न की पद्धति से बना सकते हैं ? टर्न की पद्धति से 1 साल में नहर बन गया था। आप वह बनवा दीजिए। क्या रात-दिन काम नहीं हो सकता ? क्या युद्ध स्तर पर काम नहीं हो सकता ?

श्री गुरु रूद्र कुमार :- माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सम्माननीय सदस्य नारायण चंदेल जी और यहां पर उपस्थित सभी सदस्यों को यकीन दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार की भी मंशा है और उनसे ज्यादा चिंतित हम लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने यह योजना बनाई है और हम बहुत जल्द काम शुरू करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कितनी मौत हुई है, इसकी जानकारी दी, पर साथ में यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दूषित पेयजल के कारण नहीं हुई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष के रूप में और स्वास्थ्य मंत्री बनने के पश्चात् सुपेबेड़ा गये हैं और सुपेबेड़ा से लौटने के बाद में आपका जो बयान आया है, आप बोलेंगे तो पेपर की कटिंग भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे और आपने कहा है कि दूषित पेयजल के कारण लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। तो पहली बात तो यह कि जब मंत्री जी कह रहे हैं कि दूषित पेयजल के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। या तो पी.एच.ई. मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं या स्वास्थ्य मंत्री जी गलतबयानी करते थे कि पेयजल के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि गलत कौन है ? एक विषय तो यह है।

सभापति महोदय :- कृपया, अपना प्रश्न करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- यही पहले स्पष्ट कर दें। यही प्रश्न है। दोनों उपस्थित हैं कि माननीय पी.एच.ई. मंत्री सही बोल रहे थे या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सही बोल रहे थे। दोनों उपस्थित हैं। कौन गलत है, यही स्पष्ट कर दें। एक विषय यह है। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा लागत रुपये 1278.29 लाख राशि

की दिनांक 23/11/2019 को प्रदान की गई है और उसके बाद दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि फाइल वित्त विभाग में लंबित है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जब वित्त विभाग से क्लियरेंस मिल जाता है, उसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है। तो जब वित्त विभाग से क्लियरेंस नहीं मिला तो पी.एच.ई. विभाग ने पहले प्रशासकीय स्वीकृति कैसे जारी कर दी ? यह शासन की क्या व्यवस्था है ? यहीं स्पष्ट कर दें कि पहले प्रशासकीय स्वीकृति जारी होती है या पहले वित्त विभाग से क्लियरेंस होता है। माननीय मंत्री जी पहले यह स्पष्ट कर दें।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- माननीय सभापति जी, फिर से आपका वही प्रश्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- थोड़ा जोर से बोलेंगे।

श्री गुरु रूद्र कुमार :- मैं उनसे जोर से बोलने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाऊंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या मैं प्रश्न फिर से बोलूं ?

श्री गुरु रूद्र कुमार :- नहीं, घुमा-फिराकर बार-बार वही प्रश्न आ रहा है। मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि पानी की वजह से वहां एक भी मौत नहीं हुई है और सरकार बनते ही जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे संयुक्त द्वारा..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पानी की वजह से मौत नहीं हुई है ? कौन से आप विशेषज्ञ हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, हेल्थ डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुरु रूद्र कुमार :- जैसे आप कहा करते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने बहुत ही स्पष्ट प्रश्न किया है। मेरा दो प्रश्न है। दोनों का उत्तर दिला दीजिए। मेरा पहला प्रश्न ये था कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का सुपेबेड़ा दौरा हुआ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का सार्वजनिक स्टेटमेंट आया कि वहां लोग जो किडनी की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, उसके पीछे बड़ा कारण अशुद्ध पेयजल है। दूषित पेयजल है। माननीय पी.एच.ई. मंत्री जी कह रहे हैं कि दूषित पेयजल के चलते कोई भी व्यक्ति वहां बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ है।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- शिवरतन भैया, मंत्री जी ठीक बोल रहे हैं न कि 36 की मौत दूषित पानी से नहीं हुई है, वहां पर हर मौत उसी से होगा, यह जरूरी थोड़ी न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सही बोल रहे हैं या माननीय पी.एच.ई. मंत्री जी सही बोल रहे हैं। दोनों मंत्री उपस्थित हैं। यह क्लियर होना चाहिए कि दोनों में कौन गलत बोल रहा है ? दूसरी बात, मैंने दूसरा प्रश्न यह किया है कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा जारी कर दी गई है और दूसरी तरफ सदन में कहते हैं कि

जो फाइल है, वह वित्त विभाग में लंबित है। हमारी जानकारी में तो प्रशासकीय स्वीकृति तभी जारी की जाती है जब वित्त विभाग से क्लियरेंस मिल जाता है। तो यह मंत्री जी स्पष्ट करें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी जवाब दे चुके न।

श्री शिवरतन शर्मा :- गुरु जी, थोड़ा जोर से बोलबे।

समय :

1:00 बजे

श्री गुरु रुद्र कुमार :- सभापति महोदय, अभी थोड़ी पहिली मैं बताए हव कि अजय जी के पास जोर से बोले के ट्रेनिंग लेबर जाहूं। सभापति महोदय, मैं यकीन दिलाना चाहूंगा और स्वास्थ्य विभाग से भी जानकारी मंगाई गयी है और हमारे विभाग की भी जानकारी है कि वहां पर पीने के पानी की वजह से एक भी मौतें नहीं हुई हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो फिर बोल दीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री गलत बोल रहे हैं। साथ मैं यह भी बोलिए कि अगर मैं सही बोल रहा हूं तो स्वास्थ्य मंत्री गलत बोल रहे हैं।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वह आपके जवाब में है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बहुत स्पष्ट बात है। स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब दे दें। स्वास्थ्य मंत्री जी का सार्वजनिक बयान आया है कि सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से जो लोग ग्रसित हो रहे हैं, वह दूषित पेयजल के कारण हो रहे हैं, दूषित पेयजल के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। तो दोनों में से एक व्यक्ति गलत बोल रहा है। गलत कौन बोल रहा है, यह स्पष्ट हो जाये।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए।

श्री गुरु रुद्र कुमार :- आप यह मान रहे हैं कि 15 साल तक जब हम लोग विपक्ष में थे, हमारे सदस्यगण प्रश्न लगाते थे तो 15 साल तक असत्य बोलते रहे कि वहां किसी की मौत पानी की वजह से नहीं हुई।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी सवा दो साल की बात हो रही है। आप दोनों उपस्थित हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको गलत ठहरा रहे हैं। इसमें आप कुछ बोलेंगे? आपसे मार्गदर्शन मिल जाये। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं, उनसे मार्गदर्शन मिल जाये।

सभापति महोदय :- माननीय श्री अरूण वोरा अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे। इसमें काफी प्रश्न हो गए हैं और उत्तर आ गए हैं।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति जी, बड़ा गंभीर विषय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज दोनों मंत्री उपस्थित हैं, स्पष्ट हो जाएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दो सालों के बाद भी पेयजल योजना में काम शुरू नहीं हुआ है और किडनी की खराबी से आदिवासियों की मृत्यु हो रही है और सरकार के द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है । सरकार आदिवासियों के जीवन की रक्षा नहीं कर पा रही है, इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :

1:02 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार के उत्तर के विरोध में

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) चिरमिरी के हल्दी बाड़ी, महुआ दफाई इलाके में एसईसीएल खदान की जमीन में निवासरत गरीब परिवारों को सुरक्षित व्यवस्थापन नहीं किया जाना.

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

चिरमिरी के हल्दी बाड़ी, महुआ दफाई इलाके में भू-माफियाओं ने एस.ई.सी.एल. खदान की जमीन गरीबों को बेच दी और गरीबों ने यहां मकान बना लिये, जबकि यहां जमीन के नीचे से कोयला तो निकाल लिया गया, लेकिन फिलिंग नहीं होने के कारण जमीन के धंसने एवं आग का डर बना रहता है । जमीन धंसने से मकान सड़क फट जाते हैं । ऐसा ही एक हादसा 1 फरवरी, 2021 को हुआ और करीब 25 मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं, जिसके कारण इन परिवारों को अस्थाई तौर पर कैम्प में शिफ्ट करना पड़ा। इस घटना को देखते हुए प्रशासन को तत्काल एस.ई.सी.एल. से संपर्क कर अन्य परिवारों को सुरक्षित जगह व्यवस्थापन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की जरूरत है, जिससे वहां रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। वर्तमान में इन परिवारों में असुरक्षा की भावना नहीं होने के कारण रोष एवं आक्रोष व्याप्त है ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि चिरमिरी के हल्दीबाड़ी, महुआ दफाई इलाके में भू-माफियाओं ने एस.ई.सी.एल. खदान की जमीन गरीबों को बेच दी और गरीबों ने यहां मकान बना लिया । चिरमिरी क्षेत्र में अधिकांश जमीन एस.ई.सी.एल., वन

एवं राजस्व विभाग की भूमि है। अनेक वर्षों से लोग इन रिक्त भूमियों पर मकान व दुकान बनाकर आवास एवं व्यवसाय कर रहे हैं। अधिकांश चिरमिरी शहर अतिक्रमण में बसा हुआ है। यहां की बसाहट समतल नहीं है। एस.ई.सी.एल. द्वारा अपने लीज क्षेत्र के अंतर्गत अण्डर ग्राउण्ड व ओपन कास्ट के माध्यम से उत्खनन किया गया है, खदान बंद होने पर लोग इसके आसपास अतिक्रमण कर मकान एवं दुकान बना लिये हैं।

यह सही है कि कोयला उत्खनन क्षेत्र में दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। दिनांक 01 फरवरी, 2021 को रात्रि 9:30 बजे हल्दीबाड़ी क्षेत्र के महुआ दफाई में लगभग 10 फीट सड़क के किनारे व इसके आसपास स्थित 18 मकानों में दरारें आ गईं। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उक्त घटना के पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा तत्काल राहत मुहैया कराते हुए अस्थायी तौर पर सरस्वती शिशु मंदिर हल्दीबाड़ी में सभी परिवारों को शिफ्ट कर उनके रहने व खाने की व्यवस्था की गई तथा 18 परिवारों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि से नियमानुसार आर्थिक सहायता अनुदान राशि रुपये 65,600.00 (पैंसठ हजार छः सौ) प्रदाय किया गया। इन सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थल पर व्यवस्थापन करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-02 मनेन्द्रगढ़, महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. चिरमिरी, महापौर नगर निगम चिरमिरी एवं प्रभावित व्यक्तियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चर्चा अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एस.ई.सी.एल. के रिक्त मकानों की सूची परिवारों को उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें से 11 परिवारों के द्वारा मकान की चाबी प्राप्त कर ली गई है। चिरमिरी जिला-कोरिया की जनता में शासन/प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है।

श्री अरुण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्व में भी वर्ष 2008 और 2014 में इस तरीके के हादसे हुए थे और वर्तमान में भी हुए हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया कि जो एस.ई.सी.एल. क्षेत्र की खदानें हैं, मान लीजिए, खदान का जिनका आबंटन 50, 60 साल पहले हुआ, चाहे वह वन भूमि हो, चाहे राजस्व भूमि हो, उसके बाद खदान से कोयला निकाला गया, उस बीच में अगर अगर encroachment हुआ है तो कायदे से एस.ई.सी.एल. को encroachment रोकना चाहिए। अगर कोई भी encroachment करता है, अगर एस.ई.सी.एल. की जमीन है तो स्वयं की जवाबदारी बनती है कि वह अपनी जमीन पर कोई कब्जा न करने दे। उसके बाद भी लोग इस प्रकार से encroachment कर लेते हैं। चिरमिरी क्षेत्र समतल क्षेत्र नहीं हैं, वहां पूरा शहर भी जो बसा हुआ है वह भी पूरा अपडाउन है। आपका जो खदान क्षेत्र है, वहां झुग्गी झोपड़ी है या कोई भी पक्का मकान बना लिये हैं। इस प्रकार से जो 18 मकानों में दरारें आई, उनको उस समय सहायता उपलब्ध कराई गयी। उसके साथ-साथ जो एस.ई.सी.एल.

के मकान हैं, उसमें 18 मकानों को प्रशासन की तरफ से और विधायक जी की मौजूदगी में देने की बात हुई। वहां पर 11 लोगों को चाबी दी जा चुकी है और बाकी 7 लोगों को भी मकान दिया जायेगा।

श्री अरुण वोरा :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 18 मकानों में दरारें आ गयीं। यह आपने स्वीकार किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- हाथ में दूसरा कागज है क्या ?

श्री अरुण वोरा :- जी।

श्री अजय चंद्राकर :- दूसरा कागज तो नहीं है ना।

श्री अरुण वोरा :- ध्यानाकर्षण का ही कागज है। आपको अभी भी शंका होती है।

श्री कवासी लखमा :- अलग से नहीं रखते हैं।

श्री अरुण वोरा :- धर्मजीत भाई, उनको आपके विशेष सलाह की जरूरत है। वैसे तो वे खुद अनुभवही हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- पढ़ते-पढ़ते अटक गये थे।

श्री अरुण वोरा :- मैं कहां अटका हूं। मैं तो उसको देख रहा था। सभापति महोदय, हमेशा मेरा ध्यान भटका देते हैं। मैं पूरी तन्मयता से प्रश्न करना चाहता हूं और आप मेरी तन्मयता को भंग करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अजय जी, एक बात है। अरुण जी जब खड़े होते हैं या तो आप उनको छेड़ते हैं, इसमें क्या चीज है जिसमें आप छेड़ते हैं। (हंसी) दूसरी बात, वे कह रहे हैं कि आप उनकी तन्मयता भी भंग कर देते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- वे सब काम को तन्मयता होकर करते हैं। आप हर काम को तन्मयता से करते हैं ना।

श्री अरुण वोरा :- पूरे हर काम को करते हैं, पूरी ईमानदारी से और तन्मयता से करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- घर में भी जो करते हैं, वह तन्मयता से करते हैं।

श्री अरुण वोरा :- पूरी ईमानदारी से करते हैं। वहां भी कोई बेईमानी नहीं।

श्री अमरजीत भगत :- पहले ऋषि मुनि लोग ध्यान मुद्रा में रहते थे तो अगर कोई उसको ध्यान भंग करता था तो उसको श्राप दे देते थे, भैया देख लेना।

श्री धर्मजीत सिंह :- बाबा रामदेव टाईप पूरा तनमय होकर काम करते हैं। (हंसी)

सभापति महोदय :- अपना प्रश्न करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- रामदेव बाबा के कोरोनील खा लिये क्या ? (हंसी)

श्री अरुण वोरा :- रामदेव बाबा के कोरोनील को मान्यता मिल गयी क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- छोड़ हटाओ, यहीं बंद कर दो, क्या पूछोगे, घर में पूछ लेना।

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 18 मकानों में दरारें आ गयी हैं, इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उक्त घटना के पश्चात् प्रशासन द्वारा सभी परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है और 65 हजार रुपये की राशि राज्य आपदा मोचन विभाग के द्वारा दे दी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो 18 परिवार को 65 हजार रुपये दिये गये हैं, ये पूरे 18 परिवार के लिये हैं कि प्रत्येक एक परिवार को कितनी राशि दी गयी है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मकानों में दरारें आई हैं। उसमें पूर्ण रूप से क्षति नहीं हुई है। उसका जो निर्धारित मुआवजा है उसमें अलग-अलग राशि है, अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ, एक-एक व्यक्ति की बताऊँ..।

श्री अरूण वोरा :- अलग-अलग दिया गया है। एक परिवार को कितना है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हां, अलग-अलग दिया गया है। उसमें 15 प्रतिशत की जो क्षति हुई है, उसमें अलग-अलग है। इसमें कुछ लोगों को 5200 के हिसाब से और कुछ लोगों को 3200 रुपये के हिसाब से दिया गया है। टोटल 65,600 रुपये हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि एस.ई.सी.एल द्वारा 11 परिवारों का मकानों की चाँबी दे दी गई है। लेकिन मेरी वहाँ के लोगों से चर्चा हुई और जैसा मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है, विधायक जी से भी चर्चा की, तो चाँबी तो दे दी गई लेकिन जिन मकानों की चाँबी दी गई है, वह मकान इंसानों के रहने लायक नहीं है। वे मकान काफी कबाड़ हालत में, खस्ता हालत में हैं। अगर वे लोग वहाँ जाकर रहते हैं तो वहाँ फिर से दुर्घटना हो सकती है। तो आपने इसके लिए क्या इंतजाम किया है ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय, देखिये वह एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत है। उन लोग अतिक्रमण करके झोपड़ी या मकान बनाये हुए थे, जिसमें दरार आई है। उसमें विधायक जी की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में एस.ई.सी.एल. प्रबंधन और महापौर जी ने मिलकर बैठकर फैसला किया। जहाँ तक 18 मकानों की चाँबी देने की बात हुई तो 11 परिवार मकानों का चाँबी ले चुके हैं बाकी 7 परिवारों को दे दी जायेगी। उनको नया मकान बनाकर देने का नहीं कहा गया है और न ही उस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि उसमें नया मकान दिया जायेगा।

डा. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, चूँकि यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है और चिरमिरी में जन्मभूमि है। इसलिए मैं चाहूँगा चिरमिरी के लिए यह एक गंभीर मुद्दा है। मैं इसमें थोड़ा सा समय चाहूँगा। अभी माननीय मंत्री जी का जवाब आया है महवा, दफाई में भू-स्खलन की वजह से 18 परिवारों के मकानों में दरारें आ गई हैं। ये 18 परिवारों के मकानों में नहीं, जिन 18 परिवारों के मकान हैं, उसमें कुछ-कुछ क्षति हुई है। लेकिन वहाँ रहने वाले कुल 40 लोग हैं। उनका वैकल्पिक रूप से विस्थापन शिशु मंदिर में किया गया है, आगे के लिए एस.ई.सी.एल. ने व्यवस्था

की कि एस.ई.सी.एल. के जो मकान खाली हैं, उनको अस्थाई रूप से रहने दिया जाये। लेकिन पूरा चिरमिरी एरिया कोल बियरिंग एरिया है, एस.ई.सी.एल. का एरिया है, जो सीधे-सीधे भारत सरकार के कोल मंत्रालय से संचालित होता है। पिछले 100 सालों से हमारा चिरमिरी एरिया कोयला के रूप में उर्जा का प्रवाह कर रहा है। मैंने पहले के सत्र में 10 हजार करोड़ रुपये का अशासकीय संकल्प लाया था, जिसे पूरे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया था। आखिर वह ऐसा एरिया, जिसका पिछले 100 सालों में बसाहट हो चुका है और वहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, वहां लोग बसे हुए हैं। वहां 100 सालों में अधोसंरचना का निर्माण हो गया है, रोड, नाली बन गये हैं।

सभापति महोदय :- लेकिन आप प्रश्न करिये न।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मेरा इसी में प्रश्न भी है। मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि आज चिरमिरी की स्थिति यह है कि वहां 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, एस.ई.सी.एल. ने बेतरतीब तरीके से कोयले का उत्खनन किया है। वैसे यह जो मामला है, केवल एक छोटे से मोहल्ले का मामला है। लेकिन पूरे चिरमिरी में लोग बसे हुए हैं, ज्वालामुखी के ऊपर बसे हुए हैं। अंदर पूरा आग लगा हुआ है और कहीं न कहीं ...।

सभापति महोदय :- प्रश्न में आईये।

डॉ. विनय जायसवाल :- जी, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मुझे बोलने के लिए इसमें थोड़ा समय दिया जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आप प्रश्न बाद में पूछवाईये, वहां की जो दुर्दशा बता रहे हैं, जो तकलीफ है, सही मायने में चिरमिरी में वही है। अंदर से आग निकल रहा है अंदर खोखला हो गया है। प्रश्न तो एक ही पूछेंगे, लेकिन जो दुर्दशा है, कम से कम उसको तो आने दीजिये।

सभापति महोदय :- पूरी बातें आ गई है। अब सीधा प्रश्न करिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह विषय आज इस सदन में आया है तो आपकी तरफ से, मंत्री जी की तरफ से कोई एक ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें चिरमिरी का स्थाई निराकरण हो सके। वहां के कोल माईंस में पहले लगभग 25 हजार कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि साढ़े तीन हजार के आसपास लोग काम कर रहे हैं। आज लोग एस.ई.सी.एल. के मकान में बसे हुए हैं। लेकिन उनको कहते हैं कि अवैध रूप से बसे हुए हैं। जो लोग 35-40 साल से रह रहे हैं, उनको भी लोग अवैध बोल देते हैं कि उनकी वैधता क्या है ? हम उनको किस तरह से पट्टा दे सकते हैं ? अभी जो घटना घटी है, उसमें माननीय मंत्री जी मेरी से मांग है, आपका जो वक्तव्य आया है कि 11 मकान एस.ई.सी.एल. के द्वारा दे दिया गया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि परिपत्र 6(4) के अन्तर्गत 65 हजार रुपये आपदा मोचन की राशि दी है, इसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि पूरे के पूरे 40 परिवारों के मकान अब किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि उनका

मकान जमीन के अंदर धंस गया है। तो आप इसको संपूर्ण क्षति मानिये। मैं इसमें एक विशेष मांग करना चाहता हूं कि संपूर्ण क्षति मानते हुए पूरा मुआवजा, परिपत्र 6(4) के अन्तर्गत सवा लाख, डेढ़ लाख का मुआवजा होता है। आपके द्वारा यहां घोषणा की जानी चाहिए कि वह मुआवजा प्रत्येक परिवार को मिले। दूसरी बात की जो एस.ई.सी.एल. द्वारा डिक्लेयर करके वहां का पूरा कोयला निकाल लिया गया था और 25 साल पहले वहां पर 40 परिवार आकर बस गये। एस.ई.सी.एल. की बड़ी गलती थी कि उनको वहां क्यों बसने दिये और यदि वहां वे पिछले 25 साल से बस गये हैं तो जो एस.ई.सी.एल. का मुआवजा होता है कि यदि कोई वहां बसा हुआ है और उसकी बसाहट को हटाकर यदि वहां से कोयला निकालते हैं तो उसमें एस.ई.सी.एल. का जो मुआवजा देने का नियम है वह मुआवजा आप एस.ई.सी.एल. से दिलाने की आप कृपा करें। जो खदान बंद हुई थी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- विधायक जी, आप उसमें प्रश्न कर लीजिए ना, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। अब उसकी पूरी हिस्ट्री बतायेंगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, एस.ई.सी.एल. के ऊपर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए क्योंकि कोल माईनिंग का जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं हुआ है। अंडरग्राउंड माईन्स में रेत भरकर उस माईंस को बंद किया जाना चाहिए था लेकिन एस.ई.सी.एल. ने उसमें लापरवाही की है इसलिए माननीय मंत्री महोदय आपको एस.ई.सी.एल. के ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करना चाहिए।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जो मुआवजा राशि दी गई है, जो निर्धारित है वही राशि दी गई है। उसको एक लाख, सवा लाख रुपये देना सिर्फ दरारें जो आई हैं उसमें प्रावधान नहीं है। उनको प्रावधान के मुताबिक राशि दी गई है। रही बात की जो टोटल अव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि उसमें 100 साल से जमीन ली गई, तो वह जमीन एस.ई.सी.एल. की है। राजस्व और वन विभाग से आज से 50-100 साल पहले जो भी जमीन आवंटित हुई होगी तो उसमें यदि जमीन वह वापस करते तो उसका अलग व्यवस्थापन हो सकता था क्योंकि कोरबा क्षेत्र में भी यह स्थिति है। कोरबा में करीब 1200 एकड़ जमीन एस.ई.सी.एल. ने वापस की थी। यदि आप चाहेंगे तो हम एस.ई.सी.एल. प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर लेंगे। आपकी बैठक जी.एम. के साथ हुई होगी, डायरेक्टर या सी.एम.डी. के साथ एक बैठक कर लेंगे, उनको बुला लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हालांकि ये ध्यानाकर्षण मेरा नहीं है, यदि आप अनुमति देंगे तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- ठीक है दे रहा हूं। जायसवाल जी, आप सीधा स्पेशिफिक प्रश्न कीजिए ना।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप विधानसभा स्तर की एक कमेटी का गठन करें और जितनी भी, जो भी इस तरह की समस्या है उसे एस.ई.सी.एल. के साथ मिलकर और राज्य सरकार का जो मामला है दोनों मिलकर हम उसका एक निराकरण कर सकें? यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ।

समय :

1:18 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूँ। वहां कोयले का काम तो करीब-करीब खत्म हो गया। कोयला निकल चुका है। एस.ई.सी.एल. को जमीन छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सरकार ने दिया है, कोई कोयला वाले बाहर से नहीं लाये हैं। वह एस.ई.सी.एल. के लोग सबसे ज्यादा दो विभागों से डरते हैं। एक तो रेवेन्यू से और उससे भी ज्यादा वन विभाग से डरते हैं। आप दोनों विभाग उनसे बात करिये कि आपके काम का जमीन नहीं है, वह जमीन उनसे वापस ले लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड गया था। क्वींसटाउन सिटी से करीब-करीब मिलता-जुलता चिरमिरी है। हिली एरिया है, बहुत सुंदर है। और ये पहला शहर है जिसकी आबादी कम हो रही है अन्यथा पूरे छत्तीसगढ़ में गांव में भी आबादी बढ़ रही है और शहर में भी आबादी बढ़ रही है। चिरमिरी एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी कम हो रही है। तो सी.एस.आर. का मद भी है। जमीन हमारी है उसको वापस ले लीजिए और वह एक सुंदर हिल स्टेशन बन सकता है। यदि आप उसको क्वींसटाउन सरीखे चाहें तो वह बन सकता है और राजा साहब वहां के रेस्टहाऊस में रुके भी हैं। आप वहां लेदरी में रुकते हैं ना तो लेदरी का रेस्टहाऊस कितना बढ़िया पहाड़ी में है कि वहां से पूरा चिरमिरी दिखता है। तो इसे गंभीरता से लीजिए क्योंकि अगर हम अच्छी पहल करेंगे तो एक बहुत सुंदर बसा-बसाया शहर हमको मिल सकता है और अब जमीन एस.ई.सी.एल. के किसी काम का भी नहीं है। उनका मालिकाना हक थोड़ी हो गया है, जमीन तो हमने ही कोयला निकालने के लिए दिया है। वह जमीन वापस ले लीजिए और एक वहां एक अच्छा शहर व्यवस्थित कराईये, आबादी बढ़ाईये, सुविधा दीजिए और वह एक हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध हो सके इस दिशा में आप प्रयास करेंगे क्या और सी.एस.आर. मद से चिरमिरी शहर को बनाने के लिए कोल इंडिया से आप बात करेंगे क्या?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो धर्मजीत सिंह जी ने कहा, वह तो एक अलग मैटर है बाकी डॉक्टर साहब ने जो बातें कहीं, उसमें हम यह कह सकते हैं एसईसीएल के जी.एम. के साथ इनकी बैठक हुई। इन्होंने मकान की चाबी दिलवाई, वह हो चुका है। ठीक है उसमें और क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है एसईसीएल क्या कर सकते हैं, जमीन वापसी की जो भी बात है तो हम

एसईसीएल के उच्च अधिकारियों को बुला लेंगे, उसमें वहां की सांसद भी मौजूद रहेगी, विधायक जी भी मौजूद रहेंगे, इनकी धर्मपत्नी महापौर हैं, वह भी साथ में रहे। उनके साथ बैठक कर लेंगे। बैठक करके जो अच्छे से अच्छा हल निकल सकता है, उस पर चर्चा कर ली जाएगी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट इसी विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है कि जो खदानों में खुदाई पूरी हो जाती है उसका रिक्रियमेशन होना चाहिए और इसको खनिज विभाग देखता है। वहां पर एसईसीएल ने खदानें खोद लीं, परंतु उसका रिक्रियमेशन नहीं किया, जिसकी बात करके रेत भरना चाहिए, यह भरना चाहिए तो उसके लिए अगर आप उनको टाईट करेंगे। भविष्य में ऐसी दरार नहीं आये, वहां की और आबादी को खाली न करना पड़े इसके लिए पूरा सर्वे करकर, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं करवाई जानी चाहिए, इसके लिए राजस्व विभाग सक्षम है। उनको निर्देश दे सकता है तो इसका पूरा सर्वे हो और सर्वे होकर रिक्रियमेशन हो और भविष्य में ऐसी दरारें नहीं आये। लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार उनको निर्देशित करे, बाध्य करे। क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बुला लेंगे। वहां की सांसद, विधायक को एक साथ बैठा लेंगे। मितिंग कर लेंगे और जो-जो भी इनके प्वाइंट हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। सांसद जी से भी पूछ लेंगे कि उनकी जो-जो भी मांगें हैं उन्होंने भी मुझे फोन करके बोला था कि इसको देखना है यह गंभीर विषय है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। सी.एस.आर. मद से 100 करोड़ रुपये उस चिरमिरी के लिए लीजिए जो 60-70 सालों से देश को कोयला दे रहा है। वह एसईसीएल करोड़ों रुपया कमाता है। आप 100 करोड़ रुपये मांगिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम मांगेंगे जो भी बोलेंगे, वह मांग लेंगे। उनसे बात करेंगे। मैं बोल तो रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप 100 करोड़ रुपये मांगिये और दबाव डालकर मांगिये। 100 करोड़ रुपये लीजिए और चिरमिरी का विकास कराईये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी दे दूँ कि केन्द्र सरकार ने सी.एस.आर. मद का पैसा ले लिया है, यह आपको मालूम है या नहीं?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं देती है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह देती नहीं। केन्द्र सरकार ने सी.एस.आर. मद का पैसा अपने पास बुला लिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। सी.एस.आर. मद से संस्थान देते हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं सुनिये। जो पैसा सी.एस.आर. मद का पैसा पहले जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर उनके क्षेत्रों में उपयोग होता था।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाद में राज्य सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और अब केन्द्र सरकार ने सी.एस.आर. मद का पैसा अपने पास बुला लिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलिये आप केन्द्र सरकार से मांगने का प्रयास करिये। आप केन्द्र से मांग लीजिए और यहां से एक प्रस्ताव पास करके भेज देते हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमन उनसे बात करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां जरूर करिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर मिटिंग करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिरमिरी का विकास होना चाहिए, वह शहर गिर रहा है उसको उठाना है और बचाना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, केवल मिटिंग करने की बात करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए राज्य सरकार के पास में अधिकार है। आपको उनको बाध्य करना पड़ेगा। अगर आप उनकी एक माईन्स भी बंद करवा देंगे तो वह सब व्यवस्था करेंगे। कोई सी.एस.आर. मद की व्यवस्था की बात नहीं है। वहां के लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहीं तो मैं बोल रहा हूँ। वहां के विधायक मौजूद हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। पर्यावरण क्लियरेंस राज्य सरकार देती है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। हम मिटिंग करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार एक का पर्यावरण क्लियरेंस नहीं दें।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम मिटिंग करेंगे, अगर वह किसी चीज को डिनाई करते हैं उसके बाद तो कुछ करेंगे, पहले ही टाईट कर देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों की जीवन की रक्षा करने का अधिकार हमारा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको बुलाने तो दीजिए। हमने कोरबा में भी उनसे पैसा लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत सारा उत्तर आ गया है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोर ये सुझाव है कि ये सब के लिए पूरा अभी तक एक ठोक चलत आवत है नियम बने है कि कोई गरीब आदमी के घर धुका के घर हा उड़िया जथे। पानी गिरथे ता भितरी हा फूट जथे। हमन गरीब ला मुआवजा मिलही कहत रहथन, लास्ट में मुआवजा मिलथे एक ठन बांस के बल्ली। एक ठन काड़ तो मोर आपसे निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से सबो से निवेदन करत हों कि इहां हमर राजस्व मंत्री है, हमर महाराज संसदीय कार्यमंत्री बड़ठे है, राजा साहब भी बड़ठे है, मोर यही कहना है कि एक ठन अइसे होना चाहिए कि गरीब आदमी जे ए सोचथे कि हवा पानी गिरे है मोर घर हा फूट गे है, मोर घर उड़िया गे है मोला मुआवजा मिलही। एक ठन बांस हा ओला मिलथे। मोर आपसे निवेदन है कि एक ठन अइसे संसोधन किये जाए कि वह गरीब आदमी के घर बन जाये, वह खपरा के छानी उड़िया रहिथे ते हा बन जाये। ये बल्ली सल्ली मिलतथे तेला थोड़ा बढ़ा दिया जाये। सब के बढ़त जाथे। गाड़ी मोटर के भाव बढ़ गे। सब के भाव बढ़त है लेकिन गरीब आदमी ला वही बल्ली मिलथे। आपसे निवेदन है कि एकर लिये विचार किया जाये।

समय :

1:25 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

01. श्री सौरभ सिंह
02. श्री नारायण चंदेल
03. श्री कुलदीप जुनेजा
04. श्री आशीष छाबड़ा
05. श्री धरमलाल कौशिक

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय :

1.26 बजे

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

"माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय :- अब श्री शैलेश पांडे सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा करने के लिए सर्वप्रथम खड़ा हुआ हूँ। यह पहली जवाबदारी है, दो-ढाई साल बाद पहली बार पहले वक्ता के रूप में कुछ बोलने का अवसर मिला है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पक्ष विपक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम करता हूँ और अपने साथियों का सादर अभिवादन करता हूँ। चूंकि पहला वक्ता हूँ, इसलिए अपनी बात को थोड़ा विस्तार से रखूंगा। सेवाजनत और सरोकार, ऐसी है हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। प्रदेश की सर्वाधिक जनता ने 68 सीटों से हमारी सरकार को बहुमत दिया। यह जो विश्वास पूरे प्रदेश की जनता ने दिखाया, यह विश्वास लगातार बढ़ा। हम 68 सीटों के बाद 69 भी हुए और 69 के बाद हम 70 भी हुए। ऐसा छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं हुआ, अगर 70 सीटों में ऐतिहासिक फैसला जनता देती है और जनता का इतना विश्वास है तो यह एक बड़ी चुनौती भी होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में क्या-क्या होता रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब प्रदेश की बागडोर संभाली, तब उस वक्त उनके सामने क्या-क्या चुनौतियां थीं? आपको याद होगा कि हमारे शिक्षकों को सड़कों पर डंडे मारे जा रहे थे, नर्सों, मेडिकल स्टाफ को भी डंडे मारे जा रहे थे और महिलाओं को जेल में बंद किया जा रहा था। 27 हजार बेटियां पूरे प्रदेश से गायब थीं। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे थे और लगभग 23 हजार बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे थे। लोकतंत्र की आवाज विपक्ष हुआ करता था, उस विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता था। हमारे बहुत सारे नेता विपक्ष का काम करते थे, जनता की आवाज उठाते थे। आज वह काल के गाल में चले गये हैं। ये इनका शासन था। बहुत सारे नेता जेल में बंद कर दिये गये। माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रदेश के मुखिया हैं, उनको भी जेल में डाला गया। इतना ही नहीं, बहुत ही लज्जाजनक कार्य हुआ कि उनकी माताजी जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनको और उनकी धर्मपत्नी जो

हमारी माता समान हैं, उनको भी थाने में बिठाया गया। यह इनकी सरकार में हुआ। विपक्ष की जो आवाज थी, विपक्ष के लोग जेल में हुआ करते थे या व विपक्ष के लोग फरारी काटते थे या लहुलुहान होकर बैठे रहते थे। यह इनकी सरकार में होता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों को न हम भूले हैं और न हमारी प्रदेश की जनता भूली है। इन स्थितियों में हमारी सरकार आई। जब हमारी सरकार आई तो चुनौतियां कम नहीं थीं। पहले साल हमने लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और हमारे पंचायत के चुनाव निपटाये। दूसरा साल जब आया तो चुनौतियां और बढ़ गईं और कोरोना का काल आ गया। पूरे विश्व की जो महामारी थी, पूरे विश्व की महामारी में, पूरे कोरोना काल में आप जानते हैं कि क्या-क्या हुआ। पूरा प्रदेश सुलग रहा था, कौन बचेगा? कौन नहीं बचेगा? यह कोई नहीं जानता था। न कोई काम पर जाता था, न कोई स्कूल पढ़ने जाता था, न कॉलेज जाता था, न कोई अपने धंधे में जाता था, कहां से काम करते? सबकी जान के लाले पड़े हुए थे। यह स्थिति थी, जब हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया, हमारी सरकार ने सेवा करना शुरू किया। इतनी भयानक कोरोना काल की स्थिति थी, मैं सबसे पहले अपने शिक्षा विभाग की बात करना चाहूंगा कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अगुवाई में और हमारे डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में पिछले एक साल में क्या काम किया? आप यह जानते हैं कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बाधित हो चुकी थी, पूरे प्रदेश के जो बच्चे थे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा था, इसकी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को थी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को थी। उन्होंने पढ़ाई तुंहर द्वार कार्यक्रम को चालू किया और इसके माध्यम से हमारी सरकार ने 22 लाख बच्चों को इसके ऐप के माध्यम से, लगभग 2 लाख शिक्षकों के माध्यम से आनलाईन शिक्षा देना शुरू किया, यह हमारा प्रयास था। हमने यह प्रयास किया, क्योंकि उस समय पढ़ाई का कोई सीन ही नहीं था। सर्वप्रथम हमारा यह कर्तव्य था कि लोगों की जान बचे, लगभग 3 करोड़ जनता की जो जिम्मेदारी थी वह माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हाथ में थी और यही हमारी सरकार का सबसे पहला कर्तव्य था।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्री शैलेश जी, आप यह जो सारी बातें बोल रहे हैं यह भय के कारण तो नहीं बोल रहे हैं? कि कॉलर पकड़कर लोगों ने खींचा, चमकाया, वह भय के चलते यहां स्तुतिगान तो नहीं हो रहा है, आप पहले यह स्पष्ट कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मुनव्वर फारसी शायर हुआ करते थे, उनकी एक शायरी है :-

“औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी,

औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी,

और अपने गिरेहबान में झांका नहीं करते । ” (मेजों की थपथपाहट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि पढ़ई तुंहर द्वार एप के माध्यम पढ़ाई कराई गई । दूसरी बात कि ऑनलाईन कक्षाएं हमने चालू कीं, न जाने कितने बच्चों के पास मोबाईल था, प्रदेश के किन परिवारों में मोबाईल था यह कोई नहीं जानता था ? लेकिन हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि हम कैसे बच्चों का भविष्य बचा सकें । उस प्रयास के माध्यम से हमने लगभग 39 लाख ऑनलाईन कक्षाएं चालू कीं जिसमें हमने 18 हजार से ज्यादा ऑडियो, 1 हजार से ज्यादा वीडियो, 11 हजार से ज्यादा फोटो और 2700 कोर्स मेटल यह सब हमने ऑनलाईन दिया ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वह अंधकार में न रहे । मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो कि और भी बहुत जरूरी है कि हर जगह इंटरनेट नहीं था लेकिन उसके बाद भी पढ़ई तुंहर द्वार, तुम्हरे पारा के माध्यम से वहां भी पढ़ाने का प्रयास किया । हमने इंटरनेट तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से, बुल्टू के बोल माध्यम से हमने हर जगह कोशिश की कि हमारे प्रदेश का जो बच्चा है, जो प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायरसेकेण्डरी स्कूल में पढ़ता है वह पढ़ाई कर सके । इसके लिए हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया और यह साहस अगर किसी सरकार ने दिखाया है तो वह माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिखाया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय शालेय शिक्षा में गुणवत्ता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल था, डॉ. रमन सरकार के संरक्षण में प्रदेश में शिक्षा की दुर्दशा और अविश्वसनीयता बढ़ती रही थी । ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने 16 हजार शिक्षकों का संविलियन किया और हमारी सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी जिससे कि हम गुणवत्तायुक्त शिक्षा को दे सकें । (मेजों की थपथपाहट) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि हमारा केवल यही उद्देश्य नहीं था बल्कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षकों का सम्मान नहीं किया जाता था, जिनको लाठी से मारा जाता था, हमने उनके नाम से शिक्षाकर्मी का नाम हटाया और उनको नियमित शिक्षक देकर हमारी सरकार ने उनका सम्मान किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शैलेश जी, इधर-उधर जितना हाथ-फैंक लो, गुड बुक में नहीं आओगे । कोशिश कर लो लेकिन आओगे नहीं । जिसने भी आपके साथ किया है वह मालूम है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसने किया, वह पूरा प्रदेश जानता है ।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं । एक शायर हैं फैज़ जौनपुरी । वे लिखते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 4 जनवरी को शर्ट पहने थे या बंगाली ?

श्री शैलेश पाण्डे :- आप शायरी भी तो सुना करिये । बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती यानी कुरुद । बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज भी उठाओ तो जानें । आप कुरुद की बात नहीं करते हो और बाकी सब बातें करते हैं । आप इधर भी करते हैं, उधर भी करते हैं और सब जगह घुस जाते हैं। आपने क्षेत्र की बात भी किया करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में शिक्षा विभाग ने की, कि हमने स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की । हम यहां लगभग 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं । इन सब बातों से हमारे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात आपकी सरकार के सबसे पहले अभिभाषण में है । अभी दो साल गुजर चुके हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके शासनकाल में 3 हजार स्कूलें बंद हुईं । ये इनकी शिक्षा के प्रति सोच थी । शिक्षा के प्रति गंभीरता थी । आउटसोर्सिंग के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे थे । 2014-15 में हमारे शासकीय स्कूलों में 21 लाख बच्चे पढ़ते थे । इनके शासनकाल में 2017-18 में 18 लाख पहुंच गए, यानी करीब-करीब 3 से 4 लाख बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बागडोर संभाली, उसके पहले और इनकी बातें बताता हूँ । गरीबों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने का शिक्षा का अधिकार, दिला पाने में पूर्ववर्ती सरकार अक्षम रही । गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, इधर-उधर भटकते रहते थे, कहीं दाखिला नहीं मिलता था । इनकी सरकार में मॉडल स्कूल खोले गए, उन मॉडल स्कूलों को ये चला नहीं पाए। उसके बाद उनको ठेके में दे दिया, ठेके में देने के बाद आज वे स्कूलें करोड़ों रूपए फीस वसूल रही हैं । लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को, छत्तीसगढ़ के मासूम लोगों को, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आज भी वहां दाखिला नहीं मिलता । ये इनकी शिक्षा विभाग की अक्षमता थी । आप भी पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, आपने बयान दिया था कि सरकार बच्चे नहीं पैदा करती है । इतना बड़ा-बड़ा छपा था । ये पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, क्या इनको ऐसा बयान देना चाहिए था ? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। यह इनकी गंभीरता थी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं विधायक बना तो पहली बार विधायक बना, ठीक है । मैं बताता हूँ कि जब मैं विधायक बना तो विधवा, परित्यक्ता अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आती थीं, गरीब आदमी अपने बच्चों के साथ खड़ा हो जाता था । वे कहते थे कि हम अपने बच्चों की प्रायवेट स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं । विधायक जी, हमारे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए । एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे हजार बच्चे मेरे घर आए । मैं आपको और इस सदन को बताना चाहता हूँ कि मैंने विधायक बनने के बाद 2019 में जिला शिक्षा अधिकारी को और प्रायवेट स्कूलों को 1 हजार पत्र लिखे कि उन बच्चों की फीस को कम किया जाए या इन बच्चों की फीस माफ की जाए । जिला शिक्षा अधिकारी ने भेजा और मैंने भी भेजा । यह दर्द था मेरे अंदर कि हमारी

सरकार है और मैं विधायक हूं तो हमारे क्षेत्र की सेवा कर सकूं। यहां के ऐसे बच्चे जिनकी माता नहीं है, जिनके पिता नहीं हैं, जो गरीब हैं कैसे उनको अंग्रेजी मीडियम में गुणवत्ता की शिक्षा दिला सकूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मैंने इस बात का निवेदन शिक्षा मंत्री जी से किया, मैंने जाकर इस बात का निवेदन अधिकारियों से किया। हमारी सरकार ने अगर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम किया है तो वह 52 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलकर किया है। इन इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में गरीब बच्चा पढ़ सकता है। आज हमारे शहर में 3 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को, शिक्षामंत्री जी को और पूरे मंत्रिमंडल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात को सोचा, गरीब के लिए सोचा, उस व्यक्ति के लिए सोचा जो वहां जाकर पढ़ सकता है। यही बच्चे यहां पढ़कर इस देश का और प्रदेश का नाम रौशन करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात उच्च शिक्षा की बताना चाहता हूं, चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाला बदल दिये हैं लगता है। पाण्डे जी, पाला बदल लिये हैं लगता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- इसलिए उच्च शिक्षा को पहले लेता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब इनकी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी तब शासकीय कॉलेजों में प्राध्यापकों के 525 पद स्वीकृत थे और 525 खाली थे। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के 66 पद स्वीकृत थे और 50 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त सहायक प्राध्यापक कुल पद स्वीकृत 3436 से 1214 रिक्त थे। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 741 स्वीकृत पद थे। 376 रिक्त थे। आई.टी.आई. में कुल 2244 पद विरुद्ध 1582 पद रिक्त थे। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में कुल स्वीकृत 140 पद थे, इसके विरुद्ध केवल 5 पदों में नियुक्तियां हुई थीं। 635 रिक्त थे। ट्रीपल आई.आई.टी., रायपुर में कुल स्वीकृत 156 पद थे। 111 पद रिक्त थे। शासकीय पॉलिटेक्निक में कुल 2593 पद थे, इसमें 1720 पद रिक्त थे। बहुत दुख की बात है। देश के टॉप विश्वविद्यालयों में राज्य का एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। ये 15 साल की इनकी उपलब्धि थी। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में 47 प्राचार्य के पद थे। केवल एक प्राचार्य इनके पास रेग्यूलर हुआ करता था। संपूर्ण संभाग में उच्च शिक्षा भगवान भरोसे चल रही थी। इनकी ये स्थिति थी। मैं आपको और बताता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी, आपने रिक्त पद बता दिया। कितने भरे थे ये भी तो बता दो। सवा दो साल में कितने भरे हैं, आप यह बता दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलने दो न। उन्हें बोलने दो।

श्री शैलेश पाण्डे :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रदेश के संचालित 216 महाविद्यालयों में 106 प्राध्यापक थे और 487 पद सहायक प्राध्यापक के थे और 1526 पद सहायक प्राध्यापक के रिक्त थे। यह स्थिति इनके शिक्षा विभाग की थी। हमारी सरकार आयी और हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे युवा ऊर्जावान तकनीकी रूप से सक्षम

हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने इसकी बागडोर संभाली और इस प्रदेश की चिंता की और नियुक्तियां होने चालू हुईं। हमारी सरकार ने सबसे पहले कोविड की योजना में हमने 15 हजार से अधिक वीडियो, 400 से अधिक ऑडियो लेकर लेक्चर लेकर हमने प्रयास किया। हमने प्रयास किया कि कोविड के काल में हम बच्चों को हायर एज्युकेशनली और टेक्नीकली अच्छे से पढ़ा सकें। पूरे देश में यू.जी.सी. की जो गाइडलाइन है, उसका पूरे देश में मंथन हो रहा है। पूरे देश के युवाओं को कैसे पढ़ाया जायेगा। कैसे परीक्षा ली जायेगी। क्या किया जायेगा ? हम सब चीज झेल रहे थे। हमारा भी कर्तव्य था। आप हमारे साथ थे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे विरुद्ध थे, लेकिन इस कोरोनाकाल में हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले लाखों बच्चों का भविष्य बनाया और उनको उस समय भी इस प्रकार की पढ़ाई जो है, वह मुहैया करायी। इसलिए ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से हम लेक्चर पोर्टल के माध्यम से उनको कर रहे थे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कॉलेजों की कमी, प्रदेश में भटकते हुए छात्र-छात्राओं के लिए 32 नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले गये। ये हमारी उपलब्धि थी एवं 14 भवनों का निर्माण किया गया एवं 27 शासकीय नवीन महाविद्यालय, जिसमें 69 शासकीय महाविद्यालय, जिसमें 3780 यानी लगभग 4 हजार सीट हमने बढ़ायी। उच्च शिक्षा में जरूरत थी। हमने 4 हजार सीटें बढ़ायीं, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें। हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लगातार गिरता रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी इस बात के लिए चिंतित थे कि हमारे प्रदेश में..।

श्री सौरभ सिंह :- कितने शिक्षकों का कॉलेजों में पद भरा ? आप तो कॉलेज के ज्ञानी आदमी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। कितना पद भरा ?

श्री शैलेश पाण्डे :- जब मैं विधायक बना था तो आदरणीय सौरभ बड़े भैया दुबले थे विपक्ष में होने के बाद। आज दो साल में विपक्ष में हैं, लेकिन देखो उनका वजन माननीय नेता जी बढ़ गया है। (हंसी) यह सोचने की बात है।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- भविष्य में आपके पड़ोसी भी हो रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- आपका वजन क्यों घट रहा है ? यूनिवर्सिटी से कुछ संपर्क खत्म हो गया क्या ?

श्री शैलेश पाण्डे :- आप तखतपुर में क्यों रहने जाते हो ? आप तखतपुर में क्यों रहने जाते हो ? आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गिरता रहा, यह बात सोचने की है और चिंतन करने की है। ऐसे शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने इस इनरोलमेंट रेशियो को कैसे बढ़ाया जाये, उसके लिए 4000 सीटें बढ़ायीं ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें। इसके अलावा हमने नियुक्तियां शुरू की। हमने 56 ग्रंथपालों की चयन सूची जारी की, जिससे लाइब्रेरियन नियुक्त हो सके। हमने 61 पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की। हमने सहायक प्राध्यापकों की कमी से

जूझते हुए 1384 रिक्त पदों पर भर्तियां चालू की और बहुत जल्दी हम इनकी पदस्थापना करने वाले हैं। हम शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की गुणवत्ता की थी। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो मानक संस्था है, उसका नाम है- NAAC । (National Assessment and Accreditation Council (NAAC) इस NAAC की संस्था का हमने निरीक्षण करवाया, हमने टीम गठित करवाई और हमने प्रदेश के सारे महाविद्यालय, सारे विश्वविद्यालयों को कम्पलसरी किया कि अगर आपको आगे पढ़ना है तो आपको NAAC का Accreditation लेना होगा और यह हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को किया। यह शिक्षा की गुणवत्ता का पैमाना होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूसा (Rusa) की अधोसंरचना विकास में जो रूसा से पैसा आता है, वह विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। वह महाविद्यालयों को दिया जाता है। उससे हमने बहुत सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेव्हलपमेंट किया, हमने उनके लिए लेक्चर हॉल बनाया, हमने उनके लिए आडिटोरियम बनाया, हमने उनके लिए खेलकूद की सुविधाएं दीं और हमने उनके लिए हॉस्टल बनवाने के लिए काम किया। यह सारा पैसा हम रूसा से ले रहे हैं, जिससे हम प्रदेश की उच्च शिक्षा में अधोसंरचना बढ़ा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के लिए दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि खेल विभाग, खेल विकास प्राधिकरण, जो छत्तीसगढ़ में खेल हुआ करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेसबास संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बेसबाल, जो बच्चे खेलते हैं, विदेशों में जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुरस्कार लेकर आते हैं। जब मैं अध्यक्ष था, तब जाता था, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया जाता था। बच्चे चंदा मांगकर जाते थे, मैं इसीलिए बार-बार प्रश्न लगाता हूँ कि मुझे जानकारी दें, मंत्री जी मुझे जानकारी बताते हैं। मैं इसीलिए प्रश्न लगाता हूँ क्योंकि मैं उन बच्चों को चंदा मांग-मांगकर, भीख मांग-मांगकर उन बच्चों को विदेश भेजता था कि यह बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, ये जाकर खेलें। इनको सरकार अनुदान नहीं देती थी, सरकार कोई पैसा नहीं देती थी। न खेलों के लिए पैसा देती थी, न खिलाड़ियों को पैसा देती थी, यह स्थिति थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए खेल विकास प्राधिकरण बनाया कि हम खेलों का विकास करेंगे, हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के खेल की प्रतिभाएं हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा मंच मिल सके, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार वादा करने के बाद भूलने वालों की सरकार नहीं है। राजस्व मंत्री जी यहां पर आए हैं। हमारे दमदार मुख्यमंत्री जी और दमदार राजस्व मंत्री जी, दोनों यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता परेशान रहती थी, शहरी क्षेत्रों में तो तहसीलें

खुली हुई थीं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक इकाईयों की बहुत कमी थी। प्रशासनिक इकाईयों की कमी को देखते हुए जनता दूर जाती थी, आज जमीन का छोटा मामला है तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार का आफिस ही नहीं है। कितनी तहसीलें नहीं खोली गईं, क्यों? क्योंकि आप हर बार 44 सीट, 46 सीट या 48 सीट में आ जाते थे, बाकी सबको आप अपना मानते ही नहीं थे, बाकी सबके साथ सौतेला व्यवहार करते थे इसीलिए आपने कभी भी नई तहसीलें नहीं खोलीं। जहां हम हार भी गए, जहां हमारे दल के विधायक भी नहीं हैं, वहां भी उस विधान सभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने तहसीलें खोली हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार ने 23 नई तहसीलें खोली हैं। मैं बताना चाहता हूं कि रायपुर जिले में खोरा, गोबरा नवापारा तहसीलें खोली गई हैं, धमतरी जिले में भखारा, दुर्ग में बोरी और भिलाई तीन में, राजनांदगांव में गंडई, बालोद में अर्जुदा, मुंगेली में लालपुर में तहसीलें खोली गई हैं। मुंगेली के विधायक और पूर्व मंत्री जी बैठे हुए हैं। मुंगेली जिले में दोनों सीटों पर हमारी हार हुई है, पर वहां पर नई तहसीलें दी गई हैं। जांजगीर-चांपा में सारागांव, बम्हनीडीह, बारद्वार, कोरबा में दर्री, हरदीबाजार, कोरबा में दरिमा, जहां एयरपोर्ट है। बलरामपुर, रामानुजगंज में रामचन्द्रपुर और सामरी, कोरिया जिले में केलहारी, सूरजपुर में लटोरी, जशपुर में सन्ना, सुकमा में गारीदास के साथ-साथ हमारे बिलासपुर में हमारी बहन के यहां भी तहसील बनाया गया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय पांडे जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, सुनकर अच्छा लग रहा है।

श्री मोहन मरकाम :- सुपर एक्सप्रेस है, रूकने वाला नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- एकचुअल में तो आज मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने राजस्व मंत्री का विकेट डाउन कर दिया।

श्री शैलेश पांडे :- उपाध्यक्ष जी, हमारे राजस्व मंत्री जी ने कोटा विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें खोली हैं। बेलगहना तहसील और रतनपुर को तहसील बनाया है। यह प्रशासनिक इकाईयां जनता को देखते हुए की गई हैं। हमने छत्तीसगढ़ में भेदभाव नहीं किया। 20 सालों से जनता की जो मांग हुआ करती थी, उसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन जी कह रहे हैं कि एक विकेट गिरा दिया। मैं इस सदन का नेता हूं, इसलिए सारे सदस्य मेरे अपने हैं। आप भी मेरे हैं। (मेजों की थपथपाहट) और वे भी मेरे हैं, सब मेरे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या है, आज पहली बार ईमानदारी से स्तुतीगान कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- बयान कर रहे हैं। आप सुनते नहीं।

श्री मोहन मरकाम :- क्या है कि आज जो सामने नेता बैठते हैं, उनको तो 15 साल सुने नहीं। हमारे नेता सुन रहे हैं।

श्री अरुण वोरा :- माननीय शर्मा जी, केवल शैलेश पांडे जी प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेशवासी माननीय मुख्यमंत्री जी की स्तुति कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रविन्द्र चौबे :- शिवरतन जी, आपको तो अच्छा लग रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि पूरे मेरे अपने हैं, आपके खुद के अपने आप को कभी अपने नहीं मानते। (हंसी) यह सुनकर आपको अच्छा लगा होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- महाराज जी, सुनिये तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं मुख्यमंत्री जी अपेक्षा भी रखता हूं कि वे सबको अपना माने।

श्री रविन्द्र चौबे :- लोकतंत्र का पूरा सम्मान होना ही चाहिए। आप श्रेय दीजिए और बधाई दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- सुनिये तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी मेरा समय नहीं आया है, मेरा एक विशेषाधिकार भंग का मामला है। (हंसी) विधायक सबके हैं, विधायक के लिये कोई दल नहीं होता है। वे बेचारे मारे पीटे, गाली वगैरः दिये हैं, आप उस पर कार्रवाई, एफ.आई.आर. तो करवा दो।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इतना अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए, प्रस्तुती करने तो दीजिए। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- देखिये, मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आगे बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मुझको धमकी मिली तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी सुरक्षा बढ़ा दी। वे बेचारे सरेआम मार खाया है। उसको दल के ऊपर से कुछ करवाओ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पार्टी ने जांच समिति बना दी पर सरकार ने कुछ नहीं किया। मोहन मरकाम जी ने जांच समिति बनाई, मुख्यमंत्री जी आपने उनके लिये कुछ नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, पांडे जी का सुन लीजिए, ज्ञान बढ़ेगा।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- शैलेश जी, आप और कितना समय लेंगे ?

श्री शैलेश पांडे :- अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो तीन विभाग हुए हैं। थोड़ा आधा घंटा और लगेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अच्छे रास्ते में बोल रहे हैं, थोड़ा समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- 25 मिनट हो गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो सिर्फ शिक्षा विभाग हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- वह भी पिछले साल का है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आगे अभी और देखिये।

श्री शैलेश पांडे :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अपने विपक्ष के सभी साथियों से वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धियों को भी सुनने की आदत होनी चाहिए। आप लोग केवल 14 में ही बचे हो, अगर नहीं सुनोगे तो...। (हंसी) एक और बात बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने कोटा विधानसभा, मरवाही विधानसभा हम चुनाव हारे थे। पेंड्रा जिले में हम चुनाव हार चुके हैं, दो विधानसभा हैं, दोनों में हमारी सीटें नहीं थी। लेकिन बीसों साल से हमारी जनता पेंड्रा गौरेला मरवाही की जनता मांग कर रही थी कि इनको जिला बनाया जाये, जिला बनाया जाये लेकिन नहीं, पुन्नूलाल मोहले जी के क्षेत्र को जिला बना दिया गया। पेंड्रा को जिला नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि पेंड्रा गौरेला की जनता आपको कम वोट देती थी। इसलिए आपने उसको अपना नहीं माना। हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने तब हम वहां पर एक भी विधानसभा नहीं जीते थे, उसके बावजूद भी हमने बड़ा दिल रखा क्योंकि हमने जनता को वचन दिया था। (मेजों की थपथपाहट) हमारे मुख्यमंत्री जी ने पेंड्रा गौरेला मरवाही को जिला बनाया और लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की सौगातें भी दीं। हमारे आदरणीय बी.एम.ओ. साहब वहां से चुनाव जीतकर आये, जनता का आशीर्वाद मिला और कांग्रेस के 70 वें विधायक इस सदन में वहां से आये। (मेजों की थपथपाहट) मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिये बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी भी वे माननीय बी.एम.ओ. साहब हैं। (हंसी)

श्री शैलेश पांडे :- उनकी सेवा डॉक्टर थी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बी.एम.ओ. का मतलब क्या है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- पांडे जी, आप किसी के चक्कर में बिल्कुल मत आईये। आप बढ़िया इत्मिनान से बोल रहे हो, भाई, ये हमारे बिलासपुर के हैं, आप लोग इनके ऊपर रहम रखिये। बढ़िया बोल रहे हैं।

श्री शैलेश पांडे :- धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त राजस्व के नये अनुभाग भी खोले गये, जो हमारे एस.डी.एम. कार्यालय थे। वह भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी ने खोले हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आदिवासियों की जमीन हड़पी गयी थी, आदिवासियों की

जमीन वापस नहीं की जा रही थी। आप बस्तर से आये हुए हैं, मोहन मरकाम जी बस्तर के हैं, हमारे और भी सम्माननीय साथी विधायक बस्तर के हैं। उनकी जमीन खाली नहीं की गयी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से किया हुआ वादा पूरा किया और 1764 हेक्टेयर जो जमीन हमारी थी, वह आदिवासी लोगों को वापस की गयी। यह मारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। (मेजों की थपथपाहट) इसके अतिरिक्त ओलावृष्टि, अतिवृष्टि में दरियादिली दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है और सहयोग किया। पहले छोटे-छोटे भूखण्डों की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। उनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही थी ? उनकी जमीनों का क्या होगा ? इसके बारे में कभी नहीं सोचा गया। बड़ी सोच, बड़ी पूंजी लगाओ, 10 हजार करोड़ लगाओ, 40 हजार करोड़ लगाओ, खूब बिल्डिंगें बनाओ, यहां पर गरीब की कोई सुन ही नहीं रहा था। यहां पर गरीब के के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी आये तो उन्होंने छोटे-छोटे भूखण्डों की रजिस्ट्री करवाना शुरू कराया, पूरे छत्तीसगढ़ पौने दो लाख रजिस्ट्रियां हुई हैं।

श्री सौरभ सिंह :- पूरे बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उसके बारे में थोड़ा बोलिये।

श्री शैलेश पाण्डेय :- पौने दो लाख लोग रजिस्ट्री कराना चाहते थे। उन लोग जमीन बेचना-खरीदना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का नियम इन दो लाख लोगों के लिए बंधनकारी था। उन्होंने कभी जमीन नहीं बेचने दी। इसके अतिरिक्त हमने साढ़े 7 हजार स्क्वेयर फीट के लिए हमारी सरकार ने जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया, साढ़े सात हजार स्क्वेयर फीट के लिए वहां से जिला कलेक्टर निर्णय ले, इसके लिए शासन तक आने की जरूरत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग मतलब क्या होता है ? राजस्व विभाग का मूल उद्देश्य यह है कि जनता की तकलीफें कम करो। प्रशासनिक इकाईयां अधिक गठित करो, इतना विस्तार करो कि लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़े। यही सुशासन है, यही ई-गवर्नेंस है और किसे गुड गवर्नेंस कहते हैं ? गुड गवर्नेंस यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक इकाईयां खुले, उससे जनता को अच्छी सुविधा मिलती है। जनता को जितनी सुविधा मिलती है उतना प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है और वह दिख रहा है। हमने डायवर्सन के लिए भी जिला कलेक्टरों से अधिकार लेकर और छोटी इकाई में दिया। हमने एस.डी.एम. कार्यालय को डायवर्सन के लिए अधिकृत किया और अब ये डायवर्सन का कार्य एस.डी.एम. करते हैं। यह हमारे राजस्व विभाग की उपलब्धि थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया जी, हमारी दीदी यहां बैठी हुई हैं। मैं उनको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गरीब बच्चों के लिए कन्या दान योजना में 15 हजार की राशि बढ़ाकर 25 हजार किया। इससे लगभग 3 हजार कन्याओं की शादी हुई। यह बहुत बड़ा

उपकार है, बहुत बड़ा परोपकार है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी माननीय मंत्री महोदया ने किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब प्रदेश में भा.ज.पा. की सरकार थी, गरीब बच्चों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मात्रा में भोजन नहीं दिया जाता था। गुणवत्ताहीन भोजन दिए जाने के कारण कई जगह बच्चें बीमार पड़ गये और कुछ की मौत भी हो गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। उनको हर व्यक्ति की चिंता है। उन्होंने सबसे पहली बात सोचा कि हमारे प्रदेश में 5 लाख के आसपास बच्चें कुपोषित थे। हमारे प्रदेश में न जाने हजारों महिलायें ऐसी थीं, जो एनीमिया की बीमारी से ग्रसित थीं। हमारी सरकार ने उनके लिए सोचा, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल और हमारी माननीय मंत्री महोदया ने 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाएं, 15 से 49 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को एनीमिया और कुपोषण से मुक्त कराने के लिए पौष्टिक आहार, परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। वर्तमान में 6 लाख अतिरिक्त हितग्राहियों को गर्भभोजन, अतिरिक्त पोषण आहार दिया जा रहा है। अब आप सुपोषण अभियान का परिणाम जानिये, परिणाम यह है कि पहले 27 प्रतिशत कुपोषण था, अब वह घट गया है, वह घटकर लगभग 23 प्रतिशत तक आ गया है एवं धीरे-धीरे और भी कम हो रहा है। वर्ष 2018 की तुलना में अभी 3 से 4 प्रतिशत कुपोषण घटा है और लगभग ऐसे 70-80 हजार बच्चें सुपोषित हुए हैं। हम धीरे-धीरे प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार को दो ही साल हुआ है। आपने 15 साल सरकार चलाया, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल देखा कि प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति थी। आज हम लोग काम कर रहे हैं। कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर कोई सुविधा नहीं थी। इसके लिए माननीय मंत्री महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई हास्टल बनाये और यह काम किया गया। आंगनबाड़ी में शिक्षा देने के लिए शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की तथा अन्य जो भी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छा काम किया जा रहा है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ।

(मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) द्वारा सदन से बाहर जाने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- भईया, अब मुख्यमंत्री जी चल दिये, अब अपनी बात करो, चलो खत्म करो।

श्री शैलेश पाण्डेय :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में किसानों के लिए अनेक कार्य किए। पिछले 15 सालों में पूरे प्रदेश में न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या की। न जाने कितने किसान संघर्ष कर रहे थे और न जाने कितने किसान बीमार हो गये थे, न जाने कितने किसानों को

क्या-क्या हो गया था और जिसके कारण वह कंगाल होते जा रहे थे। प्रदेश की यह व्यवस्था थी। जब विपक्षियों की सरकार थी तब यह बोला जाता था कि किसान ने आत्महत्या नहीं की है, शराब पीकर मरा है। ऐसे बयान मंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में दिये जाते थे। इनकी किसानों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं थी। 15 वर्षों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बात पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश जानता है। वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव में धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये देने की बात की थी, इसे पूरे प्रदेश की जनता जानती है लेकिन ये जुमला सबित हुआ। आपने कहा था कि 300 रुपये बोनस देंगे लेकिन ये जुमला साबित हुआ। आपने हर वर्ष नहीं दिया। आप केवल चुनाव के वक्त इस बात का अमल करते थे।

श्री अजय चंद्राकर :- महाराज हमने नहीं दिया, आप दिलवा देते तो बहुत कृपा होती। दिलवा दो ना।

श्री शैलेश पाण्डेय :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जब आई तो हमने किसानों से 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का वायदा किया और वह वायदा हमने पूरा किया। यह हमारी सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कृषि मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जो घोषणा की उससे हमारे प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक बहुत बड़ी का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। धर्म और गऊमाता के नाम पर दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तापक्ष के नेता द्वारा डॉ. रमन सिंह की सरकार के संरक्षण में गौशालाओं को कसाईखाना में तब्दील कर दिया गया था। यह स्थिति थी। गायें मर रही थीं, उनकी तस्करी की जा रही थी। वह जब मर जाती थीं तो उनको भूँसे से ढक दिया जाता था, उनके शरीर की खाल और हड्डियों को बेचा जाता था। यह बहुत लज्जा की बात है। हमारी सरकार ने जब सरकार संभाली तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शपथ लेते ही गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, युवा, बच्चों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के सर्वांगीण विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना शुरू किया। अपने वायदे के मुताबिक हर संभव कार्य अल्पसमय में किया। सभी प्रकार की जनसुविधाओं, लोक परंपराओं, लोक आस्थाओं को पुनर्जीवित करने की शुरुआत हुई। यह सरकार किसानों की सरकार थी। हमने लगभग 17 लाख से अधिक किसानों के 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों को माफ किया जो कि उन्होंने लिये थे। हमने इसके अतिरिक्त 244 करोड़ के सिंचाई ऋणों को भी हमने माफ किया। इसके अतिरिक्त हमने किसानों के लिए बिजली का बिल भी निःशुल्क किया। इसके अतिरिक्त 5700 करोड़ रुपये का भुगतान हमने किया। हमने राजीव गांधी न्याय योजना लागू की जिसके माध्यम से हम धान, गन्ना, मक्का और ऐसी कई फसलों के लिए हमारी सरकार सहयोग दे रही है। ये पैसा कहां जा रहा है? यह हमारा पैसा किसानों के पास जा रहा है। आज किसान समृद्ध हो रहा है। ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती जा रही है। इसी प्रकार से गो-धन न्याय योजना हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक

कदम था। गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने अभी तक हमारी सरकार ने 54 करोड़ रुपये दिये हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारे पूरे प्रदेश में जो गाय चराने वाले हैं, गाय पालने वाले हैं उनको कुछ रोजगार मिला है और उनको कुछ आर्थिक मदद मिली है। यह हमारी सरकार की अच्छी सोच थी। हम गाय की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और यह हमने गो-धन न्याय योजना के माध्यम से करके दिखाया। हमारा केवल यही कार्य नहीं है कि हम केवल बात कर रहे हैं बल्कि हम काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसमें 44 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

श्री सौरभ सिंह :- लाईव डिटेक्टर टेस्ट कराना पड़ेगा कि आप भय में बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाईव डिटेक्टर टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आप भय में बोल रहे हो या सत्य बोल रहे हो।

श्री शैलेश पाण्डे :- नौ लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी हमारी सरकार जब आयी तब उसने 13 लाख हेक्टेयर में हमने सिंचाई करके दिखाया। यह हमारी सरकार की उपलब्धि थी। वह भी केवल एक फसल में करके दिखाया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय शिवरतन शर्मा जी से कहना चाहता हूँ..।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक ही सदस्य भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यों को उठने पर मजबूर कर दिया। हमारा एक सदस्य भारी पड़ रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये जो बोल रहे हैं, इनका लाईव डिटेक्टर से जांच करवाओ। भय से बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13 लाख हेक्टेयर में हमने खरीफ की फसल में सिंचाई करके दिखाया। हमारी सरकार किसानों के लिए सोचती है जल संसाधन विभाग, अभी केवल रबी के फसल की सिंचाई बाकी है। ऐतिहासिक काम हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने हमारे रविन्द्र चौबे जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने करने जा रहे हैं। जब खरीब और रबी की फसल में 15 या 16 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की सुविधा बढ़ायेंगे, यह हमारे सरकार की उपलब्धि है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप समाप्ति की ओर बढ़ रहे हो। एक बार तो राजा साहब का नाम ले लीजिए। आप अजीब आदमी हो। एक बार तो राजा साहब का नाम लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसीलिए लाईव डिटेक्टर से जांच कराने की आवश्यकता है। आशंका है कि भयभीत होकर प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- आखिरी दो मिनट। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बताना चाहता हूँ, उनके विभाग के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहले आप सुनिए। पूर्व वर्ती भाजपा की सरकार में विशेषज्ञ चिकित्सक 1277 पद स्वीकृत थे इसमें से 1114 पद रिक्त थे, चिकित्सा में 1873 पद स्वीकृत थे जिसमें 1410 रिक्त थे, नर्सिंग स्टाफ 4 हजार 365 पद के विरुद्ध 1762 रिक्त थे क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हेल्थ एजुकेटर, स्टोर कीपर, फार्मसी ओपीडी अटेंडर, सहायक मलेरिया अधिकारी, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ड्रमोटोलॉजी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट शतप्रतिशत पद खाली थे। 60 प्रतिशत पद खाली थे। ये कितने लज्जा की बात थी कि इनकी 15 वर्षों की सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति कितनी लापरवाह थी। हमारी सरकार आई हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया और तो और मैं यह बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री बहुत बड़े आदमी थे, आप नहीं। बिलासपुर के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे उनके कार्यकाल में आंख फोड़वा काण्ड, नसबंदी काण्ड, गर्भाशय काण्ड, कीडनी काण्ड जैसे सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये इनकी सरकार के काण्ड हुआ करते थे। ये सरकार जनता से बिल्कुल सरोकार नहीं करती थी। उसमें स्मार्ट कार्ड के माध्यम से लोगों को निजी अस्पतालों को ऐसे धंधे करते थे जिसमें लोगों को बुलाते थे डॉक्टर पैसा लेते थे और लोगों की कीडनी निकाल दी जाती थी। यह इनकी सरकार में हुआ। 2 साल हो गये हैं। हमारी सरकार में कहीं ऐसा सुना कि ऐसा काम हो रहा है। यह नहीं हो रहा है। ये हमारे माननीय राजा साहब की उपलब्धि है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय पाण्डे जी, सरकार में काम ही नहीं हो रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- तुहं सरकार में आदमी मन ऑपरेशन करवाए बर डराएव। मोर आखी दिखत नइ हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय पाण्डे जी आप सिवरेज को भूल गये। ऐसा लगता है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय पाण्डे जी, आप 2 ढाई साल का उल्लेख नहीं कर रहे हो।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नगरीय प्रशासन पर बोलना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय पाण्डे जी, आप सुन तो लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत समय हो गया है। आपको पर्याप्त मात्रा में समय दिया गया है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आखिरी दो मिनट दे दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट सर। आपको पूरा टाइम मिलेगा। राजा साहब चार दिन पहले इतनी बड़ी-बड़ी मशीन शुरू करके आए हैं कम से कम धन्यवाद तो दे दीजिए इतना भी रंग नहीं बदलना चाहिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोविड की इतनी बड़ी बीमारी में हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी की सतर्कता

के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के कारण आज छत्तीसगढ़ में हमारे कोरोना को झेलने के काबिल रहे। आज हमने छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने न जाने कितने लाखों लोगों की जाने बचायी हैं। कितने क्वारनटाईन सेंटर थे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय पांडे जी आप तो कोविड में फल और राशन बांट रहे थे एफ.आई.आर हो गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी बहुत बचा है।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ वैसे मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इतना बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रजनीश कुमार :- पाण्डे जी आप नगर निगम के बारे में नहीं बोलेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से एक नाम काम कर दीजिए और इनको बोलने दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय आप रेट लिस्ट नहीं बताये। आप केवल एक ही विभाग का रेट लिस्ट बताये।

श्री रजनीश कुमार :- पाण्डे जी, दो सालों में नगर निगम में कितना पैसा मिल रहा है आज जिस शहर से हैं आप नगर निगम के बारे में बताएं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से एक नाम काम कर दीजिए और इनको बोलने दीजिए। इनको और टाईम दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- पाण्डे जी बोलने वाले हैं करके हम सभी विपक्ष के लोग पूरी संख्या में यहां बैठे हैं। पाण्डे जी जरा उधर नजर मारिए। आपकी तरफ पूरा मैदान साफ है और आप राजा साहब का नाम लेने में जो हिचकिचा रहे हो, इससे मैं बहुत ताज्जुब कर रहा हूँ।

श्री शैलेश पांडे :- वह हमारे आदर्श हैं, आप क्या बात कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप डर-डर कर नाम ले रहे हैं।

श्री शैलेश पांडे :- कोई डरकर काम नहीं हो रहा है, आप जानते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप अच्छे से बोलिये, राजा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने काम किया है। उन्होंने कल बिलासपुर में मशीनें चलाई हैं।

श्री शैलेश पांडे :- धर्मजीत भैया के लिए एक शेर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप शेर सुना दीजिए।

श्री शैलेश पांडे :- कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर और क्या हकीकत है, क्या सियासत है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यही तो आपके समय रहे, पता नहीं आप भी कौन से चेहरे पर बोल रहे थे। बिलासपुर में आप दूसरा चेहरा देखे हो, यहां दूसरा दिखा रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता जापन प्रस्ताव में 17 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संशोधन बहुत ही विस्तृत हैं, मैं, पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूंगा, केवल संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के नाम तथा संशोधनों की संख्या को ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे, उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधनों की संख्या
01.	श्री धरमलाल कौशिक	120
02.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	124
03.	श्री अजय चन्द्राकर	57
04.	श्री शिवरतन शर्मा	125
05.	श्री नारायण चंदेल	38
06.	श्री धर्मजीत सिंह	13
07.	श्री सौरभ सिंह	112
08.	श्री डमरूधर पुजारी	24
09.	श्री रजनीश कुमार सिंह	53
10.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	13
11.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	27
12.	श्रीमती इन्दू बंजारे	20

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य, द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता जापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री नारायण चंदेल।

समय :

2:12 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : पहली बार उधर से नारायण चंदेल जी आप भाषण ओपनिंग कर रहे हैं। आप सच-सच बोलना। आपको 15 साल जितनी तकलीफ थी, जितना दुख था, हमेशा बाहर बैठे रहो हो, कभी ट्रेजरी बेंच में बैठने का अवसर नहीं मिला, आपकी कितनी उपेक्षा हुई, आज यहां सब दर्द बयान कर देना।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सरकार थी, तब भी यह पहले ही बोलते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, इनको अवसर जितना भी मिला हो, पर आप 35 साल के विधायक के तौर पर स्वाभाविक उम्मीदवार थे। 15 साल बाद आपको वंचित किया गया, इसके लिए हम हार्दिक दुःख व्यक्त करते हैं।

श्री अरुण वोरा :- चन्द्राकर जी, यह अंग्रेजों की नीति फूट करो और राज करो, कहां ले आये।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदय ने यहां अभिभाषण दिया और किसी भी सरकार के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो सदन में पढ़ा जाता है, वह सरकार के लिए विजन डॉक्यूमेंट होता है कि आने वाले समय में सरकार क्या करना चाहती है, उसकी दृष्टि क्या है, वह प्रदेश के हित में कौन-कौन से काम को करना चाहती है, यह माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का आशय होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी कांग्रेस के सदस्य माननीय शैलेश पांडे जी ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा की ओपनिंग की। उन्होंने जिस बात का माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख नहीं है, 15 साल की बात करते थे। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहां पर 15 साल की बात है। किस पृष्ठ में है? किस पैरा में है ? विषय से बाहर जाकर बात करना और सदन के समय को जाया करना ।

माननीय सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ प्रदेश संत गुरु घासीदास बाबा, डॉ. खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, स्वामी आत्मानंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर इन्होंने सपना देखा । आजादी के बाद लगातार कि छत्तीसगढ़ राज्य का कब निर्माण होगा ? हमारा छत्तीसगढ़ कब बनेगा ? हमारे सपनों का छत्तीसगढ़ कब बनेगा ? उस सपने को अगर किसी ने साकार किया है तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है । (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ के रहवासियों का दर्द, छत्तीसगढ़ के आम किसान, आम आवाज को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है और इसीलिये श्री अटल बिहारी जी के बारे में हम यह कहना चाहते हैं कि :-

है समय नदी की धार,

है समय नदी की धार,

जिसमें सब बह जाया करते हैं

और कुछ ऐसे भी होते हैं,

जो इतिहास बनाया करते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण करके एक नये इतिहास की संरचना की । 01 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय भी हम लोग इस सदन में सदस्य थे

और आज वर्ष 2021 है । 21 वर्ष का नौजवान छत्तीसगढ़, युवा छत्तीसगढ़, यौवन से भरपूर छत्तीसगढ़ । माननीय सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ में पहली सरकार बनी तो हमको याद है कि जशपुर हाल में हम लोग विधानसभा में टेंट में बैठे थे । विधानसभा लगी, उस समय पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने नेतृत्व किया, उसके बाद में हम 15 साल रहे और हमने छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी, नया कलेवर दिया । छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर, आम नागरिक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी, नौजवान हो, हमने छत्तीसगढ़ को एक दिशा देने का प्रयास किया लेकिन पिछले सवा दो साल में छत्तीसगढ़ को माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किस ओर ले जाया जा रहा है ? यहां पर कांग्रेस की सरकार है । उन्होंने नारा दिया, रोज समाचार-पत्रों में लाखों रूपए का विज्ञापन आता है, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ । कभी भंवरा चला रहे हैं, कभी सोटा खा रहे हैं, कभी गिल्ली-डंडा खेल रहे हैं, कभी गेड़ी चढ़ रहे हैं । वे गेड़ी चढ़ें लेकिन छत्तीसगढ़ को विकास के पायदान पर भी चढ़ायें । आज छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति कर दी ? आज छत्तीसगढ़ बद् से बद्तर होने जा रहा है । हिंदुस्तान का पहला राज्य है जो विकास के रास्ते पर नहीं जा रहा है बल्कि पीछे जा रहा है ।

श्री द्वारकाधीश यादव :- श्री नारायण चंदेल भैया, 2 घंटे में 9 हजार करोड़ की कर्जा माफी की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर भी नहीं गए । अपने डीहीडोंगर का आशीर्वाद भी नहीं लिये, क्या यह छत्तीसगढ़ के विकास में नहीं है ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- ये क्या गलती से पिछले 15 साल का बता रहे हैं ।

सभापति महोदय :- कृपया बैठ जायें ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, 15 साल में एक लाख-दू लाख किसान कर्जा के माफ ला छोड़ दो । एक ठी ठिठही-बीड़ी घलो करे होही, एमन कर्जा माफी 15 साल में तो एमन ला पूछा तो ।

सभापति महोदय :- कृपया आप बैठ जाएं । आप आगे बढ़ें ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा था कि हम 2 साल का बोनस देंगे । कहां पर हैं ? क्या आपने दो साल का बोनस दिया ? जब नहीं कर सकते तो आपने जन घोषणा पत्र में क्यों लिखा ? और जब भी कोई बात हो तो केंद्र के ऊपर डालना, क्या आपने श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछकर जन घोषणा पत्र बनाया था ? क्या आप केंद्र सरकार में पूछने के लिये गये थे ? नहीं गए थे तो फिर केंद्र क्यों जिम्मेदार है ? आप संघीय ढांचे का उल्लंघन करते रहे । आपके केंद्र से, प्रधानमंत्री जी से अच्छे संबंध नहीं हैं और हर बात में केंद्र से सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं । संघीय ढांचे का सम्मान करना सीखिए । यह संविधान में निहित है । सभापति महोदय, जब से यह सरकार बनी है, लगभग सवा दो साल हो गए । इस प्रदेश में अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है तो छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र, अन्नदाता किसान पीड़ित है । क्यों पीड़ित है, इस बार धान खरीदी केन्द्रों में क्या स्थिति रही । पूरे छत्तीसगढ़ की

सोसायटियों में दो दिन, तीन दिन पहले टोकन के लिए किसान को लाईन लगना पड़ा। सुबह 8 बजे से सोसायटियों में जाता था तो रात को 8 बजे थक हारकर लौटता था, जैसे बहुत बड़ा काम करके आ रहा है। सभापति महोदय, एक-एक हफ्ते में उसको टोकन मिला। उसके बाद जब वह धान बेचने गया तो सोसायटियों में कहा गया कि 15 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना। तुम्हारा नम्बर 20 दिन बाद आएगा। सभापति महोदय, उसके पहले गिरदावरी के नाम पर सुनियोजित ढंग से कि हमको धान कम खरीदा पड़े। एक एकड़, दो एकड़ के छोटे और मंझोले किसान, छोटा किसान कौन है समाज में गांव में जो सबसे पीछे रहता है गांव में रहने वाला सुकालू, दुकालू, समारू, पहारू, डहारू गिरदावरी के नाम से आपने उसकी जमीन कम कर दी। उसकी जमीन गायब कर दी गई। सभापति महोदय, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान की जमीन की चोरी हो गई। किसान की जमीन चोरी हो गई। मेरे क्षेत्र में एक किसान आया। उसने कहा कि भइया मेरी जमीन चोरी हो गई। मैंने कहा कि इतने दिनों से अन्य चीजें चोरी होने की बात सुनी थी लेकिन ये जमीन कैसे चोरी हो गई। जमीन चोरी की रिपोर्ट में कहां लिखाऊँ। कहां आवेदन दूँ। यह छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रहते हुए। एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री है, छोटे और मंझोले किसान का परिवार धान बेचने से वंचित हो गया। इस बात उसका धान नहीं बिका। इस बार उसका परिवार कैसे चलेगा। सभापति महोदय, उस छोटे किसान के प्रति ज़रा भी संवेदना नहीं। उसके बाद जब धान खरीदी हो गई तो धान खरीदी में भारी अव्यवस्था, इतनी अव्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद कभी नहीं हुई। आज भी सोसायटियों में धान पड़ा हुआ है। आज पूरा प्रश्न धान और सोसायटियों से संबंधित था। आज भी धान सड़ रहा है, परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार बोरे की कमी हुई। क्यों कमी हुई, क्या आपको नहीं मालूम था कि हमको धान खरीदाना है, आपने बोरे की व्यवस्था क्यों नहीं की। पहले 15 साल तक कैसे व्यवस्था होती थी। अरे, आपके समझ में नहीं आ रहा था तो हमारे मोहले जी से पूछ लेते, वे खाद्य मंत्री रहे हैं। ये सारी अव्यवस्था गांव और किसानों को हुई। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सरकार आपने आप को किसानों की सरकार कहती है। सभापति महोदय, अभी पांडे जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि हमने लोकतंत्र का सम्मान किया। इस सरकार ने जितना लोकतंत्र का अवमूल्यन किया है, प्रजातंत्र का गला घोटा है, शायद हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद कभी नहीं हुआ।

श्री रामकुमार यादव :- मध्यप्रदेश ला देखत हन मालिक हमन। कम पढ़े लिखे हन, लेकिन पूरा देश देखत हे।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, नगरीय निकाय का चुनाव हुआ। जो पहले अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता था, हमारी सरकार ने उसको प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से कराया। महापौर का सीधा चुनाव होता था। नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव सीधा होता था। आप डरकर भाग गए।

आपने कहा कि हम इसको अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा कराएंगे । अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे । ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है तो क्या है ।

श्री कुलदीप जुनेजा:- खरीद-फरोख्त थोड़े ही किया गया है, जैसे भी हुआ, चुनाव तो हुआ है । किसी पार्षद या विधायक को खरीदे थोड़े हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- खरीदकर तो बनाये हो।

श्री नारायण चंदेल :- आपने जो इस प्रदेश के करोड़ों मतदाता जो सीधा महापौर और नगर निकाय का अध्यक्ष चुनते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- खरीदने की बात कर रहे हो। रायपुर नगर निगम में बहुमत था क्या? खरीदकर ही तो बनाये हो और कैसे बनाये हो? खरीदकर ही बनाये हो। कहीं बहुमत नहीं था। अगर हिम्मत होती तो प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव कराना था।

श्री उमेश पटेल :- शिव भैया, आप खरीदने की बात कर रहे हैं। 7 साल का कार्यकाल है केन्द्र सरकार का और आज सरकार गिराने का अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो इसी केन्द्र सरकार ने बनाया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं और बता रहा हूँ। वर्ष 2008 नगर पंचायत के चुनाव सारंगढ़, दो दिन रहा कांग्रेस का जीता हुआ अध्यक्ष। दो दिन बाद उसने भाजपा ज्वाइन किया। यह किसका उदाहरण है?

श्री शिवरतन शर्मा :- 356 में कितनी सरकारें बर्खास्त की गईं, ये रिकॉर्ड भी आपके नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम में दर्ज है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- भैया, अभी इसकी सरकार गोवा और पश्चिम बंगाल में भी क्या कर रही है, वह भी बताएं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- हम दो लोग तोड़ देंगे । आप लोगों के सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम दो और हमारे दो वो सब तोड़ देंगे।

सभापति महोदय :- कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पश्चिम बंगाल के लिए क्यों चिंतित हो रही हैं? वहां तो आप लोग है ही नहीं। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री उमेश पटेल :- भैया, एक चीज और बोलना था।

श्री नारायण चंदेल :- हां, गोठिया न।

श्री उमेश पटेल :- जब अजय भैया बोलते हैं तो जो खौफ आपकी तरफ दिखता है, वह उनकी तरफ नहीं दिख रहा है। जरा एक बार वैसा दिखाइए न। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- उमेश जी, यह मामा-भांजा का प्यार है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, सवाल सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव का नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है सबका साथ और सबका विकास उस ध्येय को लेकर काम करें। हम विपक्ष के विधायक हैं। हर जिले में खुलेआम प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। जो सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है। किसी भी शासकीय कार्यक्रम में चले जाइए। विधायक का अपना प्रोटोकॉल है। वह चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। मैं बहुत सी बातें बोलना नहीं चाहता। बहुत से शासकीय कार्यक्रमों में हमारे विपक्षी विधायकों का नाम तक अंकित नहीं रहता। यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? प्रजातंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है तो क्या है? अटल जी ने एक बार संसद में कहा था कि सरकारें आती हैं, जाती हैं। जय और पराजय चलते रहता है, लेकिन इस देश में संसदीय परंपराओं में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि मर्यादाओं को लांघा जा रहा है। प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। आज शैलेश पाण्डे जी के साथ मैं क्या हुआ?

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- महोदय जी, 15 साल में भी हुआ है। आपके शासनकाल में भी यह कार्य हुआ है और अजय चन्द्राकर उनके गवाही हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, अभी शराब की बात चल रही थी। सुपेबेड़ा की बात हुई। आज के ध्यानाकर्षण में प्रश्न था। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब माफिया के साथ में रेत माफिया के बारे में कहना चाहूंगा। कल माननीय अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि हमारी जो पवित्र नदी शिवनाथ है, वह दिशा बदल रही है। रेत माफियाओं ने शिवनाथ नदी की छाती पर इतना वार किया, इतना डोज दिया है कि दिशा बदल गई।

श्री शैलेश पाण्डे :- अरपा नदी तो 15 साल में पाताल लोक में चली गई।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर यही हाल रहा तो चाहे वह अरपा हो, शिवनाथ हो, हसदो हो, सरस्वती नदी की तरह वह विलुप्त हो जायेगी। जांजगीर में अभी दो महीने पहले वहां की जो एस.डी.एम. है, वह महिला है, वहां का तहसीलदार रात को 12 बजे मेरे विधान सभा में जो हसदो नदी है दहिदाघाट है, करीघाट है, भादाघाट है वहां पर गये और वहां पर सर्च लाइट लगाकर जे.सी.बी. से रेत की खुदाई की जा रही है। 100 डंपर खड़े हुए थे। उन्होंने मना किया तो एस.डी.एम. के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास रेत माफियाओं ने किया। (शेम-शेम की आवाज) यह सिर्फ जांजगीर की बात नहीं है। मैं अभी सरगुजा और धमतरी गया था। सरगुजा में 50 हजार, 60 हजार रेत का एक ट्रक बिक रहा है। उत्तरप्रदेश जा रहा है वाइफनगर से और सुनियोजित ढंग से रेत माफियाओं का गिरोह सक्रिय है और सरकार के संरक्षण में सक्रिय है और सरकार के संरक्षण में सक्रिय है। सभापति महोदय, मैं इस सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के जल, जंगल और जमीन को बचाना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ का विकास करना है तो इस प्रदेश

के पानी और जवानी को रोकना होगा । आज इस प्रदेश का पानी बेकार जा रहा है । इस प्रदेश की जवानी रोजगार के अभाव में सड़कों की तरफ घूम रही है । इस प्रदेश की जवानी गलत दिशा में जा रही है, नशे की तरफ जा रही है, अपराध की तरफ मुड़ रही है । आपने जन घोषणा-पत्र में कहा था कि हम प्रदेश का बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे । नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे । जब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तर देंगे तो हम उत्तर चाहते हैं कि उन्होंने कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता किन-किन जिलों में दिया ।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी केहे रिहीसे कि मैं प्रधानमंत्री बनहूँ त बढ नौकरी देहौं, दू करोड़ ।

श्री नारायण चंदेल :- तोला तो नौकरी मिल गे । (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- नौकरी मिल गे, अब बारात कब जाबो, वहु ला बताबे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यादव जी आसाम के दौरा में गे रिहीसे तो मैं केहेंव कि एकाध इन असमिया ला देख ले । बिहाव के चिन्ता कोन करिस ? मैं करे हव ।

श्री नारायण चंदेल :- सब मिल-जुल के करथे । माननीय सभापति महोदय, आज रोजगार के अभाव में इस प्रदेश में पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद बढ रहा है, वहां के नौजवान रोजगार के अभाव में बंदूक थाम रहे हैं, अपराध की तरफ बढ रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध बढा है, तेजी से अपराध का ग्राफ बढा है । अपराध में नित नये प्रकार की घटनाएं हो रही हैं । उसके पीछे में अगर कोई कारण है तो वह बेरोजगारी है । छत्तीसगढ़ में हर जिले में इस सरकार ने टारगेट दे दिया है कि 50 करोड़ की सरकारी जमीन यहां बेची जाएगी, 80 करोड़ की सरकारी जमीन यहां बेची जाएगी । हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में ऐसा उदाहरण है ? आप लोग भी बाहर जाते हैं । सरकारी जमीन को संरक्षित किया जाता है, उसको बचाया जाता है, लेकिन सरकार का फरमान कलेक्टर को जारी होता है कि सरकारी जमीन का मुआयना करो। पटवारी, तहसीलदार, आर.आई. खाली उसी खोज में लगे हैं कि कहां पर सरकारी जमीन है । हम लोग पूछते हैं कि सरकारी जमीन काबर खोजथस ? स्टेडियम बनाहव या अस्पताल बनाहव । तो बोलते हैं कि नहीं, ऐला बेचबो । तो कोन केहे बे बेचे बर? सरकार के आदेश हे । अगर सरकारी जमीन बिक गई तो छत्तीसगढ़ का विकास अवरूद्ध हो जाएगा । कल हमको अस्पताल बनाना है, हमको सामुदायिक भवन बनाना है, खेल का मैदान बनाना है ।

श्री रामकुमार यादव :- पहिली के सरकार ह जर्मनी, रूस, फ्रांस के आदमी मन ला कम्पनी बर जमीन देवय, बडे-बडे आदमी मन ला । अभी हमन ओला संरक्षित करथन, हमन बडे-बडे आदमी मन ला नहीं देवत हन ।

श्री सौरभ सिंह :- जर्मनी और रूस के प्लांट ला तूहरे पार्टी के मन ह भिलाई मा लगाए रिहीन हे ।

श्री रामकुमार यादव :- जांजगीर जिला में कम्पनी ला कतका अकन जमीन दे रहेव ।

श्री सौरभ सिंह :- जर्मनी अउ रूस के कम्पनी ह भिलाई में बनाए रिहीस हे ।

श्री नारायण चंदेल :- आज यह सारा कृत्य हो रहा है । सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सरकारी जमीन पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं । बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में सुनियोजित ढंग से भू-माफिया जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सवा दो साल में कितने भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है । सत्ता के संरक्षण में भू माफियाओं का एक रेकेट चल रहा है । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा करके रख दिया गया, आज छत्तीसगढ़ महतारी भी रो रही है । किन सपनों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था । माननीय सभापति महोदय, सिर्फ सरकारी जमीन को ही नहीं, तालाब को भी बेचा जा रहा है। निस्तारी तालाब को भी बेचा जा रहा है। आज भू माफिया, कोल माफिया, अवैध रूप से प्रतिदिन कोयले का डंपर चल रहा है। अवैध रूप से ऊंचे टैक्स वसूले जा रहे हैं। हर जिले को टारगेट किया जाता है। कोयला पूरे सरे राख गिरते हुए जाता है, प्रदूषण आम नागरिक झेल रहा है।

श्री शैलेश पांडे :- भदौरा कांड में क्या हुआ था ?

श्री नारायण चंदेल :- हां, क्या बोल रहे थे।

श्री शैलेश पांडे :- भदौरा कांड में मरे हुए आदमियों के नाम पर जमीन खरीद ली गयी और आप लोगों की सरकार थी। आज तक उसका निराकरण कभी नहीं हुआ, ये बड़ी बात है, मैं आपको टोकना नहीं चाहता था, टोकने के लिये क्षमा चाहता हूँ।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास से सम्बद्ध (डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह) :- आज के समाचार पत्र में छपा है कि राजा साहब ने जेल के लिये जो जमीन दी थी, उसमें पहले की सरकार के समय में कब्जा हो गया है। कालोनियां बन गयी हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हटवाओ ना, किसने रोका है।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, आज इस सरकार से प्रदेश का कौन सा वर्ग खुश है। आप किसी अधिकारी कर्मचारी से बात कर लीजिए, वह कैसे समय निकलेगा इसका इंतजार कर रहा है। सारे अधिकारी कर्मचारी के फोरम हड़ताल पर थे, पटवारी, पंचायत सचिव, तृतीय वर्ग कर्मचारी, रोजगार सहायक, लिपिक हड़ताल पर थे। क्यों हड़ताल पर थे, क्योंकि तीन-तीन, चार-चार महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सारा काम ठप्प पड़ा है। पिछले साल मार्च में शायद हिन्दुस्तान में आजादी के बाद किसी राज्य में ऐसा दृश्य नहीं था कि तीन-तीन महीने तक पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिला था, जब वे ट्रेजरी में जाते थे तो उनको कहा जाता था कि सर्वर डाउन है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये सर्वर डाउन पहली बार हुआ है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पर बड़ी संख्या में बुनकर भाई रहते हैं और वे मेहनत से हाथ से काम करते हैं। पिछले एक साल से बुनकरों को पूरे प्रदेश में धागा नहीं मिल रहा है। बुनकर बहुत गरीब

वर्ग से आता है। अनेक बार भी इस सदन में चर्चा हुई। माननीय संबंधित मंत्री मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी आकृष्ट किया गया लेकिन शासन प्रशासन ने किसी प्रकार से कोई सकारात्मक पहल नहीं की। ये सरकार चल रही है, अभी कल ही एक विषय आया। 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज। जब से यह सरकार बनी है, विधानसभा के प्रश्न में आता है और 15 साल का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। आज यह सरकार कर्ज में डूबी हुई है। कर्ज का बोझ किसके ऊपर आयेगा, आम नागरिकों के ऊपर आयेगा और कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये कर्ज लिया जा रहा है, यह दुर्भाग्य है। ये इनकी बदहाल आर्थिक स्थिति का जीवंत नमूना है।

माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सरकार से मांग करते हैं कि इसी सत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश की आर्थिक बदहाल स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करे कि क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है ? छत्तीसगढ़ कौन से दौर से गुजर रहा है। आज विकास के सारे काम ठप्प हैं। कल ही पंचायत विभाग के प्रश्न में कुछ लोग बोल रहे थे, इस सवा दो साल में समग्र का पैसा जाना बंद हो गया। गांव में कोई गौरवपथ का निर्माण नहीं हो रहा है। सरपंचों, जनपद सदस्यों से जब बात होती है तो वे कहते हैं कि भैया ये दारी के चुनाव में हमन ला परता नई परत हे। परता नई परत हे माने पैसा नहीं आवत हे। पंचायत मंत्री जी कना जाथन तो बने बैठाथे, बने सुघर गोठयाथे, बेचारा ओ हा खुद दुखी हे तो हमन दुख ला का सुनही ? दुखी आदमी करा कोन गोठयाही, काबर कि ये मन अपन समस्या लेके जाथे तो ओ हा अपन समस्या बताथे। तो यह स्थिति इस सरकार में है। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार चल रही है, सवा दो साल बीत गये और नगरीय निकाय की क्या स्थिति है ? डहरिया जी हर समय उठ जाते हैं। क्या स्थिति है ? सरकार ने एक पैसा नहीं भेजा है। सभापति महोदय, दुर्भाग्य तो यह है कि 15 साल में हमारी सरकार ने नगरीय निकाय, पंचायतों और डी.एम.एफ. में जो पैसा भेजा था, सरकार बनने के तुरन्त बाद इस सरकार का एक फरमान जाता है कि पैसा वापस ले आओ। हिन्दुस्तान के किस राज्य में भेजा हुआ पैसा वापस आता है ? काम के टेण्डर हो गए, वर्क आर्डर हो गए, भूमि पूजन हो गया, उसके बाद पैसा वापस ले लिए। जांजगीर नगर पालिका से साढ़े 8 करोड़ रुपया वापस मंगाया गया। चूना लगा दिए। कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि चूना लगा दिए, आपने हर नगरीय निकाय को चूना लगा दिया। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को इस बात का विरोध करना चाहिए। मैं आपकी जमीर को जगाने के लिए यह बात बोल रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरदार टीन छाकर काम चला रहा है, समझे भांचा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि चूना लगा दिए और इधर कत्था भी लग रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- आज चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो या अस्पताल हो..।

श्री अरुण वोरा :- मोहले जी, 15 सालों में चूना बचाये ही नहीं हो तो चूना कहां से लगायेंगे ? चूना बचा ही नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- कत्था ही लगा दिए होते।

श्री पून्नूलाल मोहले :- चूना आप ही लोग रखे हो न।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे प्रदेश में राजा साहब के साथ घूम-घूमकर कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे, किसानों का और बिजली बिल हाफ करेंगे। बिजली बिल हाफ हो गया है। आप किसी भी गांव में चले जाईये, जितने रीडिंग कराने वाले कम्पनी हैं, जिनको ठेका दिया गया है, गांव में रहने वाले दुकालू, सुकालू, बैसाखू के यहां 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार रुपये का बिजली बिल आ रहा है। वह रोज जनप्रतिनिधियों के पास जाता है, बिजली आफिस जाता है। चाहे बिजली आफिस का बाबू हो, कोई साहब हो, उसको दस बार वापिस भेजता है कि हम इसको सुधार देंगे। जनप्रतिनिधियों को बिजली बिल ठीक आये, उसके लिए फोन करना पड़ता है, उसके लिए एप्रोच लगाना पड़ता है। आज लो-वोल्टेज की समस्या है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक दूरस्थ गांव है, मैं एक दिन शाम को साढ़े पांच-छः बजे गया। वहां लो-वोल्टेज की अधिक समस्या थी। मैंने कहा कि लाइट तो जलाओ। तो उन्होंने कहा कि भैया, जब लाइट जलथे तो हम कंडील जलाके देखथे कि बलफ हा बरत हे कि नहीं। यह समस्या है। बल्ब को लालटेन से देखना पड़ता है कि ओ हा बरत हे के नहीं।

श्री अरुण वोरा :- यह तो अति हो गया है, देखो, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। आप इतना झूठ मत बोलिये। आप चन्द्राकर जी के बाजू में बैठे हुए हैं। लालटेन से बल्ब को देखेंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- झूठ बोलने की आदत है।

श्री अरुण वोरा :- सूर्य को दीया दिखाने वाली बात हो गई।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप इस बात को प्रमाणित करिये कि कंडील लेकर आओ कि कहां देखना है।

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया शांत रहें।

श्री सौरभ सिंह :- कंडील से लाइट कैसे देखथे, बताही ।

श्री अरुण वोरा :- चन्द्राकर जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यह तो सूरज को दीया दिखाने वाले जैसी बात हो गई।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- चंदेल जी, उसको थोड़ा कम कर दो न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, थोड़ा सा कम कीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलो कम कर दिए, डायरेक्ट देख लेते हैं।

श्री उमेश पटेल :- धर्मजीत भैया, ठीक है विपक्ष है, आपका काम है।

श्री धर्मजीत सिंह :- कम तो कर दिए, लालटेन से नहीं, अब डायरेक्ट देख लेते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मोबाइल में भी लाइट रहता है। कंडील की जरूरत नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इतना भी मत बोल दीजिये कि सदन को ही विश्वास न हो।

सभापति महोदय :- चंदेल जी और कितना समय लेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, चाहे वह बस्तर में शहीद हों या देश की सीमाओं में शहीद हों, हमारा सरकार से आग्रह है कि वह हमारे नौजवान हैं, किसी के भाई और किसी के बेटे हैं। आज बस्तर में नक्सलाईड मूवमेंट में जो हमारे नौजवान लगे हुए हैं चाहे वह पुलिस या अर्धसैनिक बल के जवान हों, बस्तर में जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, अभी एक जवान ने मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर तीन लोगों के ऊपर गोली चला दी, बस्तर में नौजवान पुलिसकर्मी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार को इस दशा को सुधारने का प्रयास करना चाहिए कि वह किसलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं? वहां क्या दिक्कत है? उनकी सुविधाओं में इजाफा करना चाहिए। आज जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड की क्या दुर्दशा है वह आपको मालूम है? इस सरकार ने कभी उनकी सुध ली है। आज भी उन होमगार्ड के जवानों को, पुलिस के जवानों का जो वेतन है, भत्ता है, खुराकी भत्ता है, यात्रा भत्ता है, ड्रेस का भत्ता है वह आज भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के जमाने का मिल रहा है। (हंसी) उस जनघोषणा पत्र में आपने लिखा था कि इसमें हम बढ़ोत्तरी करेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आयेगा तो हम सरकार से इस पर रिप्लाय चाहेंगे कि पुलिसकर्मियों का वह विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि पुलिस के कारण हम सुरक्षित हैं। उनको छुट्टी भी नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत बारीक चीजें हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई सारी समस्याएँ हैं। आज सुनियोजित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संविदा नियुक्ति हो रही है और ये संविदा नियुक्ति की सरकार चल रही है। कोई सब इंजीनियर है तो उसको संविदा में एस.डी.ओ. बना दे रहे हैं, कोई एस.डी.ओ. है तो उसको ई.ई. बना दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ये कितना दुर्भाग्यजनक बात है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आईना होता है और ऐसे समय पर मंत्रियों में सिर्फ एक मंत्री उपस्थित हैं और अधिकारी दीर्घा में एक भी सचिव उपस्थित नहीं हैं। ये राज्यपाल के अभिभाषण का पहला भाषण हो रहा है ओपनिंग हो रही है और उसमें उपस्थित नहीं रहना, सिर्फ एक मंत्री का रहना यह सरकार का जो आईना है कि एक भी सचिव स्तर का अधिकारी उपस्थित नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है।

श्री उमेश पटेल :- भैया, आपकी पूरी बातों को नोट किया जा रहा है। आपकी पूरी बातों को गंभीरता से लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है यहां समझा जा रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ कि विधानसभा की गंभीरता को इस सरकार ने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आखिर क्या हो रहा है कि 13 मंत्रियों में एक मंत्री और पूरे अधिकारी दीर्घा में सचिव स्तर के एक भी अधिकारी का उपस्थित नहीं होना, कल भी आपने इस बात को निर्देशित किया था कि जो मंत्री उपस्थित हैं, जरा इस बात को ध्यान दें कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। आखिर क्या होगा? विधानसभा की गरिमा कैसे कायम होगी?

श्री धर्मजीत सिंह :- स्थगित कर दीजिए ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ये तो राज्यपाल जी का अपमान है, ये इस सदन का अपमान है, ये आपका अपमान है, पूरी विधानसभा का अपमान है।

सभापति महोदय :- वर्तमान में माननीय मंत्री उमेश पटेल जी यहां बैठे हुए हैं, कैबिनेट की बैठक चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं और इस संबंध में सदन को सूचना भी दी गई है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी सारी बातों को नोट कर रहे हैं और सामूहिक जिम्मेदारी के तहत उसका वह निराकरण करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, क्या एक मंत्री पूरे सदन का जवाब दे देगा, पूरे सदन को चला लेगा? एक भी सचिव स्तर का अधिकारी अधिकारी दीर्घा में उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक मंत्री और एक भी सचिव स्तर के अधिकारी का अधिकारी दीर्घा में उपस्थित नहीं होना इसकी चर्चा नहीं होती है पर बार-बार हम लोगों के कहने के बाद भी विधानसभा की अवमानना हो रही है। विधानसभा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो विधान सभा को स्थगित कर दें।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, विधान सभा 5 मिनट के लिए स्थगित कर दें।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी नोट कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि ऐसे समय पर हम यह कह दें कि हम विधान सभा में जब तक मंत्रिमण्डल के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, विधान सभा 5 मिनट के लिए स्थगित कर दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अधिकारी दीर्घा में अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे तब तक हम भाग नहीं लेंगे तो क्या स्थिति होगी। हम बार-बार इस बात का आपसे आग्रह करते हैं कि विधान सभा की गरिमा को बनाये रखना, यह आसंदी का दायित्व है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, कैबिनेट की बैठक चल रही है और इसकी सूचना विधान सभा को दी गई है। आप सब को इसकी जानकारी है। मैं आपकी सारी बातों को नोटडाऊन कर

रहा हूँ और अगर आप चाहें तो मैं फिर से पढ़ दूंगा। उतनी ही गंभीरता से आपकी बातों को सुना जा रहा है और इन सब बातों को सभी मंत्री जब वापस आएंगे तो उनसे चर्चा करके, उनको ज्ञात भी करवा दूंगा। लेकिन अगर अभी बैठक में कुछ देर के लिए हैं जिसकी सूचना विधान सभा में दी जा चुकी है तो मुझे लगता है कि यह चलने दीजिए।

सभापति महोदय :- माननीय नारायण चंदेल जी कितनी देर में समाप्त करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय आप बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। संयुक्त जवाबदारी होती है माननीय मंत्री जी आपकी बातों को नोट कर रहे हैं तो इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री तो उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ में लगभग 400 के आसपास आल इण्डिया सेवा के अधिकारी हैं और ऑल इण्डिया के 400 अधिकारियों में 4 अधिकारी का भी उपस्थित नहीं होना, हम लोग भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। कैबिनेट में जिस विभाग की चर्चा होती है उस विभाग के सचिव उपस्थित होते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा राज्यपाल के अभिभाषण में तो सारे विभागों की चर्चा होती है। कोई विभाग नहीं छूटता।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कह दी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय कार्यमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए। बाकी कोई मंत्री उपस्थित न भी रहें तो संसदीय कार्यमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए यह बहुत आपत्तिजनक है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, विद्वान अधिकारी भी बैठे हैं और सारी बातों को नोट कर रहे हैं। हमारे बहुत ही जवाबदार अधिकारी हैं जो नोट कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, कोई रहे या न रहे आप तो 5 मिनट के लिए स्थगित कर दें। आप उनको स्थगित करके बुलवा लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप तो कहते हैं कि मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप बहुत ही वरिष्ठ मंत्री रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- परन्तु इसके बाद अधिकारी दीर्घा में अधिकारी उपस्थित रहे।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय नारायण चंदेल जी अपनी बात को जल्दी समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग कार्यवाही में भाग लें या नहीं लें।

सभापति महोदय :- नहीं। माननीय आप बिल्कुल भाग लीजिए। माननीय मंत्री जी बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर हम भाग लेते हैं तो इस सदन का सम्मान होना चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर आपके भाषण होते तक के अधिकारी लोग भी आ जाएंगे।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कही है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन के सम्मान के बिना हमारा सम्मान नहीं है। राज्यपाल जी के प्रति जो अवमानना है ये उचित नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण पूरे सरकार का एक आईना होता है और सरकार की पूरे 2 साल की गतिविधियों का उल्लेख उसमें है और उसके ऊपर मैं माननीय सदस्य बोल रहे हैं और ऐसे समय में उपस्थित नहीं रहना यह बहुतत दुर्भाग्यजनक है। ये पूरे सदन का अपमान है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात कही है चूँकि बैठक की सूचना दी जा चुकी थी और सदन की एक-एक बात माननीय मंत्री जी नोट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँच जाएगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, उधर से कोई गंभीरता सत्ता पक्ष से या अधिकारी दीर्घा से दिखाई दे। विधान सभा 5 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए। उसके बाद आप ही आप संदेश चला जाएगा, सब लोग आ जाएंगे। इतना भी जिद्द ठीक नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, बैठे हुए हैं और माननीय मंत्री जी उस हिसाब विचार करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- सारे सदस्य लोग हैं सारे जिम्मेवार लोग सुन रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी नोट भी कर रहे हैं। जिम्मेदार मंत्री भी नोट कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- हमारे संसदीय सचिव भी हैं और वरिष्ठ अधिकारी सुन भी रहे हैं। सभी विधायक सुन रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको मंत्री नहीं बनाया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की थी वह स्वाभाविक है और पहले भी ऐसा हुआ है कि राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई है और अगर अधिकारी दीर्घा खाली रही है ट्रेजरी बैंक खाली रहा है तो कुछ समय रोककर फिर कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया तो आप आसंदी से निर्देशित कर दें। सारे जिम्मेदार अधिकारी अधिकारी दीर्घा पर आ जायें। ट्रेजरी बैंक के लोग आ जायें और फिर हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करें तो अच्छा होगा।

श्री उमेश पटेल :- मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। जब इस बात की जानकारी विधान सभा को उपलब्ध करा दी गई है सभी सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है कुछ महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई है। सब लोगों को उसकी जानकारी दे दी गई है। मैं ट्रेजरी बैंक के सामुहिक जिम्मेदारी के रूप में यहां उपस्थित हूँ। आपकी सारी बातों को नोट कर रहा हूँ अगर आप चाहें तो मैं पढ़ दूंगा। अगर आपको इस

बात की चिंता हो रही है कि मैं नोट कर रहा हूँ या नहीं, मैं इस बात को रिपीट कर सकता हूँ कि माननीय सदस्य ने कौन-कौन सी बातों को कहा है। आपने सबसे पहले खाद्य विभाग के बारे में कहा, नगरीय निकाय, प्रोटोकाल, शराब, रेत, सरकारी जमीन के बारे में कहा है। बस्तर में सैनिक और अर्द्धसैनिक शहीद हुए हैं, उनके बारे में चिंता जाहिर की गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय कार्य विभाग के सचिव यहां आये हैं, वह इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी विभागों के अधिकारी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा के समय अधिकारी दीर्घा में उपस्थित होना चाहिए। मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री उपस्थित रहना चाहिए। माननीय मंत्री जी आप मंत्रिमंडल की बैठक में चिट भिजवा दें कि जिन मंत्रियों का काम नहीं है, वह आ जायें और सभी विभाग के अधिकारी यहां उपस्थित रहें। इस बात को सुनिश्चित करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आपकी योग्यता पर हमें कोई संदेह नहीं है। आपकी व्यवस्था पर हमें शंका है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। इस व्यवस्था को आपको सुधरवना चाहिए। हाउस का डेकोरम मेंटेन करने के लिए आपको हाउस की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। यहां खाली-खाली में क्या कोई बोलेगा, हमें बोलने का मन ही नहीं करता।

श्री उमेश पटेल :- जिसकी जानकारी दे दी गई है। कुछ समय के लिए है, बहुत जल्दी सभी सदस्य वापिस आ जायेंगे। कुछ देर की बात है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):- माननीय सभापति महोदय, यह आज की पहली घटना नहीं है, इस बात को हम लोग लगातार उठा रहे हैं। कल भी यह बात आई है। कल भी चर्चा के दौरान मैं हम लोगों ने आग्रह किया था कि मंत्री भी सुनिश्चित करें, आसंदी भी सुनिश्चित करे। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में इससे और महत्वपूर्ण कोई चर्चा हो, चाहे वह बजट की चर्चा हो, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो, ऐसे समय में सारी दीर्घा खाली रहे, कोई अधिकारी न रहे। आपके टोकन में एक मंत्री रहे और उसके बाद में पूरा सदन खाली हो तो उस अभिभाषण में चर्चा कराने का महत्व क्या है ? हमारे बोलने के बाद में यदि आप इसको सुनिश्चित नहीं करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय नेता जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, यह बात बार-बार उठाई जा रही है, यह आज की बात नहीं है। इसके पहले भी इस बात को उठाया है। उसके बाद में यदि सरकार में गंभीरता नहीं है तो इसमें चर्चा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो वैसे ही सब पारित कर लेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय नेता जी, इस बात का आप भी मानते हैं कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक मंत्री उपस्थित है और बहुत गंभीरता से आपकी सारी बातों को नोट कर रहा है। अभी आप चंदेल जी से कन्फर्म करा लें कि इन सभी बातों को उन्होंने कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके ब्यूरोक्रेट आसंदी का सम्मान नहीं करते, आप बार-बार क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैं बैठा हूँ। आपको देख रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी, आपकी सामूहिक जिम्मेदारी में हमने प्रश्नचिन्ह नहीं उठाया है, यह उधर का प्रश्नचिन्ह है। आप तो बैठे ही हैं। इधर कोई नहीं बैठा है।

श्री उमेश पटेल :- नेता जी, पूरी बात तो सुनिये।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबंध (डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह) :- जब राज्यपाल महोदया निकल भी नहीं पाई थीं, तब आप लोग नारे लगाने लग गये थे, वह उनका सम्मान था।

सभापति महोदय :- अधिकारी उपस्थित हैं। सामान्य तौर पर अधिकारी दीर्घा की चर्चा नहीं होती है। मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि सदन की कार्यवाही के संचालन में सभी लोग सहयोग देंगे। आदरणीय नारायण चंदेल जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, कोरोनाकाल के कारण अधिकारी दीर्घा में एक सीट को छोड़कर एक सीट में क्रास लगा रहता है, एक सीट को छोड़कर ही बैठेंगे। सभी सीट में नहीं बैठता होता है, इसलिए खाली हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, ब्यूरोक्रेट्स हमारे नियंत्रण में होता है। अगर राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण में सभी विभागों की चर्चा आई है तो लगभग सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। अमूमन जब बजट की चर्चा होती है तो उस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। कौन संसदीय सचिव हैं, कोई आई.ए.एस. उपस्थित नहीं है, कोई विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं हैं। वह संसदीय कार्य विभाग के सचिव हैं। मुझे मालूम है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, कृपया सुनिश्चित करेंगे कि बजट की चर्चा के समय अधिकारी बैठें। माननीय नारायण चंदेल जी।

श्री नारायण चंदेल :- जब इस तरह उपस्थिति से आसंदी संतुष्ट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई उपस्थित न रहे तो भी हम भाग ले लेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, आपको इस बात की भी जानकारी है कि दीर्घा में एक कुर्सी के बाद एक कुर्सी को छोड़कर बैठने का गुणांक का निशान लगा है। आप देख लीजिए, बाकी सब में अधिकारी बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री उमेश पटेल जी बैठे हुए हैं और सारी बातों का जवाब देंगे।

श्री नारायण चंदेल :- जवाब वह नहीं देंगे, वह नोट कर रहे हैं। जवाब तो मुख्यमंत्री जी देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश पटेल जी, बहुत नौजवान ऊर्जावान मंत्री हैं, उन्हीं से उत्तर भी दिलवा दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, यह सरकार डबल स्टैण्डर्ड पर काम कर रही है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जवाबदारी है और जब हम प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि यह मेरे विभाग का नहीं है, उस विभाग का है, उस विभाग से बात करो। आपकी तरफ से निर्देश होना चाहिए कि अधिकारी दीर्घा में सारे अधिकारी उपस्थित रहें।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, सभी मंत्री बहुत जवाबदारीपूर्वक जवाब देते हैं, इतना जरूर है कि चन्द्राकर जी की तरह उत्तेजित होकर जवाब नहीं देते।

सभापति महोदय :- चंदेल जी, बिल्कुल संक्षेप में रखकर अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, संक्षेप में तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि फोकट ले चिचियाए ले कोई मतलब नइ है, क्योंकि यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है तो संक्षेप में तो रखना ही पड़ेगा। (हंसी)

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं आप अच्छा बोल रहे हैं, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने जो विषय उठाया है यह सदन की गरिमा का विषय है और आज नहीं पूरे देश में इस प्रकार की नजीर नहीं बननी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में महामहिम की सदन के अंदर अवहेलना हुई। यह बहुत उच्चस्तरीय बातें हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऊर्जावान मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- दो सचिव बैठे हैं और लगभग 50 परसेंट सीट भरी हुई है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय चंदेल जी, फिर आप बोलेंगे कि बल्ब को लालटेन दिखाना पड़ रहा है तो फिर हम कैसे सुनेंगे? आप ही बताईए न। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली यह सरकार। इस सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं हैं। इस सरकार की दिशा और दशा दोनों खराब हैं। इस सरकार का कोई विजन नहीं है और समाज का हर तबका इस सरकार की कार्यप्रणाली से त्रस्त है। चाहे वह किसान हो, जवान हो, अधिकारी-कर्मचारी हो, मजदूर हो, छात्र हो या रोज कमाने और रोज खाने वाला व्यक्ति हो और यह सरकार सुनियोजित ढंग से सबके साथ में अन्याय और अत्याचार कर रही है। खुले आम लूट रही है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय, आप ईमानदारी से बताईएगा कि क्या यह आपमें भी लागू है?

श्री नारायण चंदेल :- तो इसलिए महामहिम के अभिभाषण से हम असहमत होते हुए, महामहिम को इस सरकार ने गलत पठन कराया है, अभिभाषण के नाम से असत्य कथन कराया है और महामहिम

के इस अभिभाषण का हम विरोध करते हैं और आज जो दृश्य सदन में दिख रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं और इस सरकार के लिए एक ही बात कहूंगा कि -

तुमने हमको ऐसे लूटा, तुमने हमको ऐसे लूटा,
इस भरी बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया,
फाल्गुन के त्यौहार में । (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृहस्पत सिंह :- जाते-जाते यह तो बोल देना था कि 15 साल तो लूटा ही गया, अब तो कम से कम आपको नहीं लूटा जा रहा है ।

सभापति महोदय :- श्री मोहन मरकाम ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी ने समर्थन किया था तो जो कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हैं, उनका भाषण होना चाहिए, श्री मोहन मरकाम जी का बाद में भाषण होना चाहिए। यह उचित नहीं है, यह सरकार पूरी परंपराओं को तोड़ रही है और चूंकि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का यह सत्तापार्टी अपमान कर रही है, ब्यूरोक्रेट से लेकर जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं, वे तक उपस्थित नहीं हैं और इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :

3.03 बजे

बहिर्गमन

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्यों की अनुपस्थिति के विरोध में

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्यों की अनुपस्थिति के विरोध में बहिर्गमन किया गया।)

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है, जो बातें आयी है । गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक नयी परिकल्पना के साथ माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आगे बढ़ रही है । आज कहीं न कहीं इन दो सालों में छत्तीसगढ़ का मान, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, पूरे देश ही नहीं, विश्व में भी डंका बजा है । इंडिया टू डे की रैंकिंग समावेशी विकास में छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बना है, यह

इंडिया टू डे की रैंकिंग है। आज हमारी सरकार एक नयी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ी है। आज नीति आयोग के अनुसार पूरे देश को आगाह किया गया है, वर्ष 2030 तक देश के 40 प्रतिशत लोगों की पहुंच पीने के पानी तक नहीं पहुंचेगी, यह देश के नीति आयोग ने पूरे देश को आगाह किया है। 10 साल पहले 15 हजार नदियां थी, 70 साल पहले 30 लाख कुएं और तालाब थे। 4500 नदियां सूख गई हैं, गायब हो गई हैं। 20 लाख तालाब कुएं-झील बंद हो गई है। हमारी सरकार एक नई परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है। जो हमारा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। इसे वैज्ञानिक सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। आज रायपुर शहर में 600 फिट में भी पानी नहीं है। आज भू-गर्भीय जल को, वर्षा के जल को कैसे बचाना है, हमारी सरकार उस ओर काम कर रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था कि जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है, उनका भाषण पहले होना चाहिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सभापति जी, केवल दो ही सदस्य हैं, बाकी सदस्य बहिर्गमन कर गए क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, इस पर तो आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, आज हमारी सरकार उस ओर काम कर रही है। इसलिए इस सरकार की योजनाओं की तारीफ़ हो रही है। आज अगर हम सतही जल को और बरसात के जल को बचाएंगे तो नदी, नालों से लेकर तालाब रिचार्ज होंगे और सतही जल आगे बढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियां, जैसा कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव का विकास कैसे हो, वहां की जनता चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता का कैसे विकास हो उसके लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार योजनाएं बना रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मरकाम जी, जिसने ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की मांग की और जिसने गोडसे के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाने की मांग की, उसको आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रवेश कराया गया है। यह जानकारी दे दूं।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- कल सरकार पलटवाए तब पांडीचेरी की जानकारी नहीं दिये थे भइया।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को कटोरा पकड़ा दिया था। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को हम देखते हैं, 15 सालों में कर्ज के बोझ में दबे होने के कारण लगभग 15 हजार किसानों ने आत्महत्या की थी। सभापति जी, हमारी सरकार की नीयत देखिये। हमारी सरकार जो वायदा करती है उसे पूरा करती है। दो घंटे के अंदर अगर कर्ज माफ करने वाली कोई सरकार है तो वह कांग्रेस की सरकार है। लगभग 13 लाख किसानों का

लगभग 11 हजार करोड़ कर्ज माफ करने वाली सरकार है तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है । मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं वे किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, मजदूरों के नाम पर राजनीति करते हैं । 2004 का मेनीफेस्टो देख लीजिए, उन्होंने कहा था लघु एवं सीमांत किसानों का कर्जा माफ करेंगे । 15 साल तक ये सरकार में रहे लेकिन कर्जा माफ नहीं किया । इन्होंने कहा था हर जरूरतमंद 12वीं पास युवा, युवतियों को नौकरी देंगे । नौकरी नहीं दी गई तो बेरोजगारी भत्ता देंगे । छत्तीसगढ़ के 146 केन्द्रों में दाल-भात केन्द्र खोलेंगे । प्रत्येक आदिवासी परिवार को गाय देंगे । 1990 से वन भूमि में काबिल आदिवासियों को पट्टा देंगे । 15 साल तक इनको सरकार में रहने का मौका मिला । मगर इन्होंने नहीं किया और आज किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । आज हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है वह करती है । सभापति जी, ये किसानों के नाम से राजनीति कर रहे हैं । ये जो आंकड़े हैं, केन्द्रीय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने 6 वर्ष और वर्तमान में 7 वर्ष कुल 13 वर्षों के कार्यकाल में धान के समर्थन मूल्य में मात्र 460 रुपए की वृद्धि की, जबकि केन्द्र में डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार जो 10 वर्षों तक रही, इस कार्यकाल में समर्थन मूल्य 890 रुपया बढ़ाया है । इसका मतलब साफ है, चाहे केन्द्र में हमारी सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही है । समर्थन मूल्य में वृद्धि हमारी सरकार ही करती है । भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में हमारी बात सुनने की हिम्मत नहीं है इसीलिए बहिर्गमन किया है । आज इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। सुनने की औकात नहीं है और आज इसीलिए बहिर्गमन किये हैं। हमारी सरकार जो कहती है, वह पूरा करती है। माननीय सभापति जी, वर्ष 2014 में क्या कहा था? बहुत बड़े-बड़े वादे किये थे। हम केन्द्र में सरकार में आयेंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। इन्होंने कहा था। आज 15 सालों तक कल तक केन्द्र को बहुत चिट्ठी लिखते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मरकाम जी। ओ मरकाम जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नारायणपुर की खरीदी का कुछ बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम :- आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में सरकार में थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश की बात करते थे। आज केन्द्र सरकार से एक निवेदन नहीं करते कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मरकाम जी।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री मोहन मरकाम :- पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज केन्द्र की मोदी सरकार को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते कि आप स्वामीनाथन कमेटी की

रिपोर्ट लागू करें। आज आप इतने बड़े पद पर होते हुए भी वहां के प्रधानमंत्री को इस बात को नहीं कहते।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही जानना था कि भाषण की कल वाली कॉपी है या आज की नई कॉपी है? और कोई दूसरी बात नहीं जाननी थी। वह कल ही वाला पूरा टंकित है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हर चुनौतियों का सामना करते हुए भी इस कोरोनाकाल में भी आज जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प पर हम कायम हैं और छत्तीसगढ़ के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 21 लाख 52 हजार 980 किसानों में से 20 लाख 53 हजार 483 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की किसी में हिम्मत है तो हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने धान खरीदी के हर पहलू कुल पंजीकृत रकबा कुल धान खरीदी का रकबा छत्तीसगढ़ में 95.44 प्रतिशत धान खरीदी का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये क्या कहेंगे? इन्हें सिर्फ किसान के नाम से छत्तीसगढ़वासियों के नाम से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और हमारी सरकार जो कहती है, वह पूरा करती है। आज न केवल किसानों के जीवन बल्कि पूरे कृषि उत्पादन और खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ है। माननीय सभापति जी, पिछले 15 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉ. रमन सिंह जी ने अकेले विदेश यात्राएं कीं। बहुत से सैर सपाटे किये। बहुत से एम.ओ.यू. किये। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जनता का जो करोड़ों रुपया आप लोगों ने सैर-सपाटे में खर्च किया, उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को कितना मिला? हमारी सरकार जो कहती है, वह पूरा करती है। आज कहीं न कहीं जो योजनाएं बनाती हैं, उससे आज हमारी सरकार की नीयत नीति स्पष्ट है। पहले दिन से ही हमारी सरकार ने नीति और नीयत स्पष्ट कर दी थी। उसी के अनुसार चल रही है और उसी के अनुसार आगे बढ़ रही है। आज कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का विकास करना चाह रही है। हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय पाण्डे जी ने बातें कहीं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का, छत्तीसगढ़वासियों का लाखों एकड़ जमीनें, कई एकड़ जमीनें लिये, मगर आपने उद्योग नहीं लगाये। हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के संसाधनों का कैसे दोहन होगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, उसके लिए लगातार काम कर रही है। आज माननीय मोदी जी की सरकार कहती थी कि देश बिकने नहीं दूंगा। मगर जब से देश में सरकार में सत्ता संभाले हैं, देश के संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हैं। जो नगरनार स्टील प्लांट बस्तरवासियों का सपना था, नगरनार स्टील प्लांट लगेगा। बस्तरवासियों को रोजगार मिलेगा। बस्तर के लोगों का विकास होगा। इसीलिए सरकारी उपक्रम नगरनार, जो भारत सरकार का उपक्रम है, नवरत्न कम्पनी है, जिसके लिए बस्तरवासियों ने जमीनें दी थीं और नगरनार स्टील प्लांट में भी इनकी नीयत डोल गई। चंद उद्योगपतियों को बेचने का षडयंत्र

कर रहे हैं, जो केन्द्र में बैठे हम दो हमारे दो, माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब बैठे हैं, उनके दो उद्योगपति मित्रों को बेचने का काम केन्द्र सरकार कर रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम तो नारायणपुर की बात भी कर रहे हैं। नारायणपुर के बारे में कुछ बात बोलिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के तीज-त्यौहार, रीति-नीति, हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदी लाल और अनगिनत लोगों ने छत्तीसगढ़ का सपना देखा था।

सभापति महोदय :- मरकाम जी, कितना समय लेंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, मैं दूसरा वक्ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे आधे घंटे का समय दीजिए।

सभापति महोदय :- राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर बोलने के लिए लगभग 22 सदस्यों के नाम हैं। प्रथम वक्ताओं ने अपनी बात विस्तार से कह दी है। अतः मैं चाहूँगा कि सभी सदस्य अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, ये सिर्फ दूसरे वक्ता नहीं हैं, जो समर्थक थीं-श्रीमती चन्नी साहू, उनका हक छीनने वाले वक्ता हैं।

सभापति महोदय :- चर्चा में उनका नाम है, वे भी बोलेंगी।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, हमारे वक्ता ने जो बातें कहीं हैं, मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूँ। जो बातें छूट गई हैं, उन बातों को मैं कह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने जो बातें कही हैं, उसको तो हम कल आपसे पूछ चुके हैं। आप कौन सी नई बात कह रहे हो ?

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, आज छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार द्वारा 146 विकास खण्डों में से 110 विकासखण्डों में नवीन फूड पार्क हेतु भूमि चिह्नांकित की गई है और आने वाले दिनों में वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा चाहे वह वनोपज पर आधारित उद्योग हो, वहां लघु-कुटीर उद्योग संचालित होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल नहीं कर पायी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बदहाल व्यवस्था बना दी थी। पिछली सरकार के समय शिक्षकों के 51880 पद खाली थे, व्याख्याताओं के 12 हजार पद खाली थे।

हमारी सरकार ने 15 हजार शिक्षकों की भर्ती करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस ओर प्रक्रिया आगे बढ़ी है और नियुक्तियों का काम हमारी सरकार कर रही है।

माननीय सभापति जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरकारी सरकारी आंकड़े हैं, वह 2014-15 में 53502, 2015-16 में 44029, 2016-17 में 44357, 2017-18 में 48024 मजदूर छत्तीसगढ़ से पलायन किये थे। यह भारतीय जनता पार्टी के 2008 और 2013 के संकल्प पत्र हैं। इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। यह असत्य बोलने वाले कहते कुछ हैं और बरगलाते कुछ हैं। इन्होंने 2008 की घोषणा-पत्र में कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5 हार्स पावर का पम्प देंगे, पर इन्होंने कितने लोगों को पम्प दिया? इन्होंने कहा था कि पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। ये जो आंकड़े मैंने बताया है, वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के आंकड़े हैं। इन्होंने घोषणा-पत्र में कहा था कि हम भय मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को धान का 270 रुपए बोनस देंगे और इन्होंने कहा था कि किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे, इन्होंने कहा था कि किसानों को बिजली देने के लिए अलग से लाईन बिछाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय शिवतरन शर्मा जी के क्षेत्र में भी किसानों को अलग से बिजली देने के लिए लाईन बिछाई गई है क्या? इन्होंने कहा था कि सभी गांवों में पक्की सड़क, सामुदायिक भवन बनायेंगे।

श्री शिवतरन शर्मा :- आपके राज में एक लाख एक हजार अस्थाई कनेक्शन चल रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- इसके साथ-साथ हर हाथ को काम, हर खेत को पानी भय और भूख से मुक्ति के बाद अब प्रदेश आतंक मुक्त होगा। सभापति महोदय, हमने इनके 15 सालों के आतंक का राज देखा है। आप 2013 के भी घोषणा पत्र देखिए। आज 2 साल की बात करते हैं। आपके 15 सालों के कुकर्मों का हम कच्चा चिट्ठा दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- मरकाम साहब। कृपया जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- 15 मिनट समय दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :- दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन जी, जरा बताइये तो किसानों के लिये कितने गड्ढे खोदे गये हैं और इस कार्यकाल में कितना खोदे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- इन्होंने कहा था कि किसानों का समर्थन मूल्य 300 रुपये देंगे। इन्होंने 2013 के घोषणापत्र में मेट्रोट्रेन और मोनोट्रेन का भी सपना दिखाया था। आज लगातार जो बातें हैं, आज कहीं न कहीं हमारी सरकार जो कहती है, उन वादों को हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार पूरी करती है। इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था सभी 85 आदिवासी विकासखंडों में सेंट्रल स्कूल खोलने की सिफारिश करेंगे। हमारी सरकार ने उन क्षेत्रों में जो आदर्श विद्यालय, नवोदय विद्यालय खोले थे, मगर इन्होंने मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. स्कूल में बदलकर इनकी सरकार ने वहां के गरीब लोगों का हक मारने का

काम किया था। आज हमारी सरकार जो बात होती है, करती है। मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में जी.एस.टी....

सभापति महोदय :- मरकाम साहब, बिल्कुल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। अभी लगभग सत्ता पक्ष के 11 वक्ता हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति जी, आपका संरक्षण चाहिए। मैं दस मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ केन्द्र को दोगुना जी.एस.टी. दिया है। 2017-18 में जी.एस.टी. 4763 करोड़ रुपये, 2018-19 में 8950 करोड़ कुल 13717 करोड़ रुपये है। उसके बाद भी केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को जी.एस.टी. मिलना था। आज वही बात होगी। नान की बात कर रहे थे, आज नान में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में नान और धान का खेल कैसा होता था। आज जो आरोप लगे हैं, 36 हजार करोड़ के नान के घोटाले में पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी उसमें आये थे। 21 लाख फर्जी राशनकार्ड बनवाये गये थे और इनके शासनकाल में तीन हजार करोड़ की सीधा-सीधा चूना, जो नेता प्रतिपक्ष जी कहते थे, छत्तीसगढ़ के खजाने को तीन हजार करोड़ की चूना लगाया गया था। 236 करोड़ की क्षतिपूर्ति गारंटी बिना कैबिनेट के अनुमोदन के किया था। 2013 के विधानसभा चुनाव पंचायत चुनाव में इन्होंने जो नान का पैसा खर्च किया था, आज किस मुंह से कहते हैं। नान, धान के नाम से राजनीति करते हैं। आज हमारी सरकार लगातार काम कर ही है, साथ ही साथ चंद्राकर साहब, आपके शासनकाल में 4601 करोड़ के टेंडर घोटाले के भी आरोप लगे थे। जो चीफ पी.डब्ल्यू. डी. के सी.ई.ओ. दफ्तर में छापा मारकर 1921 टेंडरों की फाईल जब्त की गयी थी। आप किसको दिखा रहे हैं। आज हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जो संसाधन छत्तीसगढ़ के विकास में हैं, उससे काम करते हैं। आज हमारी सरकार की जो दशा है, दिशा है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिये काम कर रही है। आज संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं। आज विकास के पायदान पर बात हो रही है, हमारी सरकार की पहचान बनी है। आज हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार 2019 में अब तक मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के लिये कुल 104 काम किये हैं, जिसमें ईकाइयों के प्रस्तावित कुल पूंजी निवेश 42714 करोड़ रुपये है, जिसके माध्यम से 64 हजार 94 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आज जो बातें हैं, लगातार छत्तीसगढ़ के संसाधनों का, छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा के लिये हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। आज ये कानून-व्यवस्था की बात करते हैं? पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ से 16 हजार से 27 हजार महिलाएं लापता हो गई थीं। आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कल तक भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन की बात कर रहे थे, आज तो अच्छे दिन गये तेल लेने। आज कहीं भी अच्छे दिन की चर्चा नहीं होती है। आज हमारी सरकार जो काम कर रही है, उस ओर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का क्या हथ्र करके रखा था ? ये जो आकड़ें हैं, जब सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ की

गरीबी मात्र 37 प्रतिशत थी। 15 साल में 42 हजार करोड़ कर्ज लेने के बाद छत्तीसगढ़ की गरीबी 39.9 पर पहुंच जाती है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां 18 प्रतिशत झुग्गियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये विकास है। हमारी सरकार का विकास का माडल, व्यक्ति मूलक है। इस छत्तीसगढ़ के 02 करोड़ 80 लाख जनता का विकास होगा, तो आलरेडी छत्तीसगढ़ का विकास होगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए हमारी साथी ने जो कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव लाया, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। सभापति जी, आपने बोलने मौका दिया, समय दिया, इसलिए दिल से धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, सदन के सदस्य श्री शैलेश पाण्डेय जी के द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में सरकार ने बीते वर्ष में क्या किया और भविष्य में क्या करने वाली है, इस बात का उल्लेख होता है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि राज्यपाल महोदया से यहां पर पूरा असत्य कथन पढ़ाया गया है। मैं आपके सामने एक-एक बिन्दु पर अपनी बात रखता हूं। इसमें उल्लेख है कि "प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी और उनका पुनर्वास।" उस पीरियड में इत्तेफाक से मैं माननीय शैलेश पाण्डेय जी के साथ एक टी.व्ही. डिबेट में था। उसी पीरियड में श्रम मंत्री आदरणीय शिव डहरिया के साथ ही टी.व्ही. डिबेट में था। सरकार की स्थिति यह थी कि सरकार के पास इस बात के आकड़ें भी नहीं थे कि कितने लोग छत्तीसगढ़ से पलायन करके बाहर गये हैं। जब शैलेश पाण्डेय जी ने कहा कि बिलासपुर जिले से 50 हजार से ज्यादा मजदूर पलायन करके गये हैं। तब मैंने कहा कि यह संख्या 6 से 7 लाख होगी। अभी माननीय शिव डहरिया जी आ गये हैं, इन्होंने टी.व्ही. डिबेट में कहा कि संख्या डेढ़ से दो लाख से ऊपर नहीं होगी। मैं उस पीरियड में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गया क्योंकि मेरे क्षेत्र के कुछ लोग जो पुणे में फंस गये थे, उनके लाने की व्यवस्था कराने हेतु गया था। स्थिति यह थी कि सरकार जिनके पुनर्वास की बात कर रही है, सरकार के पास इनके आकड़ें तक नहीं थे कि छत्तीसगढ़ से कितने लोग पलायन करके बाहर गये हैं और पुनर्वास की बात करते हैं। विधानसभा में लगातार अलग-अलग माननीय सदस्यों का प्रश्न आया है। जब उनको वापस लाया गया, क्वारनटाइन सेन्टर में रखा गया, उनके लिए जो व्यवस्था की गई तो पंचायतों ने 14वें वित्त से उधार लेकर उस व्यवस्था को किया, लेकिन उसका आज तक वह भुगतान नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की थी। परन्तु उनको गांवों तक पहुंचाने के लिए जो बसें लगाई गई, उन बसों का भुगतान आज तक बाकी है। ये पुनर्वास की बात करते हैं ? न बस का भुगतान, न पंचायतों को भुगतान, न इनके पास पलायन के आकड़ें हैं, कैसी व्यवस्था? 11 हजार से अधिक पंचायतों में 2-2 क्विंटल चावल दिया गया। माननीय पाण्डेय जी, पंचायतों को किस भाव में चावल दिया गया था, आपको मालूम है ? वह एक रुपये किलो का चावल नहीं था। पंचायतों से 3300 रूपया क्विंटल के हिसाब से

पेमेन्ट लिया गया और 3300 रुपया क्विंटल के हिसाब से पेमेन्ट लेकर पंचायतों को चावल दिया गया था। सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है कि 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने धान बेचा। इस साल हमने रिकार्ड 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है। आज एक प्रश्न पर लगभग 40 मिनट चर्चा हुई है। चावल खरीदी का सेंट्रल पूल में कोटा बढ़े इसकी लगातार सरकार मांग कर रही है और वर्ष 2019-20 में सेंट्रल पूल में जो चावल जमा करना था, आज स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 2 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने में ये असफल रहे। 3 लाख 84 हजार मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों में सड़ गया। 44 हजार मीट्रिक टन धान का शॉर्टेज है। इसकी भरपाई कौन करेगा? अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इस साल पूरे उपार्जन केंद्रों में धान बफर लिमिट से ज्यादा पड़ा हुआ है। उसके परिवहन की व्यवस्था रोक दी गई है और जो स्थिति बनी है कि इस साल ज्यादा धान सड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए क्या करेंगे? एक दूसरी बात कि 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये जा चुके हैं। यह अच्छी बात है कि आपने 16 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया। माननीय अटल जी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड दिये गये हैं इसमें रिजर्व बैंक से जिन बैंकों को मान्यता प्राप्त है उन बैंकों ने भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया है और वे भी इस गिनती में शामिल हैं। हमारे साथीगण बार-बार कर्जमुक्ति की बात करते हैं कि हमने इतने किसानों का कर्ज मुक्ति कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों का कर्ज माफ किया तो जिन किसानों ने निजी बैंक से कर्ज लिया, उन निजी बैंकों को रिजर्व बैंक ने मान्यता दी है, उन बैंकों को प्रदेश की सरकार ने भी मान्यता दी है, प्रदेश की सरकार के खजाने का पैसा उन बैंकों में जमा होता है उदाहरण के लिए एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक है और यश बैंक का तो आज सदन में उल्लेख भी हुआ है। इन बैंकों से जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज लिया उसमें कितने किसानों का कर्ज माफ किया जरा ये बता दें। निजी बैंक के एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। आप बोलें तो 100-50 लोगों की सूची में यही उपलब्ध करा सकता हूं। 10 दिन में कर्ज माफी की बात करने वाली यह सरकार आज सवा दो साल बाद हम चुनौतीपूर्वक बोलते हैं कि निजी बैंकों से जिन किसानों ने कर्ज लिया उन किसानों का कर्ज माफ करने में यह सरकार असफल रही।

श्री रामकुमार यादव :- शर्मा जी, 15 साल में तूमन एको कनी करे हो? हमर छत्तीसगढ़ी में कथे रुपया ल छोड़ा ऐखर ठूंठी बीड़ी घलो माफ करे हो का?

श्री शिवरतन शर्मा :- अब ठूंठी बीड़ी ल तेहं पीयत होबे भईया, ओखर बारे में तेहीं जानबे। मैं ठूंठी बीड़ी पीयंव नहीं कभी।

माननीय सभापति महोदय, अकबर साहब, आपके लिए समर्पित है कि विगत वर्ष में 2 करोड़ 23 लाख पौधों का रोपण किया गया।

श्री अजय चंद्राकर :- पंडित जी, आपने मेरे मुर्शीद को समर्पित किया इसके लिए थैंक्यू।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, विगत वर्ष में 2 करोड़ 23 लाख पौधों का रोपण किया गया जिसमें राम वनगमन पथ, नदियों के किनारे पौधारोपण जैसे नवाचार भी शामिल हैं। माननीय अकबर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि बलौदा बाजार भाटापारा जिले में भी राम वनगमन पथ है और यहां भी वृक्षारोपण का कार्य हुआ है। एक बार समय निकालकर विजिट कर लीजिए कि चार महीने में जो वृक्षारोपण हुआ है उसमें कितने वृक्ष जिन्दा हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- वृक्षारोपण नवाचारी कैसे हो गया, यह तो वर्षों से हो रहा है? इसको नवाचारी क्यों माना गया?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, अब नवाचारी कैसे हो गया, यह माननीय अकबर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- वह नवाचार इस हिसाब से कि पहले नदी तट वृक्षारोपण नहीं होता था। वह नदी तट वृक्षारोपण, राम वनगमन पथ में वह वृक्षारोपण है, ये है नवाचार।

श्री अजय चंद्राकर :- लोमश ऋषि आश्रम में कस के वृक्षारोपण होये है। वह सब जगह हुआ है, मैं तो आपको बता रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, अच्छा, चलिए हम नवाचार मान लेते हैं पर आप मेरे आमंत्रण को स्वीकार कीजिए और बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में जो राम वनगमन मार्ग में वृक्षारोपण हुआ है उसमें कितने वृक्ष जिन्दा हैं, कितने की फार्मेलिटी हुई है आप स्वयं अध्ययन कर लें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मोर जमीन-मोर मकान । मोर मकान मोर चिन्हारी। उल्लेख किया गया है पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इस वर्ष लगभग केन्द्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास के टारगेट दिये थे उस टारगेट में लगभग 5 लाख आवास की राशि वापस चली गई । प्रदेश सरकार ने 6 लाख 48 हजार में खाली 1 लाख 57 हजार मकान स्वीकृत कराना स्वीकार किया। यह नुकसान किसको हुआ। क्या यह छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का नुकसान नहीं है। माननीय सभापति जी, कल मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिक्षा सूची में 8 लाख 59 हजार 578 नाम अभी शेष हैं, जिनका प्रधानमंत्री आवास में मकान बनना है और आपने 5 लाख मकान वापस कर दिये। अगर आप इस टारगेट को पूरा कर लेते यह प्रतिक्षा सूची कम होती या नहीं होती। पर दुर्भाग्य है कि राज्यपाल महोदय से भी गलत पढ़ा लिया गया। इसमें उल्लेख है कि ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय शिवरतन भईया ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है और शहरी क्षेत्र का अलग होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं दोनों के बात कर त हों।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोर मकान मोर चिन्हारी ये गांव में नहीं चले।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोरो आंकड़ा ला बता दूँ, चिंता मत कर। मोर मेर जो आंकड़ा हे उहू आंकड़ा ला बतावत हों।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर जगह कोई आंकड़ा नइ हे, सब गड़बड़ आंकड़ा लेकर आथस इहां अउ कुछ भी पढ़कर जाथस।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज अइसे करबे कि मुख्यमंत्री के जगह तही जवाब दे देबे।

श्री रामकुमार यादव :- जिंदा ला मुरदा बना देथे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओकर जवाब ला ओ दिही अउ मोर जवाब ला मे दूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना जैसी पहल से गांव में बेहतर अधोसंरचना का विकास जावेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बजट वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री सड़क के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया था, ग्राम गौरव पथ के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया था समग्र विकास के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया था और प्रावधानित बजट में कितने की प्रशासकीय स्वीकृति हुई आपको आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना में जो बजट प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है वह तीन करोड़ उनचालीस लाख रुपये की है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपकी अनुमति लेकर और संयोग से अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। आप अपने कार्यकाल में क्या संसदीय परम्पराओं को पूरा तोड़ने का निश्चय कर चुके हैं। वह जो प्रस्तावक सदस्य थीं वह नहीं थी उसकी जगह मैं माननीय मोहन मरकाम जी को बोलवाया गया। अगर यह आपको उचित लगता है तो मैं चाहूंगा कि आपका मत क्या है। मैं आपका मत जरूर जानना चाहूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका जवाब आना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसी को आपसे सुनना है क्योंकि बाकी हम भाषण वाषण तो सुनते रहते हैं पर इसी से ज्ञानवर्धन होगा। यह पहली बार हो रहा है। धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थक सदस्य की जगह मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष को बोलवाया गया। कृपा करके इसमें आप भिज हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है इसमें हमने बहिर्गमन किया था और बिना कुछ इसके वापस आये तो आपको तो इसमें जरूर बताना चाहिए। थोड़ा दो मिनट बताइये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ग्राम गौरव पथ में जो बजट प्रावधान किया गया था उसमें प्रशासकीय स्वीकृति नील है। मुख्यमंत्री समग्र विकास में जो बजट प्रावधान ढाई सौ करोड़ का किया गया उसमें प्रशासकीय स्वीकृति है तीन करोड़ उनचालीस लाख की है। अब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क

योजना में जो 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, उसमें प्रशासकीय स्वीकृति है 4 करोड़ 11 लाख की है। अब इसमें पढ़ावा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना से गांवों में बेहतर अधोसंरचना का विकास किया गया। यह 4 करोड़ और 3 करोड़ की व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के गांवों का विकास हो गया क्या, यह माननीय मुख्यमंत्री जी बतायेंगे। बस्तर के बाद बिलासपुर में भी अंतरराज्यीय विमान सेवा प्रारंभ होने से प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि प्रदेश को तो लाभ मिलेगा लेकिन यह विमान सेवा शुरू हो रही है तो उस विमान सेवा को शुरू करने में प्रदेशकी कितनी भूमिका है और केन्द्र की कितनी भूमिका है। जरा यह भी बता दें। विमानन तो कभी राज्य का विषय ही नहीं रहा, पर राज्यपाल से पढ़ावाया जा रहा है। इसमें लिखा गया है।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- मतलब आप कबूल रहे हैं कि आज तक आपने बिलासपुर को वंचित रखा था।

श्री सौरभ सिंह :- बिलासपुर को हवाई सेवा मिलने में 70 साल लगा ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे तब वायुदूत बिलासपुर से जाता था।

श्री सौरभ सिंह :- उसके बाद क्या हुआ ये उड़ान योजना में हवाई जहाज चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो उड़ान योजना है।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- उस एयरपोर्ट को इसी विधान सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 करोड़ रुपये दिये थे।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी आगे बोलिए।

श्री सौरभ सिंह :- यह उड़ान योजना में हवाई जहाज चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो उड़ान योजना है, उसमें हवाई जहाज चल रहा है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- इसी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस एयरपोर्ट को 27 करोड़ रुपये दिये थे।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, आगे बोलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, "पढ़ाई तुंहर दुआर", "पढ़ाई तुंहर पारा" कार्यक्रमों के तहत ऑनलाइन कक्षा, मोहल्ला कक्षा, लाउडस्पीकर स्कूल, बूलटू के बोल आदि तरीकों से 25 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला। अब पढ़ाई तुंहर दुआर, ऑनलाइन शिक्षा की बात कही गई है, आपने कितने विद्यार्थियों को मोबाइल दिया है? आज समाचार पत्रों में छपा है कि पिछली सरकार के 7 लाख मोबाइल वापिस किये गये। डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के समय में मोबाइल बांटने की जो योजना शुरू हुई, वही योजना का लाभ, इस कोरोनाकाल में जब स्कूलें बंद रहीं तो विद्यार्थियों को "पढ़ाई तुंहर दुआर" के माध्यम से शिक्षा देने के लिए उपयोगी हुई। माननीय सभापति जी, कांकेर, महासमुन्द तथा कोरबा जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी। इसमें प्रदेश सरकार का क्या पुरुषार्थ है? केन्द्र के

बजट में घोषणा की गई है कि कांकेर, महासमुन्द, कोरबा को नया मेडिकल कालेज देंगे। सभी संसदीय क्षेत्रों में एक-एक सीट देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- क्या केन्द्रीय मेडिकल कॉलेज खुल रहा है? जैसे केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है, उस तरीके से खुल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- 60-40 में है, मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले घोषणा केन्द्र ने की है।

श्री रविन्द्र चौबे :- 108 में डॉक्टर रमन सिंह जी फोटो क्यों लगती थी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपने पुरुषार्थ में एकात जगह बिना 60-40 के खुद के बजट से खोल दीजिए न।

श्री रविन्द्र चौबे :- खोल रहे हैं न, वह भी करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एकात जगह तो बताईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने पढ़ा नहीं, इसी में लिखा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह 60-40 वाला है।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, आप अपनी बात आगे बोलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, सत्र के नोटिफिकेशन होने के पश्चात संसदीय परंपराओं के विपरीत माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषाधिकार का उल्लंघन करते हुए दुर्ग जिले में संचालित चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण का निर्णय लिया गया। पहला तो सत्र आहूत हो चुका था। संसदीय परंपरा के प्रति मन में सम्मान होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी घोषणा सदन के अंदर करनी चाहिए थी, पर उन्होंने इसकी घोषणा प्रेस में की। पर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने इसके अधिग्रहण का निर्णय तो कर लिया, पर किन परिस्थितियों में आप इसका अधिग्रहण कर रहे हो ? इस महाविद्यालय की देनदारी कितनी है ? इस महाविद्यालय के पास संपत्ति कितनी है ? इसकी जानकारी कम से कम सदन को अवगत करा दें कि आप किन परिस्थितियों में इसका अधिग्रहण कर रहे हैं और इसकी देनदारी, संपत्ति कितनी है ? सरकार को इसका क्या लाभ मिलने वाला है ? यह जरूर पूरे सदन को अवगत करायें। मेरी सरकार ने राज्य के समस्त 45 लाख 48 हजार ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति वर्ष 2023 तक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। माननीय सभापति जी, केन्द्र सरकार की योजना है कि प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, 60-40 का रेशो है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। पर इसमें जो नौटंकी हुई है, पूरे प्रदेश ने देखा है, राशि कम स्वीकृत हो गई, टेन्डर हो गये, टेन्डर छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को मिल गये, शिकवा-शिकायत हुई, बाद में सारे टेन्डरों को माननीय

मुख्यमंत्री जी ने निरस्त किया। कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया। अभी 2021 चल रहा है, काम करने के लिए कुल 2 वर्ष बाकी हैं, आप जरा यह बता दो कि अब तक कितने लोगों को नल कनेक्शन दिया है और दो वर्ष में इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे ?

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैं कुछ विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के नालेज में लाना चाहता हूँ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- कागज भी ले लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है मेरे को किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद तैयार करके लाता हूँ। मैं उधर भी था तो अपने कागज अपने हाथ से तैयार करता था।

श्री रविन्द्र चौबे :- जब आपकी सरकार थी, वैसे थे, जैसे आज हैं।

श्री अरूण वोरा :- शिवरतन शर्मा जी, आप इधर मंत्री नहीं थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार अपने आपको किसानों की सरकार कहती है। अभी छत्तीसगढ़ में 1 लाख 1123 किसानों के अस्थायी कनेक्शन चल रहे हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 26 हजार किसान ऐसे हैं जिनका वर्ष 2020-21 में स्थायी कनेक्शन का आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। 26 हजार आवेदन स्वीकृत करने के बाद वर्ष 2020-21 में 10 हजार स्थायी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। यह 16 हजार तो पिछले साल की पेंडेंसी हो गई और 1 लाख 1123 किसान जो अस्थायी कनेक्शन लेकर चल रहे हैं, इन किसानों को आप कब तक देंगे? आपने अभी जो टारगेट रखा है और यही टारगेट अगर 10 हजार लोगों को देना का रहा तो इन 10 सालों में किसानों को स्थायी कनेक्शन नहीं मिल सकता। यदि आप किसानों के हित की बातें करते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि जितने लोग अस्थायी कनेक्शन लेकर चला रहे हैं, हम सारे लोगों को एक साल के अंदर स्थायी कनेक्शन देंगे। अगर किसानों की हितैषी सरकार है तो करे।

माननीय सभापति महोदय, लघु एवं कुटीर उद्योग में कल मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री गुरु जी ने जवाब दिया है कि छोटे-छोटे उद्योग हैं, उसमें आटा चक्की जैसे उद्योग हैं। 175 आवेदन ऐसे हैं जिनकी सब्सिडी का प्रकरण 1 साल से लंबित है। किसी को 10 हजार सब्सिडी मिलनी है, किसी को 25 हजार सब्सिडी मिलनी है और किसी को 1 लाख रूपए मिलनी है। 175 आवेदन सब्सिडी के लंबित हैं, आप जरा स्पष्ट कीजिए कि आप इसे कब तक पूरा करेंगे? कल ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय सौरभ सिंह जी ने पूछा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, रोज समाचार पत्रों में एक समाचार हीरे की तस्करी का आता है कि इतने लोग हीरे के नग के साथ पकड़े गए। श्री सौरभ सिंह जी ने प्रश्न किया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देवभोग क्षेत्र में हीरे का कोई क्षेत्र

चिन्हांकित नहीं किया गया है। यह मुख्यमंत्री जी का जवाब कल के प्रश्न में है। हीरे खदान का विवाद मध्यप्रदेश के समय शुरू हुआ, माननीय बृजमोहन जी इस लड़ाई को लेकर हाईकोर्ट तक गए कि वहां की चोरी रूकनी चाहिए लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हीरे की कोई खदान चिन्हांकित नहीं की गई है। हम लोग एक-बार एक डेलीगेशन में गए थे, चिन्हांकित करके उन स्थानों को बारवेट वॉयर से घिरवाया गया था, तार से घिरवाया गया था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, कल माननीय कवासी लखमा जी ने अपने एक प्रश्न में स्वीकार किया कि पिछले 2 वर्षों में 6560 प्रकरण अवैध शराब के बने। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 6560 प्रकरण बने।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- पहले आपने देख लिया कि इधर कवासी जी नहीं हैं तब आप उनकी बात बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैं तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को देखकर बोल रहा हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आप आसंदी की ओर देखकर बोलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, उन्होंने कहा कि उनको देखकर बोल रहा हूं तो मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी की ओर भी देखकर बोल लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, 6560 प्रकरण बने और शराब कौन सी मिली महाराष्ट्र के लेवल की, मध्यप्रदेश के लेवल की, अरुणाचल प्रदेश के लेवल की जबकि कटु सत्य यह है कि सारी शराब छत्तीसगढ़ के अंदर बनती है, लेवल यहां के लगाये जाते हैं, पुलिस के अधिकारी और यह सरकार कोचियों को पकड़ती है लेकिन जो अवैध शराब बनाकर यहां सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक भी कार्यवाही नहीं हुई। पूरे लाकडाऊन के पीरियड में कांग्रेस के प्रमुख नेता शराब का व्यवसाय करते रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में संचालन करते रहे। आप बनाईए न, कोई बनाने वाले निर्माता को तो पकड़िए। आप केवल कोचिये के ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं। कोचिये के ऊपर कार्यवाही करने से यह अवैध शराब का धंधा नहीं रुकेगा। माननीय सभापति महोदय, यह कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है, मैंने तो पूरा याद कर लिया है।

श्री बृहस्पति सिंह :- भाजपा की जो घोषणा है, संकल्प पत्र है उसका भी अध्ययन करिए न।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, श्री मोहन मरकाम जी अभी वर्ष 2004 का हमारा पूरा घोषणा पत्र पढ़ रहे थे।

सभापति महोदय :- कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- इनके जन-घोषणा पत्र में यह उल्लेख था कि प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रति माह एक रूपए की दर से एवं बी.पी.एल.परिवार को नियंत्रित दर पर तेल, दाल, चीनी और मिट्टी का तेल प्रदान किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से अमरजीत जी से पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न

के जवाब में इन्होंने कहा था कि हमने 10 लाख ए.पी.एल. के कार्ड बनाए हैं। जब आपने अपने जन-घोषणा पत्र में 1 रुपए में चावल देने की बात की थी तो फिर ये ए.पी.एल. के कार्ड क्यों। सबका कार्ड 1 रुपए वाला बनना चाहिए था। यानी अपने जन घोषणा पत्र के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तो घोषणा पत्र बनाने वाले हैं। जय-वीरू की जोड़ी थी, अब वह जोड़ी टूट गई है, यह अलग बात है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जोड़ी सलामत है और सलामत रहेगी (मेजो की थपथपाहट)

श्री सौरभ सिंह :- पूरा प्रदेश आश्वस्त रहे कि ढाई साल कुछ नहीं होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- दसों साल कुछ नहीं होगा (मेजो की थपथपाहट)।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब यह जोड़ी तीन महीने बाद सलामत रहेगी या नहीं रहेगी, यह प्रदेश देखेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने कहा था पूरे प्रदेश के लिए युनिवर्सल हेल्थ केयर लेकर आएंगे। सवा दो साल का पीरियड निकल गया, आप अध्ययन के लिए अपनी टीम के साथ थाईलैंड भी गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर तो लेकर आए नहीं, आयुष्मान योजना को आपने लागू किया नहीं, स्मार्ट योजना आपने बंद कर दी और उसके चलते नुकसान किसको हो रहा है। पूरे प्रदेश के नागरिकों को। सभापति जी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति जी, इस बिंदु पर मैं बोलने के लिए बीच में इसलिए खड़ा हो गया कि यह गलत बयानी विपक्ष की ओर से बार-बार की जा रही है कि आयुष्मान योजना बंद कर दी गई और ये कार्ड बंद कर दिये गये हैं और इतना बोल दिया गया है कि दुर्भाग्य से लोग मानने लग गए हैं और कई लोग उपचार से वंचित हो रहे हैं। आयुष्मान योजना क्या है, केन्द्र सरकार ने जो एस.ई. सी.सी. में गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार छत्तीसगढ़ में आंके हैं। जिनकी संख्या करीब 37 से 38 लाख है, उनको केवल उन्होंने आयुष्मान योजना में अंकित किया है और आयुष्मान योजना के अंतर्गत बीमा कराया जाता है। बीमा की राशि की नीलामी कराई जाती है और वर्तमान में 1102 या 1103 रुपए की राशि है, जिसकी रकम एक साल में करीब 275 करोड़ होती है और 275 करोड़ केन्द्र सरकार से उपलब्ध होते हैं और वह राशि डॉ. खूबचंद बघेल योजना में समाहित है। न तो स्मार्ट कार्ड बंद हुआ है और न ही उसका उपयोग बंद हुआ है। उसके आधार पर आज भी इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान योजना में जो प्रावधान है, कहा जाता है कि पांच लाख तक कवरेज है, यह भी गलतबयानी है। केवल 50 हजार का कवरेज आयुष्मान से होता है और शेष राज्य सरकार करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो खूबचंद बघेल योजना लागू की है उसमें 37-38 लाख परिवार से ज्यादा आयुष्मान योजना में चिन्हांकित परिवार के ऊपर एम.एस.बी.वाय. जो परिवार जो 4 लाख थे, उनकी अनुमति भी आज तक केन्द्र सरकार ने नहीं दी है और उसके ऊपर एक रुपए राशन कार्ड वाले जो 54 या 55 लाख की संख्या होगी, यानी

38 से 54 तक यानी 16 लाख अतिरिक्त परिवार 5 लाख तक की सीमा का राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के माध्यम से राशि के उपयोग का हक रखते हैं। तो यह गलत बयानी होती है कि वह बंद हो गया है। केवल इसीलिए खड़े होकर मैंने यह जानकारी दी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, लोक सभा के प्रश्न में जवाब दिया गया है कि तीन राज्य हैं जहां आयुष्मान भारत योजना चालू नहीं होती, छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ इन्क्लूड है। आयुष्मान भारत योजना में केन्द्र सरकार आपको अनुमति देती है कि आप अपने नाम से योजना चालू कर लीजिए। केन्द्र सरकार ने अनुमति दी है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- लोक सभा में यह जानकारी दी गई है तो गलत जानकारी दी गई है।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं। लोक सभा में बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना चल रही है।

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा कृपया समाप्त करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, इनको गप फैलाने में महारत हासिल है, इसमें कोई दो मत नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि 54 लाख परिवार 1 रुपए के राशन कार्ड वाले हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया कि आपके जन-घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार को 1 रुपए किलो में चावल देने की घोषणा की थी। उसमें छत्तीसगढ़ का 70-75 लाख परिवार है वह पूरा का पूरा परिवार आना चाहिए। माननीय सभापति जी, इनके घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार सरकार आने के एक वर्ष की भीतर होम स्टेट अधिनियम लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदान की जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एक साल के अंदर यह नियम आने वाली थी।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- सवा दो साल हो गया। आप बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, सुनने की कसम खाये हो क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बता दीजिए कि आपने कितने परिवारों को बाड़ी के लिए और घर के लिए भूमि प्रदान किये हैं। बता दें तो हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो जायेगा।

सभापति महोदय :- कृपया, अब समाप्त करेंगे। संतराम नेताम।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, बस दो मिनट। महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। कल हम लोगों ने एक स्थगन प्रस्तुत किया था, जिसे अग्राह्य कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में महिलाओं

का जो उत्पीड़न हो रहा है, इसमें पूरे प्रदेश में किस नंबर पर हैं, इसका उल्लेख भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने किया था, पर इसमें एक घोषणा थी कि प्रत्येक थाने में एक महिला सेल होगा और महिलाओं से संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच की जायेगी। मुख्यमंत्री जी बता दें कि कितने थानों में महिला सेल हैं और एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। शासकीय कर्मचारियों को सम्मान। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितिकरण की कार्यवाही की जायेगी एवं किसी की छूटनी नहीं की जायेगी। सवा दो साल में कितने लोगों को आपने नियमित किया है ? जरा, आप जानकारी दे दें तो प्रदेश वालों का अच्छा होगा। आपने पेंशन योजना की बात की।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। संतराम नेताम जी आप अपनी बात कहें।

श्री शिवरतन शर्मा :- 60 वर्ष वालों को 1000 रुपये पेंशन देंगे। 75 वर्ष से ऊपर वालों को 1500 रुपये देंगे। सर्व विधवा पेंशन 1000 रुपये करेंगे। क्या आपने सवा दो साल में पेंशन बढ़ाया, जरा आप यह बता दें। यह आपका ही रिकॉर्ड है। यह सरकार जो कहती थी, वह करने में असमर्थ रही है, इसलिए सभापति जी, इस कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय :- श्री संतराम नेताम।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी-अभी मैं अपने क्षेत्र में घर चलो यात्रा 19 दिन और कम से कम 19 गांव लगभग 5 हजार घरों में मैं गया। वहां के हमारे भाइयों से जब मिला तो उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात को मुझे बताया तो उससे लग रहा था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की उनके आंखों में एक चमक दिख रही थी। सभापति महोदय, मैं उनसे पूछा कि आप सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि हम धान की खेती करते हैं और जिस हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमें एक बड़ी राहत दी। कर्जा माफ किया। उस कर्जे के माफ होने से उनका परिवार, उनके घर का रहन-सहन और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गयी। हमारे कई भाई बहनों ने बताया कि हम शादी ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे घर में खेत तो था, लेकिन हमारे यहां सिंचाई के साधन नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये कर्जा माफ होने से हम अपने घर में बोर करवा लिये हैं और अच्छे से खेती कर रहे हैं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़ेराजपुर के कोंगेरा ब्लॉक में आगमन हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए, उनके शब्द सुनने के लिए करीबन 40 हजार से भी ज्यादा हमारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। वहां पर एक स्वर से हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा कि हमारे भूपेश बघेल जी ने हमारी बड़ी सहायता की है। आदरणीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल में उन्होंने किसानों को लूटने का काम किया। रमन सिंह ने केवल एक झूठा वादा किया। मैं 2013 में विधान सभा में आया तो उनकी घोषणा पत्र में यह बात लिखी गई थी कि हम किसानों को 2100 रुपया समर्थन मूल्य देंगे। 300 रुपये

बोनस देंगे। हम यहां पर विपक्ष में बैठकर इस सरकार से उनके किये गये वादों को हम याद दिलायें, लेकिन हमारी कभी नहीं सुने। मात्र जब चुनाव की बारी आ रही थी तो दो साल में 300 रुपये बोनस देने की बात इन्होंने की और किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग-लगभग 80 प्रतिशत किसान हैं। 80 प्रतिशत किसान हमारे यहां धान की खेती करते हैं और इसके पहले अगर आप इतिहास पलटकर देखेंगे तो इनके कार्यकाल में 1500-1600 रुपया धान की कीमत देते थे। आप सीधा-सीधा 1800 रुपया समर्थन मूल्य, 600 रुपये अंतर की राशि हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। आप थोड़ा याद कर लेंगे, जिनके घर में अगर धान है उस धान को बेचकर बाजार-हाट करते हैं, उसी से साग-सब्जी खरीदते हैं, उसी से कपड़ा खरीदते हैं, उसी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ।

समय :

4:00 बजे

जब वे पहले एक बोरी धान लेकर बाजार जाते थे तो कोचियों के पास अपना धान बेचते थे, लेकिन आज कोचियों के पास धान बेचना बंद कर दिया है, किसान सोसायटियों में समर्थन मूल्य में धान बेच रहे हैं और 2500 रुपये धान की कीमत ले रहे हैं । हमारे विपक्ष के साथियों ने मजाक उड़ाया और कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में दम नहीं है, वे 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत नहीं देंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया । मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं । वे छत्तीसगढ़ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बस्तर के लोगों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, वह उन्होंने दिखा दिया । किसानों के धान की चौथी किस्त बची है, उसको उनके खातों में मार्च तक डालने की बात उन्होंने माननीय राज्यपाल के भाषण में कही है । मैं ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बस्तर की सोच को, बस्तर के लोगों को याद किया । उन्होंने बस्तर के आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को कैसे मजबूत करना है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको पैसे से हम कैसे मजबूत करेंगे ? तेंदूपत्ता का जो 25 सौ रुपए मानक बोरा था, उसको मुख्यमंत्री जी ने सीधा-सीधा 4 हजार रुपए कर दिया । हम लोग तेंदूपत्ता तोड़ते हैं, मेरे माता-पिता भी तेंदूपत्ता तोड़ते थे। मैं भी गरीब परिवार का होने के कारण माता-पिता के साथ जंगल में जाकर तेंदूपत्ता तोड़ता था, लेकिन उतनी राशि नहीं मिल पाती । आज आप बस्तर में जाकर देखेंगे, चाहे धनोरा इलाके में जाएं या बड़े डोंगर में जाएं, चाहे बस्तर से अंदरूनी इलाके में जाएं, हमारे तेंदूपत्ता तोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई क्योंकि उसका दाम बढ़ गया । मैंने डी.एफ.ओ. को अपने निवास में बुलाकर पूछा कि आपने 4 हजार में खरीदी की तो आपको कितना खर्च आया तो उन्होंने मुझे बताया कि सारी खर्च निकालकर 5200-5300 रुपए एक-एक मानक बोरे का खर्च आया । मैं उनसे पूछा कि हमारे यहां 16 समिति है तो कितना फायदा हुआ ? उन्होंने बताया कि मात्र दो-तीन समितियों में हमारा मूलधन आया,

बाकी जगह 4200-4300 रूपए आये । मैं इस बात को यहां पर बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी या कोई भी किसान अगर काम करता है, कोई व्यापार करता है तो वह कमाने के लिए व्यापार के लिए करता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने घाटा सहकर भी बस्तर के लोगों के लिए काम किया है । इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।

समय :

4:03 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी गए थे । जब वे कार्यक्रम में गए थे तो गोठानों को देखने के लिए गए थे । भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की चार चिह्नारी नरवा, गरूवा, धुरूवा और बारी, ऐला बचाना हे संगवारी का जब स्लोगन चला, एक मूल मंत्र चला तो यह लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमारे विश्रामपुरी के कोंगरा के गोठान में साबित हो गया । वहां की हमारी बहिनें खेती कर रही हैं, बैंगन लगा रही हैं, मिर्च लगा रही हैं, केले का उत्पादन कर रही हैं, खुद अपना पैसा लगा रहे हैं और उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, वे खुश हैं । मैं करीब से जाकर देखा तो वहां पर मुर्गी पालन हुआ है, गोठान में वहां पर बकरी पालन हो रहा है, वहां पर गोठान में अंडे का उत्पादन हो रहा है । इस प्रकार से महिला लोक समूह के लोग आगे बढ़ रहे हैं । एक मुखिया की क्या सोच होनी चाहिए ? ये लोग नरवा, गरूवा, धुरूवा और बारी के लिए मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की ऊंची सोच है । अभी सामने में दिखाई नहीं देगा, पर जब नरवा की बात आएगी, जब लोग नरवा को रोकेंगे, नदी-नाले को रोकेंगे, जब पारी रुकेगा, जब पानी का साधन मिलेगा तो वही किसान हमारे बस्तर के लोग और प्रदेश के लोग वहां पर अपना उत्पादन करेंगे, डबल फसल लेंगे, तब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे । उनका भी सपना है कि हमारा बेटा आई.ए.एस. बने, आई.पी.एस. बने, डाक्टर बने, ऐसे अछूत जैसे नहीं रहेंगे । यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में हमारे प्रदेश के मजदूर दूसरे प्रदेश में गए, प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश में वापस आये तो हमने पिछले सत्रों में बहुत से प्रश्न लगाये कि आखिर बस्तर के युवा दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए क्यों जा रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बड़ा आंकड़ा बताना चाहता हूं। हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग बोरगाड़ी में कर्नाटक, तामिलनाडु, आंध्रप्रदेश में गये। वे क्यों गये, 15 साल मैं आप रोजगार नहीं दे पाये। आपने 15 साल बेरोजगारों को लूटने का काम किया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। वहां पर इसलिए नक्सली हिंसा बढ़ी थी कि लोगों के हाथों में काम नहीं था। यही बेराजगार जब दूसरे प्रदेश में गये और जब कोरोनाकाल हुआ, पूरा देश जान रहा है। पूरे देश से जब हमारे यहां प्रदेश में लगभग-लगभग 7 लाख प्रवासी मजदूर आये। इसलिए अभिभाषण में

शामिल किया, उस काल में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया काम किया। बाहर के मजदूरों के रुकने के इंतजाम किये, कई सेंटर बनाये गये थे, उनके खाने-पीने रुकने के लिये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, भाई बहन, प्रवासी मजदूरों को सेंटरों में ले जाकर साग सब्जी तक देने का काम किया है, ये सरकार की सोच है। इस बात से साबित होता है कि आखिर 15 साल में बेरोजगार बाहर क्यों गये। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दिया, मैंने अपनी दुख भी व्यक्त की। यदि आप बेरोजगारों को नहीं रोकेंगे, उनको रोजगार नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बेरोजगार जंगल में जाकर बंदूक थामेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए सारे कलेक्टरों को आदेश जारी किये कि इनको गौठानों में, आजीविका साधनों में इनको रोजगार दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी पुलिस की भर्ती होने वाली है, अभी 500 से ज्यादा व्याख्याता का पद निकला है, यह हमारे कांग्रेस सरकार की मंशा है। ऐसा होना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। गौठानों में हमारे लड़के काम कर रहे हैं। वहां समिति में दस दस लोग काम कर रहे हैं। वही बेरोजगार वहीं पर काम कर रहे हैं। यह रोजगार देने की बात है। इसलिए कोरोनाकाल में भी कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। मैं देख रहा हूं, एक भी माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं आया। कोरोनाकाल में ऐसी विपत्ती का कोई प्रश्न नहीं लगाया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी सोच, उनकी दृढ़ इच्छा, है। उन्होंने कोरोनाकाल में भी लड़ा है, सब वर्ग के लोगों की सहायता करने का काम किया है। स्वयं निकलकर बाजारों और शहरों में जाकर देखा। (मेजों की थपथपाहट) किसी सरकार में मुखिया बनना बहुत सरल बात है लेकिन उस पद में रहते हुए विषम परिस्थितियों में भी काम करना, यह महत्वपूर्ण काम है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप लोग अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे एक सदस्य चले गये, इसके पहले उद्बोधन कर रहे थे। एक लाइट को कंडील दिखाने वाली बात कर रहे थे।

श्री अमरजीत भगत :- कहां चले गये, वे नहीं रहे क्या ? (हंसी)

श्री संतराम नेताम :- ऐसी भी झूठ, लाइट को कंडील दिखाने की बात कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, ये सरासर झूठ है। आपका काम है, आपको जनता को विश्वास में लेना है। आप किसानों की लड़ाई लड़िये, बेरोजगारों की लड़ाई लड़िये, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िये, लेकिन इस प्रकार से झूठा आरोप लगाना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जब हमारी सरकार आई थी तो कुपोषण 42 प्रतिशत थी, इसके पहले मैंने देखा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी दंतेवाड़ा गये, लोगों ने उनको बताया कि कुपोषण की मात्रा बढ़ रही है तो उन्होंने विषम परिस्थिति में भी काम किया, खनिज न्यास निधि का पैसा पुल बनाने के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी, मैं मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमंडल को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर कुपोषण रहेगा तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीना सब लोगों का मौलिक अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का

अधिकार है, ऐसे में जब हम विकलांग, कुपोषण रहेंगे तो इस प्रदेश और देश चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि यह पैसा पुल पुलिया में नहीं बनेगा, इसका पूरा-पूरा लाभ हमारे मानव जीवन के सुपोषण योजना में की जायेगी। इसकी शुरुआत दंतेवाड़ा से की, उसका लाभ मिल रहा है। आज हमारे यहां कुपोषण की मात्रा घट रही है। यह काम करने का तरीका है। एक मुख्यमंत्री की, एक मानव की, एक अच्छे व्यक्ति की सोच है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे पैसे को अच्छी जगह खर्च करेंगे। हम जब रहेंगे तभी यह सदन रहेगा। जब हम ही नहीं रह पायेंगे तो यह सदन भी नहीं चल सकता। आने वाले समय में वे बच्चे आएंगे। इस सदन में और पार्लियामेंट में जाकर वही बच्चे बात करेंगे हमारे देश और प्रदेश का विकास कैसे होना चाहिए ? देश का कैसे विकास गढ़ सकते हैं, "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" का स्वरूप कैसे गढ़ सकते हैं, यह वह बच्चे लोग जानते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया। लेकिन मैं एक मिनट और लेना चाहता हूं। हमारे यहां इसके पहले सुगम सड़क बनाने का काम चलता था। आप आज की तारीख में बस्तर चले जाईये, इन्हीं के कार्यकाल में हमारे यहां सड़क का निर्माण नहीं होता था। आज सुगम सड़क हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, पी.डब्ल्यू.डी. की ओर से हमारे यहां काफी रफ्तार में सड़कें बन रही हैं। सड़कें बनेंगी, पुल-पुलियां बनेंगे, तो निश्चित तौर पर बस्तर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं हमारे मंत्रिमण्डल के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जी सवा दो साल से सरकार चला रहे हैं, वे बेरोजगारों, किसानों, यहां के व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अब यहां बड़ा प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए, कुर्सी में आने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए नौटंकी करके कई जगह चक्का धाम और धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भी अपने मन से नहीं कर रहे हैं। कहीं ऊपर से बत्ती आती है, कहीं से ऊपर दबाव आता है कि क्या कर रहे हो दिनोंदिन उनकी सीट बढ़कर 70 सीट हो गया है, आखिर क्या करते हो ? इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर ऐसी बात करते हैं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि वे असत्य कथन करने से बच जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी। अभी 20 माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं, समय का ध्यान दें।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले ही पैरा में सरकार ने यह कहा है कि " कोरोना महामारी के समय पूरी दुनिया अंधकार में थी, हमने उसको ढकेल दिया",

बहुत अच्छी बात है, आपने किया। आपके इस कदम में हम लोगों ने भी आपको समर्थन का वादा किया था। आपको यह कहा था कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कोरोना से जीते, हमारे छत्तीसगढ़ को जीतना होगा और आपने उस दिशा में काम किया, हम लोगों ने इस मामले में आपका कभी भी विरोध नहीं किया। लेकिन मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में अफसोस हुआ कि आपने कोरोना को बाहर करने की उपलब्धि को सरकार से जोड़ा, एक भी कोरोना वारियर्स के निधन पर उनके सम्मान में एक भी शब्द माननीय राज्यपाल महोदया से नहीं कहलवाया। वे योद्धा, जो अस्पतालों में थे, वे पुलिस कर्मी जो सड़कों पर थे, वे सफाई कर्मचारी जो कोराना के किट्स को उठाकर फेंकते थे, उसमें से बहुत से लोग मरे। अगर आप उनके सम्मान में दो शब्द कहते तो शायद राज्यपाल महोदया के अभिभाषण की गरिमा और बढ़ सकती थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के बारे में इतनी चर्चा हो चुकी है कि इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने संकल्प में इथेनॉल प्लांट लगाने की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। गन्ना से इथेनॉल बनाने का प्लांट लगाईये और धान से इथेनॉल बनाने का प्लांट लगाईये। परन्तु आप गन्ने का रकबा बढ़वाईये, और नई-नई फैक्ट्रियां खोलिये। धान से इथेनॉल बनाने हेतु प्लांट की अनुमति नहीं मिलती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं कि जितना सरप्लस धान है, उस धान का कस्टम मिलिंग कराकर काम के बदले अनाज योजना शुरू करा दीजिये। "काम के बदले अनाज योजना" के समय जोगी जी की सरकार के समय आप भी मंत्री थे। अगर इस तरीके से ई-टेण्डरिंग होगा..।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आपने बहुत अच्छी बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, यदि अनुमति हो तो मैं बोलूं। आपने पिछले समय यह बात कही थी कि "काम के बदल अनाज" चालू करिये तो मैंने भारत सरकार से कहा था कि मनरेगा से जो काम चल रहा है, उसमें हमें चावल वितरण करने की अनुमति दे दी जाये। तो बोले कि यह नहीं हो सकता। क्योंकि एकट में आपको केवल पैसा देना है। चावल नहीं दिया जा सकता है। तो मैं बोला कि आप संशोधन कर लीजिये, क्योंकि एकट तो भारत सरकार का है, राज्य सरकार का है ही नहीं, भारत सरकार का है। मैंने पंचायत मंत्री से यह बात कही थी और उस समय खाद्य मंत्री जी भी गये थे और कृषि मंत्री जी भी गये थे, उस समय भी मैंने ये बात कही थी लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- फिर ये बात मुझे मालूम नहीं थी, मैं तो इस चिंता में पड़ा था कि आपके सरप्लस धान का आखिर होगा क्या? तो जो धान है उसके उपयोग का मैंने एक रास्ता सुझाया।

श्री शिवरतन शर्मा :- धर्मजीत भैया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने बनाई थी जो भी एकट बने वह उनके उस समय बनें। छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करवा दीजिए ना और उसमें उसको लगा दीजिए, उसमें क्या है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर काम के बदले धान देंगे तो लोगों के यहां कोढ़ा पहुंचेगा। लोगों के घर कोढ़ा होगा तो गाय उनके घर में होगी। छत्तीसगढ़ में किसी के घर एक किलो कोढ़ा नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- धान और चावल ये बहुत अहम मुद्दा है। अगर इस पर विचार करके कोई रास्ता निकलता हो तो जरूर विचार करियेगा अन्यथा आप तो मुकाबला कर ही रहे हैं। इसमें जैसा भी होगा उसको यहां की सरकार देखेगी। आपने फुडपार्क बनाने की घोषणा की है, बहुत अच्छा है। ये स्वागतयोग्य कदम है। फुडपार्क कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा यह अभी तो सिर्फ प्रस्तावित है। जिन क्षेत्रों में जो फसल ज्यादा हो वहां उसी प्रकार के फुड पार्क का इंतजाम करें ताकि ऐसा न हो कि फुड पार्क बनाना है करके कोई भी कुछ भी बन रहा हो और पैसा भी खराब हो और उसका कोई उपयोग न हो। इसलिए इस बात का सर्वे होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में किस चीज का प्रोडक्सन ज्यादा है और वहां पर कौन सा छोटा सा उद्योग लग सकता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। माननीय वन मंत्री जी ने बताया है कि 16 हजार हेक्टेयर से अधिक बांस वनों का सुधार किया गया है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम से मैं बड़ा डरता हूं। वृक्षारोपण को मैं कई बार देखने गया हूं, मेरा अनुभव बहुत खराब है। यह आंकड़ों में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब फील्ड में जाओ तो मामला एकदम उल्टा रहता है। मैं तो चाहूंगा कि वन मंत्री जी एकाध जगह जहां बेहतरीन प्लांटेशन होगा उसे हम लोगों को देखने के लिए यदि अपने अधिकारी के साथ भेजेंगे तो मुझे थोड़ा अपना इंप्रेशन बदलने में काम आयेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मनरेगा का काम तो चल रहा है, इसमें दो मत नहीं है लेकिन बाकी कोई काम नहीं चल रहा है। बाकी योजनाओं के लिए भी आप कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो गांव के लोग मांगते हैं उसे हम लोग दे नहीं पाते हैं। पहले कई किस्म की योजनाएं थीं, पहले मध्य क्षेत्र सरगुजा था बाद में बदलकर कुछ दूसरा हो गया। समग्र विकास था, छत्तीसगढ़ विकास था और क्या-क्या बहुत सी योजनाएं हैं, कम से कम थोड़ी बहुत राशि का प्रावधान आपको उसमें जरूर करवाना चाहिए ताकि हम छोटी मोटी चीजों की आपूर्ति वहां पर कर सकें और सरकार की तरफ से भी यह इंप्रेशन जाए कि उनकी छोटी-मोटी समस्याओं का ख्याल आप रख रहे हैं। आप बिल्कुल मत समझिये मैं व्यक्तिगत रूप से आपके गौठान के कार्यक्रम का विरोधी हूं। मैं आपके एक गौठान कार्यक्रम का उद्घाटन करने भी गया था और मैंने कहा था कि गाय, गरूवा, गौठान ये सब हम लोग बचपन से देखते आये हैं और यदि ये सरकारी स्तर से हो रहा है तो इसकी सफलता हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी मैं बीच में लगभग 60 दिन तक अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे में प्रतिदिन था। आजू-बाजू के क्षेत्रों में भी गया। मुझे कई गांव के गौठानों में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया तो उसके लिए भी आप विचार कीजिए। अगर वहां सन्नाता है तो उस सन्नाटे को तोड़ा जाना चाहिए। जिस उद्देश्य से हम करोड़ों रुपये खर्च करके बनाये हैं वह उद्देश्य वहां पूरा हो। हमारी माटी की संस्कृति की झलक वहां मिले। हमारे गाय,

गौठान, गोबर और उसके अन्य उद्यम की स्थापना वहां ग्रामीण अंचल में हो। आप जब जाते हैं या कोई बड़े नेता जाते हैं तो जरूर वह गौठान बढ़िया दिखता है लेकिन यदि आप अचानक जायेंगे तो गौठान में सन्नाटा रहता है। मैं ये बात कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको बताने की दृष्टि से कह रहा हूँ कि आप अपने कलेक्टर्स को बोलकर इस गौठान के सन्नाटे को तोड़ने का काम जरूर करवाईये।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, आपका पुराना भाषण देने का जो अंदाज था, एकदम थके-थके से लग रहे हैं। क्या बात है?

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको कोरोना हुआ है क्या? कोरोना हुआ हो तो बताओ? प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव सड़क, अच्छी योजना है लेकिन इस सड़क में बहुत से जो पुराने रोड हैं जो दो-चार साल पहले बने हैं उनकी हालत एकदम दुर्दशा हो गई है बहुत खराब है, वह जीर्ण-शीर्ण है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नये सड़क तो बनें लेकिन पुरानी सड़कों की भी मरम्मत का काम जरूर चलता रहे।

आपने जवाहर सेतु योजना 17 वें पैरा में लिखा है। हम लोगों के यहां बहुत आवश्यक-आवश्यक छोटा-मोटा पुल है वह भी स्वीकृत नहीं हो रहा है। हम लोग 2-3 साल हो गया है उसे बजट में देते हैं। कम से कम एक पुल तो करवा दीजिए जिसमें मनियारी नदी पर खुडिया बांध सुरक्षित रह सके। मैंने विधान सभा में भी कहा था कि अगर वह पुल नहीं बनेगा तो खुडिया बांध में कोई एमरजेंसी आएगी, वह 100 साल पुराना डैम है तो वहां तक के सहायता नहीं पहुंच पाएगी और कोई बहुत बड़ी केजवल्टी होगी। आपने नई तहसीलों का गठन किया। मैं आपके समक्ष लालपुर में भी स्वागत किया हूँ और इस सदन में भी किया हूँ। इस सदन के बाहर भी स्वागत किया हूँ और यह तहसील जो आप बनाये हैं उससे लोगों को राहत होगी। विमान सेवा की कनेक्टिविटी के लिए भी आपने मेरे ही अशासकीय संकल्प पर पहली बार हिन्दुस्तान के किसी विधान सभा में ऐसा हुआ है कि कोई अशासकीय संकल्प पर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 करोड़ रुपये की घोषणा किया हो। आपने 27 करोड़ रुपये दिये उससे बिलासपुर एयरपोर्ट बना और उसमें आज एक तारीख को शायद आप उद्घाटन करेंगे। ऐसा आज मुझे कोई बता रहा था।

श्री अमरजीत भगत :- आप इसमें बढ़िया धन्यवाद दीजिए कि आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। उसमें क्या कंजूसी कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ तो क्या कह रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, ये महान आदमी को टोकने के बजाए आप अपना सी.आर. सुधारिए। कल समुद्र स्नान हुआ है। आज आप जाकर खारून स्नान कर लीजिए। समझ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं जानते क्या कि कल समुद्र स्नान हुआ है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय धर्मजीत भईया, एक मिनट। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में एक विषय ला देता हूँ। बाबूलाल चौरसिया हिन्दू महासभा के नेता थे। जिनने गोड़से को जिस दिन फांसी लगी, उसको बलिदान दिवस मनाने की घोषणा की थी और गोड़से का मंदिर बनाने की बात की थी। वह व्यक्ति आज कांग्रेस का सदस्य बन गया है। कमलनाथ जी के सामने कांग्रेस प्रवेश किया है।

श्री मोहन मरकाम :- उसका हृदय परिवर्तन हो गया होगा। इसलिए ऐसा किया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए। बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय शर्मा जी, कई बार सदन में बोला गया कि गोड़से मुरदाबाद बोला रहे हैं। गोड़से मुरदाबाद कहने के लिए कई बार बोला गया, आप लोगों ने एक बार भी नहीं बोला।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उसको आत्मग्लानि हुई होगी।

श्री मोहन मरकाम :- उसको आत्म ग्लानि हुई होगी, वह वापस आ गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन जी कल समुद्र स्नान हुआ है आज जाकर खारून नदी में नहा लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरे क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अमरजीत जी को जरूर स्नान करना चाहिए। आपकी विभाग में चलने लग जाएगी यदि आप खारून में स्नान कर लेंगे तो।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पैसा दिया। तो बिलासपुर से 1 मार्च को हवाई जहाज का चक्का उतरेगा और उड़ेगा। आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन वहां पर 200 एकड़ जमीन आर्मी से हमको अभी भी लेना बाकी है। आर्मी को पिछली भाजपा सरकार में 1000 एकड़ जमीन हमने आर्मी कैम्प बनाने के लिए दिया था, वह कैम्प तो बनाये नहीं हैं तो कम से कम फोर-सी कैटेगिरी के लाईसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने एक अशासकीय संकल्प भी पेश किया है 600 किलोमीटर का जो सिलिंग सिविलीकरण उसको खत्म करने के लिए लगाया है उसमें भी आप सब का सहयोग चाहूंगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से पद खाली हैं। कॉलेज के लिए भवन भी नहीं है। मैं जब पहली बार इस कार्यकाल में विधायक बनकर आया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया कि लोरमी के कॉलेज में जगह कम है बच्चे लोग भटकते हैं एक करोड़ रुपये उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी जिसका की आदेश भी पहुंच गया है, लेकिन वह मामला फाईनेंस में अटक गया है। अभी तक नहीं हुआ है आप करवा दीजिएगा। मेहरबानी होगी। हम चिकित्सा महाविद्यालय खोल रहे हैं कांकेर महासमुंद कोरबा खुलना चाहिए, अच्छी बात है स्वागत योग्य हैं हम आपका अभिनंदन करते हैं और मुंगेली में भी खोल

दीजिए तो मुंगेली में खुलने से बेमेतरा मुंगेली कवर्धा और थोड़ा बहुत बिलासपुर करा जो दूरस्थ अंचल है आप जब भी महाविद्यालय खोलें थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निःशक्तजनों को उपकरण नहीं मिल रहा है। बिलासपुर में हॉकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी का एक्सीलेंस सेंटर बनाया है, मैं स्वागत करता हूं। मैं अभी वहां पर नवभारत के महिला हाकी टूर्नामेंट में गया था। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि मैं आपसे आग्रह करूं वहां पर गैलरी और ड्रेसिंग रूम के लिए आपके समक्ष प्रस्ताव लंबित है, अगर वह आप दे देंगे तो वहां पर जो उच्चस्तरीय मैदान है, वह बहुत ही बढ़िया हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत भैया, कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग ही तो पढ़ रहा हूं। पर्यटन स्थल चिल्फी का बताया, वह तो बी.जे.पी. की सरकार में बना था। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पर्यटन स्थल बनाना है तो खुडिया में एक पर्यटन स्थल बना दीजियेगा। वह बहुत अच्छी जगह है। मैं तो आपसे बोल कर भी कई बार आग्रह किया हूं कि मुख्यमंत्री जी आप आईये तो मैं स्वागत भी करूंगा, खुडिया भी दिखाऊंगा, डेम में भी घुमाऊंगा और जो आप खायेंगे, वैसा खाना भी खिलाऊंगा। पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इतनी दूर जायेंगे तो ठकुराइसी भोजन होना ही चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- हेलीकॉप्टर में आना है, ठकुराइसी क्या है, चौबे जी, चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी सब प्रकार का मिल जायेगा। आप चिंता मत करो। मैं चाहता हूं कि जैसा आपके यहां पर जंगल सफारी है, वैसा ही हमारे खुडिया के पास खोला जाना चाहिए। वहां जमीन बहुत है। वहां जमीन बहुत है, बहुत ही सुंदर जगह है। ए.टी.आर. के गेट के लिए मैंने माननीय मंत्री जी से कई बार बोला, वह ध्यान दिये नहीं हैं। माननीय मंत्री जी आ गये हैं, मैंने मंत्री जी से कहा था कि खुडिया में ए.टी.आर. का गेट खोलें। आपने सैद्धांतिक सहमति तो दी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। व्यवस्थापन के लिए पैसा नहीं है, गरीब वनवासी अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन आपके अधिकारी खुलेआम अचानकमार टाइगर रिजर्व में ठेकेदारी के नाम पर बुलडोजर, हाईवा और बड़ी-बड़ी पोकलेन मशीन की गरजदार आवाज के साथ पूरे जंगल के वनवासियों को परेशान कर रहे हैं। अचानकमार में अभी कल तक वहां पर हाईवा, पोकलेन और बड़ी-बड़ी मशीनों की आवाज गूंज रही थी। ठेका की पद्धति में जहां एक तरफ आपके अधिकारियों को काम करने का अधिकार मिल गया है, वहां हमारे वनवासी जो उस जंगल के मालिक हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, जिन्होंने जंगल की रक्षा की है, जिस जंगल पर उनका अधिकार है, जिस जंगल के वह मूल वाशिन्दे हैं, उनको मूलभूत सुविधा से आपके वन अधिनियम की आड़ ले करके वंचित किया जाना बहुत अन्यायपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करूंगा। मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था, मुख्यमंत्री जी तो व्यस्त रहते हैं। आपसे भी आग्रह किया था कि

आप एक बार हर उस टाईगर रिजर्व के एम.एल.ए. को बुला करके वाईल्ड लॉइफ और फारेस्ट के अफसरों से एक मीटिंग करा लीजिए जिसमें वहां की समस्याओं का हल हो। यह अचानकमार भर का मामला नहीं है। सीतापुर उदन्ती का भी अभी कुछ 3000 लोग गरियाबंद में जुलूस लेकर निकल चुके हैं। यह बाद में धीरे-धीरे नासूर हो जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी बात सुन लें और जो मदद हो सके, करें और यदि मदद नहीं कर सकते हैं तो उनको बता दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Public service commission का जहां तक मामला है, Public service commission के बारे में सिर्फ थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारी पोस्टिंग, सारी नियुक्ति Public service commission की परीक्षा के बाद ही होते हैं। 2003 की पहली परीक्षा वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। 2005 की दूसरी परीक्षा प्रश्नों के उत्तर पर विवाद, सूचना के अधिकार के तहत जात हुआ कि आयोग ने राष्ट्रीय पुष्प कमल की जगह गेंदा को उत्तर लिया था। Public service commission ने राष्ट्रीय पुष्प कमल की जगह में गेंदा बोल दिया था और उसी को स्वीकार कर लिया था तो उसमें भी विवाद हुआ और उसमें बाद में तमाशा हुआ। वर्ष 2008 में तीसरी परीक्षा त्रुटियों के कारण 4 वर्ष तक मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहा, जिससे मुख्य परीक्षा 2012 में हुई और इसमें भी चयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उसमें बाद क्रमशः 2002, 2003, 2004, 2005 से लेकर आज तक प्रश्नपत्रों में गड़बड़ी या कोई न कोई कमी के कारण Public service commission का मामला गड़बड़ होता है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में अनुपस्थित अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु चयन की शिकायत भी मिली है। जो परीक्षा दिया ही नहीं है, उसको भी साक्षात्कार में बुला रहे हैं। यह किसी दिन कोई बड़ा बवंडर न मचे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी केवल दो छोटी-छोटी बातें हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस सदन में जिस मंत्री का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं और उन्हें अपना गुरु भी मानता हूं वे श्री रविन्द्र चौबे जी हैं। अभी विधानसभा का सत्र जिस दिन शुरू हुआ, उसके एक दिन पहले। मैं तो सत्र के दिन सीधे यहीं उतरा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। शायद श्रीमती रेणु जोगी जी ने एक पत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को लिखा था कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाये, शायद उन्होंने मांग की थी। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने टेलीविजन में बयान दिया कि यह बिल्कुल गलत है, हमारी क्षमता- हमारी हैसियत आंकड़े के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की नहीं है लेकिन फिर भी यदि विपक्षी दल प्रमुख विचार करेगा तो हम उसमें सोचेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने जब इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने औकात शब्द का प्रयोग हम लोगों के लिये किया कि वे अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर बात कर रहे हैं तो मेरा इसमें यह कहना है कि औकात पैसे से नहीं बनती, औकात कपड़े से नहीं बनती, औकात जनता बनाती है और जनता

बिगाड़ती है। यह बात सही है कि हमारी औकात विपक्ष में बैठने की है। यह बात भी सही है कि आपकी औकात जनता ने बहुमत दिया है तो आपको सरकार चलाना है लेकिन एक-दूसरे की औकात को नापने की कोशिश नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में यह उचित नहीं है। चूंकि संविधान में जो भी प्रदत्त अधिकार है वह हमको भी मिला हुआ है, अगर श्रीमती रेणु जोगी जी ने कोई चिट्ठी लिख दी, जिसका कि मैंने खुद खण्डन कर दिया तो हमको हमारी औकात नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि जनता औकात बनाती और बिगाड़ती है इसलिए हम कुछ दिन इंतजार कर लेंगे कि हमारी औकात ऐसे ही रहना है कि और कुछ बनना-बिगड़ना है लेकिन इस प्रकार का इस संसदीय परिसर के अंदर बात नहीं होनी चाहिए और मैं बिल्कुल यह नहीं कहूंगा कि इस बात के लिये वे खेद प्रकट करें।

श्री अजय चंद्राकर :- सब जानते हुए ऐसे आलोचना के शब्द बोलना तीन चौथाई बहुमत का गुरुर है। ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बिल्कुल कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी पीड़ा और दर्द को बता दिया। मैं यह बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इसके बारे में माननीय चौबे जी कुछ बोलें, यह रहना चाहिए, यह बयान जरूर रहना चाहिए और बिल्कुल रहे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी अगर फटीचर औकात है तो उस औकात को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कोशिश करेंगे। औकात बढ़ाने की चुनौती है, उसको लेते हैं, बनेंगे या बिगड़ेंगे, मरेंगे या जीयेंगे कुछ एक तो होगा। कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत से अच्छे काम हैं जिनकी मैं सराहना करता हूं और बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें होना चाहिए लेकिन जो हो नहीं रहे हैं उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर आग्रह करूंगा कि कोरोना वारियर्स लोगों ने, जिन्होंने अपनी जान की शहादत दी है उनके सम्मान में अपने जवाब में जरूर दो शब्द कहकर उनको सम्मानित करने की कृपा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों से पूर्व में निवेदन किया था कि समय को देखते हुए सभी सदस्यों को 5-5 मिनट का समय दिया जायेगा, समय पर विशेष ध्यान देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मैं बहुत ज्यादा बातें न कहते हुए अपनी बात आपके संज्ञान में लाऊंगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के खड़ा हुआ हूं। खनिज न्यास की बहुत चर्चा होती है, खनिज न्यास का गठन वर्षों पहले हुआ जो पहले की सरकारों ने भी चलाया। हम लोगों ने देखा कि खनिज न्यास के पैसे से सभी जिलों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनती थीं, बड़े शहरों में लाकर उस पैसे को और तो और स्विमिंग पुल भी बड़े सामर्थ्य वाले नेता और अधिकारी लोग बनाते थे लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद मैंने देखा कि माननीय बघेल जी चर्चा कर रहे थे कि जहां खूब धूल-धक्कड़

होता है, जहां बहुत खनिज का उद्वहन होता है वहां के लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा ? मैंने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा उदार नीति से निर्णय लिया कि वहीं के प्रभारी मंत्री, वहीं के जनप्रतिनिधि और वहीं के विधायकों की कमेटी बनायी । उन्होंने कहा राज्य से पैसा आएगा या नहीं आएगा, अपने जिले के पैसे से अपने जिले में ही विकास करो । जो हमारे बलरामपुर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर जैसे जिले जहां कोई एम.बी.बी.एस. डॉक्टर नहीं हुआ करता था । केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे, वे रेफर कर दिया करते थे । आज उन जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई है । इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं (मेजो की थपथपाहट) । मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बलरामपुर नवगठित जिला था, जहां पी.एम. के लिए एम.बी.बी.एस. डॉक्टर कम होते थे, आज हमारे जिले में नेत्र रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन हर हफ्ते हो रहा है । 15-15 दिनों में ऑपरेशन हो रहे हैं । वहां सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वहां लगातार सर्जरी हो रही है । वहां महिला रोग विशेषज्ञ हैं जहां बच्चादानी से लेकर सारे ऑपरेशन हो रहे हैं । मैं डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, यह सब मुख्यमंत्री जी की कृपा से हुआ है । वहां हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उसी पैसे से ब्लड बैंक की स्थापना हो गई । माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से । डायलेसिस हो रही है, पहले पैसे की कमी के कारण लोग डायलेसिस नहीं करा पाते थे । मैं उन लोगों की ओर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वहीं के पैसे से वहीं के लोगों के इलाज का फैसला किया । उसके पहले भी पैस आता था लेकिन स्वीमिंग पुल में चला जाता था । उन लाखों लोगों की दुवा मिलेगी । आज वहां विशेषज्ञ डॉक्टर्स की लाइन लगी है, पहले स्टाफ नर्स की कमी होती थी, अब उसी जिले के लोग स्टाफ नर्स में भर्ती हो रहे हैं । वहां उसी पैसे से एम्बुलेंस खरीदी जा रही है । गरीब लोगों के लिए हाट-बाजार में एम्बुलेंस लगी रहती है, वे हाट-बाजार जाते हैं तो अपना इलाज भी करा कर आ जाते हैं । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । मैं ऐसी दूरगामी सोच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अक्सर देखने जाता हूं वहां बच्चे कुपोषित नजर आते हैं, उनके लिए आपने अंडे की व्यवस्था की । आपने कुपोषण भगाने का काम किया । एनीमिया जैसी बीमारी भागने की व्यवस्था की । आपने संज्ञान लिया और आज कुपोषित बच्चे, सुपोषण की ओर बढ़ रहे हैं । खनिज न्यास के पैसे का कैसे सदुपयोग किया जाता है यह हम लोगों ने आदरणीय भूपेश बघेल से सीखा और आपके सहयोग से हम लोगों ने किया । इन साथियों ने 15 सालों में केवल स्वीमिंग पुल बनाने का काम किया ।

उपाध्यक्ष महोदय, शहीद जवानों का सम्मान । हमारे छत्तीसगढ़ के नवजवान और हमारे नक्सली क्षेत्र में झूटी करते थे और शहीद हो जाते थे । उपाध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में उनके ड्रेस कुत्ते नोच-नोच कर ले जाते थे । यह हम लोगों ने टी.वी. चैनलों में देखा है । उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम तो किया ही है, जो दुर्घटना में घायल लोगों को 20 लाख तक देने का काम किया है । भाजपा के कार्यकाल में 3 लाख रूप

ही दिये जाते थे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग नीति के संबंध में कहूंगा कि लोगों ने गुजरात से, राजस्थान से आकर छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित किया । छत्तीसगढ़ के लोगों को और खासकर आदिवासियों को इन उद्योगों में शामिल होने का बहुत कम अवसर मिला । हमने एक मीटिंग में जानकारी ली और विधान सभा के माध्यम से भी जानकारी ली । 1 से 2 प्रतिशत हमारे आदिवासी उद्योग में शामिल नहीं हैं । हम कैसे छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की कल्पना कर सकते हैं । वर्तमान सरकार को, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को, हमारे माननीय कवासी लखमा जी को आप जो भी समझते हों । उन्होंने बहुत विद्वतापूर्ण निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया । ए, बी, सी, डी में बांटा और जहां जीरो परसेंट इंडस्ट्री है उसे डी श्रेणी में रखा । जहां काफी कम उद्योग थे उसे सी श्रेणी दिया, उससे ऊपर को बी श्रेणी दिया और जहां विकसित है उसको ए श्रेणी दिया । उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग नीति के बारे में बताना चाहूंगा कि आज आपकी सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि अगर बी क्षेत्र के लोग हैं तो आप 1 रुपए एकड़ में जमीन लगाने के लिए जमीन देंगे, अगर आदिवासी है तो उसको 40 प्रतिशत सब्सिडी देंगे और महिला है तो 45 प्रतिशत सब्सिडी देंगे । अगर उद्योग लगाने में प्रोजेक्ट की लागत 1 करोड़ है और यदि 75 प्रतिशत बैंक फाइनेन्स कर रहा है यदि 25 प्रतिशत उस आदिवासी को देना है तो 20 प्रतिशत राशि सरकार डाउन पेमेंट के रूप में दे रही है । केवल 5 परसेंट आदिवासियों को लगाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, समाप्त करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह हम इसलिए बताना चाहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये जो आदिवासी हमने कभी उस दरवाजे की तरफ झांका ही नहीं, उस योजना की हम बात कर रहे हैं, जिसे आपने अभी कल्पना की है। वह 5 प्रतिशत लगाकर भी उद्योग स्थापित कर सकता है और उसका उस योजना के तहत जो सब्सिडी है 40 प्रतिशत होगा, ब्याज की रकम में भी 75 प्रतिशत की छूट होगी। आपको 25 प्रतिशत ही देना होगा। बिजली में भी सब्सिडी होगी। जी.एस.टी. में भी सब्सिडी होगी। ऐसे दरवाजे आदरणीय कवासी लखमा जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खोले हैं, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा, मैं एम.एस.पी. की बात बताऊंगा। बहुत ढोल पीटा जा रहा है। एम.एस.पी. दर पूरे हिन्दुस्तान के लिए तय होता है। सिर्फ एक ही राज्य के लिए नहीं होता है। कांग्रेस शासित या बी.जे.पी. शासित राज्यों के लिए नहीं होता। पूरे देश के लिए होता है। एम.एस.पी. की दर निर्धारित हुई है, वहां हम छत्तीसगढ़ में तो एम.एस.पी. में धान खरीद रहे हैं, लेकिन राजीव गांधीन किसान न्याय योजना का लाभ भी दे रहे हैं। हमने अपने पड़ोस में देखा। इसमें बहुत बात हो चुकी है, इसलिए इसमें बोल रहा हूं। मध्यप्रदेश हमारे पड़ोस में है, जहां भाजपा की सरकार है। जहां उत्तरप्रदेश में योगी की सरकार है। जहां बिहार भाजपा शासित राज्य है, वहां किसानों की यह हालत है कि 1200, 900 रुपये क्विंटल धान बिकता है। उससे अधिक नहीं बिकता है। परंतु छत्तीसगढ़ में आपने ऐसा खरीदकर

आपने किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मक्के की खरीदी कहीं भी एम.एस.पी. में नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में कम से कम एम.एस.पी. की दर में बलरामपुर और बस्तर जैसे संभागों में खरीदी चालू किये हैं। मैं वन अधिकार की बात बता दूँ। जो इनकी सरकार में भाजपा की सरकार में लगातार वनवासियों को खारिज कर दिया था, जो पैसा दे पट्टा और जो पैसा न दे, पट्टा नहीं। सारे को अपात्र घोषित कर दिया था। मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी, दोनों को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपने फिर से पुनर्विचार करके निरस्त आवेदनों को भी पुनर्विचार करके पुनः ग्राम सभा में पट्टा देने की शुरुआत की है और जो हमारे क्षेत्र में ऐसे थे, उनके लिए भी काम किया है। सभापति महोदय, ज्यादा नहीं बोलते हुए एक ही चीज और बताऊंगा। 26 साल तक नियमित भर्ती नहीं हुई। 26 साल से नियमित भर्ती अभी तक नहीं हुई है। यह पहली बार है कि आज छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार, डॉ. प्रेमसाय की सरकार नियमित व्याख्याता की भर्ती शुरू किये हैं और इसके लिए धन्यवाद दूंगा। जो हमारे शिक्षाकर्मी या लाठाकर्मी हैं वे लाठी खाने वाले नहीं बनेंगे। सीधे हमारे नियमित टीचर बनेंगे। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। इनकी जब सरकार थी तो सरगुजा से बस्तर तक 3 हजार स्कूलों को बंद किया, यह महापाप किया है, जिसके कारण ये यहां बैठे हैं। इसके लिए भी इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि ये इस तरह से पाप करते रहें। धन्यवाद। (हंसी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरोना की बात आयी, कोरोना पूरी देश-दुनिया में एक ऐसी बीमारी आयी..।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आप मौका नहीं देंगे तो कौन मौका देगा साहब। मैं रोड के बाहर बोलने थोड़े न जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्लीज सर, आपसे निवेदन है। सड़क में नहीं बोलेंगे। क्या मैं सड़क में बोलने जाऊंगा, साहब।

उपाध्यक्ष महोदय :- समय बताया गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आपसे आग्रह कर रहा हूँ। आपसे समय मांग रहा हूँ। क्या मैं सड़क में बैठकर बोलने जाऊँ ? अगर मैं जनता के बीच चुनकर आया हूँ तो यहां नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था भी कुछ होती है।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ। सदन में आपके सामने बात नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं, सर, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ। ऐसा अगर आप अपमानित करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अब विनय आग्रह कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चूँकि व्यवस्था दी गई है..।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं, साहब, कैसी व्यवस्था ? क्या हम अपनी बात सदन में नहीं बोलेंगे क्या ? सर, आप मुझे बताइए। अपनी बात सदन में नहीं बोलेंगे क्या?

उपाध्यक्ष महोदय :- सदन का काम यही है। सदा परंपरा के हिसाब से, समय के हिसाब से होता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं सर, क्या आप एक घंटे के लिए गला फाड़ने के लिए अजय चन्द्राकर को टाइम देंगे और हमें बोलने से आप मना करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- ये आसंदी से कैसे बात हो रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अकबर जी, ये कौन सी शैली में माननीय आसंदी से बात हो रही है ? आसंदी से कौन सी शैली में बात हो रही है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह तो धमकी देने वाली बात हो गई।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर से प्रबोधन का कार्यक्रम लगाया जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आसंदी को धमकी देने वाली बात हो गई।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं आसंदी से समय मांग रहा हूँ। क्या आप मुझे दो मिनट का समय भी नहीं देंगे ?

श्री नारायण चंदेल :- फिर से प्रबोधन का कार्यक्रम लगाया जाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या दो मिनट का भी समय नहीं देंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- आप भी थोड़ा सा शांति से बात कीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ और मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक दूसरी बात, आग्रह करना अलग बात है, लेकिन आसंदी से किस शैली में बात हो रही है, इसके बारे में आप सोचिए। वरिष्ठ मंत्री, आप भी यहां उपस्थित हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- हां, वो अब ठीक है। अब वह ठीक से बात करेंगे। मैं आसंदी से समय मांग रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं तो आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं-नहीं मैं व्यवस्था नहीं दूंगा। मैं आसंदी से समय मांग रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप व्यवस्था दे दें।

श्री मोहम्मद अकबर :- व्यवस्था देना मेरा काम नहीं है। व्यवस्था इनको देना है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं दो मिनट का टाइम मांग रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आग्रह कर रहे हैं। आप क्यों आग्रह कर रहे हैं ? यह बहुत अपमानजनक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह बहुत गलत बात है।

श्री मोहम्मद अकबर :- व्यवस्था आसंदी को देना है। मुझे नहीं देना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बहुत अपमानजनक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, मुझे भी 4 बार टोका। मुझे भी आपने 4 बार टोका, लेकिन मैंने अपनी मर्यादा आपके प्रति कभी कम नहीं किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ये आपसे इस शैली में बात कर रहे हैं। आसंदी से इस शैली में बात नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट का समय मांग रहा हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- सदन की परम्परा है कि व्यवस्था के हिसाब से सदन चलता है, किसी के कहने या नहीं कहने से नहीं चलता ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, गलत है । हम सबके तो मालिक वही हैं । प्रेम से बोलिए न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं सदन के मालिक से ही आग्रह कर रहा हूँ । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको यह समझना चाहिए कि आसंदी से क्या व्यवहार होता है ? हम लोग आसंदी से ऐसे ही व्यवहार करेंगे ।

श्री मोहम्मद अकबर :- वे अपने व्यवहार में संशोधन कर रहे हैं । कृपया बैठिए । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं आसंदी से क्षमा मांग रहा हूँ, आपके चापलूसी की जरूरत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं आसंदी से क्षमा मांग रहा हूँ ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप शालीनता से अपनी बात रखें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, मैं आसंदी से ही क्षमा मांग रहा हूँ और निवेदन, आग्रह कर रहा हूँ कि जब से कोरोना महामारी पूरे देश में गुजरी, तब से सारे लोग प्रधानमंत्री सहायता केन्द्र में पैसा जमा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सहायता केन्द्र में पैसा जमा कर रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा था । जब पूरे देश के लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए दान देने लगे, उस समय देश के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के खाते में, भगोड़ों के खाते में पैसा जमा कर रहे थे, उस समय भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने सारे लोगों के लिए व्यवस्था की । सबसे पहले मैं उनको सलाम करता हूँ, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो

सुरक्षा कर्मी हैं, जो लगातार अपनी जान गंवाते भी सारी तकनीकों के बाद भी आपको महामारी से बचाने का काम किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जिले थे, जहां जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए हफ्तों चक्कर काटते थे, लेकिन उनका जाति प्रमाण-पत्र नहीं बन पाता था, उसके लिए भी तहसीलों की स्थापना करके ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में आपने व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। हार्टीकल्चर और एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए हमारे राज्य से बाहर हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान गरीब बच्चों के लिए नया स्कूल, कॉलेज खोलने की घोषणा की शुरुआत की है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की भी शुरुआत की है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है, आग्रह है कि हम अंतिम छोर से बहुत छोटे और [XX]⁹ विधायक बनकर आते हैं और मुझे इतना प्रताड़ित मत करिएगा, यह निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है। मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि हम आपके संरक्षण में कुछ बोलना चाहते हैं, क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं तो मुझे अनुमति दिया करिएगा और भूल-चूक से गलती हो जाए तो माफ की किया करिए। नाराज मत हुआ करिए महोदय। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने 15 मिनट भाषण दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि सदन में आसंदी की व्यवस्था आई है कि कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई ओ.बी.सी. है, कोई फ्रंट है, कोई [XX] है, कोई [XX] है, इससे मतलब नहीं है। आज आसंदी के प्रति जो व्यवहार हुआ है, उसमें यदि व्यवस्था नहीं आएगी तो हम लोग सदन में नहीं बैठेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- उपाध्यक्ष जी, अगर कोई बात आई है तो मैं सम्माननीय साथी की ओर से क्षमा चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें कोई व्यवस्था आनी चाहिए, नहीं तो यह उदाहरण बनेगा। ऐसे में हम सदन में नहीं बैठेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- उपाध्यक्ष जी, हमारे सम्माननीय सदस्यों की ओर से अगर कोई बात आई है तो मैं साथी की ओर से क्षमा चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा थोड़ा होता है कि मैं क्षमा मांगता हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- उन्होंने जो अपने भाषण की समाप्ति की, आपने अंतिम लाइन को नहीं सुना।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने पूरा सुना।

⁹ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मोहम्मद अकबर :- उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कुछ आपको लगता है तो मैं माफी भी चाहता हूँ। इस तरीके की बात हुई है। आपने अंत में नहीं सुना।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण की अंतिम पंक्ति को आप निकलवाकर देखिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, अकबर जी, उन्होंने आखरी लाइन में क्षमा याचना की, पर साथ में क्या कहा, वह आपने ध्यान नहीं दिया? मैं आदिवासी विधायक चुनकर आया हूँ, हम [XX]¹⁰ को अवसर मिलना चाहिए। सदन की अपनी व्यवस्था है कि यहां कोई अपनी जाति सूचक शब्दों का उपयोग नहीं होगा, यहां कोई अगड़ा, पिछड़ा, [XX], अनुसूचित जाति, जनजाति का नहीं है, सब विधायक हैं, यह एक बात। दूसरी बात, सदन आसंदी के संरक्षण में, आसंदी के निर्देश पर चलता है और आसंदी के निर्देश का पालन करना हम सबका दायित्व है। आपको अपनी पार्टी के विधायक को समझाईश देना चाहिए, पर आपने उनको समझाईश देने की बजाय आसंदी से समय मांगा कि उनको दो मिनट का समय दे दीजिए। पहले उनको समझाईश देना चाहिए था कि सदन के ऐसा न कहें।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, [XX] कोई जातिसूचक शब्द नहीं है। आप अपनी जानकारी बढ़ाईए। [XX] कोई जातिसूचक शब्द है क्या? आप वरिष्ठ हैं, आप जानवान हैं, ऐसी अधीरता मत दिखाईए और जो पिछड़ा समाज है, उसका अपमान मत करिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- जो बातें कही जाती हैं, उसमें अंतर होता है। देखिए, जातिसूचक मामले में आपतिजनक बात यदि किसी के बारे में कुछ कहा जाये, वह अपने को बोल रहे हैं कि मैं [XX] हूँ, इसमें क्या आपति हो सकती है? वे बोल रहे हैं कि मैं हूँ, वह अपने आप के बारे में बोल रहे हैं। जातिसूचक बातों का उपयोग करके किसी को अपमानित कर रहे हैं या किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यदि वह कहते हैं कि मैं [XX] हूँ तो गलत क्या है? अपने आप को [XX] कहना कोई गलत थोड़ी है। आप उसको गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बात वैसी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह बात माननीय भगत जी ने इस्तेमाल की, अपने लिये इस्तेमाल की थी। उन्होंने किसी [XX] विधायक के लिये इस्तेमाल की थी तो भी आसंदी ने कहा कि हम सब सदस्य हैं। उन्होंने कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा था। उसके बाद से भगत जी ने उस अनुशासन का पालन किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आपकी भूमिका मैंने आपकी ओर मुकातिब इसलिए हुआ कि आप सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हैं। आप दोनों बार आसंदी के अपमान के बजाय अपने वक्तव्य में उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़ा दुख का विषय है। आप दो मिनट दे दीजिए। कोई अपने आपको [XX] कह रहे हैं तो गलत क्या है।

¹⁰ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, मैंने उनसे पहले कहा कि आप बैठिये। पहले उनसे कहा। उसके बाद मैंने आसंदी से निवेदन किया। ये जो आप जातिसूचक बातों के बारे में आप दिशा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं मोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने उदाहरण दिया। आप निकलवा लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- यदि कोई यह कहता है कि मैं [XX]¹¹ हूँ तो वह कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता। निश्चित रूप से कह सकता है, मैं [XX] हूँ। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- उन्होंने माफी तो मांगी ना। माफी तो मांग लिया। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये सीधे सीधे जातिसूचक शब्दों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ [XX] कोई जाति नहीं है। पिछड़ा वर्ग की जाति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये। उसको विवादित मत करो। मैं बोल रहा हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता जापन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अनेक सदस्यों को बोलना होता है। इसलिए समय की उपलब्धता को देखते हुए समय निर्धारित की जाती है और इसके अलावा आप सभी से निवेदन है, जो भी बोलेंगे, समय के हिसाब से बोलें। दूसरी बात, अपने हाव भाव को देखते हुए बोलें। क्योंकि सौभाग्य इस बात की है कि मैं भी [XX] हूँ और इस सीट पर बैठा हूँ। पार्टी नियम में मैं लिखने के अलावा बोल रहा हूँ। पार्टी लाइन के हिसाब से हर कोई बोलता है। वरिष्ठता और कनिष्ठता आप शायद समझते होंगे। दूसरी बात यह है कि उसी हिसाब से बोला जाता है और समय के हिसाब से उसको कम और बढ़ाया जाता है। इसमें आप [XX] ये वर्ग, वो वर्ग कहोगे तो अच्छी बात नहीं है। सदन में कोई भी व्यक्ति बोल सकता है और केवल सदन को चलाना होता है और बिना नियम के सदन नहीं चल सकता। उसको तोड़ने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। चलिये, आगे जारी किया जाये।

माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में है एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गयी है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आसंदी से पूर्व में एक व्यवस्था आई है और व्यवस्था यह थी कि कोई भी सदस्य अपने लिये या किसी अन्य सदस्य के लिये जातिसूचक शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। अभी दुर्भाग्यजनक दो घटना घटित हो गयी। माननीय बृहस्पत सिंह जी ने कहा कि मैं [XX] हूँ। [XX] क्षेत्र से आया हूँ।

¹¹ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, आप तीन चार बात बढ़ाना बंद करिये। मैंने जो भी बात बोली, अभी भी अंतिम प्वाइंट में मैंने क्या बोला है, भाषण का लाईन निकालकर देख लीजिए। अनावश्यक विवाद बढ़ाने का प्रयास न करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। बृहस्पत जी, मेरी बात सुन लीजिए। आसंदी से ही वक्तव्य आ गया कि सौभाग्य से मैं भी [XX]¹² हूँ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं-नहीं, शर्मा जी, हम लोगों ने किसको अपमानित कर दिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- सबको अपने समाज पर अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए, इसमें किसी बात का विरोध नहीं है। पर क्या पूर्व में आसंदी से जो व्यवस्था दी गयी थी, उस व्यवस्था को बदला जा रहा है, यह स्पष्ट कर दें। पूर्व में आसंदी से व्यवस्था आ चुकी है कि जातिसूचक शब्दों का उपयोग न स्वयं के लिये न दूसरों के लिये कोई व्यक्ति करेगा और माननीय अमरजीत जी के ही प्रकरण में आया था, आपको याद होगा। आज फिर से यह बात हो गयी। यह व्यवस्था आप फिर से अच्छे ढंग से दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी को अपमानित करने के लिये इस तरह की जातिसूचक बात की जाये तो वह ठीक है। लेकिन यहां किसी अन्य मामले में आ रहा है तो उसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, आज की घटना के बाद यदि इसको हल्के से लिया जायेगा तो कोई आसंदी की इज्जत नहीं करेगा। वैसी भाषा बोलकर, फिर सब बोलते रहेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आसंदी से...।

श्री मोहम्मद अकबर :- शिवरतन जी, एक मिनट। मेरा यह कहना है कि किसी को जाति सूचक बोलकर अपमानित करना, आप यह जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वह किसी के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए जाति सूचक, अपमानित, उस तरीके की व्यवस्था है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, आप निकलवाकर देख लो कि मैं क्या हूँ कोई नहीं बोल सकता। वह बोल सकता है कि मैं [XX] हूँ। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वह कह सकता है कि मैं [XX] हूँ, इसमें क्या गलत है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो आखिरी में बोला। असली बात आसंदी के प्रति व्यवहार का है, जिस पर हमने कहा। आसंदी के प्रति व्यवहार पर व्यवस्था आनी चाहिए। आप बार-बार घुमा रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप आखिरी लाईन नहीं सुने।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आगे बढ़ा लें। लेकिन मैं आज आसंदी से वैसी ही व्यवहार करूंगा, मैं उसी भाषा-शैली में बोलूंगा। फिर उस पर व्यवस्था नहीं आनी चाहिए।

¹² [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं क्या हूँ, बोलने के लिए यह सदन किसी को रोक नहीं सकता है। वह बोल सकता है कि मैं [XX]¹³ हूँ। वह क्यों नहीं बोल सकता ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आसंदी के साथ जो व्यवहार हुआ, वैसे ही हम करेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं वैसा नहीं, उन्होंने व्यवहार के लिए क्षमा मांगा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, उन्होंने नहीं मांगा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मांग लिया, मांग लिया। आप रिकार्ड निकलवाकर देख लो।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप रिकार्ड देख लीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उन्होंने आसंदी से व्यवहार के लिए क्षमा मांग लिया।

श्री कवासी लखमा :- मेरी मुर्गी की एक टांग करने से क्या होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा चले तो चले।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्षमा मांग लिया है। जब उन्होंने क्षमा मांग लिया तो बात आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- अपना व्यवहार एवं अपनी मानसिकता एकदम साफ रखनी चाहिए। आपके व्यवहार से कोई आहत न हो, इसका खयाल रखना चाहिए। लेकिन आप लोग शुरू से बाधित कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या पूर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं आई है ? निकलवाकर देख लें। इस सदन में ऐसी व्यवस्था मेरी उपस्थिति में दो बार आ चुकी है। अजय चन्द्राकर जी और अमरजीत भगत जी के बीच विवाद हुआ था, तब आसंदी से व्यवस्था आई थी और एक व्यवस्था प्रथम विधानसभा में आदरणीय राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी की इस विषय पर है। आप दोनों व्यवस्था निकलवाकर देख लें। उसमें स्पष्ट है कि यहां विधायक, विधायक है। कहीं किसी जाति की बात नहीं होगी। ये दो व्यवस्थाएं हैं। आप निकलवाकर देख सकते हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिये, किसी वाद-विवाद के विषय में इस प्रकार आक्षेप लेकर या किसी को अपमानित करने की बात होती है, आप उस बारे में व्यवस्था निकलवाकर देख लो। लेकिन यदि कोई यह कहे कि मैं [XX] हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि वह कह सकता है कि मैं [XX] हूँ। उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके साथ जैसा व्यवहार हुआ है, वैसा हम कर सकते हैं। मैं चन्द्राकर हूँ, ऐसा बोलकर कुछ भी बात कर सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप कहीं का कहीं ले जा रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप रिकार्डिंग सुन लो।

¹³ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं चुनकर आता हूँ, मैं यहां नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा, ऐसा बोल सकता हूँ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उन्होंने निवेदनपूर्वक कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने निवेदन करके कहा कि भाई मैं [XX] हूँ और धीरे से कहा (low voice) मैं [XX]¹⁴ हूँ, ऐसा नहीं कहा। (high voice)

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, आसंदी के साथ वैसी भाषा शैली कर सकता हूँ।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं-नहीं, आप गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका सम्मानजनक हल निकालकर के कार्यवाही आगे बढ़ायें। व्यवस्था आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- कोई भी सदस्य किसी भी जाति का हो, प्रत्येक का सम्मान है। किसी जाति विशेष होने के आधार पर पृथक से कोई विशेष अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इस मामले में किसी सदस्य के प्रति अपमानजनक तरीके से उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि मैं जातिसूचक शब्द को विलोपित करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शालीन तरीके से बात करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर विरोध करने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। माननीय राज्यपाल महोदया से जो बात बुलवाई गई है, वह बहुत ही नीरस है और बेहद निराशाजनक है। यूँ कहे, वह छत्तीसगढ़ के भविष्य के हित में नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदया, आदरणीय सदस्य कह रहे हैं कि माननीय राज्यपाल महोदया से बुलवाया गया है। तो उन्होंने ऐसा कहा है क्या कि मुझसे बुलवाया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लोग जो करना चाहे कर सकते हो, जैसा करना है, वैसा कर लो।

श्री मोहन मरकाम :- संशोधन दिया गया है, संशोधन पर तो किसी भी सदस्य बात नहीं रख रहा है। एक सौ संशोधन है, लेकिन एक भी संशोधन पर बात नहीं हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, संशोधन वापस लेने का कहेंगे तो वह भी वापस ले लेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, वह सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं का भविष्य के लिए एक रूपरेखा है। मैं 29 नंबर के कालम को पढ़ता हूँ, जिसमें अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए जो बात लिखी गई है

¹⁴ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

इसमें मुझे कहीं नहीं लगता कि इस भाषण में अनुसूचित जाति के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए कोई बात कही गई हो।

श्री मोहन मरकाम :-12वीं तक फ्री शिक्षा यही तो है उनकी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के लिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन मरकाम जी, अगर आपने इतना ही माना है तो अनुसूचित जाति के पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल की आपने कितनी कल्पना की कि हम शैक्षणिक क्षेत्र में इतने पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल बनायेंगे? अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए इतने पी.जी. हॉस्टल बनायेंगे। आपने क्या इसका उल्लेख किया? हॉस्टलों को मजबूत करने, उनके शैक्षणिक स्तर को मजबूत करने के लिए क्या किया? पातालेश्वर महादेव कालेज मस्तुरी में एक हास्टल बना, हमने बोला भी था कि आपने एक बहुत बढ़िया हॉस्टल बनाया लेकिन उस हॉस्टल की कभी देख-रेख किया क्या? आज पूरे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति के हॉस्टलों की स्थिति क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम बढ़िया सा हॉस्टल बनायेंगे, हम ए-ग्रेड या बी-ग्रेडका हॉस्पिटल बनायेंगे, ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई है।

श्री मोहन मरकाम :- डॉक्टर साहब, आप भी मंत्री थे, अपने विधानसभा में कुछ नहीं कर पाये तो अब क्या होगा ये बताईये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब आप भी नहीं करेंगे क्या? आप अनुसूचित जाति के हित की बात करते हैं। इसमें अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत आरक्षण के लिए ढिंढोरा पीटा गया और इस वर्ग के लोगों को भड़काया गया। हम महामहिम के अभिभाषण में उम्मीद करते थे कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का इसमें जिक्र होगा। लेकिन अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाने के लिए इसमें कोई प्रयास नहीं किए गए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप तो उसको कम कर दिये थे, हम तो उसको बढ़ाये हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अगर वह बढ़ाये हैं बोलते हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ केवल छलावा भर हुआ है और उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों ने बहुत से क्षेत्रों में जाकर इस बात को बोला। इसी प्रकार से अगला है कि अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए अभी आपने आर्थिक नीतियां भी बनाईं। अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के उद्योग के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए बिजली में कितने प्रतिशत की छूट देंगे, और किन-किन चीजों की मान्यता देंगे? ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए हम यह करेंगे। केवल एक भावनात्मक बात यहां पर आ रही है। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए, उनके जैतखंभ, गुरुघासीदास बाबा के लिए हमने जो काम किया वह जगजाहिर है। आज वहां आप जल की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं कि आप जल की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अनुसूचित जाति का एक बहुत ही प्राचीन स्थल है, उसमें एक बढ़िया सा ट्रस्ट बनाने की बात करें। उसमें जिनको अध्यक्ष बनाना हो बना दीजिएगा। उसका बढ़िया से रख रखाव हो।

उसकी अच्छी व्यवस्था हो, उसके ट्रस्ट के लिए आप कल्पना कर लें, जिनको चाहें उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दीजिए। ट्रस्ट बनने से उसका अच्छे से संचालन हो जायेगा। माननीय मंत्री जी, हम तो कह रहे हैं कि आप ही बन जाइये। बना तो दीजिए ताकि उसके संचालन की एक बेहतर व्यवस्था हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के लक्षण इस पूरी योजना में नहीं दिख रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हम इस साल मजबूत करेंगे ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। अभी तो बृहस्पत सिंह जी बलरामपुर का बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे थे कि हमारे यहां ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या ऐसा अन्य जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य का सिसटम भगवान भरोसे चल रहा है। अगर कोई भरोसा दिया है तो सरकार की योजना से नहीं आया बल्कि डीएमएफ फंड या अन्य किसी व्यवस्था से ऐसा हो रहा है। यह सभी जगह नहीं हो रहा है। हमें तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए व्यापक दृष्टि में स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए। आपने लिखा कि हम तीन जगह मेडिकल कालेज खोले। अच्छी बात है लेकिन आपकी नीयत केवल घोषणा करने में है उसके संचालन व्यवस्था में नहीं है। क्योंकि सरगुजा का जो मेडिकल कालेज खुला है वह आपकी कार्य क्षमता, योजना और आपके सोच की प्रवृत्तियों के कारण जीरो ईयर चला गया है। क्योंकि आपने सोचा नहीं और आपने ठीक से उसकी व्यवस्था नहीं बनाई और परिणाम ये हुआ।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. बांधी जी, आप कल बोल रहे थे कि आपकी एक्स रे मशीन खराब है, वह ठीक हुआ या नहीं हुआ ?

श्री सौरभ सिंह :- इनकी सब मशीन ठीक है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने पूरे घोषणापत्र में अपनी प्राथमिकताएं तय कीं और हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो ग्रामीण स्तर पर हैं, पंचायत के सचिव हैं, पंचायत कर्मी लोग हैं और इन सबको बहुत सारे आश्वासन दिये गये। लेकिन आज वह लम्बे समय से हड़ताल में भी रहे। उनके साथ में जाते थे, बढ़िया चाय पीते थे, जूस पीते थे और उन्हें मनाने का काम करते थे आज वह सबके सब आन्दोलन में हैं। उसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन शिक्षाकर्मियों, पंचायत कर्मियों, सचिवों के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने नये-नये नगर निगमों में ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया। उसकी ऐसी स्थिति है कि हम उन ग्राम पंचायतों को जो नगर निगम में शामिल हुए, हम उसकी बेहतर व्यवस्था बनायेंगे, उनकी लिए अच्छी योजना बनायेंगे। ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई। वहां एक कचरे उठाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। अब तक सरकार ने जिन लोगों को शामिल किया, विश्वास के साथ जोड़ा है उसकी कल्पना इस पूरे अभिभाषण में देखने को नहीं मिली। तो इसलिए यह जो अभिभाषण कहलाया गया है वह कुलमिलाकर एक केवल असत्य बातों का पुलिंदा है। धान खरीदी में भी कोई ऐसी

बात नहीं कही गई। हम इतना धान खरीद रहे हैं यह सब ठीक है लेकिन जिनका रकबा घटा है जिन किसानों का रकबा खत्म हुआ है उनके रकबे घटने के कारण, उनका धान खरीदा नहीं गया, उनकी धान खरीदी की क्या व्यवस्था है ? इसमें है हम सब किसानों का धान खरीदेंगे क्या उनका ऐसा उल्लेख है ? माननीय मंत्री जी, वह भी इस अभिभाषण में नहीं देखने को मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्गेनिक कृषि के लिए कहना चाहता हूँ। केवल 1-2 लाईन की बात है। श्रमिक मजदूर हैं आज छत्तीसगढ़ से छोटे-छोटे मजदूर लोग कमाने खाने के लिए जाते हैं और लाखों की संख्या में जाते हैं उसके लिए कोई ठोस नीतियां नहीं बना रहे हैं। पिछले समय भी बात की गई थी कि हम छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के सम्मान को लेकर कुछ योजना बनायेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, इसमें ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखता कि श्रमिकों के लिए आज भी श्रमिक, छत्तीसगढ़ के मजदूर अगर काम करने के लिए जाते हैं तो एक एक्सपर्ट होते हैं वह अच्छी तरीके से मजदूरी करते हैं उनकी डिमाण्ड ज्यादा है लेकिन जब टिकट लेकर जाते हैं तो उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं होता। यह व्यवस्था, उन श्रमिकों को लेकर हमें कहीं न कहीं एक योजना बनानी पड़ेगी। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी बातें आ रही हैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें आ रही हैं। कि हम आर्गेनिक खेती करेंगे, गोबर के खाद से करेंगे, हम नरवा, घुरूवा की बात चीत करेंगे लेकिन कहीं भी उस एक एकड़ खेत में कितना खाद लगेगा और क्या उतनी खाद की आवश्यकता के अनुरूप किसान उसका उपयोग करेंगे। जिस कीमत में है यदि आर्गेनिक खेती करेगा और खाद डालेगा तो 10 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च आएगा। वह कभी उपयोग नहीं करेगा। आप बल्कि यह करें कि आर्गेनिक सर्टिफिकेशन केन्द्र का कहीं उल्लेख नहीं है कि हम कृषि में आर्गेनिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम आर्गेनिक सर्टिफिकेशन केन्द्र को हर जिले में हर ब्लॉक में खोलने की आपकी कोई योजना नहीं है। यह एक जगह में है, वह भी कोई करने के लिए आता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक लाईन बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बिजली की बात है। अब बिजली की डिमाण्ड बहुत हो गई है। अब यह 60 किलोवॉट के ट्रांसफर का जमाना गया। कम से कम उसको 100 किलोवॉट का एक नीतिगत निर्णय लें कि हम बिजली के क्षेत्र में यह-यह निर्णय लेने वाले हैं। इसमें यह बातचीत भी नहीं आई। आज भी बिजली की आवश्यकता है। ट्रांसफार्मर भी है जो हम व्यवस्था करने में असफल हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिंहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 विधान सभा के प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया। उस अभिभाषण में राज्य सरकार के योगदान, उनकी योजनाओं और उनकी नीतियों की सफलताओं के बारे में जिक्र किया। कोरोना जैसे कठोर संकट में सरकार ने दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। इसलिए मैं अभिभाषण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी को धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ।

संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय लिखा हुआ है। अभिभाषण में भी सारी बातों को लिखा गया है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं अभिभाषण को जबरदस्ती पढ़ाया गया। वह राज्य की संवैधानिक प्रमुख हैं, राज्य की स्थितियों और कार्यप्रणाली को देख रही हैं। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं आना चाहिए।

समय :

5:11 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, सरकार के पास दोहरी जिम्मेदारी थी, "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" के संपने को साकार करना था और दूसरा कोरोना के संकट को टालना था। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। जबकि हमारे केन्द्र के बड़े नेता ने थाली बजाओ, घंटी बजाओ करवाया और एरोड्रम को खुला रखा जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में कोरोना फैल गया। लेकिन इस कोरोना के संकट को दूर करने के लिए और मानवीयता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो काम किया है, उसको जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण में किया है। उन्होंने मजदूरों, किसानों, आम नागरिकों के लिए, जो संक्रमित व्यक्ति हैं, उनके लिए बहुत सारे सहायता कार्यक्रम चलाये गये। आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। वैश्विक महामारी कोविड- 19 के फैलाव को देखते हुए प्रदेश में फरवरी से नियंत्रण की तैयारी प्रारंभ कर दी गई थी। मैं यहां पर आंकड़ा बताना चाहती हूं, मरीजों के लिए 32 विशेषीकृत अस्पतालों की स्थापना, 4275 बिस्तर, 517 आई.सी.यू. बिस्तर, 479 वेन्टीलेटर की व्यवस्था की गई। हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए 207 कोविड सेंटर, 25,560 बिस्तर, 166 क्वारंटाईन सेंटर और 4221 बिस्तर की व्यवस्था की गई। दो उच्च स्तरीय वॉयरलाजी लैब भी स्थापित किये गये। प्रदेश के विभिन्न भागों से 6.5 लाख मजदूर, श्रमिक लौटे हुए थे जिनके स्वास्थ्य की जांच की गई। उनके क्वारंटाईन की व्यवस्था की गई। जिलों में 21 हजार क्वारंटाईन सेंटर बनाये गये। प्रशिक्षित 16 हजार मेडिकल स्टॉफ को पर्याप्त मात्रा में कीट मॉस्क, ग्लोव्स की व्यवस्था की गई। स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई। 1.54 लाख श्रमिकों को छत्तीसगढ़ वापिस लाया गया जिसमें 8.81 करोड़ व्यय किये गये। उनके नियमित खर्च के लिए भी उनको मनरेगा के तहत काम दिया गया। मनरेगा के तहत 26 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया। निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया। इसके साथ ही मानवीयता को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चों, महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए कोरोनाकाल में सुपोषण योजना चलती रही, इसके लिए भी लगातार प्रयास किये गये। 24 लाख हितग्राहियों को घर-घर जाकर राशन, सूखा राशन, रेडी-टू-ईट दिया गया। 99 हजार बच्चों को कुपोषण से बचाया गया, 20 हजार महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत जितने भी कार्यक्रम थे, वह भी संचालित किये गये ताकि

इस कोरोनाकाल में सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। क्योंकि परिवार में महिलायें एवं बच्चे महत्वपूर्ण हैं। इनका जीवन खुशहाल रहे। इसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री जी ने ... (जारी)

श्रीमती नीर

नीरमणी\25-02-2021\i11\03.50-03.55

(जारी)...डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- महत्वपूर्ण अंग हैं और इसका जीवन खुशहाल रहे और इसको ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर कार्य किया है और इस बात का उल्लेख किया गया है । मैं तीसरी बात किसान की बात करूंगी, किसानों के हित में काम किया गया । राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गौधन न्याय योजना, हाफ बिजली बिल, नरवा-गरूवा घुरवा-बाड़ी के कार्यक्रम और धरसा विकास योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है और यह बहुत ही सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे हैं । किसान के अलावा स्वास्थ्य विभाग चूंकि यह प्राथमिक चीजें हैं, प्राथमिक चीजों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया । एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी । यह तीन महत्वपूर्ण चीजें मानव के लिये बहुत आवश्यक हैं । इसको ध्यान में रखा गया और स्वास्थ्य को सही रखने के लिये भी जैसा कि अभी हमारे विपक्षी नेता लोग कह रहे थे कि सारे कार्यक्रम बंद कर दिये गये हैं लेकिन सारे कार्यक्रम बंद नहीं किये गये हैं बल्कि हर वर्ग को हर तरह की सुविधायें मिली । शहरी स्लम योजना, हाट बाजार योजना, दीदी-दाई क्लिनिक योजना जो प्रथम है और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना और खूबचंद बघेल योजना का कार्यक्रम निरंतर संचालित है और प्रदेश की जनता निरंतर इसका लाभ ले रही है ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिये भी काम किया गया, सड़कों के लिये भी काम किया गया और शुद्ध पेयजल के लिये भी काम किया गया । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद ।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है । निश्चित रूप से संसदीय प्रणाली में अभिभाषण पर चर्चा माननीय राज्यपाल जी के मुख से शासन की नीतियों, उनके कार्यक्रमों पर होता है और मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ ऐसे वातावरण में है कि राज्य बनने के बाद लगभग 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जब एक नई सरकार बनी तो जो कोरोना का संक्रमण आया, इस कोरोना के संक्रमण में कई प्रकार से हमारे राज्य को जूझना पड़ा । कोरोना अपने आपमें एक चुनौतीपूर्ण बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं है, लॉकडाऊन के समय लाखों की संख्या में जो प्रवासी छत्तीसगढ़ के लोग आंध्रा से, गुजरात से, तेलंगाना से, जम्मू-कश्मीर से आये तो उनको स्थापित करना, कोरोना को रोकना और इसके साथ ही साथ जो एक बड़ा चैलेंज था कि धान की खरीदी करना, धान की खरीदी को अच्छे तरीके से करना और मैं इस बात

को दावे से कहता हूँ कि इन सभी परिस्थितियों के बाद यदि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस बार जो धान खरीदी की जिसमें कोरोना की भी परेशानी थी, प्रवासी मजदूरों की भी परेशानी थी, संक्रमण की भी बात थी तो लगभग छत्तीसगढ़ राज्य के बाद लगातार हर वर्ष में स्वयं धान बेचता हूँ। मुझे लगता है कि इस बार जो स्वस्फूर्त धान खरीदी हुई, जो अच्छी धान खरीदी हुई वह पिछले 20 वर्षों में देखने में नहीं आयी और मुझे लगता है कि इन सारी चुनौतियों के बाद यदि हम गौठान के माध्यम से, राजीव किसान न्याय योजना के माध्यम से यदि किसान को मजबूत कर रहे हैं तो आने वाले समय में यह जो कोरोना काल और संक्रमण काल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को एक इंकलूसिव ग्रो के तहत एक समावेशी विकास के तहत एक दायरे में बांधकर जिसमें कि हम गौधन न्याय योजना से भी लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, किसानों को उनके धान की कीमत दे रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय है, जो प्रवासी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो भारत के अलग-अलग कोने से आये हैं उनको भी स्थापित करके रखे हैं तो मुझे लगता है कि यह केवल इस कारण संभव हो पाया है कि मुख्यमंत्री के रूप में एक राजनैतिक व्यक्ति नहीं है, एक किसान का हृदय है तो जो किसान है वह समझता है कि किसान का दर्द क्या है, प्रवासी मजदूर का दर्द क्या है और समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो संक्रमण के साथ भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने जीवन के साथ भी कर रहा है उसको अगर किसी ने संभव कर पाया तो मुझे लगता है कि शायद यह माननीय भूपेश बघेल जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति है कि उन्होंने कर दिया अन्यथा राजनीतिक व्यक्ति इस तरह के निर्णय ले नहीं पाते ...(जारी)

श्री कुरैशी

कुरैशी\25-02-2021\12\05.20-05.25

(पूर्व से जारी)...श्री देवव्रत सिंह :- तो मुझे लगता है कि यह भूपेश बघेल जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि उन्होंने कर दिया अन्यथा राजनीतिक व्यक्ति इस तरह के निर्णय नहीं ले पाते। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के सामने अगर यह बता दिया जाए कि 2500 रुपए क्विंटन धान पर कोई मदद नहीं है, कोई बजट नहीं है, यह नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर दमदारी से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया तो निश्चित रूप से इससे सारे किसानों का लाभ हुआ है और इस मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। हो सकता है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इस अर्थव्यवस्था के मॉडल में एक गाय चराने वाला भूमिहीन व्यक्ति को भी आय का साधन संक्रमणकाल में हो रहा है, इसकी चर्चा एक बिजनेस मॉडल को और एक इकोनॉमिक मॉडल के रूप में आगे स्टडी में निश्चित रूप से किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ।

सभापति जी, एक प्रश्न यह भी है कि जब इतने सारे लोग छत्तीसगढ़ से बाहर प्रवासी मजदूर के रूप में गए थे। जब वे वापस अपनी धरती पर आए तो मैं भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहा

हूँ । एक बात स्पष्ट रूप से आई कि जिस प्रकार से शासन ने उन्हें अपनी योजनाओं के माध्यम से रोककर रखा है । एक बात बहुत स्पष्ट आई है कि यदि 100 मजदूर काम करने के लिए तेलंगाना गए होंगे तो 100 में से लगभग 50 प्रतिशत लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अब हमको छत्तीसगढ़ में ही काम मिलेगी । सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो गर्मी में धान खरीदने की सरकार की रणनीति बनी उसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है । जिस प्रकार से फलों, वानिकी और उद्यानिकी की तरफ दुर्ग में जो महाविद्यालय खुला है । मुझे लगता है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ में फलों का और उद्यानिकी का जो वातावरण बनेगा इससे छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान बनेगी । सभापति महोदय, विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी के जितने निर्णय हैं वे एक बात तो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यदि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो हम बड़े से बड़ा निर्णय भी राज्य में लागू कर सकते हैं । चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हों । धान खरीदी के मामले में मैं मुख्यमंत्री जी को, माननीय अमरजीत भगत जी को और कमलप्रीत जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा । आदिवासी अंचल में जो नये धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ किये गये उससे बहुत सारे आदिवासी भाई, नक्सल क्षेत्रों में धान को बेचा और उन्हें उसका मूल्य मिला ।

सभापति जी, कुपोषण के साथ एनीमिया की लड़ाई तो सरकार लड़ रही है लेकिन मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी के माध्यम से कि हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर के इलाकों में सिकलसेल की बीमारी है, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है क्योंकि सिकलसेल की बीमारी हमारी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाती आ रही है । माननीय सभापति महोदय, राज्य में दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को शासनाधीन करने का निर्णय हुआ है, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज है, अगर चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज भी अच्छे से काम करेगा तो रायपुर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का पड़ने वाला बोझ भी निश्चित रूप से कम होगा । एक और बड़ी उपलब्धि की ओर मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा । हमारे बीच स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी हमारे मार्गदर्शक और हमारे नेता भी थे । हमने उनको एक बड़े भाई के रूप में देखा था । उनके नाम से रायगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है । निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है और नंदकुमार पटेल जैसे व्यक्तित्व के लिए एक श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई लड़ी । मैं राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात के उल्लेख के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि सामुदायिक वन पट्टों का जो कार्यक्रम शासन ने चालू किया है, निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम हो रहा है । लगभग 50-50 वर्षों तक हमारे आदिवासी भाई वन क्षेत्रों में खेती करते आ रहे थे लेकिन वन पट्टों के अभाव में फॉरेस्ट ऑफिसर कभी भी उन पर कार्रवाई कर देते थे और उनके जीवन यापन का कोई भरोसा नहीं रहता था । मुझे लगता है कि सामुदायिक वन पट्टों के मामले में जो काम हुआ है वह स्वागत योग्य है । जहां तक अन्य बातें जो

अभिभाषण में लिखी गई हैं, उनके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो किसान हैं उनकी सोच बहुत सीधी-सादी सोच है। वे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में मूड में नहीं रहते हैं। देश के वातावरण में कृषि कानूनों का बड़ा विरोध है। लेकिन शायद छत्तीसगढ़ में किसानों की भावना बहुत सीधी और सरल है। जैसा सरकार कहती है वैसा करते हैं। मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी पूरे देश में किसानों का विरोध है, लेकिन यहां किसानों में एक आशा की किरण है। इसमें कहीं न कहीं भूपेश बघेल की सोच शामिल है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ठाकुर

ठाकुर\25-02-2021\i13\05.25-05.30

समय :

5.25 बजे

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- सभा के समय में सायं 7 बजे तक वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में समर्थन के लिए खड़ी हूं और अभी बहुत से वक्ताओं ने कृषि के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बात कही। मैं किसानों से जुड़ी हुई बात कहना चाहती हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के अंतर्गत गोधन न्याय योजना आती है और जब इस योजना की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी तो हमारे विपक्ष के साथी ने बहुत ही जोर-शोर से इसका विरोध किया। हंसी उड़ायी गयी कि गोबर भी कोई खरीदने की चीज है और आज के समाचार में आप पढ़ेंगे कि उसमें दिल्ली में भी यह बात हो रही है कि सभी राज्यों में गोबर खरीदी की जाये। संसदीय समिति की बैठक में यह बात रखी गयी है और मुझे माननीय भूपेश बघेल के ऊपर गर्व है, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत ही सुंदर योजना लाया है। अभी हमारे बहुत ही आदरणीय देवव्रत भैय्या जी ने बात रखी कि हमारे किसान बहुत ही सरल विचार के होते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही सरल हैं और उन्हीं को हमारे किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए

यह गोधन न्याय योजना लाया गया है और हम देख रहे हैं कि हम जब गांव में जाते हैं, आप लोग भी सभी जनप्रतिनिधि गांव में जाते हैं तो ये खुशी का माहौल है। लोग आत्मनिर्भर हुए हैं और सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर तो वहां की महिलाएं हुई हैं, क्योंकि अभी तक महिलाएं घर के अंदर कार्य करती थीं। शहर की महिलाएं पूरा वर्क करती हैं। नौकरी करती हैं। सब जगह आना-जाना चलता है, लेकिन गांव की महिलाएं सीमित थीं। आज गोधन न्याय योजना के तहत उनको वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादन का कार्य सौंपा गया है। वहां जो समूह की जो महिलाएं हैं, वहां कार्य कर रही हैं और आज जब हम वहां जाते हैं तो उनका confidence बहुत तेजी से बढ़ा और उनके confidence को देखते ही हमें लगता है कि बहुत उज्ज्वल भविष्य की ओर हम जा रहे हैं। अभी तक महिलाएं घर के अंदर थीं। चारदीवारी में थीं, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन कर रही हैं। दीया का उत्पादन कर रही हैं। बहुत सारे आपने अभी देखा होगा रक्षा बंधन का त्यौहार आया, राखी भी बना रही हैं। मतलब उन्हें एक रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है और यह बहुत ही सराहनीय है। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सम्मान दिलाने का कार्य माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य माननीय भूपेश बघेल जी ने किया और पूरे छत्तीसगढ़ को सम्मान दिलाने का कार्य भूपेश बघेल जी ने किया। (मेजों की थपथपाहट) साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सभी वर्गों की ओर ध्यान दिया गया है। हमारे किसान भाई भी सुखी हैं। हमारे जो आदिवासी भाई लोगों के लिए भी बहुत सारे कार्य लाये गये हैं साथ में हमारे युवा साथी लोगों के लिए भी कार्य किया गया है। बस मुझे दुख इस बात में होता है कि जब भी हमारे संस्कार की बात आती है, जब भी हमारे संस्कार भांवरा, बाटी और त्यौहार के बारे में बात कहते हैं तो बड़ा दुख होता है। अगर हम संस्कार के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी ऊपर जायेगा। हमारा नाम भी ऊपर जायेगा और हम संस्कार के साथ हमारे बच्चों को लेकर चलें तो हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे जो वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, जो कांग्रेस की सरकार बनी है, वह एक्सीडेंटल सरकार है। अब एक्सीडेंट कैसे? माननीय डॉ. रमन की सरकार 15 साल तक अच्छी चल रही थी, अचानक इन्होंने ऐसी-ऐसी घोषणा की कि इनकी घोषणा से ये जितने मास्टर हैं, पटवारी हैं, डॉक्टर हैं, किसान हैं, सब बड़ी गाड़ी में चढ़ गये और हमारी छोटी गाड़ी को भूल गये । बड़े गाड़ी आइसे और एक्सीडेंट के कारण कांग्रेस के सरकार बनगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- ये एक्सीडेंट को भी बतायेंगे। एक्सीडेंट होइसे कि उड़गे सब।

श्री शैलेश पाण्डे :- जिस दिन काउंटिंग हुई, जिस दिन सरकार बनी उसी दिन एक्सीडेंट हुआ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ओ शैलेश पाठक ज्यादा मत करो नाटक, खुल जायेगा आपका फाटक।
(हंसी)

श्री अग्रवाल

अग्रवाल\25-02-2021\i14\5.30-35

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ममा जी, आप मन ला डाक्टर साहब बोले रिहीसे कि एक साल के कमीशन ला मत लो, मानेव नहीं । अव ओ डहार 14 हो गेव । (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अब एकसीडेंट सरकार की बात मैं आपको फिर बताना चाहूंगा । टी. एस. सिंहदेव, ये हैं टी. एस. । ये टी.एस. करते रहे । मतलब जैसे टेक्निकल सेशन होता है, पार्टी के टी. एस. सिंहदेव हैं, इधर हैं चौबे जी, संसदीय कार्यमंत्री। ये सब लोग किये थे वादा और निभा दिए मर्यादा और बघेल ऐसे खेले खेल, हम लोग हो गए फेल, ये हो गए पास । ये हैं बघेल । फिर लोकसभा में हम लोग हो गए पास और आप लोग हो गए फेल, ये था हम दोनों का खेल । अब आ गई है एकसीडेंटल सरकार, शराब बंदी करने की बात आपने अपने घोषणा-पत्र में की थी और आप शराब बंदी करने में असफल रहे । शराब में आपकी आय 12 हजार करोड़ रुपया हो रही है, आय को देखते हुए आपने कर दिया आए-बाय और देख रहे हैं आय और इधर प्रकार से आपने अपनी घोषणा-पत्र को अमल में नहीं लाया । सरकार नहीं कर सकती शराब बंदी और ऐसा लगता है कि यह सरकार है लंदी-फंदी ।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह सरकार कृषि में भी किसानों की धान खरीदी में मैं ज्यादा न कहूँ कि इन्होंने रकबा भी काटा और चार किशतों में किशतबंदी किये। चार किशत में बोनस देने का किया था वादा, इनका ठीक नहीं है इरादा । इस कारण इन्होंने किशतबंदी चार किशतों में की थी । सरकार ने कर दी चार किशतों में किशतबंदी किसानों का, जिससे किसानों को एक साथ लाभ नहीं मिला । यह सरकार अपने वादा में भी है लंदी-फंदी । इनका इरादा साफ नहीं है ।

सभापति महोदय, हम शिक्षित बेरोजगारों के बारे में बात करें तो शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी और भत्ता देने के बाद रोजगार देने की बात थी तो इनको न रोजगार दे सकी और न भत्ता दे सकी । महिलाओं को नहीं दे सके पेंशन और सब लोगों को है टेंशन । सब लोगों को है टेंशन, नहीं दे सके ये पेंशन । महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार, लूट, अनाचार इनका अच्छा नहीं व्यवहार और महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सके सुधार, ऐसी है ये कांग्रेस की सरकार । इन सब बातों में सरकार सभी कार्यक्रम में है फेल । बहुत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं है । डॉ. रमन की सरकार ने सामूहिक कन्या विवाह योजना चालू किया था, उसको भी रोक दिया गया, यहां तक कि मंडी टैक्स की राशि को कृषि मंत्री ने स्वीकृत किया था, उसको भी वर्क आर्डर होने के बाद आपने कैंसिल कर दिया । यह सोचने की बात है ।

श्री रामकुमार यादव :- मोहले बाबू जी, तै तीन घाव बोनस नहीं पाए हस ।

श्री सौरभ सिंह :- रामकुमार, तै पहिली बार जीतकर आये हस, वह आजतक चुनाव नहीं हारे हे । तै रेंगे बर नहीं सीखे रेहे, ओ समय के वह विधायक और सांसद हे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, अब अगले समय एला नहीं देवन टेंशन, सीधा देबो पेंशन (हंसी) ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी, तुम नहीं दे सकते पेंशन, होते रहो आप अटेंशन और किसी का नहीं जीत सकते मन और नहीं है आपके पास धन तो क्या दोगे पेंशन । यह सब बातें हैं, सिटी स्केन मशीन के लिए आप खुद जो खड़े होते हैं बार-बार डहरिया, ये है शहरिया । ये डहरिया मुंगेली गए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय टी. एस. सिंहदेव भी मुंगेली गए थे और खुडिया बांध के पानी को शहर में लाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया था, वर्तमान मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था । हमारे मुख्यमंत्री ने किया था पास और आपने किया शिलान्यास और शिलान्यास करने के बाद हमने माननीय टी. एस. सिंहदेव जी से सिटी स्केन मशीन की मांग की तो सिटी स्केन मशीन के लिए घोषणा किये, पर सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। यह घोषणा सरकार है । बात ही बात है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हम और विपक्ष, हम सब एक हैं, बढिया है, सबका सम्मान है तो कैसे करते हैं अपमान, कहां देते हैं सम्मान । यह हमारे सोचने का विषय है । अगर कन्या विवाह से लेकर और कुछ कहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थयात्रा योजना शुरू की थी। तीर्थ योजना को भी लागू कर दी थी, उसको भी इस सरकार ने बंद कर दिया। पिछली सरकार की जितनी अनेक योजनाएं हैं, चाहे रोड की बात हो, बहुत से रोड बजट में पास थे, दो साल के बाद उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। उस समय सीमा समाप्त होने के बाद न प्रशासकीय स्वीकृति जारी है, न कई लोगों को वर्क आर्डर दिया जा रहा है। इधर कहते हैं कि हम बढिया योजना लागू कर रहे हैं, सुगम योजना, ये खा रहे हैं गम और योजना है सुगम और निकल रही है, इनका दम और बैठे हैं, विपक्ष में हम। यह सोचने, समझने की बात है। ऐसी अनेक योजनाओं में सरकार फेल है। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा, आपने पांच मिनट का समय दिया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और महामहिम राज्यपाल जी के कृतज्ञता ज्ञापन का मैं विरोध करता हूं।

श्री अरूण वोरा :- [xx]¹⁵

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापति करे बर मैं खडें हंव। बहुत सारा बात हमर दल के नेता मन, माननीय छत्तीसगढ़ सरकार के भूरि-भूरि प्रशंसा करिन हे। मोला ज्यादा समय नई मिले हे, मय जानत हंव, कम शब्द में अपन बात ला पूरा करिहंव। पहले हमन मध्यप्रदेश में रहेन, हमर पुरखा मन मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करिन, ये सोचकर करिस की हमर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनही ता इहां के

¹⁵ [xx] अनुपस्थित ।

संस्कृति, रउत नाच, आदिवासी समाज के संस्कृति अन्य पिछड़ा वर्ग, छत्तीसगढ़ के गौरव बढ़ही, छत्तीसगढ़ महतारी के संस्कृति ला बढ़ाबो, ये सोच करके छत्तीसगढ़ अलग होय रहिस। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी वाले मन इहां राज करिन लेकिन छत्तीसगढ़िया आदमी अपन आप ला छत्तीसगढ़िया कहे बर लजात रहिन। ओ कहूं मेर जाए, ऐ देश के कोई भी कोना में जा करके बात करय कहे मय, उइसने सौभाग्यशाली हंव में सदन ला भी प्रणाम करत हंव कि मोर ददा दाई हा भी जम्मू कश्मीर मा गे रहिस, मैं खुद गे हो, जम्मू के तालाब के दक्षिण नगर जानीपुर रायपुर सतवारी, उंहा के ठंडी नहर में सिर ला डूबो करके मैं नहाय हंव। आज हमन उंहा जावन, उहां जा करके हमन कहन कि तु मन कहां ले आय हव, ता हमन छत्तीसगढ़ कहान ता नई जाने हमन ला बिलासपुरिहा हे कहे। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ला अऊ मंत्रिगण ला धन्यवाद देहव, जइसने ही सरकार में अईस, आज छत्तीसगढ़ के व्यक्ति कहीं पर जात हे, आज ओला गौरव के साथ में कहत हे कि देखव ये उही छत्तीसगढ़ के आदमी ऐ, जीहां भारत में सबसे ज्यादा 2500 रुपये बोनस पैसा दे जाथे, ये छत्तीसगढ़ के व्यक्ति ऐ अइसे ओला गौरवान्वित महसूस हो थे, अइसे हमर छत्तीसगढ़ ला बनाय, हे ऐखर लिए मैं धन्यवाद देना चाहत हव। मैं कई प्रकार के बात सुनत रहेव, हम तो कम पढ़े लिखे हन, ओतक कम हमन नई जानन, हमर चंद्राकर जी बइठे हे, बहुत पढ़े लिखे हे, ओ आ बहुत जानी व्यक्ति हे, हम ओखर आद करत हन, भगवान ओला बहुत अच्छा ज्ञान दे हे, लेकिन हम ऐ कहना चाहत हन कि छत्तीसगढ़ मे हम पैदा होयेन ता हम भऊरा खेले रहेन, हम सेम्हर के फूल के कांटा के हमन भऊरा खेले रहेन, कबड्डी, खोखो खेले रहेन, ओ समय हमन लईका रहेन ता का तिहार ऐ, होलीहर, का दीपावली ओखर से ज्यादा हमर बर कोनो बड़े तिहार रिहिस हे ता गेड़ी तिहार रिहिस हावय। हमन अगोरत रहान कि कब गेड़ी तिहार आही, हम गेड़ी चढ़बो, अऊ गेड़ी अइसने नहीं, हमन चिखला में रेंक करके पानी पिलान, अइसने हमन गेड़ी में चढ़े के काम करत रहेन। लेकिन 15 साल में ऐ का गेड़ी तिहार ऐ, का हरेली तिहार ऐ, का हमर तीजा पोरा ऐ, ऐ सब ह नंदा गे रिहिस हे, मैं छत्तीसगढ़ के सरकार ला धन्यवाद देहंव। मैं सदन के माध्यम से मोर बात ला छत्तीसगढ़ के गरीब आमदी के बात ला, 2 करोड़ 80 लाख जनता मन सुनही, मैं आज कहना चाहथव, एक ठन भूख होथे, पेट के भूख अऊ दूसरा भूख होथे, सम्मान के भूख। ऐ छत्तीसगढ़ के आदमी मन हमर सम्मान के लिये तरसत रहिन, लेकिन जैसे ही हमन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बनिस, अऊ नांगर जोतने वाला, जेखर जा के देखव ता गोड़ ला केंदवा चर देथे, अइसे गरीब आदमी किसान के बेटा ला जब मुख्यमंत्री बने के मौका मिलिस ता आज छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिये पूरा काम करत हे। मैं एक मिनट मा अपन बात ला पूरा करिहव। आज छत्तीसगढ़ के आदमी अरे त त नांगर जोतने वाला, हमर गरीबीन दाई, जेखर कोख से जनम लेय हव। मैं ऐसन सौभाग्यशाली हव , मैं फिर कहिहव कि मोर दाई-ददा मन दूसर घर जाके पानी भरे हावय, मैं खुद पानी भेर हव, गरवा चराय हव। ओ गरीब आदमी दाइ मन, का रेक्साना साबुन ये, का डेटाल साबुन ये, काय लाइफबाय साबुन ये,

का फेयर एण्ड लवली ये, मोर गांव के अंतिम छोर के दाई-ददा मन येला नइ जानत रहिस हे। काबर ? कि 15 साल में ऐसन गरीबी पैदा हो गय रहिस हे। लेकिन भूपेश बघेल जी, जैसे ही मुख्यमंत्री बनिस, आज ओ मन ला बोनस दिस, किसान के खाता मे पैसा आवत हे, ओ गरीब आदमी गोबर ला बेचत हे अउ पैसा ला पावत हे तो उहू हा जाके रेक्सोना साबुन, डेटाल साबुन ला चुपरत हे। एखर लिए मैं मोर सरकार ला धन्यवाद देहू।

आदरणीय सभापति जी, आज ये छत्तीसगढ़ हा, छत्तीसगढ़ महतारी धन्य हे अउ धन्य हे छत्तीसगढ़ सरकार, जे हा ऐसन मुख्यमंत्री ला पैदा करे हे। वैसे मोर नाम तो नहीं रहिस हे, लेकिन मैं कृषि मंत्री जी ला निवेदन करेव तो मोला दो शब्द बोले के मौका दीस हे, ओखरो लिए मैं सदन के नेता ला धन्यवाद देहू कि मैं अंतिम छोर व्यक्ति हंव, अंतिम छोर के व्यक्ति मन विधायक बना के भेजे हे कि उहां गरीब के बात ला रखबे। सभापति महोदय, आप मन मोला इहां दो शब्द बोले के मौका देया, मैं पुनः ये सरकार ला कोटि-कोटि प्रणाम करत हव। मैं महोदया ला भी प्रणाम करत हव, जो बढिया इहां अभिभाषण देके गय हे। इसी आशा अउ विश्वास के साथ कि हमर विपक्ष मन भी का अच्छा बात के समर्थन करना चाहिए। कोकरो विरोध नहीं करना चाहिए। काबर कि छत्तीसगढ़ के 02 करोड़ 80 लाख जनता हा देखत हे। ज्यादा नकारात्मक गोठियाहा तो फेर 14 के 14 ला खिया के खिया जाहा। इसी आशा अउ विश्वास के साथ कि आप ला सदबुद्धि मिलय, जय हिन्द, जय भारत। सभापति महोदय आप ला धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 02 करोड़ 80 लाख हो गई क्या ? अभी दो साल में फर्टिलिटी रेट बढ़ी है क्या ?

श्री संतराम नेताम :- उन्होंने लगभग कहा है, लगभग बोला है।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- सम्माननीय सभापति जी, मैं आदरणीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ विधायक मोहन मरकाम जी, वे फ्लोर में अच्छा खेल रहे हैं, उनका बहुत अच्छा परफार्मेंस रहता है। लेकिन उनके द्वारा अर्द्धशतक बनाते-बनाते उनके साथी लोग ही उनको रनआउट कर देते हैं। जब वे बोलना शुरू किए तो सन् 2003 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र से शुरू किये। 2008 का घोषणा-पत्र खोजे होंगे, लेकिन शायद उसमें उनको ऐसा कोई चीज नहीं मिला, जिसको वे सदन में रख सकें तो 2008 के घोषणा-पत्र पर चर्चा नहीं किए। 2013 के घोषणा-पत्र को पढ़ा। उन्होंने 10 साल के घोषणा-पत्र में 3-4 बिन्दुओं पर बात रखी। उन्होंने जब घोषणा-पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि कोशिश किया जायेगा, प्रयास किया जायेगा।

माननीय मरकाम जी, मैं आपकी पार्टी का घोषणा-पत्र भी रखा हुआ हूं। आपने लगभग 2 साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था और मैं उस घोषणा पत्र के तमाम बिन्दुओं को पढ़ रहा

था। इसमें लिखा है कि किया जायेगा। एम.एस.पी. आपका अधिकार नहीं है। आप बार-बार बोलते हैं कि कृषि राज्य सरकार का विषय है। लेकिन आपने इसमें लिखा है कि समर्थन मूल्य तय कर आप एम.एस.पी. तय करके खरीदी करेंगे। ये जो 36 बिन्दु हैं, उसको मैं आदरणीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में खोज रहा था कि शायद अभिभाषण के 41 बिन्दुओं में 36 बिन्दुओं में कोई बिन्दु हों। मुझे कोई बिन्दु जो आपके घोषणा-पत्र का है, देखने को नहीं मिला। यह आपका जन-घोषणा पत्र है।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं अभिभाषण देखा तो इसमें 5 प्रमुख चीज दिखा। कल बात हो रही थी कि केन्द्र सरकार ने हमको चूना लगा दिया, केन्द्र सरकार ने हमको चूना लगा दिया, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में पांच बिन्दुओं पर कलर हुआ है, कत्था लगा है, तो पांचों के पांचों जो प्रमुख विषय हैं, वह केन्द्र सरकार के कारण है। आपने पहले कहा है कि बीता साल चुनौतियों भरा था, रोज कमाने-खाने वाले परिवारों को भोजन आदि आजीविका, कुपोषण से मुक्ति और कोरोना संक्रमण काल में अच्छे से मजदूरों की देखभाल की है। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने कोरोना काल में जो कुछ-कुछ मदद की है, मैं कुछ बिन्दुओं को बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभान्वित संख्या 21 लाख 56 हजार 961, एवं 432 करोड़। प्रधानमंत्री जन-धन योजना 78 लाख 57 हजार बारह दो, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पेंशन 8 लाख 52 हजार 275। कोरोना रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मिशन द्वारा 56 करोड़। कोरोना के रोकथाम हेतु 15वें वित्त आयोग के अनुसार करों का भुगतान 1574 करोड़। राज्य आपदा सहायता 216 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 करोड़ 96 लाख 45 हजार 526.

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी जो घोषणा किए थे 20 लाख करोड़ की वही बता रहे हैं क्या?

श्री रजनीश कुमार सिंह:- हाँ, उसी को बता रहा हूँ। आप लोग जानना चाह रहे थे ना कि केंद्र सरकार ने क्या दिया।

श्री शैलेश पाण्डेय :- रजनीश भैया समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह:- पाण्डेय जी, दो मिनट बाद आपके ऊपर भी आ रहा हूँ। उज्जवला में 11 लाख 92 हजार 318 सिलेंडर ये सब इतना कोरोना काल में मिला। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को मनरेगा के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। 2020-21 के लिए श्रम बजट को 13.50 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इससे सरकार सहमत हो गई है। पिछले समय आपको 13.50 करोड़ का श्रम दिवस दिया गया था और आपने दर बढ़ाने की बात भी कही है उसको भी केंद्र सरकार सहमत है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं इसमें से दो-तीन को लेकर मैं अपनी बात में आगे बढ़ूंगा। आप मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय अंश की दूसरी राष्ट्रीय किश्त को जारी करने की मांग किए हैं। केंद्र सरकार का मंत्रालय उसमें आपको कुछ टीप लगाकर भेजा है और राज्य सरकार आज

तक उसको वापस नहीं की है। पिछले वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत आप लोगों को 26 लाख 40 हजार 31 लाख रुपये सिर्फ मनरेगा से दिया गया। और मनरेगा का कुशल श्रमिक, अकुशल और अर्धकुशल का सौ प्रतिशत भुगतान केंद्रीय मनरेगा फंड से आता है और जो सामग्री है उसमें 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है 25 प्रतिशत आप लोग जमा नहीं किए हैं जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को मटेरियल का भुगतान नहीं हो रहा है। वर्ष 2020-21 में 3 लाख 15 हजार 41 लाख रुपये। आप लोग कल जो चूना लगा-चूना लगा बोल रहे थे उसी को तो मैं कत्था लगा रहा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो इसमें मुख्य बिन्दु है। आपके राज्यपाल के अभिभाषण के पांच बिंदु में विषय है कि केंद्रीय प्रधानमंत्री सड़क को हमने इतना किलोमीटर बनाया, उसके लिए 1114 करोड़ वर्ष 2019-20 में दिया गया है उसके अगैस्ट में आपको 1147 करोड़ रुपये दिया गया है। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री सड़क में 845 करोड़ उसके अगैस्ट 837 करोड़ का भुगतान हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2020-21 में आप लोगों को 1 लाख 91 हजार 265 लाख रुपये दिया गया था जिसके अगैस्ट 56254 लाख रुपये दे चुके हैं और बाकी राशि आप लोग जमा नहीं किए हैं। वर्ष 2020-21 में ये राशि बढ़ाकर 4 लाख 67 हजार 184 लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार दीनदयाल अंत्योदय योजना में वर्ष 2019-20 में 10800 लाख था जिसके विरुद्ध आपको 10763 करोड़ रुपये दिया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में 12180 लाख रुपये था जिसके अगैस्ट में 9135 लाख का भुगतान किया जा चुका है। मैं केंद्र की चार-पांच योजना जिसका आपने जिक्र किया है, रोजगार गारंटी, प्रधानमंत्री सड़क, का और राशन कार्ड के बारे में बताया कि वह चावल केंद्र सरकार ने दिया है। जल जीवन मिशन का जो 45 लाख कनेक्शन दे रहे हैं, केंद्र सरकार ने जो 9 हजार करोड़ रुपये दिया है, जिसको आपको छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि ई.ओ.आई. के टेंडर को केबिनेट को निरस्त करना पड़ा, जो जारी हो चुका था और वह काम प्रभावित हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- भईया वह जी.एस.टी. के पड़सा ला मंगा देते भईया।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, दो सालों के अंदर जो काम हो जाना चाहिए था, यह काम भी केन्द्र सरकार का है। मैं दो-तीन विषयों को लेकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गोधन न्याय योजना की बड़ी चर्चा हो रही है। हमने गोधन न्याय योजना में 56-60 करोड़ रुपये का खरीदा। मेरा कल एक प्रश्न लगा है उसमें मैंने जानना चाहा था कि गोधन न्याय योजना शुरू होने के पश्चात् प्रश्नांक दिनांक तक कितने लोग ऐसे हैं जो 50 हजार रुपये से ऊपर का गोबर बेचे हैं ? उसका मुझे उत्तर आया है अभी जैसे बता रहे हैं कि कई लाख लोगों को रोजगार मिला है। मेरे पास अभी उत्तर है उसमें 50 हजार से ऊपर बेचने वालों की संख्या 1343 है 1343 लोग हैं जो 50 हजार से ऊपर की राशि का गोबर 8 महीने में बेचे हैं। यदि हम एक महीने का हिसाब लगायें तो वह लगभग 6 हजार रुपये होता है। सिर्फ 1343 लोग हैं जो 6 हजार से ऊपर का गोबर बेचे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, कम से कम गौशाला में गायों को मार तो नहीं रहे हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- नहीं। अब जो 2-3 लाख पटा रहे हैं..।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, 13 रुपये के झुंहा में 20-30 रुपये कमा रहे हैं। बस 13 रुपये के झुंहा लगथे।

डॉ. विनय जायसवाल:- माननीय रजनीश जी, आप महीने में कितना हिसाब लगाये ?

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मैंने 6 हजार कुछ हिसाब लगाया।

डॉ. विनय जायसवाल :- आपने 6 हजार कुछ हिसाब लगाया। और जो आपकी प्रधानमंत्री स्वाभिमान..।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री साल में 6 हजार रुपये देते हैं। आप उनकी कमाई का एक महीने में 6 हजार रुपये दे रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- आपने कितने लोगों को दिया?

डॉ. विनय जायसवाल :- जो आपकी प्रधानमंत्री स्वाभिमान योजना जो पैसे वाली योजना है उसमें एक महीने में कितनी राशि मिलती है ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव:- माननीय सभापति महोदय, एक साल में 6 हजार राशि मिल रही है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उसमें 500 रुपये महीना होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 500 रुपये दे रहे हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यहां 1343 लोग हैं उसका आप ढिंढोरा मत पिटिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव:- उनको एक साल में 6 हजार रुपये मिल रहा है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जो कई लाख लोगों को बताया जा रहा है कि कई लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है यह इसका असलियत है कि उसमें केवल 1343 लोग हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय गोबर से 6 हजार रुपये महीना मिल रहा है। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब आप बैठिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जो मवेशी पाल रहे हैं। उनका क्या खर्च आता है और कितना महीने में कमा रहे हैं आप लोग खुद हिसाब लगा लेना। बाकी का भी हिसाब लगा

लेना कि वह कितना कमा रहे हैं ? वह मवेशी को कुछ खिलाते होंगे, कुछ रखरखाव के लिए तो रखते होंगे

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय गोबर के अलावा दूध भी तो मिलता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उधर का इंफैक्शन तुम्हारे तरफ आ गया क्या ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय रजनीश जी, गोधन न्याय योजना से 1 लाख 45 हजार लोगों को आय का नया साधन मिला है और सुनिये कि 45 हजार ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में बार-बार बोला जा रहा है कि हमने 16 हजार शिक्षाकर्मियों को नियमित किया। आप उसके पहले का रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने शिक्षाकर्मियों हैं और कितने नियमित हो गए हैं। 16 हजार में सिर्फ लगभग 13400 कुछ जिनको 2 साल से 6 साल की सेवा हुई थी बाकी ऑलरेडी सबको 8 साल की सेवा हो चुकी थी। आप लोगों को सदन को या इसको बार-बार बताने का प्रयास कर रहे हैं उनको तो जुलाई 2020 में सबको नियमित होना ही था। आपने कुछ नहीं किया। जिनको 8 साल की सेवा हो गई थी, उनको नियमित होना ही था बल्कि उनकी वरिष्ठता चली गई। आपने उनको दिसंबर से दिया है, उनकी वरिष्ठता चली गई है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। शिक्षा कर्मियों का जो अभी पी.एस.सी. में भर्ती हो रही है उसमें माननीय धर्मजीत सिंह जी ने 4-5 बिन्दु कहा है। चाहे वह सहायक संचालक परीक्षा विवादित रहा है, सिविल जज परीक्षा विवादित रहा है, मुख्य परीक्षा 2019 विवादित रहा है और इसी प्रकार स्पोर्ट्स ऑफिसर के जो पद हैं वह विवादित रहा है। अभी परसों में टी.वी. में ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था, कि अभी 530 गणित के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है जो रेग्युलर पदों की 14 हजार नियुक्ति हुई है उसमें से 530 लोगों की नियुक्ति पद अभी दिया गया है तो अभी तो किसान न्याय योजना में किशत-किशत में पैसा दे रहे हैं तो क्या हमारे जो 14 हजार बेरोजगार साथी हैं जिनकी भर्ती हो चुकी है एक साल पहले उनकी सब प्रक्रिया हो चुकी है इनको भी क्या किशत-किशत में नियुक्ति दी जायेगी ? इस प्रकार जो पूरा अभिभाषण है वह असत्य का पुलिंदा पढ़ाया गया है इसलिए इसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों, कार्य एवं उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की है और यह एक परम्परा भी है। माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में योजनाओं को लोगों के सामने परोसने का जो कार्य किया गया

है, उसमें हकीकत के पीछे के तथ्य बहुत ही तथाकथित, काल्पनिक हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता ने अपने और अपने बच्चों के भविष्य और उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को सौंपने के साथ-साथ एक दायित्व प्रदान किया, लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार को ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस घोषणा पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता स्थापित की है, उस घोषणा पत्र में जो बिन्दु थे, उन घोषणा पत्र के बिन्दुओं को आज तक पूर्ण करने में विफल रही। वर्तमान सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में जो 14 बिन्दु हैं छत्तीसगढ़ में जैसे ही इनकी सरकार आयेगी, यह पूर्ण शराबबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के ढाई साल का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने की ओर इनका कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले बेरोजगार युवक, मजदूर, किसान, विद्यार्थी लोग हैं, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को सौंपते हुए सरकार को जो दायित्व दिया था, वह पूर्ण नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारे देश में बेरोजगार भाई, किसान, मजदूर, कमजोर वर्ग के लोगों का पूरा समय शराब बेचने और शराब पीने में निकल जा रहा है। वर्तमान सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया था। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की डिग्री, डिप्लोमा, टेक्नीकल, मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर, जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र-छात्राएं और बेरोजगार युवा हैं, उन लोगों को अभी केवल एक ही काम दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार वह केवल भट्टियों में जाकर शराब पीने का काम कर रहे हैं। उनका काम यह हो गया है कि गोबर बेचने का कार्य कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से हमारी बहन बेटियों के मान-सम्मान के लिए, बेरोजगार भाईयों को व्यवसाय दिलाने के लिए, किसान भाईयों का अधिकार दिलाने के लिए, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो शराब बंदी की बात कही थी, उन पर वह अमल करें और शिक्षा की ओर अपने कदम को बढ़ायें। ऐसा मैं सदन के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ श्री रामचन्द्र जी का ननिहाल है, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ बनाने का विचार रखा है। एक तरफ हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी के चले हुए हर मार्ग पर राम वन गमन पथ बना रहे हैं, दूसरी ओर हमारे छत्तीसगढ़ में मजदूर, किसान, बेरोजगार हैं, उनको अधिकारी, कर्मचारी लूटने का कार्य कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन का काम प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का होता है, लेकिन आज व्यवस्था इस तरह बिगड़ गई है कि लोगों को कितनी भी परेशानी क्यों न हो, कितने भी लड़ाई-झगड़े हो, वह डर के मारे पुलिस प्रशासन के पास जाना उचित नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ अन्याय, अत्याचार होता है। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत विडंबना की बात है जिन नौकरशाहों के माध्यम से आम जनता का समस्त स्तरों पर कार्य संचालन होता है, यदि उन्हीं स्थानों पर आम जनता के साथ अन्याय, अत्याचार हो तो उनको

निराशा होगी। जहां एक तरफ हम लोग राम वन गमन पथ बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम जी की राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की भोली-भाली जनता के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं संत रविदास जी के विचार को यहां पर रखकर अपनी बात रखना चाहूंगी, संत रविदास जी ने कहा था कि -

अइसन राज चाहूं मैं, सबको मिले अन्न,

छोट-बड़ सबसे रविदास रहे प्रसन्न।

तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में यह उल्लेख आया है कि संविधान से संबंधित तो निश्चित रूप संविधान और बाबा भीमराव आंबेडकर जी के लिखे संविधान के अनुसार भारत देश में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिये मकान और खाने के लिये अन्न, चलने के लिये सड़क, बिजली इत्यादि सभी मूलभूत सुविधाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि गरियाबंद जिले में बिंदानवागढ़ विधानसभा के अंतर्गत कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है और उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक बात और कहना चाहूंगी चूंकि मैं महिला हूं। हमारे सदन में जब से हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है तो कई माननीय सदस्यों ने जो हमारी बहन-बेटियों के साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हुआ है, उनके साथ बालात्कार जैसी घटना घटी है उसको आंकड़ों में पेश कर रहे हैं तो इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि यह कोई छत्तीसगढ़ की उपलब्धि नहीं है जिसे हमारी बहन-बेटियों के साथ अन्याय-अत्याचार हो और उसे हम उपलब्धि के रूप में यहां पर आंकड़े पेश कर रहे हैं, यह हमारे लिये बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी बहन-बेटियों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उसके हम इस विधानसभा में आंकड़े पेश कर रहे हैं। यदि यह आप लोगों की नजर में उपलब्धि है तो यह बहुत शर्म की बात है। मैं शासन से यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमें आंकड़े पेश करने की बजाय यह सोचना चाहिए कि हम अपनी बहन-बेटियों को कैसे सुरक्षित रखें। हमारी बहन-बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं न हों।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि सरकार झुग्गीमुक्त करने के लिये गरीबों को बेहतर आवास दिलाने का प्रयास करे लेकिन दूसरी ओर हमारे जो गरीब भाई-बहन हैं जो आबादी जमीन में छोटे-मोटे मकान बनाकर निवासरत थे और उनके पास कोई और जमीन नहीं थी लेकिन उनको बेघर करने की भी एक-तरफ शासन-प्रशासन की नीति चल रही है तो मैं माननीय सदन के माध्यम से, माननीय छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं हैं और उन्हें बेजा कब्जा कहकर उनके घर को तोड़कर उनको

बेघर किया जा रहा है ऐसा उनके साथ अन्याय और अत्याचार न हो । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यनवाद ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ी हुई हूँ । हम सब माननीय राज्यपाल जी का सम्मान करते हैं और पूरे प्रदेश की जनता उनका सम्मान करती है लेकिन माननीय राज्यपाल जी से यदि झूठ बोलवाया जाये और उनको गलत बोलवाया जाये तो यह बात हमें बर्दाश्त नहीं । माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारी माननीय राज्यपाल महोदया जी का भाषण प्रस्तुत हुआ ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- रंजना साहू जी, क्या माननीय राज्यपाल जी से कोई झूठ बोलवा सकता है ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप बोलवा सकते हैं, यह हिम्मत बस आपमें ही है । माननीय सभापति महोदय, जब माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और इस अभिभाषण में स्पष्ट रूप से यह झलक रहा है कि यह सरकार की अकर्मण्यता और असफलता को ढंकने वाला मखमली चादर है । जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं या अन्य कोई सार्वजनिक जीवन में आता है तो सेवा और साधना का कोई क्षेत्र होता है तो वह स्वास्थ्य का क्षेत्र है और इसी का अनूठा उदाहरण देते हुए केंद्र की सरकार ने और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष की जनता को सहयोग दिया और कोरोना वैश्विक महामारी में छत्तीसगढ़ को भी विशेष सहयोग दिया लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया । हम विपक्ष में बैठे हैं, हमने इस जनादेश को स्वीकार किया है और इसीलिए हम विपक्ष में बैठे हैं, पूरे दम के साथ बैठे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे । इस अभिभाषण को जिसने भी लिखा है, मैं इस सरकार से भी यह कहना चाहती हूँ कि इस अभिभाषण में यदि आप केंद्र की सरकार का उल्लेख करते, उनके सहयोग का यदि उल्लेख करते जो कोरोना वैश्विक महामारी में आपको सहयोग किया है तो माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का कद बढ़ता और आपका कद बढ़ता । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण से जरा भी बाहर नहीं जाऊंगी । मैं केवल इस पुस्तक के संबंध में अपनी बात रखना चाहती हूँ । जिस प्रकार यहां दूसरे नम्बर पर लिखा गया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमने रोज कमाने खाने वाले परिवार को सहयोग किया । सभापति जी, ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार के सहयोग से वंचित रह गए। ग्रामीण क्षेत्र अपनी व्यवस्था कर लेते थे ।

श्री अमरजीत भगत :- रंजना जी ।

श्री सौरभ सिंह :- भईगे, बोलन देव ।

श्री अमरजीत भगत :- बढिया बात बोलत हौं, सुनही तब तो ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति जी, मैं नई विधायक हूं और मेरे भाषण में यदि मंत्री जी खड़े हो जाएं तो यह मेरा सौभाग्य है ।

डॉ. विजय जायसवाल :- मैं भी तो खड़ा हुआ था ।

श्री अमरजीत भगत :- आप बहुत अच्छा भाषण कर रही हैं और जितना तथ्य रख रही हैं ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनके क्षेत्र के पीछे से आते हैं वो जो आपका हिसाब किताब रखते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- कोविड पीरियड में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को जितनी तकलीफ दी है ना, पूरी बात को लिखते तो आंसू आ जाते ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति जी, मुझे 30 सेकेंड दे दीजिए ।

श्री सौरभ सिंह :- दिल्ली तो जा रहे हैं ना, वहां मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रख दीजिएगा । यहां तो इनको बोलने दीजिए ।

सभापति महोदय :- रंजना जी, इंदू बंजारे जी, संगीता जी कम बोलती हैं इसलिए इनके बीच डिस्टर्ब न करें, इनको बोलने दें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मिर्ची इतनी ज्यादा लगी जबकि मैंने अभी एक लाईन भी नहीं पढ़ी है । सभापति जी, इन्होंने कहा रोज खाने कमाने वाले । जब शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया में जिन्हें अचानक से कंटोनमेंट ज़ोन घोषित किया गया, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की परिधि । अचानक वहां पर जिला प्रशासन ने उन्हें कंटोनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया । क्योंकि उस पीड़ा से मैं गुजरी हूं इसलिए उस पीड़ा को सदन में व्यक्त करना चाहती हूं कि वहां स्लम एरिया के लोगों के साथ क्या हुआ । आप कहते हैं कि खाद्यान्न की आपूर्ति की, कौन से खाद्यान्न की आपूर्ति आपने की । क्या किसी की सुध लेने आप गए थे । किसी का पता लेने आप गए थे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, कंटोनमेंट ज़ोन की गाइड लाईन केन्द्र ने बनाई थी ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप नहीं गई होंगी अपने एरिये में, हम लोग सब गए थे ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं गया था ।

सुश्री शकुंतला साहू :- रंजना मैडम, बीजेपी का एक भी विधायक कोविड में काम नहीं किया है, सारे कांग्रेस के विधायक गए हैं ।

सभापति महोदय :- राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं । माननीय सदस्या जिस विषय को रख रही हैं उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आ जाएगा ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति जी, कंटोनमेंट ज़ोन जिस क्षेत्र को घोषित किया गया, वहां पर अधिकतर स्लम एरिया थे रोज कमाने खाने वाले लोग थे। ये पीड़ा इसलिए हो रही है कि वहां के

लोगों ने दूरभाष के माध्यम से फोन किया कि हमारे लिए शासन प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। मैंने जिला प्रशासन से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैडम आपको क्या करना है जब शासन ही ध्यान नहीं दे रहा है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- वह कंटोनमेंट जोन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार किया गया था नोनी।

सभापति महोदय :- बैठिये आप। मैंने पहले ही कहा कि महिला सदस्य कम बोलती हैं, कृपया बोलने दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- यह ठीक नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री जी थोड़ा नियंत्रित कीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैडम, 36 में से 24 वायदे पूरे हुए हैं, उसके बारे में भी बोल दें।

डॉ. विनय जायसवाल :- कोरोना की गाइडलाइन मोदी जी के निर्देश में ही जारी हुई थी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, ये नहीं समझेंगे क्योंकि यह इनकी पीड़ा नहीं है। सरकार तो आराम से सोई थी, वे घर में आराम कर रहे थे। हम नीचे स्तर पर गए हैं, हमने काम किया है, हमने उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द को समझा है। यह बात हम पर बीती है इसलिए हमें इस सदन में कहना पड़ रहा है। सभापति जी महिलाओं को कम अवसर मिलता है लेकिन चूंकि हम भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ी हुई होती हैं इसीलिए उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का समय मुझे अभी मिला है। इसलिए मैं अपनी बातों को यहां रखना चाह रही हूं। सभापति महोदय, जिस प्रकार कोरोना वैश्विक महामारी के चलते बहुत सी समाज सेवा संस्थाएं आगे आईं। उन्होंने काम करना शुरू किया उस समय सरकार ने एक फ़रमान जारी किया कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी समाज सेवा संस्था खाद्यान्न नहीं बांटेंगी। सरकार का फ़रमान था, हमने भी माना।(जारी)

श्री ठाकुर

नीरमणी \25-02-2021\11\04.30-04.35

(पूर्व से जारी)...श्रीमती इंदू बंजारे :- राह पर चलने का प्रयास करें वहीं दूसरी ओर हमारे देश की भोली-भाली जनता के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं संत रविदास जी के विचार को यहां पर रखकर अपनी बात रखना चाहूंगी, संत रविदास जी ने कहा था कि -

अइसन राज चाहूं मैं, सबको मिले अन्न,

छोट-बड़ सबसे रविदास रहे प्रसन्न।

तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में यह उल्लेख आया है कि संविधान से संबंधित तो निश्चित रूप संविधान और बाबा भीमराव आंबेडकर जी के लिखे संविधान के अनुसार भारत देश में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिये मकान और खाने के लिये अन्न, चलने के लिये सड़क, बिजली इत्यादि सभी मूलभूत सुविधाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए।

लेकिन मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि गरियाबंद जिले में बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के अंतर्गत कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है और उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक बात और कहना चाहूंगी चूंकि मैं महिला हूं। हमारे सदन में जब से हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है तो कई माननीय सदस्यों ने जो हमारी बहन-बेटियों के साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हुआ है, उनके साथ बालात्कार जैसी घटना घटी है उसको आंकड़ों में पेश कर रहे हैं तो इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि यह कोई छत्तीसगढ़ की उपलब्धि नहीं है जिसे हमारी बहन-बेटियों के साथ अन्याय-अत्याचार हो और उसे हम उपलब्धि के रूप में यहां पर आंकड़े पेश कर रहे हैं, यह हमारे लिये बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी बहन-बेटियों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उसके हम इस विधानसभा में आंकड़े पेश कर रहे हैं। यदि यह आप लोगों की नजर में उपलब्धि है तो यह बहुत शर्म की बात है। मैं शासन से यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमें आंकड़े पेश करने की बजाय यह सोचना चाहिए कि हम अपनी बहन-बेटियों को कैसे सुरक्षित रखें। हमारी बहन-बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं न हों।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि सरकार झुग्गीमुक्त करने के लिये गरीबों को बेहतर आवास दिलाने का प्रयास करे लेकिन दूसरी ओर हमारे जो गरीब भाई-बहन हैं जो आबादी जमीन में छोटे-मोटे मकान बनाकर निवासरत थे और उनके पास कोई और जमीन नहीं थी लेकिन उनको बेघर करने की भी एक-तरफ शासन-प्रशासन की नीति चल रही है तो मैं माननीय सदन के माध्यम से, माननीय छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं हैं और उन्हें बेजा कब्जा कहकर उनके घर को तोड़कर उनको बेघर किया जा रहा है ऐसा उनके साथ अन्याय और अत्याचार न हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। हम सब माननीय राज्यपाल जी का सम्मान करते हैं और पूरे प्रदेश की जनता उनका सम्मान करती है लेकिन माननीय राज्यपाल जी से यदि झूठ बोलवाया जाये और उनको गलत बोलवाया जाये तो यह बात हमें बर्दाश्त नहीं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारी माननीय राज्यपाल महोदया जी का भाषण प्रस्तुत हुआ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- रंजना साहू जी, क्या माननीय राज्यपाल जी से कोई झूठ बोलवा सकता है ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप बोलवा सकते हैं, यह हिम्मत बस आपमें ही है। माननीय सभापति महोदय, जब माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और इस अभिभाषण में स्पष्ट रूप से

यह झलक रहा है कि यह सरकार की अकर्मण्यता और असफलता को ढंकने वाला मखमली चादर है । जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं या अन्य कोई सार्वजनिक जीवन में आता है तो सेवा और साधना का कोई क्षेत्र होता है तो वह स्वास्थ्य का क्षेत्र है और इसी का अनूठा उदाहरण देते हुए केंद्र की सरकार ने और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष की जनता को सहयोग दिया और कोरोना वैश्विक महामारी में छत्तीसगढ़ को भी विशेष सहयोग दिया लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया । हम विपक्ष में बैठे हैं, हमने इस जनादेश को स्वीकार किया है और इसीलिए हम विपक्ष में बैठे हैं, पूरे दम के साथ बैठे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे । इस अभिभाषण को जिसने भी लिखा है, मैं इस सरकार से भी यह कहना चाहती हूँ कि इस अभिभाषण में यदि आप केंद्र की सरकार का उल्लेख करते, उनके सहयोग का यदि उल्लेख करते जो कोरोना वैश्विक महामारी में आपको सहयोग किया है तो माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का कद बढ़ता और आपका कद बढ़ता । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण से जरा भी बाहर नहीं जाऊंगी ।...(जारी)

श्री कुरैशी

कुरैशी\25-02-2021\j12\06.05-05.10

(पूर्व से जारी)...श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :-

तो राज्यपाल के अभिभाषण का कद बढ़ता और आपका कद बढ़ता । सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण से ज़रा भी बाहर नहीं जाऊंगी । मैं केवल इस पुस्तक के संबंध में अपनी बात रखना चाहती हूँ । जिस प्रकार यहां दूसरे नम्बर पर लिखा गया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमने रोज कमाने खाने वाले परिवार को सहयोग किया । सभापति जी, ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार के सहयोग से वंचित रह गए। ग्रामीण क्षेत्र अपनी व्यवस्था कर लेते थे ।

श्री अमरजीत भगत :- रंजना जी ।

श्री सौरभ सिंह :- भईगे, बोलन देव ।

श्री अमरजीत भगत :- बढ़िया बात बोलत हों, सुनही तब तो ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति जी, मैं नई विधायक हूँ और मेरे भाषण में यदि मंत्री जी खड़े हो जाएं तो यह मेरा सौभाग्य है ।

डॉ. विजय जायसवाल :- मैं भी तो खड़ा हुआ था ।

श्री अमरजीत भगत :- आप बहुत अच्छा भाषण कर रही हैं और जितना तथ्य रख रही हैं ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनके क्षेत्र के पीछे से आते हैं वो जो आपका हिसाब किताब रखते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- कोविड पीरियड में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को जितनी तकलीफ दी है ना, पूरी बात को लिखते तो आंसू आ जाते ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति जी, मुझे 30 सेकेंड दे दीजिए ।

श्री सौरभ सिंह :- दिल्ली तो जा रहे हैं ना, वहां मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रख दीजिएगा । यहां तो इनको बोलने दीजिए ।

सभापति महोदय :- रंजना जी, इंदू बंजारे जी, संगीता जी कम बोलती हैं इसलिए इनके बीच डिस्टर्ब न करें, इनको बोलने दें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मिर्ची इतनी ज्यादा लगी जबकि मैंने अभी एक लाइन भी नहीं पढ़ी है । सभापति जी, इन्होंने कहा रोज खाने कमाने वाले । जब शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया में जिन्हें अचानक से कंटोनमेंट ज़ोन घोषित किया गया, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की परिधि । अचानक वहां पर जिला प्रशासन ने उन्हें कंटोनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया । क्योंकि उस पीड़ा से मैं गुजरी हूं इसलिए उस पीड़ा को सदन में व्यक्त करना चाहती हूं कि वहां स्लम एरिया के लोगों के साथ क्या हुआ । आप कहते हैं कि खाद्यान्न की आपूर्ति की, कौन से खाद्यान्न की आपूर्ति आपने की । क्या किसी की सुध लेने आप गए थे । किसी का पता लेने आप गए थे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, कंटोनमेंट ज़ोन की गाइड लाइन केन्द्र ने बनाई थी ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप नहीं गई होंगी अपने एरिये में, हम लोग सब गए थे ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं गया था ।

सुश्री शकुंतला साहू :- रंजना मैडम, बीजेपी का एक भी विधायक कोविड में काम नहीं किया है, सारे कांग्रेस के विधायक गए हैं ।

सभापति महोदय :- राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं । माननीय सदस्या जिस विषय को रख रही हैं उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आ जाएगा ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति जी, कंटोनमेंट ज़ोन जिस क्षेत्र को घोषित किया गया, वहां पर अधिकतर स्लम एरिया थे रोज कमाने खाने वाले लोग थे। ये पीड़ा इसलिए हो रही है कि वहां के लोगों ने दूरभाष के माध्यम से फोन किया कि हमारे लिए शासन प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है । मैंने जिला प्रशासन से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैडम आपको क्या करना है जब शासन ही ध्यान नहीं दे रहा है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- वह कंटोनमेंट ज़ोन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार किया गया था नोनी ।

सभापति महोदय :- बैठिये आप । मैंने पहले ही कहा कि महिला सदस्य कम बोलती हैं, कृपया बोलने दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- यह ठीक नहीं है । संसदीय कार्यमंत्री जी थोड़ा नियंत्रित कीजिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैडम, 36 में से 24 वायदे पूरे हुए हैं, उसके बारे में भी बोल दें ।

डॉ. विनय जायसवाल :- कोरोना की गाइडलाइन मोदी जी के निर्देश में ही जारी हुई थी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, ये नहीं समझेंगे क्योंकि यह इनकी पीड़ा नहीं है । सरकार तो आराम से सोई थी, वे घर में आराम कर रहे थे । हम नीचे स्तर पर गए हैं, हमने काम किया है, हमने उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द को समझा है । यह बात हम पर बीती है इसलिए हमें इस सदन में कहना पड़ रहा है। सभापति जी महिलाओं को कम अवसर मिलता है लेकिन चूंकि हम भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ी हुई होती हैं इसीलिए उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का समय मुझे अभी मिला है । इसलिए मैं अपनी बातों को यहां रखना चाह रही हूं । सभापति महोदय, जिस प्रकार कोरोना वैश्विक महामारी के चलते बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं आगे आईं । उन्होंने काम करना शुरू किया उस समय सरकार ने एक फ़रमान जारी किया कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी समाज सेवी संस्था खाद्यान्न नहीं बांटेंगी। सरकार का फ़रमान था, हमने भी माना । विपक्ष में हम भी बैठे हैं। हमने भी सरकार के आदेश को माना, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपको हंसी भी आयेगी और आश्चर्य भी होगा। जितने समाजसेवी संस्थाओं ने खाद्यान्न इकट्ठे किये थे, इसे जिला प्रशासन ने बांटने का का तय किया अपने नाम से और मुख्यमंत्री जी के नाम से थैला बनवा लिया और उसी में वे खाद्यान्न बांटना शुरू किये। (शेम-शेम की आवाज) शासन और प्रशासन की यह हरकत है। माननीय सभापति महोदय जी, जिस प्रकार सरकार बात करती है कि खाद्य सुरक्षा के लिए हमने 11 हजार से अधिक पंचायतों को दो-दो क्विंटल चावल दिया। ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया। अन्नदाता भी आपको बधाई देंगे। आपको धन्यवाद देंगे। सभापति महोदय जी, आपको हंसी आयेगी जब इन्होंने 11 हजार पंचायतों को जब खाद्यान्न बांटा तो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह सोचा कि हम जो शासन कर रहे हैं, हम उनका प्रचार प्रसार करें।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- कोई प्रचार-प्रसार नहीं था मैडम, मानवीयता के नाते अच्छा काम किये हैं। उसे गलत मत बोलो।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उनके कार्यकर्ता निकल पड़े। उस समय कोरोना वैश्विक महामारी थी और ऐसे में उनके कार्यकर्ता घर-घर गये, वहां लोगों ने यह कहा कि खाली चाउर भर देहू, नून मिर्चा कोन दिही, ये उन्हें जवाब मिला तो इनके कार्यकर्ता वहां दोबारा उस जगह में नहीं गयेग। यदि आपको देना था तो साथ में किराना सामान भी भिजवा देते। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- आपका नाम है। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप अपने विधायक निधि से कितना खर्च किये हो, आप इन्हें बताइए। आप अपने विधायक निधि से कितना खर्च किये हो, उसे बताओ (व्यवधान)

सभापति महोदय :- छत्ती साहू को इनके बाद बोलना है। सारी बातों को बोल दीजिएगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- मुख्यमंत्री सहायता कोष में कितना जमा किये हैं, यह भी बताओ। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप अपने विधायक निधि का कितना खर्च किये हो, उसे बताओ।

सभापति महोदय :- लक्ष्मी जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं इनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं अपने विषय पर ही बात करना चाहती हूँ। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपके कितने विधायक और कितने सांसद मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किये, यह बता दीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- ये नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये आपके कितने विधायकों ने और सांसदों ने सी.एम. रिलीफ फंड में जमा किये हैं, यह बता दीजिए (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- क्या आपने मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया है, यह बताइए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- रंजना जी। मेरी बातें पहले सुनिए। मेरी बात आप सुनिए। मैं सम्मान के साथ आपको प्रणाम करता हूँ कि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में आपके कितने विधायक और सांसदों ने जमा किये हैं। यह बता दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देखो, महिला सदस्य के साथ मैं सदन में छेड़-छाड़ बिल्कुल नहीं होगा। बाहर क्या बात होगी (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ये महिला सदस्य वाली बात नहीं है। जो स्थिति है, उसे मैं बता रहा हूँ। आपको जवाब दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बाहर क्या रिपोर्ट जायेगा। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- इक्वल है। इक्वल। समानता है। महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- छत्तीसगढ़ की जनता की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता में मरहम लगाने के लिए मात्र विधायक निधि से और आपके सांसद ने कितने पैसे जमा किये हैं, यह बता दीजिए।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप बैठिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- [XX]¹⁶

सभापति महोदय :- देखिए मिस्टर, आप आसंदी का अपमान नहीं कर सकते। आप मर्यादा का ध्यान रखें।

श्री सौरभ सिंह :- यह भाषा नहीं होती। आप संसदीय सचिव हैं। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप मर्यादा का ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री विद्यारतन भसीन :- इनकी आदत बन जायेगी। ये आसंदी का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- आप आप आसंदी का अपमान नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री जी, आज लगातार यह दूसरी घटना है।

श्री नारायण चंदेल :- फिर से प्रबोधन कार्यक्रम लगाया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आज दूसरी घटना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक मिनट।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनसे पूछ लीजिए कवासी लखमा जी से और मोहम्मद अकबर जी से। यह लगातार दूसरी घटना है आसंदी के अपमान का।

श्री नारायण चंदेल :- यह दूसरी घटना है। यह अच्छा नहीं है।

श्री ननकीराम कंवर :- वे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहली घटना में हम लोग बाहर जायेंगे, बोल दिये थे, लेकिन आपके कारण बैठे। अब आज दूसरी घटना है।

श्री नारायण चंदेल :- इनके लिए फिर से प्रबोधन लगाइए।

श्री रविन्द्र चौबे :- दो मिनट। रंजना जी थोड़ा सा बैठिए। माननीय सभापति महोदय जी, अब जितना मैं रंजना जी भाषण कर रही हैं, उतने ही नये आदरणीय निषाद जी हैं। मैं समझता हूं कि आसंदी को कोई निर्देश नहीं कर सकता। उनके शब्दों के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और सदन में इस तरीके से कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग आसंदी का पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन जैसा नारायण जी कह रहे हैं कि फिर से प्रबोधन लगाना है, मुझे लगता है कि प्रबोधन का काम मैं आपसे ही शुरू करूंगा।

सभापति महोदय :- चलिए, रंजना जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज आप पूछ लीजिए। आज लगातार दूसरी घटना है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मेरी बात से जो खेद पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

¹⁶ [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

सभापति महोदय :- निषाद जी ने जो कहा उसे मैं विलोपित करता हूँ। चलिए, रंजना जी। दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, जिस प्रकार बार-बार इस सदन में मेरे से जो पहले वक्ता थे, उन्होंने इस विषय को कहा। बार-बार केन्द्र पर आरोप लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे थे कि ताली, थाली और शंख बार-बार प्रधानमंत्री जी बजवाते हैं। इसके बजाने से क्या कोरोना चले जायेगा। ये हंसी उड़ाते हैं। इनकी याददाश्त यदि कमजोर होगी तो इनको बता देती हूँ कि ये जो ताली, थाली और शंख जो प्रधानमंत्री जी ने बजवाया था न तो वह कोरोना भगाने के लिए नहीं, कोरोना वारियर्स के सम्मान में बजाया था। जिसका सम्मान का उल्लेख इस पुस्तक में कहीं पर भी नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- रंजना जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति जी, कोविड का नया ट्रीटमेंट था

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था।

सभापति महोदय :- रंजना जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, सबको पांच मिनट दिया गया था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, माननीय सदस्या नयी हैं और इतना अच्छा बोल रही हैं। उनका भाषण हो जाने दीजिए। वे नई सदस्य बोल रही हैं और अच्छे से बोल रही हैं। सदन सुनना चाहता है, आप उनको बोलने दें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि विगत वर्षों में 2 करोड़, 23 लाख पौधा रोपण किया गया था, जिसमें राम वन पथ गमन नदियों के किनारे पौधा रोपण किया गया। यह राम वन पथ गमन का विषय है, हम सबने इसका सम्मान किया, आपने पौधा रोपण किया, यह बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि राम वन पथ गमन में आपने जितने ट्री गार्ड लगाये थे, उनकी स्थिति क्या है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, आपका ही निर्देश है कि पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। इनको तो आधा घंटा से ज्यादा हो गया।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मेरे प्रश्न में तो आप बोलते नहीं हैं।

सभापति महोदय :- आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने दो मिनट में समाप्त करने को कह रहा हूँ, पर आप लोग खड़े हो जाते हैं। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में आप बोलते नहीं हैं, जिसमें उत्तर देना चाहिए था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, हमेशा तो कर्कश आवाज आती है। कोई सुरीला आवाज आ रही है तो सुनने की हिम्मत तो रखो। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप क्या कहना चाहते हैं ? मोहन मरकाम जी की आवाज कर्कश है ? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी को तो 10 पन्ना दे दिए हो। दो दिन से एक ही बात कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- मोहन मरकाम जी के आवाज जइसे भी है, अजय चन्द्राकर के आवाज ह करकश है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, ऐसी सैकड़ों महिला समूह हैं, जिन्होंने ट्री गार्ड का निर्माण किया, लेकिन महिला समूह जिन्होंने अपना पैसा लगाकर, बेचारी थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपने समूह को चलाती हैं, ऐसी महिलाओं की राशि का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी महिलाएं दर-दर भटक रही हैं और इन्होंने ट्री गार्ड बनाया था, महिलाओं ने बार-बार आवेदन लगाया, उस आवेदन के तहत मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी को तीन बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उसमें कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ए महीना कर्जा मिलही, तब देबो कहाथे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने फिर जिक्र किया कि 2,17,291 परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया। इन्होंने फिर इस पुस्तक में असत्य बोला है और इसीलिए मैं बार-बार कहती हूं कि राज्यपाल जी से आपने असत्य बोलवाया है।

माननीय सभापति जी, मेरा एक विषय है। इन्होंने विहान योजना के अंतर्गत आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार को 20 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया। यह असत्य और बिल्कुल असत्य है। बार-बार सदन में कहते हैं कि 15 साल की सरकार, 15 साल की सरकार, 15 साल की सरकार। मैं इनकी याददाश्त तेज करना चाहती हूं कि ये जो 20 लाख महिलाएं समूह में जुड़ी हैं, वह इन्हीं 15 साल की सरकार में डॉ. रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में ये महिलाएं जुड़ी हैं क्योंकि मैं भी उन महिलाओं से जुड़ी हुई थी। सभापति जी, इस अभिभाषण में केवल और केवल राज्यपाल जी से असत्य बोलवाया गया है इसीलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करती हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति जी, वे माननीय राज्यपाल हैं, संवैधानिक प्रावधान है। आप ऐसा न बोलें।

डॉ. विनय जायसवाल :- शिव भैया, अमूमन जितने भी सदस्य हैं, वे आपके उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन माननीय सदस्या आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रही हैं तो अगली बार इनको संतुष्ट करें।

डा. शिवकुमार डहरिया:- राज्यपाल जी से कोई असत्य बोलवा ही नहीं सकता।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री मण्डल के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने कोरोना काल की संकट स्थिति में भी लोगों की मदद करने के लिए हमारी सरकार ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है। निर्माण के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़-चढ़कर काम कर रही है। कोरोना काल में इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लास, ऑन लाईन क्लॉस, पढ़ाई तुहर द्वार एवं अनेक प्रकार की योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़-चढ़कर काम कर रही है। साथ में सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय शुरू करने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा और बारी चल रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैं नरवा योजना के तहत बताना चाहूंगी कि आज देखने को मिलता है कि पहले के जमाने में जब बोर खनन करते थे तो 40-50 फीट में ही पानी निकलता था। आज देखने को मिलता है कि 300 फीट तक जाने के बाद भी पानी नहीं मिलती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी को ध्यान में रखते हुए नरवा योजना के तहत, नरवा को बंधान करके अगर वहां पर पानी रुकेगी तो निश्चित रूप से वहां का वाटर लेवल उपर उठेगा। मैं बाड़ी योजना के बारे में बताना चाहूंगी। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से भी चर्चा कर रही थी, मेरे खुज्जी विधानसभा में एक छोटा सा पंचायत पेंडीडीह है। वहां दस एकड़ जमीन में हमारे महिला समूह के माध्यम से ड्रीप की खेती किये, जहां सब्जी की खेती कर रहे हैं। हमारी महिला समूह की बहिनाओं को यहां सब्जी की खेती के माध्यम से वहां आय का स्रोत बनाये हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि आज तक कोई भी सरकार किसानों की उपज की कीमत 2500 रुपये नहीं किये थे। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि किसानों की चिंता वही व्यक्ति जानता है, जो खेत में हल चलाते हैं, खेत में कौन सा धान बोया जाता है, वही व्यक्ति किसानों की चिंता करते हैं और चिंता करते हुए किसानों की उपज की कीमत 2500 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, विपक्ष के साथियों ने धान खरीदी के समय बहुत हल्ला कर रहे थे। धान की खरीदी एक माह 15 दिन के पहले लेट से चालू कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, मेरे खुज्जी विधानसभा में 15 साल के कार्यकाल में मात्र एक उप केन्द्र भोलापुर में खोले थे। दो साल के कार्यकाल में 6 सोसायटी और एक उप केन्द्र हमारे मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की तत्वावधान में खोला गया है। हमारी रंजना बहन आदरणीय मंत्री जी को दो-दो बार टेंडर लगा, ये लगा, वह लगा दुनियाभर का बोल रही थीं। मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी, इनके कार्यकाल में ले आउट होने के पहले 10 लाख भवन का चार-चार लाख भवन का पहले पैसा, ठेकेदार ने अधिकारियों के माध्यम से निकाला जाता था। सभापति महोदय, आज इन लोग किसानों की घड़ियाली

आंसू बहाते हैं। मैं जिस समय जिला पंचायत की सदस्य थी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, उस समय इन्होंने ही कहा था कि 2100 रुपये समर्थन मूल्य और 300 रुपये बोनस देने की बात कही थी। उसी को लेकर पूरे राजनांदगांव के किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिये सड़क में उतरे थे। सभापति महोदय, आज इन लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। किसानों के लिये 144 की धारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगायी थी। इनके कार्यकाल में मैं उस समय जिला पंचायत के महिला बाल विकास की सभापति थी, उस समय रेडी टू ईट संचालित आज भी है। इनके कार्यकाल में एक ठेका करके बच्चों के निवाला के साथ यहां कीड़े वाले को मिक्सिंग करके, रेडी टू ईट का वितरण करते थे। आज इन लोग, चाहे किसानों के साथ, चाहे बच्चों के निवाला के साथ हो, धोखा देने का काम किये हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने किसानों के प्रति, हमारी महिलाओं के प्रति और हमारे छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति के प्रति, जहां तक हमारे किसान हों, हमारी सरकार की योजना का लाभ मिले। कोरोनाकाल के इस संकट में मेरा विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र बाउंडर है, जिसमें लगभग लाख मजदूर हमारे मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पूरे अधिकारी, कर्मचारी वहां प्रवासी मजदूर को ठहराये थे, पूरे खाने पीने, ईलाज की व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी।

श्री अजय चंद्राकर :- बहन जी, मुख्यमंत्री जी ने नहीं, 13 कोरोना योद्धा ने मिलकर की थी।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। हम लोग नये हैं, बहुत कम समय मिलता है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, मैं जिस समय जिला पंचायत में थी, उस समय एक बच्ची अपने आपको आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मैं हास्पिटल में पी.एम. कराने के लिये गयी थी। उस समय पी.एम. कराने के लिये इनके कार्यकाल में चंद्राकर जी मंत्री रहा करते थे, उस समय पी.एम. कराने के लिये पैसे की डिमांड करते थे। (शेम शेम की आवाज) जहां मुक्तांजलि के लिये बच्चे के शव को ले जाना था, उनके लिये भी पैसे की डिमांड उस गरीब मजदूर से ली जाती थी। आज इन लोग स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं। किसानों के बारे में चिंता करते हैं। यहां आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। कहां के नियम और कहां के कानून मैं लिखा है कि बिस्तर में सोये हुए किसानों को उठाकर उन पर धारा लगाया जाये ? किसानों को रात 3 बजे बिस्तर से उठाकर जेल नहीं भेजा जाता है। आज किसानों के प्रति घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी जो किसानों की अगुवाई करते थे, किसानों के अधिकार के लिए लड़ते थे, उनको रात 3 बजे बिस्तर से उठाकर उन पर एफ.आई.आर. दर्ज किया जाता है और सुबह 7 बजे एस.डी.एम. आफिस खुलवाकर किसानों को जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग करते थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हमारे आदरणीय सी.एम. साहब जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आनलाईन की पढ़ाई चली है। उसी को देखते हुए पूरे शिक्षक, साथ ही साथ उस क्षेत्र के

जनप्रतिनिधि और पालकों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देते हुए हम लोग स्मार्ट क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- सभापति महोदय, मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं एक और बात विपक्ष के साथियों को बोलना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र वनांचल है। वनांचल क्षेत्र में 70 लाख की एक बिल्डिंग है। इनके कार्यकाल में 70 लाख रुपये से बना बिल्डिंग जर्जर हो गया है। हम लोग उनका भुगतना भुगत रहे हैं। वह बिल्डिंग 3 साल से जर्जर स्थिति में है। इन्हीं के कार्यकाल में बना था और इन्हीं के ठेकेदार ने बनाया था। तो मैं बोलना चाहूंगी कि यहां ज्यादा घड़ियाली आंसू न बहाया जाये। अभी हमारी बहना केन्द्र सरकार के बारे में बोल रही थी कि केन्द्र सरकार ने कोरोना काल में 20 करोड़ रुपये दिए। मैं बोलना चाहूंगी कि आलरेडी उनको देना ही था। किसान सम्मान निधि है, उसके लिए तो पहले से ही घोषणा थी तो कहां कोरोना काल में राशि देना कहां प्रवासी मजदूरों के लिए राशि हो गया ? वह राशि तो देना ही था। आज आप यहां किसान के बारे में चिंता कर रहे हैं। यही बात इन लोगों को केन्द्र सरकार के पास जाकर बोलना चाहिए। किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश लाया गया है, उसको वापस लेने के लिए हमारे किसान बार्डर में लड़ रहे हैं। इन लोगों को केन्द्र शासन को बोलना चाहिए कि किसान जो चाह रहे हैं, उनके अनुरूप कर दें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- छन्नी दीदी, आप यह बता दो कि यह राजीव गांधी न्याय योजना की आखिरी किश्त कब मिलेगी ? आप यह बता दो।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि किसानों को अंग्रेज कहा जाता है। किसानों के लिए कील लगाया जाता है क्या ये किसानों की सरकार थी ? किसानों की सरकार उसी को कहा जाता है जो किसान के हित में, किसान के बोले हुए रास्ते पर चलता है, उसी को किसान की सरकार कहा जाता है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, और ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदा बाजार) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि लंबे समय के बाद आज बोलने के लिए मौका लगा है। माननीय सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि यहां खड़े होने में दिक्कत होती है, थोड़ा जगह भी सुधरवा दें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री मोहन मरकाम :- शर्मा जी, हमारी सरकार में आपका भी विकास हो रहा है, थोड़ा सा फूल रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अभी बहुत से सदस्य लोग बोले हैं। इधर वाले विपक्ष में बोले, उधर वाले पक्ष में बोले हैं, अब हम किधर बोले समझ में ही नहीं आ रहा है। (हंसी) मैं दोनों ओर बात करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक बात का बड़ा दुःख होता है कि उधर वाले हमेशा यही बात करते हैं कि आपकी 15 साल की सरकार, 15 साल की सरकार, आपने 15 साल में क्या किया, यह बड़ी ही शर्मनाक बात है। अगर 15 साल तक रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत काम किया है तो आप उसको सुधारकर कुछ अच्छा काम करें। आप इसका उदाहरण न दें। मान लीजिये इधर 15 साल चोरी किए तो आप लोग भी चोरी करेंगे क्या ? उसका उदाहरण देकर कुछ अच्छा काम करिये, सुधारिये। इस बात की तुलना कीजिये कि 15 साल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में किसानों के कितने कृषि पंप के कनेक्शन हुए, आप उसकी भी तुलना कीजिये। आज कृषि पम्प कनेक्शन के कारण हर विधायक परेशान है। लेकिन डर के कारण सदन में नहीं बोल पा रहे हैं। ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं मालूम। लेकिन उनके आवेदन से तुलना कीजिये कि कितने पंप कनेक्शन लंबित हैं और कितने किसानों को परमानेंट कनेक्शन मिल रहा है। यदि किसान हित की बात हो रही है तो किसान को टी.सी. कनेक्शन लेना पड़ रहा है। 1 लाख से ऊपर टी.सी. कनेक्शन हैं जिसमें उसे टैरिफ रेट 6 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ता है, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए। हाँ, जो अच्छे काम हुए हैं उसके बारे में हम निश्चित रूप से बोलेंगे। जैसे कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का वातावरण बना है। आज छत्तीसगढ़िया गर्व से यह बात बोल रहा है कि छत्तीसगढ़िया की सरकार है। जिस छत्तीसगढ़ी बोली को लोग पहले बोलने में शर्म करते थे आज उस बोली को लोग ट्यूशन करके सीख रहे हैं। यह भूपेश बघेल की सरकार की एक उपलब्धि है। इस बात की हम हमेशा तारीफ करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी, जो गोधन न्याय योजना का संचालन किए हैं उसे अद्भुत सफलता मिली है। और यह एक बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की है इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस नियम से खरीदी चालू करें। हम हमारे चमत्कारी आबकारी मंत्री जी को नमस्कार करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो दारू भट्ठी में 10-20 रुपये एक्स्ट्रा बढ़वा रहे हैं उसको भी थोड़ा कम करें। जो एक्स्ट्रा रेट में शराब बिक रही है उसके लिए आबकारी मंत्री जी से निवेदन है कि आप अपना चमत्कार दिखायें और उसमें कमी करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- उनको 10-10 रुपये का कोटा फिक्स कर दिये हैं, बाकी तो इनके हाथ में लग ही नहीं रहा है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- चमत्कारी मंत्री हैं, जरूर चमत्कार करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- प्रमोद जी, ये आबकारी मंत्री नहीं कौन से मंत्री हैं?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- चमत्कारी मंत्री हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है कि कोटा फिक्स का मतलब उनको पेंशन मिलता है। बाकी दूसरी तरफ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :-माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़िया लोगों का स्वाभिमान जागा है। जो भी हमारे छत्तीसगढ़िया व्यंजन थे जैसे चिला, फरा उसी तरह से जो छत्तीसगढ़िया त्यौहार थे वह निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में गर्व का विषय रहा। लोग आज गर्व से बोलते हैं कि हमारा त्यौहार है ये बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़िया का आत्मसम्मान जागा लेकिन कुछ कमियां रह गई जिसको आप लोगों को 15 साल क्या किए यह बोलकर टरकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा।

समय :

6:32 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, आज आप गांव की स्थिति को देखिए, गांव की स्थिति में 028 और 032 स्कीम में ये राज्य शासन की स्कीम है। इसमें किसी भी गांव में एक भी ट्रांसफार्मर का काम नहीं हो रहा है। आज यहां 90 विधायकों में से पूरे के पूरे 90 में से 90 विधायक वोल्टेज की समस्या से परेशान होंगे। आप इसको ध्यान दीजिए। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के बजाय मिलजुलकर कुछ अच्छा काम करें। मैं माननीय मोहन मरकाम जी से भी निवेदन कर रहा हूं, आप बोलते-बोलते हॉफ गये थे, शायद आपको ग्लूकोज देने की जरूरत है, तो आप इतना तारीफ किए तो आप यहां भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं इसमें भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलकर कदम उठाईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रमोद, भैया तैं पक्ष में बोलथस कि विपक्ष में बोलथस?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं दूनो कोती हवंव।

श्री सौरभ सिंह :- वो तो कहिसे कि मैं नहीं समझथंव कि कौन कोती बोलथंव कईके।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे को दो साल में अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं उधर हूं कि इधर हूं।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, ओमन करा जरा ज्यादा नजदीक में बईठे हे ना तो थोड़ा संगती के असर होगेहे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हाँ, इधर का असर रहेगा ही। माननीय सभापति महोदय, रेत उत्खनन की बात है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के बगल में लगी हुई जगह कसडोल विधानसभा में वहां की विधायक मैडम बैठी हुई हैं वहां से रेत का इतना अवैध परिवहन हो रहा है, इस पर मैं सरकार का ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि आप बलौदा बाजार में खड़े हो जाईये, अगर हम नाका लगाकर बैठ जाएं।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है रेत भर के बारे में मत बोलो, वह कुछ नहीं कर सकते। दूसरे विषय में मांग कर लो।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, इसमें जांच की मांग छोड़ देता हूँ। (हंसी) ग्रामीण पंचायत विभाग की बात करूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को अपने क्षेत्र की एक समस्या से अवगत कराना चाहूंगा जो सामान जिसमें ट्राई साइकिल, फावड़ा, बेल्टा, हमारे यहां जिला पंचायत के सी.ई.ओ. और वहां के अधिकारी द्वारा दबाव डालकर सरपंच से चेक कटवा-कटवा कर ले रहे हैं, सरकार की यह स्थिति है। इस सरकार को सुधारने के लिए, अधिकारी तो सिर्फ मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी लोगों के तो मजे रहते हैं इधर थे तो भी बढ़िया हैं और उधर थे तो भी बढ़िया हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अधिकारी हैं वह पूरा गिरगिट हैं। समय के हिसाब से रंग बदल देते हैं। ये ही अधिकारी आज मनमानी कर रहे हैं। जिस सामान की कीमत अगर 20 हजार रुपये है तो उसे 45 हजार रुपये में अधिकारियों के द्वारा बेचा जा रहा है। जिला पंचायत में दबाव डालकर चेक कटवा रहे हैं। यह गोरखधंधा चल रहा है इसके लिए भी सरकार को गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा कि यहां बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़िया की सरकार चल रही है, लेकिन कुछ समस्याओं का निराकरण कर लें तो और बढ़िया से हो जाएगी। इसमें हम लोगों के सहयोग की जरूरत पड़े तो अच्छी सोच के साथ, हम लोग हमेशा सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। यह उपर वाले की मेहरबानी थी कि ये 29 तारीख को पानी की वर्षा हुई, इसमें किसान की क्या गलती है। जिन किसानों का टोकन बंटा हुआ था। मेरे क्षेत्र में ऐसे 250-300 किसान हैं जिनको टोकन मिला हुआ था। अब ऊपर वाले की दया से वहां पानी गिर गया तो किसान धान नहीं बेच पाये। ये धान खरीदी में बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं कि हम किसानों के धान का दाना-दाना खरीदेंगे तो उन किसानों का क्या होगा? जिनको टोकन मिला हुआ है और उनकी कोई गलती नहीं है। केवल पानी गिरने के कारण उस दिन धान नहीं बेच पाये। मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ तो उस किसान का क्या होगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उस किसान की क्या गलती है? अगर उस दिन बारिश हो गई तो क्या वह किसान धान नहीं बेच पाएगा? उस किसान का क्या होगा? उसे टोकन मिला हुआ है और सोसायटी में आज भी धान पड़ा हुआ है। आप इसके बारे में भी चर्चा करिये। यदि किसान के बारे में बोलते हैं कि हम किसान के धान का दाना-दाना खरीदेंगे तो उन किसानों का क्या होगा? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए खड़ा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आज एक अच्छी अनुभूति हुई कि लगातार चर्चा के दौरान मैं सुनता रहा और सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे आज लग रही थी कि हमारे नये सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिस प्रकार से अपनी बातें रखीं, वह अभिनंदन के योग्य है मैं उनकी सराहना करता हूँ। वह सारे नये सदस्य काफी अच्छी तैयारी के साथ और सारे विषयों को प्रस्तुत किया। वह बधाई के पात्र है। यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की विधानसभा जैसे नये सदस्यों के अंदर जो ऊर्जा देखता हूँ तो

अच्छी अनुभूति होती है। आज मुझे बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं करना है। मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। चूंकि समय की मर्यादा को भी समझ रहा हूँ। मगर इस राज्यपाल महोदया के अभिभाषण की शुरुआत करना चाहता हूँ कि कैसे किसी की आशा निराशा में बदल जाती है। जनघोषणापत्र की उम्मीदें पूरे छत्तीसगढ़ में एक नये सरकार के गठन का आधार बिन्दु था और लोगों की उम्मीदें आसमान पर थीं। लोगों को भरोसा था कि हमारे लिए जो सपने दिखाये गये थे, वह सरकार यह सपने पूरे करेगी। चाहे मजदूर, किसान, महिला, वृद्ध, विकलांग हो, चाहे समाज के सभी वर्ग हों, सबके अंदर एक उम्मीद जागी थी कि और उस उम्मीद के आधार पर उनको लगता था कि यह सरकार आते ही उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मगर ये निराशा का दौर प्रारंभ हो चुका है। दो साल, 4 महीने बीतते-बीतते, यह राज्यपाल महोदया का तीसरा अभिभाषण भी आ गया, उसके बाद भी लोगों की उम्मीदें अधूरी हैं लोगों की आशाएं अधूरी हैं और आज मैं कह सकता हूँ कि यह अभिभाषण वर्तमान की कार्ययोजना के साथ भविष्य की परिकल्पना को समाहित करने वाला होता है। मगर यह अभिभाषण निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें न वर्तमान की कार्ययोजना है और न भविष्य की परिकल्पना है। यह दोनों नहीं है। विज्ञान की भाषा में बहुत सरल शब्दों में यदि समझाऊं तो विज्ञान के विद्यार्थी समझ जाएंगे कि यह अभिभाषण रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन है। यह केमिस्ट्री की भाषा में विज्ञान की परिभाषा में किसी अभिभाषण के बारे में 3 लाईन का कमिट यदि करना चाहूंगा तो इतना ही बोल सकता हूँ और मुझे लगता है कि यह सरकार ने किसानों के साथ छल किया। किसानों के जितने खून के आंसू निकले हैं और लोग कहते हैं कि धान की फसल बारिश में भीग गई। बारिश में कितना भीगा होगा, मैं यह नहीं जानता। मगर किसान के आसुओं से जितना धान भीगा है उतना बारिश से नहीं भीगा। ये किसान को इतनी परेशानी हुई। 71 दिन की खरीदी को 60 दिन कर दिया गया। उनके टोकन के लिए कितने लम्बे समय तक उनको घुमाया गया। उनके रकबे कम करने का षड़यंत्र किया गया और उसके साथ ही साथ जो किसानों को 2 साल का बोनस और बड़ी-बड़ी उम्मीदें जतायी थी, उन उम्मीदों को पूरा किया। आज स्थिति यह है कि राजीव गांधी न्याय योजना, कितना न्याय कर पा रहे हैं, यह मुझे नहीं मालूम है। एक साल बीत गया। पिछले साल का धान सोसायटी में चला गया। वह धान सोसायटी में सड़ गया और सड़ जाने के बाद भी किसानों को पेमेन्ट नहीं हो रहा है। यानि धान पैदा हुआ, सोसायटी में गया, बारिश में सड़ गया, मगर आज तारीख तक चौथी किश्त नहीं मिली है। यह किसानों की स्थिति है। यह किसानों की स्थिति को मैं बताना चाहूंगा। कोविड की बात हो रही थी। कोविड के काल में आज एक अच्छा समाचार दिखा, पूरे हिन्दुस्तान में 1 मार्च से बुजुर्गों को मुफ्त वैक्सीन देने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान में 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है। 45 वर्ष के लोग जो गंभीर बीमारी से संक्रमित हैं, उनके लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था पूरे हिन्दुस्तान में हो रही है। मगर उस कोविड के संकट में छत्तीसगढ़ ने क्या

किया? जब वेन्टीलेटर, ऑक्सीजन की, कोविड के हॉस्पिटल की जरूरत थी, जब लोगों के लिए पी.पी.ई. किट की, मास्क की आवश्यकता थी, उस दौर में छत्तीसगढ़ के 13 कोरोना योद्धा पेपर में नजर आ रहे थे। लाखों रुपये के बड़े-बड़े एड आ रहे थे। ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ में कोई नया अवतार आ गया है। शायद इनके माध्यम से कोरोना से लड़ाई लड़ी जायेगी, मगर जो प्रवासी मजदूर आये, उनकी पीड़ा, तकलीफ, दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। वह तो ट्रेन के माध्यम से माननीय मोदी जी ने व्यवस्था कर दी, बस की व्यवस्था कर दी। मगर हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों से तुलना करें तो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा रही है। आज मैं दिल्ली से तुलना नहीं करता कि कोविड में मरे हुए लोगों को 1 करोड़ रुपये दिया जा रहा है, मध्यप्रदेश से तुलना नहीं करूंगा कि कोविड के सारे मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। गुजरात से तुलना नहीं करूंगा कि प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था और उनके लिए नगद राशि की व्यवस्था की। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ गरीब राज्य है, मगर उनकी संवेदना, उनकी पीड़ा को देखने वाला तो कोई हो। यह हालत थी कि प्रवासी मजदूरों के लिए जो कोविड के सेंटर बनाये गये थे, हिन्दुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि साँप काटने से मौत हो जाये। हमारे यहां के क्वारंटाइन सेंटर में साँप काटने से मौत हो गई। ऐसी-ऐसी जगह में, ऐसे स्कूल में लोगों को ठहराया गया, वहां न कोई देखने वाला था, न वहां कोई परीक्षण करने वाला था, सारे के सारे सेंटरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। मुझे लगता है कि आज कोविड के इस दौर में, सभापति महोदय, मैं आज जल्दी समाप्त करना चाह रहा हूं, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाह रहा हूं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- डॉक्टर साहब, पूरे हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्था थी, दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे थे, वह छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को सराह रहे रहे थे। यहां जो व्यवस्था लोगों ने की, इसमें हम केवल सरकार के या कांग्रेस के लोगों की बात नहीं करते हैं, उसमें सभी दल के लोगों ने, समाजसेवी संगठनों ने, छत्तीसगढ़ में लोगों ने जो सेवा की, वह बहुत अनुकरणीय थी।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- डॉ. साहब, बिहार में चुनाव के समय कहे रहिस हे कि सब ला फ्री में वैक्सीनेशन करबो। अब कहत हे पुन्नूलाल मोहले जैसे सियान मन ला वैक्सीनेशन किया जाही। यह तो अन्याय है न। सबला मिलना चाही।

डॉ. रमन सिंह :- सभापति महोदय, यदि छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसा हॉस्पिटल नहीं होता, यदि छत्तीसगढ़ में अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसी जगह में नहीं होते तो कोविड के गंभीर मरीजों की क्या स्थिति होती, छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है, उसका प्रश्नचिन्ह आज लगाया जा रहा है और यहां की सुविधाओं के बारे में प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है। जो सबसे दुर्भाग्यजनक विषय है, जिस हिन्दुस्तान के वैज्ञानिकों की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, वैज्ञानिकों की सराहना की जा रही है, हिन्दुस्तान ने दो-दो वैक्सीन बनाकर दुनिया को बता दिया कि

हम इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज उन वैज्ञानिकों के ऊपर भी शंका की जा रही है और वह भी राजनीतिक कारणों से की जा रही है। अपने हाईकमान को खुश करने के लिए कहा जाता है कि उस वैक्सीन को हम उपयोग नहीं करेंगे। अरे, स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात की चिंता कर लें, हिन्दुस्तान नहीं, 20-20 देशों में उस कोविड की वैक्सीन को भेजा जा रहा है। आप यहां पर राजनीति कर रहे हो कि मैं इस कोविड वैक्सीन को नहीं लगाऊंगा। यह छत्तीसगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है कि यदि इस प्रकार की बातें आती हैं तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। कोविड में कम से कम राजनीति न हो, इस की चिंता करनी चाहिए। तीसरा विषय युवकों को लेकर है, मैं बहुत कम विषय लूंगा। युवकों के लिए कहा गया, उस समय कांग्रेस कहती थी कि प्रदेश में 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख अपंजीकृत बेरोजगार हैं। सरकार ने उनको दो साल रोजगार नहीं दिया, वह तो ठीक है। न पुलिस भर्ती हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रुकी हुई है, पी.एस.सी. की क्या हालत है ? पी.एस.सी. के बारे में रोज पेपर में जिस प्रकार समाचार आ रहा है, उस संस्था की विश्वसनीयता पूरी तरह से चौपट हो गई है और ऐसा यदि चलता रहा तो लोग पी.एस.सी. की परीक्षा देने से डरने लगेंगे। धमतरी के युवक हरदेव सिन्हा ने आत्महत्या की। आज कांग्रेस के उन दिनों की बात मैं याद कर रहा हूं, जब उन्होंने गांव-गांव में लोगों से फॉर्म भरवाया था और उन्होंने वादा किया था कि राजीव गांधी मित्र योजना में 10 लाख बेरोजगार युवकों को 25 सौ रूपए माहवारी दिया जायेगा। 24 और 4 यानी 28 महीने निकल गये, यह राजीव गांधी मित्र योजना का इंतजार हो रहा है। लग रहा था कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में कुछ एक-दो लाईनें लिखी जायेंगी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोबर बेचकर मोटर साइकिल खरीद रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में एक ही रोजगार बच गया है कि नवयुवक पढ़ा-लिखा हो, गोबर इकट्ठा करे, बेचे और मोटरसाइकिल खरीदे। क्या छत्तीसगढ़ में इसके अलावा रोजगार के कोई अवसर ही नहीं हैं ? यदि रोजगार की यही स्थिति रही और जिस प्रकार आज युवकों की हालत है, आज पूरे के पूरे युवकों के अंदर आक्रोश है, आज सड़कों पर अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन सारी बातों के साथ-साथ मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जो मूल प्रश्न हैं उसमें चाहे आज जिस बात की चर्चा हुई थी कि सुपेबेड़ा में सामूहिक नलजल योजना, जब केंद्र सरकार 7 हजार करोड़ रुपये दे रही है, जब आपने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि वर्ष 2023 तक 45 लाख 48 हजार घरों में नल कनेक्शन दे दिया जायेगा, आप दावा करते हैं और अभी तक केवल 5 लाख 65 हजार घरों में नल कनेक्शन दिये हुए हैं। यदि देखा जाये तो एक साल में ढाई लाख कनेक्शन ही दिये जा रहे हैं, इस गति से वर्ष 2023 तक साढ़े 7 लाख घरों में ही नये कनेक्शन दिये जायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह स्थिति रही तो इस घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को आपने बताया है, उन मुद्दों पर क्या स्थिति बनने वाली है ? इसके साथ मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि कुछ प्रश्न हैं, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय

मुख्यमंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे तो इस बात को अवश्य ही समाहित करेंगे कि इन बातों का उत्तर छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार बदलने से गरीबों की योजनाओं को यदि छीना जायेगा, गरीबों के साथ नाइंसाफी होगी। मैं आज यह पूछना चाहता हूँ कि 2 साल 4 महीने होने के बाद आयुष्मान भारत योजना में कितने लोगों को छत्तीसगढ़ में लाभ दिया गया? शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब में आएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि स्मार्ट कॉर्ड योजना में 25 हजार रुपये के लाभ की योजना, जिसमें 50 हजार तक की निःशुल्क ईलाज की योजना थी, कितने लोगों की 28 महीने के अंदर ईलाज की व्यवस्था की गई? वादा किया गया था कि सिंचाई का रकबा दुगुना कर दिया जायेगा, यह इनके घोषणा पत्र में था और माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार बोलते हैं कि हम सिंचाई का रकबा दुगुना कर देंगे। 2 साल, 4 महीने निकलने के बाद सिंचाई के रकबा में 1.6 परसेंट की वृद्धि यानी आने वाले 40 सालों में आप दुगुना करना चाहते हैं कि कब करना चाहते हैं? आप बोधघाट परियोजना की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम बोधघाट परियोजना ला रहे हैं, 2 साल 4 महीने तो हो गए बाकी 2 साल बचे तो 2 साल में केवल भूमि पूजन कर लो। एक नारियल फोड़ दो, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लो, वहां एक धमेली रेत और मिट्टी चला जाये, मैं आज यहां पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि यह नहीं हो सकता। आने वाले 24-26 महीनों में बोधघाट में एक पत्थर नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसका डी.पी.आर. बना नहीं है, उसका क्लियरेंस हुआ नहीं है और बड़ी-बड़ी बातें केवल और केवल कागज में बांध बनेंगे, कागज में सिंचाई होगी, कागज में कार्ययोजना बनेगा और कागज में क्रियान्वयन होगा यह सरकार की योजना और इसके लिये फंड रखने की बात होती। बोधघाट का डी.पी.आर. तो बनाओ, उसकी जमीन में जाकर उसका डिटेल सर्वे तो कराओ। सर्वे करने की स्थिति नहीं है, इसका भी जवाब मुझे लगता है वे जरूर देंगे। गरीबों के साथ छल हुआ है, सरकार बदलने से गरीबों का क्या नुकसान होता है? क्या फर्क पड़ता है डॉ. रमन मुख्यमंत्री रहे या श्री भूपेश जी मुख्यमंत्री रहें या कोई दूसरा मुख्यमंत्री रहे। फर्क पड़ता है, गरीब इस बात को महसूस कर रहा है, फर्क यह पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के 6 लाख से ज्यादा एक साल में जिन गरीबों को पी.एम. आवास योजना देना था, वर्ष 2016 से लेकर 2022 तक छत्तीसगढ़ के 19 लाख पी.एस. आवास बनाने का लक्ष्य था। यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से जब मैं मुख्यमंत्री था, श्री अजय चंद्राकर जी मंत्री थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके इसका फाइनल शेप हमने दिया था और रास्ता भी निकाला था कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आवास बनेगा, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए रहने की व्यवस्था होगी। 2016 से 2022 तक की कार्ययोजना थी 19 लाख पी.एम.आवास। 2018-19 में जब हमारी सरकार थी हमने अंशदान 750 करोड़ रुपए नाबार्ड से कर्ज लिया। मैं पुरानी बात को दोहराते हुए बताता हूँ कि 2019 और 2020 में 1 लाख, 51 हजार आवास हेतु केन्द्र की पहली किश्त प्राप्त हुई और पहली किश्त के बाद यह आखिरी पैसा था जो हमने नाबार्ड से

लिया था, राज्य सरकार द्वारा अंशदान अप्राप्त होने से दूसरी किश्त नहीं मिली और वे मकान जर्जर होकर गिर जाएंगे। इधर-उधर की बात न करके मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे। इन मुद्दों पर जवाब देंगे, जिनमें मैं चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता सुनना चाहती है।

श्री अमरजीत भगत :- केन्द्र से जो पैसा मिलना है, हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसको तो दिलाइए आप लोग।

डॉ. रमन सिंह :- तुम्हारे समझ में नहीं आएगा।

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ की लेनदारी है, उसको दिलाइए ना। उसमें आप लोग कुछ बात ही नहीं करते।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका हिस्सा कहाँ जा रहा है बता दो, दिलाने की व्यवस्था हम करेंगे। हिस्सा कहाँ जा रहा है बताओ सबके सामने।

सभापति महोदय :- चलिए व्यवधान न करें।

डॉ. रमन सिंह :- मैं इनसे डिस्टर्ब नहीं होने वाला हूँ। मैं उसी बिंदु पर फिर से आ रहा हूँ। चाहे कितना भी डिस्टर्ब करने की सोचें मैं उस बिंदु को छोड़ूँगा नहीं। उससे मुझे व्यवधान होता ही नहीं। मेरे हाथ में दो पन्ने हैं मुझे इतना ही बोलना है, बहुत ज्यादा तो बोलूँगा नहीं। मैं इसका जवाब मांगता हूँ, इसका जवाब छत्तीसगढ़ चाहता है कि 2020-21 में केन्द्र ने 6 लाख 84 हजार आवास देने का प्रस्ताव रखा। प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया। 2019-20 में अप्राप्त है। पी.एम.आवास योजना 2022 तक छत्तीसगढ़ में बनाया जाना था। क्या यह बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या इस योजना को ड्रॉप कर दिया है। आपके घोषणा पत्र में आवास के लिए बड़ी-बड़ी बात कही गई है कि सब गरीबों को आवास देंगे। जो 60/40 में मिल रहा है उसको तो करिये महाराज। उसके लिए काम आगे बढ़ाइए। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के लोगों को जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उन तक ही केन्द्रित रहूँगा। आज मैं बहुत से बिंदुओं को छोड़ रहा हूँ।

श्री कवासी लखमा :- टी.एस.सिंहदेव भी महाराज हैं, रविन्द्र चौबे भी महाराज हैं, आप किस महाराज की बात कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पेंशन प्राप्त मंत्री हो। आपकी ओरिजिनल चीज दूसरी जगह जा रही है। आप आबकारी विभाग में केवल पेंशन पा रहे हो।

डॉ. रमन सिंह :- गरीबों की, किसानों की हितैषी सरकार है। मगर मुझे लगता है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। जो योजनाएं चल रही थीं उन योजनाओं में गरीबों को लाभ मिले। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 60 हजार पम्प कनेक्शन थे। जब मैं मुख्यमंत्री पद से हटा तो 5 लाख 40 हजार पम्प कनेक्शन हो गए। यानी उस पूरी अवधि में हमने 5 लाख पम्प कनेक्शन दिये। ठीक है दे दिया। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में 38 हजार किसानों के पूरी औपचारिकता पूर्ण किये हुए

आवेदन, अधूरे आवेदन नहीं, पूरी औपचारिकता किए हुए आवेदन 38 हजार आवेदन आज ऑफिस में पड़े हैं, जिनको सेंक्शन करना है। मैंने इस साल के बजट में जो प्रावधान देखा था उसके तहत केवल 8 हजार विद्युत पम्पों को कनेक्शन देने वाले हैं। इस रफ्तार से देंगे तो एक साल, दो साल, तीन साल और चार साल लगेंगे। अब ये जितने आवेदन औपचारिकता पूर्ण किए हुए हैं उनको ही पूरा करने में चार साल, पांच साल लेंगे। यानी पांच साल की वेटिंग लिस्ट है। जैसा कि दिग्विजय सिंह के जमाने 8-8 साल की वेटिंग हुआ करती थी। वह समय लौटकर आ गया है और वही वेटिंग किसानों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों को निःशुल्क पम्प कनेक्शन, निःशुल्क खुदाई की व्यवस्था। उनके खेत तक ले जाने की व्यवस्था, इन सारे कामों को हम करते थे, ये पूरी की पूरी योजना बंद हो गई है, सोलर पम्प की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। अरे, कम से कम जनकल्याणकारी योजनाओं को तो जारी रखें। उन योजनाओं को तो जारी रखने का काम करें। पी.एम. किसान निधि योजना की सूची जान बूझकर रोकी जाती है। ग्रामीण विकास के सारे काम ठप हैं, ग्राम गौरव, पचरी, नाली निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र का विकास ये सारी योजनाएं बंद हैं। ये सारे विधायक बैठे हैं। कमरे के बाहर बोलते हैं। कमरे के अंदर बोल नहीं सकते। जब मिलते हैं तो बताते हैं कि विकास का कोई काम नहीं हो रहा है सड़क के, पुल के, पुलिया के, स्कूल के, अस्पताल के। पैसा है नहीं। पूरा का पूरा पैसा खर्च हो रहा है और उस पैसे में आप काम कैसे करेंगे? खर्च कैसे करेंगे? चरण पादुका की योजना बंद हो गई। कन्यादान योजना की गति समाप्त हो गई है। इसके साथ ही साथ पी.एम. स्ट्रीट वेंडर योजना, डी.ए.वी. स्कूल, रेलवे के 4-4 कॉरीडोर 1800 किलोमीटर रेलवे का निर्माण अपने आप में हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी योजना थी, उस योजना को खटाई में डाल दिया गया। उस योजना को बंद कर दिया गया। इन योजनाओं के जाने से छत्तीसगढ़ का विकास और छत्तीसगढ़ की तरक्की रुक रही है। मैं अंतिम विषय में आना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आज राज क्या चल रहा है? आज पूरा छत्तीसगढ़ आतंक से डूबा हुआ है। चारों तरफ लूट मची हुई है और चारों ओर अंधेरा है। गांवों में यही नारा लगता है कि पहरेदार लूटेरा है। यदि पहरेदार लूटेरा है, यदि सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग, यहां के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर और एस.पी. इस प्रकार के काम में लिप्त हैं। यदि लेकर माफिया छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है। लैंड माफिया काम कर रहा है। सैंड माफिया काम कर रहा है। कोल माफिया काम कर रहा है। नदियों की दिशा बदलने का काम हो रहा है। आज ये हालत है कि रेत को लेकर पूरे हिन्दुस्तान के शराब ठेकेदार छत्तीसगढ़ में उतर आये हैं। एक भी ठेका किसी छत्तीसगढ़िया के हाथ में नहीं है। पूरा रेत जो 8 हजार में मिलता था, वह 40 हजार मिल रहा है। इस प्रकार की गुण्डागर्दी कि जिला पंचायत का सदस्य को मारा जाता है। एस.डी.एम. व तहसीलदार को घसीटकर ट्रैक्टर से उसे निकाला जाता है। बलरामपुर से लेकर राजिम तक, राजिम से लेकर कोरिया और कोरिया से लेकर बस्तर तक इस प्रकार सैंड माफिया का राज पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जो शराब का धंधा करते थे, जो शराब के पंडा थे।

शराब का गुंडागर्दी करते थे, वे आज छत्तीसगढ़ के पवित्र नदियों पर रेत का व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं। अवैध धंधा कर रहे हैं। एक जगह में रेत है। 10 जगह में रेत निकालने जा रहे हैं। किसी एस.पी. की हिम्मत नहीं है। किसी कलेक्टर की हिम्मत नहीं है। उनको पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक सकें और शराब तो घर पहुंच सेवा हो गई है। किसी को मालूम नहीं होता। घरवाले की पत्नी को घर पहुंच सेवा में मालूम नहीं होता। वहां पहुंच जाता है। आज तक हमने यह देखा था छत्तीसगढ़ में। आप भी जिस इलाके के हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आप भी घूमते हैं। बस्तर के हमारे मित्र हैं। सरगुजा के मित्र हैं। नक्सली बेरियर लगाकर अवैध वसूली करते थे। कोयले के ऊपर, लोहे के ऊपर, वह दौर था जब नक्सली अवैध वसूली करते थे। जब नक्सलियों को छोड़कर सरकार वसूली बेरियर लगाकर करने लगे। कोल के ऊपर 25 रूपया प्रति टन यदि वसूली होने लगे तो इस सरकार की व्यवस्था को कोई संभाल नहीं सकता और जिस प्रकार आज स्थिति बदल रही है। नदियों की धार बदल रही है। वक्त का तासीर है कि अब इस बीच संभलने का अवसर है कि ये कोल माफिया, ये सैंड माफिया, ये लीकर माफिया, शराब के लिए माननीय रविन्द्र चौबे जी से बुजुर्ग हमारे अनुभवी मंत्री के नेतृत्व में अध्ययन दल गया था। 4-5 राज्यों में शराब के लिए अध्ययन करके आये हैं और अध्ययन करके आकर रिपोर्ट क्या दी है, यह कोई नहीं जानता। हिन्दुस्तान में 3 साल देंगे भी नहीं और इतना ही कहा और मुख्यमंत्री के मुंह से निकला कि शराब बंद होगा तो ड्रग शुरू हो जायेगा। इसलिए आगे बोलना बंद कर दें।

समय :

6.59 बजे

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

डॉ. रमन सिंह :- इस माफिया राज के जंगल से छत्तीसगढ़ को यदि निकालना है तो आज यह छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट यदि कोई देख लेगा तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि अपहरण के मामले में हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ अपना स्थान कैसे बढ़ाते जा रहा है। 7वें स्थान में आ गया। आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर आ गया। दो वर्षों में जब से सरकार बनी है, 800 लूट, 1800 हत्या, छेड़खानी के 4 हजार और डकैती के हजार मामले आ गये। ये इस प्रकार की बातें और इस प्रकार का मामला, ये छत्तीसगढ़ को देश में बदनाम होने की साजिश है और जिस प्रकार अपराध बढ़े हैं होने की साजिश है और जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, अवैध शराब बढ़े हैं, आज तो यह स्थिति है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी और राजधानी का हृदय स्थल वी.आई.पी. रोड में दो, तीन बार गोलियां चल गई हैं, अपराध हो गए हैं। उन अपराधियों को

पकड़ा नहीं गया है। शराब ही नहीं, वहां पर ड्रग चल रही है। वहां पर दिन-दहाड़े घटनाएं हो रही हैं, वहां पर लोग गोलियां चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी असुरक्षित है। रोज चार, पाँच, छः चाकूबाजी की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। जिस प्रकार से शराब बिक रहा है, जिस प्रकार से फ्री मनी मार्केट में घूम रही है, यही इसका नतीजा होना चाहिए। इसलिए मैं राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूँ। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 7:00 बजकर 01 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 25 फरवरी, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा